खण्ड-365, अंक-9
मंगलवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(20 मार्च, 1984 ई0)

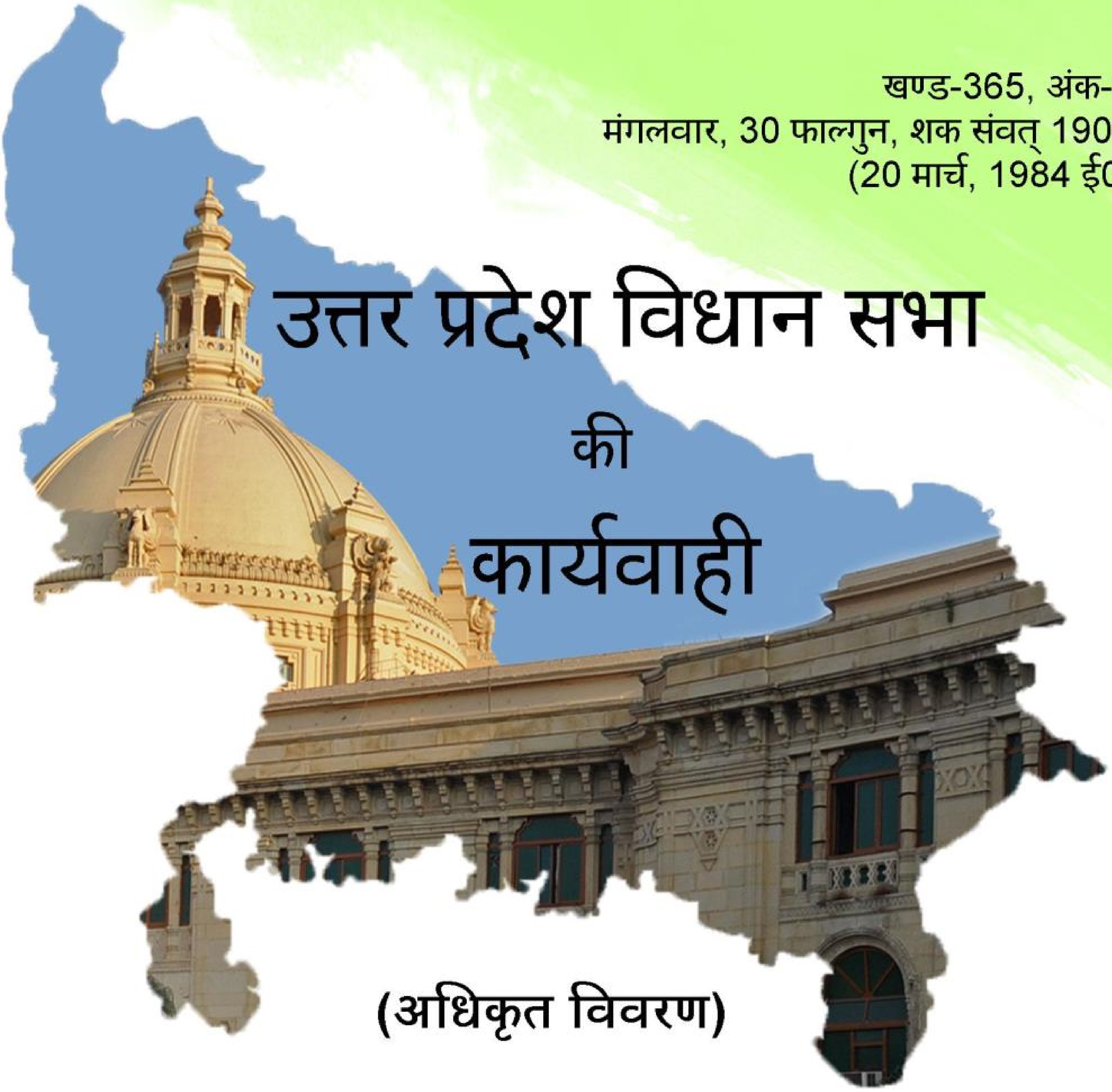

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1–5
प्रश्नोत्तर ..	7–89
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	89–91
महारानी लाल कुंवरि डिग्री कालेज, बलरामपुर (गोंडा) के प्रधानाचार्य पद पर श्री ए0 के0 चतुर्वेदी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चार्ज न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91–92
चनकुता ग्राम समूह पेयजल योजना, आगरा के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92–(0
ऐतिहासिक कौशाम्बी, इलाहाबाद की प्रस्तावित खुदाई न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92–93
हल्द्वानी के पास नन्दौर नदी के किनारे कच्ची सड़क पर हुई ट्रक दुर्घटनाओं की जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
अनुसूचित जाति के युवकों की समिति मोटर सर्विसिंग सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चरगांवां, गोरखपुर को अभी तक प्रस्तावित ऋण न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93–94
देवरिया जनपद की तहसील हाटा-पडरौना में सीलिंग की भूमि को फर्जी तरीके से हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
उत्तर प्रदेश उत्तर रक्षा एवं पुनर्वास केन्द्र, बेनाझावर, कानपुर की संस्था द्वारा तैयार माल को रेट कन्टैक्ट से मुक्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94–95
बिक्री-कर आयुक्त द्वारा बिक्री-कर के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	95–96
15 मार्च, 1984 को प्रस्तावित विद्युत् आपूर्ति के अभाव में फसलों के झुलसने के सम्बन्ध में चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	96–97
इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अधीन बनाए गए विनियम (सदन के पटल पर रखे गये) ..	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अधीन बनाए गये विनियम को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति ..	98–103
इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	103
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	103
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	103
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	103–118
1984–85 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग (स्वीकृत) ..	118–150
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	150
भूमि विकास बैंक में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना ..	157
जनपद कानपुर देहात के थाना बिल्हौर के दो विद्यालयों में चोरी तथा हत्या की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	151–155
सशस्त्र डाकुओं के गिरोह द्वारा ग्राम ब्राह्मण का नगला, जिला आगरा में हमले से लोगों के मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	156–158
बिरा विद्युत् गृह में लगी आग से उत्पन्न विद्युत् संकट के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	158–161
प्रस्थियां ..	163–173

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर दो मिनट पर डिप्टी अध्यक्ष श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 339

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह उर्फ अनिल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदेसिया बेगम, (बेगम एजाज रसूल) श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, उर्फ बालराज श्री (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाशचन्द्र यादव एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)

गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैथ्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जीतेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जीतेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
रमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्नेलाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)

बुद्धपाल सिंह "खुर्जे वाला" श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह कैन, श्री (गाजियाबाद)
भृगु नाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, उर्फ शबरोज, श्री (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)

राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री(बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री उर्फ मणिजी (इलाहाबाद)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री(मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शिवेन्द्र सिंह, उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, उर्फ मुन्नी श्री (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)

हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग होली की शुभ कामनाएं स्वीकार करें ।

अस्थायी प्रतिलेख सभा

विधान सभा
प्रदेश पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 20 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इंदिरा नगर कालोनी, लखनऊ में बी0 तथा सी0 टाइप के भवनों में पानी की आपूर्ति

**1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंदिरा नगर कालोनी, लखनऊ में बी0 तथा सी0 टाइप के भवनों में इस समय पानी की आपूर्ति समय से न किये जाने से वहां के अध्यासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या यह भी सही है कि पानी की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है ? क्या सरकार जल आपूर्ति में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

प्रश्नगत भवनों में पानी की आपूर्ति सामान्यतया संतोषजनक है । यदा-कदा विद्युत् की आपूर्ति में व्यवधान होने अथवा यांत्रिक गड़बड़ी हो जाने से कभी-कभी कठिनाई होती है जिसका निदान किया जाता है । मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए पानी की दरों में दिनांक 1-1-1982 तथा 1-10-1983 से वृद्धि की गयी है । किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदा-कदा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने अथवा यांत्रिक गड़बड़ी हो जाने से कभी-कभी कठिनाई होती है जिसका निदान किया जाता है । मान्यवर, यह जो कभी-कभी कठिनाई होती है इसके कारणों का स्थायी निदान ढूंढ़ने का शासन ने क्या विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि पिछले नवम्बर में एक दफा डिफेक्ट हुआ था

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप डिफेक्ट शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या इसके स्थान पर आप कोई और शब्द नहीं बोल सकते हैं । आप लोगों को क्या इंग्लैण्ड भेजना पड़ेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, इसमें नवम्बर में एक बार खराबी आयी थी कभी-कभी विद्युत् आपूर्ति में गड़बड़ी होने के कारण ऐसा हो जाता है, उसके लिये विद्युत् विभाग से बराबर सम्पर्क रखा जाता है कि यदि कोई गड़बड़ी हो जाय तो उसे तुरन्त दूर किया जा सके ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि वहां पर एक लाख की टकी काफी अरसे से बेकार पड़ी हुई है, यदि उनकी जानकारी में यह बात है तो क्या उसको काम में लाकर पानी सप्लाई की कोई स्थायी व्यवस्था वे करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

दिखवा लेंगे मान्यवर ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पानी की दरों की बढ़ोत्तरी के बारे में जो तर्क दिया है कि मंहगाई के कारण पानी की दरों में वृद्धि की गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि महंगाई के आधार पर जो पानी की दरों

में बढ़ोत्तरी की गयी है उसके साथ ही साथ जो उससे सम्बन्धित कार्यरत कर्मचारी हैं तो क्या उनके भत्ते की दरों में भी बढ़ोत्तरी का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि महंगाई को देखते हुए, वहां के रख-रखाव की व्यवस्था, सुविधा तथा सड़क आदि की व्यवस्था को देखते हुए पानी की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था जिससे आर्थिक कमी को पूरा किया जाता। अब वहां के कर्मचारियों के बारे में जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं, उसे हम देख कर बाद में आपको भेज देंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो इन्दिरा नगर है इसका नाम कुछ दिनों पहले राम सागर मिश्र नगर था यदि हां, तो इसका नाम बदल कर फिर इन्दिरा नगर क्यों रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। क्या उसका नाम अब जसवन्त सिंह विष्ट नगर रख दिया जाय ?

(हंसी)

श्री आसरे वर्मा--

नाम के साथ-साथ मान्यवर, बुराई अपने आप घर कर जाती है। जब तक इसका पुराना नाम था, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी परन्तु जबसे इन्दिरा नगर पड़ा है तब से पानी की किल्लत हो गयी है। जिन-जिन चीजों का सम्बन्ध पानी की बढ़ोत्तरी के साथ है, उन चीजों में कौन-कौन चीजों में महंगाई म बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

माननीय सदस्य जरा प्रश्न फिर से कर दें, मेरी समझ में उनकी बात नहीं आयी है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि महंगाई में वृद्धि हो गयी है इसलिए पानी की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन चीजों की महंगाई ने पानी की दरों को प्रभावित किया है, जिस समय महंगाई ने पानी की दरों को प्रभावित नहीं किया उस समय पानी की दरें क्या थीं और उसके बाद क्या कीमतें हो गयीं ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, महंगाई की दरों के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह रख रखाव, सड़क सुधार, सफाई, नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, इन सारी चीजों को दृष्टि में रखते हुए किया गया, परन्तु आय स्रोत केवल जल ही है, इसीलिए जल कर बढ़ाना पड़ा है।

(माननीय मंत्री जी से किसी सदस्य के बात करने पर)

श्री अध्यक्ष--

जब कोई मंत्री उत्तर दे रहा हो तो उसके आस-पास बैठने वाले माननीय सदस्य बातचीत न किया करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जल आपूर्ति का जो संकट इन्दिरा नगर के रहने वालों के सामने आता रहता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यह संकट फिर न आवे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, ऐसा कोई संकट नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल की व्यवस्था की गयी है।

बस्ती जिले के ग्राम सभा केवटलिया में आम के पेड़ों का अवैध कटान रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

**2--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ब्लाक कोशिया के अन्तर्गत ग्राम सभा केवटलिया में जो आम के बाग हैं जिसके सब पेड़ फलदार व हरे हैं, को कटाई बड़े पैमाने पर इस समय हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ? उक्त बाग के पेड़ों को काटने की परमिट किस अधिकारी ने दी है ? क्या सरकार इस कटान को तुरन्त रोके जाने के सम्बन्ध में आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

प्रश्नगत बाग श्री कुंवर महामाया प्रसाद निवासी बांसी जिला बस्ती का है। उक्त बाग में कुल 117 आम के वृक्ष थे। कुंवर महामाया प्रसाद ने दिनांक 12 जनवरी, 1984 को उक्त बाग के वृक्षों के कटान के परमिट के लिए आवेदन किया था। रेंज अधिकारी नौगढ़ रेंज, बस्ती की जांच रिपोर्ट के अनुसार 33 वृक्ष सूखे एवं 19 हरे वृक्ष ऐसे थे जिनकी फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट आ गयी थी। प्रभागीय निदेशक, बस्ती ने 16 सूखे एवं 9 हरे उन वृक्षों जिनकी फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट आ गयी थी के कटान की अनुज्ञा दिनांक 18 जनवरी, 1984 को दी।

उक्त बाग में अनुज्ञा प्राप्त 25 वृक्षों के अतिरिक्त 42 अन्य वृक्ष भी कटे पाये गये। रेन्ज अधिकारी नौगढ़ रेन्ज ने उक्त अवैध कटान की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंच कर अवैध कटान से सम्बन्धित लकड़ी जब्त करके अपने नियन्त्रण में कर ली। अब नाजायज कटान बन्द है। अपराधियों से 4000 रु0 की धनराशि बतौर जुर्माना वसूल की जा चुकी है।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुंवर महामाया प्रसाद ने कितने पेड़ काटने का परमिट मांगा था ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, उनकी बाग में 117 पेड़ हैं, उन्होंने 33 वृक्ष सूखे और 19 वृक्ष हरे के काटने का परमिट मांगा था जिसके विरुद्ध 16 सूखे और 9 हरे वृक्ष का परमिट दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

12 जनवरी, 1984 को प्रार्थना-पत्र दिया गया और उनको 18 जनवरी, 1984 को इजाजत मिल गयी।

श्री संजय सिंह--

उसकी जांच की गयी और 18 तारीख को परमिट दे दिया गया और एक मास की अवधि दी गयी कि इस बीच में काट लें।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने पेड़ काटने का परमिट मांगा था ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री श्याम लाल नाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह पेड़ काटे जाने का मामला केवल बस्ती से ही सम्बन्धित नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है, मैं जानना चाहूंगा कि जनहित में, प्रदेश हित में, हरे पेड़ों के हित में जो उनकी वर्तमान व्यवस्था है और थाना तहसील और वन विभाग के लोगों के आय का साधन हो गया है। क्या वे इन पेड़ों का कटान रोकने के लिए ब्लाक स्तर पर एक ऐसी समिति बनायेंगे जिसमें तहसीलदार, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्रीय विधायक, दो समाज सेवी तथा सम्बन्धित थानाधिकारी

सम्मिलित करके जो भी पेड़ की कटान हो, पहले उस समिति से स्वीकृति करा ले और उसके बाद पेड़ काटे जायं? क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय बाजपेयी जी की बात सच है कि पेड़ प्रदेश भर में कट रहे हैं। जहां तक उन्होंने जन प्रतिनिधियों और गांव लेबिल के लोगों को शामिल करने की बात कही है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो पेड़ कट रहे हैं उनके जिम्मेदार वे लोग हैं जो पेड़ कटवा रहे हैं जिसके बाग हैं, जिसके पेड़ हैं। जब तब स्वयं जनता और पब्लिक के लोग स्वयं महसूस न करें कि पेड़ न कटें तब तक जितना भी रेस्ट्रिक्शन लगे, जुर्माने की धनराशि लगायी जाय उससे यह समस्या हल नहीं हो सकती। अभी तक जो कम्पाउन्ड करने की व्यवस्था है। 5 हजार रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था है। इसमें 4 हजार रुपया लगाया था वह उन लोगों ने दे भी दिया है। हम यह धनराशि बढ़ाने की बात भी सोच रहे हैं और जन प्रतिनिधियों के माध्यम से परमिट देने की बात भी सोच रहे हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे और इसकी जांच करायेंगे कि इस बाग में अब कितने पेड़ बाकी हैं या कुल काट दिए गए हैं?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, हमने इसकी जांच करायी। कुल 117 पेड़ थे जिसमें 16 पेड़ और 9 पेड़ काटने का परमिट दिया गया। 42 पेड़ अवैध रूप से काटे गये। कुल 58 और 17 पेड़ कटे।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, श्री महामाया प्रसाद हमारे जिले के राजा हैं और मन्त्री जी भी राजा हैं। एक गरीब आदमी जब पेड़ काटता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इनके लिये कोई नियम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि हरे पेड़ों को काटने का जो ये आधार बनाते हैं कि उन पेड़ों में फल देने की क्षमता में उत्तरोत्तर गिरावट आती रहती है, उसका मानक आपने किस तरह से तैयार किया हुआ है कि ये फलदार वृक्ष हैं और उसमें गिरावट आ रही है और इनमें नहीं आ रही है ?

श्री संजय सिंह--

जी हां। वैज्ञानिक तरीके से और उसको नाप-तौल से तथा मोटाई से यह पता चल जाता है कि उनमें फल देने की कितनी क्षमता है।

(श्री माता प्रसाद पान्डेय के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस पर कार्यवाही हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वन विभाग का जो अपना एक तरीका है दो सौ, चार सौ, पांच सौ रुपया जुर्माना करके उसको कम्पाउन्ड कर लेते हैं। तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिलाधिकारी के स्तर से ही इसमें छानबीन हो जाय और उचित दन्ड दिया जाय ? सवाल यह है कि एक पेड़ की कीमत 80 हजार, 90 हजार रुपये होती है और आपका कोई केस कम्पाउन्ड होता है 3-4 हजार रुपये में। तो मन्त्री जी यह बतायें कि अब तक कुल कितने केस कम्पाउन्ड

किये गये, जिसमें पेड़ की कीमत 50–60 हजार रुपये थी और केस कम्पाउन्ड हुआ केवल 5 हजार रुपये में ?

श्री अध्यक्ष—

यह एक व्यापक सवाल है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुये कि ठेकेदार लोग जो आमतौर से खरीदकर पेड़ को काटते हैं, वे एक ही तरह के वन विभाग के और पेड़ भी एक ही परमिट पर काट लेते हैं, ताकि उसकी लकड़ी भी पास हो जाय, मिसाल के तौर पर मुरादाबाद में ब्लाक मूड़ा, ग्राम भूजपूरमान में बाग काटने का परमिट दिया और वहां से दो कि0 मी0 दूर अहमदपुर का बाग कट गया । तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि एक परमिट पर ज्यादा बाग न कटें ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, अभी तक की कोई ऐसी सूचना नहीं है । माननीय रियासत हुसैन साहब सूचित करेंगे तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब इस प्रकार के परमिट दिये जाते हैं, तो परमिट देने से पूर्व उस व्यक्ति से एक पेड़ की जगह दस पेड़ लगाने के लिये कहा जाता है यदि यह व्यवस्था है तो क्या इस मामले में भी उस शर्त को लगाया गया था । यदि ऐसा नहीं है तो क्या ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, जैसा माननीय साथी ने सवाल किया परमिट देने में हर एक के साथ यह शर्त रहती है । लेकिन प्रस्तुत प्रश्न में इस कटाई के पहले ही गड़बड़ी पायी गयी, जिसमें परमिट से ज्यादा पेड़ कटे हैं । वैसे परमिट प्राप्त करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति आश्वासन देता है कि कम से कम 10 गुना पेड़ लगायेंगे ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, माननीय नेगी जी के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह नियम है कि फलदार पेड़ काटने से पहले इस बात की गारन्टी कराई जाती है कि इतने नये पेड़ लगायेंगे और उसके लिये 50 रु0 प्रति पेड़ दाखिल कराया जाता तो प्रश्नगत मामले में इनसे जमानत कराई गई थी या नहीं ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर शर्त इस तरह की होती है और उससे आश्वस्त कराया जाता है । जहां तक सिक्योरिटी के पैसे का सम्बन्ध है प्रश्नगत मामले में 1,250 रु0 जमा कराया गया और वह जब्त भी कर लिया गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

पुलिस प्रभारी उपाधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायती-पत्र पर जांच

*1—श्री दूधनाथ राजभर तथा श्री सम्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तर काशी के पुलिस कर्मचारियों का कोई शिकायती-पत्र जो पुलिस प्रभारी उपाधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित था और

जिसे राज्य मन्त्री श्री गोपाल राम दास ने अपने पत्र संख्या 5587/82, दिनांक 8-12-1982 के पत्र के साथ मुख्य मन्त्री को अग्रसारित किया था, उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यह राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जू देव)--

जी हां। जांच हो रही है जो प्रचलित है।

श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह शिकायती-पत्र जो है, जो माननीय गोपाल राम दास जी ने 8-12-82 को भेजा था, इस पर जांच के आदेश कब दिये गये और कौन अधिकारी जांच कर रहा है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, यह पत्र गोपाल राम दास जी ने नहीं भेजा, खाली उन्होंने फारवर्ड किया था। पत्र दिसम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ, जिसकी जांच डी0 आई0 जी0 गढ़वाल रेंज कर रहे थे।

श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि यह शिकायती-पत्र की जांच कौन कर रहा है और जांच के आदेश कब दिये गये हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैंने बताया कि डी0आई0 जी0, गढ़वाल रेन्ज पहले इसकी जांच कर रहे थे और अब यह जांच सी0 आई0 डी0 को 7 जुलाई, 1983 को दे दी गई थी, जो कर रही है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उस शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ? दूसरा प्रश्न यह कि दो वर्ष का समय हो रहा है और अब तक ऐसी कौन सी बाधायें हैं, जिससे जांच संपन्न नहीं हो पायी है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न किया, तो उसमें बताना चाहता हूं कि 24 शिकायतें हैं और जिसमें 8 शिकायतें गम्भीर पाई गयी हैं। मान्यवर, इसमें शुरूआत (प्रिलिमिनरी) जांच हुई, तो उसमें 8 आरोप गम्भीर पाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी सत्यनिष्ठा 1982-83 की रोक दी गई और उसके बाद 7 जुलाई, 1983 को सी0 आई0 डी0 को जांच दे दी गई।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मुख्य-मुख्य शिकायतों को नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष--

24 शिकायतों को नहीं पढ़ा जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, 8 शिकायतें गम्भीर पायी गयी हैं और प्रागदर्शन में उनको सही पाया, इसलिये सत्यनिष्ठा रोक दिया। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य शिकायतें जो गम्भीर पाई गयीं, उनका सारांश क्या है ? दूसरे अब मामले की जांच सी0 आई0 डी0 कर रही है, जो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जांच कर रहा होगा, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से क्या मन्त्री जी करायेंगे।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैंने तो पहले ही कहा कि इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी डी0 आई0 जी0 से करायी गई और अब सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है। आरोप लम्बे-चौड़े हैं।

श्री अध्यक्ष—

24 आरोप हैं, जिनको पढ़ने से मैंने मना कर दिया है।

सचिवालय में वैयक्तिक सहायकों की परीक्षा में अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा को समाप्त करने की मांग

*2—श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री रेवतीरमण सिंह, श्री मुख्तार अनीस, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायकों की जो परीक्षा 19 फरवरी, 1984 को आयोजित की जा रही है, उसमें अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा लेने का औचित्य क्या है जबकि शासन की नीति समस्त सरकारी काम काज हिन्दी भाषा में करने की है? क्या सरकार उक्त परीक्षा में अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

दिनांक 19 फरवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायकों की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गयी। दिनांक 4 मार्च, 1984 को एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1942 से सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों आशुलिपि की परीक्षा ली गई।

अब प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1965 के बाद से अंग्रेजी आशुलिपिक न मिलने के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकी और जब सचिवालय में ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो लखनऊ से विभागाध्यक्षों के यहां जो आशुलिपिक काम कर रहे होते हैं वह वैसे ही गलत प्रार्थना पत्र देकर कि अंग्रेजी आशुलिपि जानते हैं जिसके आधार पर उनको नियुक्ति मिल जाती है और लोक सेवा आयोग द्वारा जो केवल हिन्दी आशुलिपि जानने वाले हैं वह चयनित होने के बाद भी नौकरी में नहीं लिये जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या सुनिश्चित करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनको लेने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, पहले तो यह बात सत्य नहीं है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं। जो परीक्षा ली गयी थी उसमें 119 असफल घोषित किये गये।

जो दूसरा प्रश्न है कि विभागाध्यक्षों के आशुलिपिकों को ऐसे ही रख लिया जाता है तो वह भी सत्य से परे है।

मान्यवर, 156 लोग बैठे थे और उसमें 8 लोगों को चुना गया है और परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से ली गयी है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह भी सत्य से परे है। जो इसमें 8 लोग चयनित किये गये हैं वह सिर्फ अंग्रेजी के टाइपिस्ट और आशुलिपिक हैं और हिन्दी के आशुलिपिक को इसलिये नहीं लिया गया चूंकि अंग्रेजी वाले 70–80 गलती किये थे और उसके बावजूद चयनित कर लिये गये जब कि 5 प्रतिशत की गलती की छूट है। लेकिन 70–80 गलती करने पर भी अंग्रेजी के टाइपिस्टों को ले लिया गया और मान्यवर, इसके अलावा क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि इस परीक्षा में खुले रूप में नकल कराई गयी है और अलग-अलग अभ्यर्थियों को अलग-अलग डिक्टेशन दिये गये हैं? इस तरह से अलग-अलग मदद की गई है और इस तरह से इसमें पूरी तरह से नकल और

बेईमानी हुई है और यह सब इस लिए हुआ है जिससे अंग्रेजो के आशुलिपिक चुन लिए जाएं ?

श्री प्रमोद कुमार--

नकल हुई है या गलत तरीके से लोग चुने गये, ऐसी कोई बात इससे पहले कभी शासन के पास नहीं आई है और न सुनी गई है । फिर भी चूंकि अब माननीय सदस्य इस चीज को यहां ला रहे हैं, इसलिए इसकी जांच करवा ली जाएगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

शासन ने राज भाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर जो अधिनियम, अधिसूचनां तथा शासनादेश जारी किये हैं, उसके संग्रह से इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2098/इक्कीस--3(10)-74, दिनांक 31 अक्तूबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश किए हैं कि अंग्रेजी इस प्रदेश की राजभाषा नहीं है अतः इसका उपयोग पूरी तरह और तत्काल बन्द होना चाहिए और इस आदेश का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जाएगा, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी इस अंग्रेजी भाषा के आशुलिपिकों की भर्ती का क्या कारण है ? यदि कोई अपरिहार्य कारण-केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार आदि का है, तो पिछले 19 वर्षों में एक भी द्विभाषी या अंग्रेजी का आशुलिपिक जो नहीं मिला है उसको देखते हुए मूल रूप में हिन्दी के जो लोग हैं, काम करते रहे हैं, उन्हें अंग्रेजी की योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भत्ता या वेतन देकर उन्हें अंग्रेजी की आशुलिपि सिखाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मुश्किल तो श्रीमन्, यह है कि यह नियमावली सन् 1942 में बन गई है, जिसके अन्तर्गत उनकी परीक्षा हुई है । यदि अपने शासन में उस समय माननीय सदस्य ने ऐसी रुचि दिखायी होती तो यह बात न होती । लोक सेवा आयोग ने भी इन भावनाओं के अनुसार ही इसे लिया है और उसने अपनी सिफारिश इस सम्बन्ध में की है और वह शासन के विचाराधीन है । उसमें कई बिन्दुओं को देखा जा रहा है, जैसे हमें केन्द्र सरकार और अन्य प्रदेश सरकारों से लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, उसमें अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है ।

प्रदेश के पश्चिमी एवं पूर्वी चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को मजदूरी में भिन्नता

*3--श्रीमती गौरी देवी--

क्या गन्ना मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन 19 रुपये तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन 7 रुपये मात्र मजदूरी दी जाती है ? यदि है, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्रीमती गौरी देवी--

श्रीमन्, इसमें सूचना क्या एकत्र की जा रही है । किसी मिल से सूचना एकत्र की जा सकती है और एक माह पूर्व का यह प्रश्न है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस भेद को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और क्या प्रयास किया जाएगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना प्राप्त होते ही शासन पूर्ण रूप से उस पर कार्यवाही करेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वेज बोर्ड के अनुसार शुगर मिल पर डेली वेजेज लेबर्स के लिए कोई प्राविधान नहीं है, वहां उनकी कोई केटेगरी नहीं है ? और खासकर पूर्वी जिलों में शुगर मिल मालिक वेज बोर्ड का उल्लंघन कर के सैकड़ों ऐसे मजदूर अपने यहां रखे हुए हैं, उनको कागज में वह 7 रुपया दिखाते हैं और 3/4 रुपया देते हैं और इस तरह से वह शासन की नीति और शासनादेश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, खासकर जनपद गोरखपुर की घुघली और आनन्दपुर चीनी मिलों तथा देवरिया की छितौनी व कप्तान गंज चीनी मिलों में ऐसे कैजुवल लेबर बड़ी तादाद में रखे जा रहे हैं, तो क्या शासन इसकी सुनिश्चित जानकारी कर के ऐसे दोषी अधिकारियों को कठोर दण्ड देने की कृपा करेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

उसको दिखवा लिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

[मंगलवार, 20 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गूजरों को स्थायी रूप में बसाने की योजना

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गूजरों को स्थायी रूप से बसाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

गूजरों को स्थायी रूप से बसाने के लिये 1975 से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । सर्वप्रथम श्री चमन लाल भसीन, तत्कालीन उप वन संरक्षक, पश्चिमी देहरादून ने एक योजना बनायी जिसमें खारा हरिद्वार लाइन पर वन विभाग की खाली जमीन पर गूजर बस्ती बनाने का प्रस्ताव था परन्तु यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । अन्य प्रभाग जैसे पूर्वी देहरादून, पश्चिमी देहरादून तथा लैन्सडाउन वन प्रभागों में जंगल के बीच कुछ गूजरों को जमीन दी गयी थी जिसमें वे चारा उगाकर जानवरों को खूंटे पर बांध कर खिलायें। गूजर लोगों ने जमीन ले ली परन्तु उस पर चारा इत्यादि न उगाकर उसे बटाई पर देकर गेहूं की खेती करवाने लगे तथा उनके जानवर पूर्व की भांति गर्मियों में पहाड़ जाते रहे तथा जाड़ों में मैदान के जंगलों में रहते रहे । इससे यह सिद्ध हो गया कि गूजरों को जंगल के बीच अथवा समीपस्थ जमीन देना वन संरक्षण के हित में नहीं है ।

उक्त प्रथम प्रयास के उपरान्त वर्ष 1979 में भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री तेज सिंह की अध्यक्षता में गूजर पुनर्वास योजना बनाने के लिये एक समिति का गठन किया गया । इस समिति की संस्तुति के अनुसार गूजरों के पुनर्वासन हेतु एक योजना बनायी गयी जिसमें 2641 हे0 वन भूमि का निर्वनीकरण तथा लगभग 1430 लाख रुपये का प्रारम्भिक व्यय निहित था । इस योजना को शासन द्वारा क्रियान्वित करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि इसमें 2641 हे0 वन का निर्वनीकरण निहित था ।

तत्पश्चात् 17 जून, 1981 को तत्कालीन वन राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी जिसमें निर्णय लिया गया कि खादर क्षेत्रों में गूजरों को बसाने के लिये योजना बनायी जाये परन्तु खादर क्षेत्र में बसने के लिये गूजर सहमत नहीं हुए ।

अन्ततः प्रोजेक्ट डाइरेक्टर लैंड सर्वे डाइरेक्टोरेट, वन विभाग, उ0 प्र0, देहरादून द्वारा एक गूजर पुनर्वास योजना बनाकर अक्तूबर, 1981 में शासन की

प्रस्तुत की गयी इस योजना में गढ़वाल मण्डल के गूजरों को बसाने के लिये जंगल से दूर 50 हे0 जमीन क्रय कर, दो हजार गूजर परिवारों को बसाये जाने की प्रस्तावना थी। इस योजना में एक परिवार के लिये जितनी भूमि प्रस्तावित की गयी थी उसको बहुत कम मानते हुए गूजर लोग उस भूमि पर बसने को भी तयार नहीं हुए।

दिनांक 19-2-1982 को विभागीय स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु एक बैठक हुई। बैठक में लिये निर्णयों के आधार पर शिवालिक वन प्रभाग के पथरी ब्लाक में 400 गूजर परिवारों को बसाने हेतु योजना बनाकर शासन को सितम्बर, 1982 में प्रस्तुत की गयी उपलब्ध क्षेत्र में सड़क, पार्क, स्कूल तथा पशु चिकित्सालय का प्राविधान करते हुए 0.1 हे0 प्रति परिवार के हिसाब से 400 परिवारों को बसाने की योजना बनाई गयी है। गूजरों ने 1982 के प्रारम्भ में उक्त भूमि पर बसने की सहमति दी थी परन्तु बाद में कानून एवं व्यवस्था की समस्या बताते हुए बसने के लिये असहमति व्यक्त की है। गूजरों को स्थायी रूप से बसाने की समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा प्रयास जारी है।

प्रयत्न यह है इस समस्या को इस प्रकार हल किया जाय जिससे वनों का संरक्षण भी हो और गूजर भी संतुष्ट हो सकें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य से साफ है, इनकी नीयत गूजरों को बसाने की नहीं है। 1975 से आज 1984 हो गया, यह निरन्तर प्रयास ही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

जहां पर इन गूजरों को बसाने की आपने योजना बनायी है वह जमीन बिल्कुल बेकार है। जो जमीन देने की बात है वह है भी बहुत कम केवल 0.1 हेक्टेयर है। फिर जो भूमि उनको दे रहे हैं उस पर उनकी मिलकियत नहीं है, उसमें यह भी शर्त लगा रखी है कि वे उसमें न तो मकान बना सकते हैं और न ही गौशाला बना सकते हैं। उसमें कोई फसल उगाने का भी उनको अधिकार नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं....

मान्यवर, जो मन्त्री जी ने बताया तो उससे कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें। इस तरह से मैं आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि गूजरों को प्रति परिवार के हिसाब से उनकी आवश्यकता को देखते हुये क्या उनको भूमि उपलब्ध करायेंगे और उनको उस भूमि का स्वामी बनायेंगे? इसके लिये कोई निश्चित अवधि आप बतायेंगे कि इतने दिनों में आप यह काम कर देंगे?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, हमारे माननीय नेगी जी ने जो अपना वक्तव्यपूर्ण प्रश्न किया है तो उन्होंने खुब ही कहा है कि यह लोग घुमते रहते हैं। मैंने अभी जैसा उत्तर दिया कि शासन इसमें निरंतर प्रयत्नशील है कि उनको बसाने की व्यवस्था करें। यह लोग घुमंतू होते हैं एक जगह रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें शासन निरंतर प्रयत्नशील है कि किसी तरह इनको बसाने की व्यवस्था की जाय।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वन विभाग की धरती पर मैदानी क्षेत्रों में गूजरों के अतिरिक्त कंजर, कपरिया, सपेरे जो यह लोग रहते हैं, जंगलों में बसा करते हैं और दसियों सालों से रहते हैं तो क्या इनको वह भूमि आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री ऊबल--

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी जानते होंगे कि यह जो गूजर हैं वह 8 महीने नीचे घूमते हैं और 4 महीने पहाड़ों में ऊपर रहते हैं । टिहरी, उत्तरकाशी, गढ़वाल में मैंने इनको देखा है । यह वनों में घूमते हैं, इनको न कोई पढ़ना है न लिखना है, न कोई संस्कृति है न कोई सभ्यता से इनको कोई मतलब है और न बसने से कोई मतलब है । इनके पास 10-10 भैंसे, गायें, कुत्ते, बकरियां, भेंड़े हैं और इनके साथ इनका पूरा परिवार रहता है बच्चों से लेकर बूढ़े तक । तो इनके परिवार के जो मुखिया हैं उनको बुलाकर उनके साथ बातचीत करेंगे तब कहीं जाकर यह कहीं स्थायी रूप से बसने को तैयार होंगे वरना यह बस नहीं सकते हैं । इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वयं देखें और इस समस्या के निदान के लिये कोई स्थायी हल वार्तालाप के जरिये निकालने की कृपा करें ?

वित्तमन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह लोग गरमियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं और जाड़े में नीचे आ जाते हैं । दिक्कत यह है कि ऊपर चारागाहों की कमी होने के कारण वनों को बहुत हानि होती है । जहां तक इनके मुखियों को बुलाकर बातचीत करने का प्रश्न है, साल में बुलाकर मैं 2-3 दफे वार्तालाप करता हूं । वह बसने के लिये तैयार हैं । जो कठिनाई है वन विभाग की, वह हल करेंगे । मैं वन विभाग के साथ पूरा सहयोग दे रहा हूं । मुझे आशा है कि इस समस्या के निदान में हमें सफलता मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन के दो माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाता हूं जो पूरे तरीके से इस मामले को देखेगी ।

कुल विद्युत् उत्पादन में जल विद्युत् का हिस्सा बढ़ाने हेतु परियोजनायें

*2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाल ही में केन्द्रीय ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष श्री के० सी० पन्त ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे कुल विद्युत् उत्पादन में जल विद्युत् से उत्पादित हिस्सा कम होता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

जी हां ।

प्रदेश में कुल विद्युत् उत्पादन में जल विद्युत् का हिस्सा बढ़ाने के लिये कई जल विद्युत् परियोजनायें निर्माणाधीन है और कुछ नई जल विद्युत् परियोजनाओं के प्राक्कलन भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारे कुल विद्युत् उत्पादन में जल विद्युत् से उत्पादित हिस्सा कम होता जा रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जल विद्युत् से जो उत्पादन था वह कुल उत्पादन प्रतिशत मात्रा से कितना कम

हो गया है । केन्द्रीय ऊर्जा बोर्ड तथा जो अन्य मानक राज्य सरकार के हैं, उसके हिसाब से कितना होना चाहिये ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, सामान्यतया 40 प्रतिशत जरूर होना चाहिये और थोड़ा कम हो गया है जरूर, 36 से घट कर 32 हो गया है, 26 पर आ गया है । हमारा प्रयास है कि अगली पंचवर्षीय योजना में 1994-95 तक 44 प्रतिशत हो जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि 36 से घट कर 32 हो गया है और 26 पर आ गया है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि जो विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कुछ नई जल विद्युत् परियोजनाओं के प्राक्कलन भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गये हैं । तो इन योजनाओं को पूरा करने में काफी समय लगेगा, जो इस समय जल विद्युत् परियोजनाएं और तापीय विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, 5 वर्ष या 7 वर्ष में ये सब पूरी हो जायेंगी, तो उस समय हमारे जल विद्युत् उत्पादन की क्या स्थिति होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि 1994-95 तक 44 प्रतिशत हो जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इस विद्युत् उत्पादन के घटते हुए स्तर को देखते हुए उन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे कि उत्पादन कम क्यों हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, प्रश्न दूसरा था, माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न कर रहे हैं । यह तो अनुपात का प्रश्न था, उसकी व्यवस्था हमने बताई ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, जो योजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं, जल विद्युत् की और तापीय, इनके पूर्ण होने पर हमारे यहां कुल जो उत्पादन क्षमता है, उसका कितना प्रतिशत रह जायेगा, इतना माननीय मन्त्री जी बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसका तो हिसाब लगाना पड़ेगा कि यह योजना कब पूरी हो जायेगी, लेकिन बढ़ेगा जरूर ।

राज्य सरकार के हेलीकाप्टर को विस्कोहर नामक स्थान पर भेजने का कारण तथा व्यय

*3--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के हेलीकाप्टर को विस्कोहर नामक स्थान जो बस्ती जनपद इटवा, क्षेत्र में है अक्टूबर व 19, 20 नवम्बर, 1982 को भेजने का क्या कारण है ? तीन बार की यात्रा में शासकीय कोष से कितने रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ और इस डेढ़ महीने में तीन बार एक ही स्थान पर हेलीकाप्टर से जाने का क्या औचित्य है ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय वित्त मन्त्री जी दिनांक 9 अक्टूबर 1982 को विकास प्रशिक्षण शिविर व दिनांक 19 नवम्बर 1982 को क्षेत्रीय विकास सम्मेलन में भाग लेने हेतु विस्कोहर राजकीय हेलीकाप्टर से गये थे । दिनांक 20 नवम्बर 1982

को बिस्कोहर की कोई उड़ान नहीं की गयी। उक्त उड़ानों में कुल रुपये 3043.95 का व्यय ईंधन में हुआ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मितव्ययिता पर बहुत अधिक जोर देने वाले माननीय वित्त मन्त्री केवल अपने मित्र नर्वदेश्वर मिश्रा के पास जाने में 3 हजार से अधिक पेट्रोल व्यय कर देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां से बिस्कोहर जाने में और आने में कितने घंटे की उड़ान हेलीकाप्टर ने की और उस पर कितना पेट्रोल खर्च किया ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, वह माता प्रसाद जी के क्षेत्र में गये थे। मान्यवर, उस उड़ान के प्रति उनको अभारी होना चाहिए कि वह इनके दल के साथी के क्षेत्र में गये थ और वह विकास प्रशिक्षण शिविर और क्षेत्रीय विकास सम्मेलन में भाग लेने बिस्कोहर गये थे। वहां पर जाने में एक घंटा 5 मिनट की उड़ान होती है। हेलीकाप्टर पर ईंधन का औसत खर्च 210 लीटर प्रति घंटा है, जिसके आधार पर उक्त तीन घंटे 15 मिनट की उड़ान पर 682.50 लीटर ईंधन खर्च हुआ। ईंधन पर व्यय 4.46 रु0 प्रति लीटर की दर से रु0 3,043.95 हुआ। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यदि और किसी साधन से जाते तो उसमें अधिक समय लगता और वह अधिक खर्चीला होता।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के लिये बहुत व्याकुल था कि उनका हेली-काप्टर मेरे क्षेत्र में उतरता लेकिन उनका हेलीकाप्टर बिस्कोहर में ही किसी दिलचस्पी के कारण उतरता है मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पेट्रोल के अलावा प्रति घंटे की उड़ान पर कितना खर्च आता है ?

श्री प्रमोद कुमार --

पेट्रोल 210 लीटर लगता है और खर्च कर्मचारियों आदि का जो है यह तो उनको वेतन वगैरह देना ही पड़ता है चाहे उड़े या न उड़े।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं माननीय मोहन सिंह जी का निमंत्रण स्वीकार करता हूं। कोई प्रशिक्षण शिविर या विकास शिविर लगाये अपने क्षेत्र में और मेरे साथ चलें।

श्री मोहन सिंह--

मैं माता प्रसाद जी के भार को हल्का करने में रुचि रखता था।

अवध विश्वविद्यालय के प्रांगण में मुख्य मन्त्री जी के आगमन पर श्री मुन्ना सिंह आदि को शांति व्यवस्था भंग करने के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*4--श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-12-1982 को मुख्य मन्त्री के फैजाबाद आगमन पर श्री मुन्ना सिंह, अध्यक्ष, जिला युवा लोकदल को फैजाबाद के साथ अन्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा विरोध स्वरूप काला झण्डा दिखाने के कारण गिरफ्तार कर जिला कारागार, फैजाबाद में बन्द किया गया है ? क्या यह भी सही है कि गिरफ्तारी करते समय पुलिस ने श्री सूर्यकान्त पाण्डे व श्री रामदुलारे यादव को मारा पीटा जिससे काफी चोटें आयी थी ? यदि हां, तो उक्त गिरफ्तार श्री सूर्य कान्त पाण्डेय व श्री राम दुलारे यादव का डाक्टरी मुआइना कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

दिनांक 20-12-1982 को अवध विश्वविद्यालय के प्रांगण में मुख्य मन्त्री

जी के आगमन पर श्री मुन्ना सिंह आदि को शान्ति व्यवस्था भंग करने के अरोप में धारा 151 द० प्र० सं० के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया। सर्वश्री सूर्यकान्त पाण्डेय व राम दुलारे यादव को गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने की बात सही नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित हाइडिल डिवीजन में गबन की जांच

*5—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे, कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जो अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित हाइडिल डिवीजन में लाखों रुपये के गबन तथा तुरन्त जांच कराने व जिम्मेदार अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में था माह जून, व जुलाई, 1983 में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? प्रारम्भिक जांच में कितने रुपये के गबन का पता चल सका है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, दो पत्र दिनांक 9 जून व 29 जून, 1983 प्राप्त हुए थे। मामले में जांच के आदेश मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ को दिये गये थे। प्रारम्भिक जांच आख्या प्राप्त होने पर विस्तृत जांच परिषद् के विशेष सम्परीक्षण दल द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर गबन की सही धनराशि एवं दोषी व्यक्तियों का पता चल सकेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट क्या है और इस जांच के आदेश कब किये गये ? क्या यह सही है कि यह अधिशासी अभियन्ता टांडा प्रोजेक्ट वाला जी काण्ड में दोषी पाया गया था और माननीय मन्त्री जी ने इसी सदन में दोषी अधिकारियों की सूची सुनाते समय इसको स्वीकार किया था ? अकबरपुर और टांडा में 11 मील की दूरी है। तो कौन सी विशेष बात है कि विभागीय जांच के बाद भी मन्त्री जी इस अधिकारी को नहीं हटा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

विशेष सम्परीक्षण को 9 मार्च, 1983 की जांच के आदेश दिये गये और मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को 30 जून, 1983 को दिये गये। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 4 अगस्त, को प्राप्त हुई। सम्परीक्षण की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। दूसरे प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता ने स्वयं दे दिया। पिछले प्रश्न का सन्दर्भ में यहां नहीं लाया हूं। प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर पुलिस में कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। सम्परीक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मने पूछा था कि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट क्या है ? आपने कहा कि उस रिपोर्ट पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। यह जांच सम्परीक्षण दल को दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि उस जांच के तथ्य क्या हैं ? जब इस अधिकारी को पूर्व में दोषी पाया जा चुका है और जांच में भयंकर बात आयी फिर उसको वहां से न हटाने का क्या कारण है, निलम्बन की बात तो दरगुजर रही ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रारम्भिक जांच में कुछ गबन की बात आयी। सम्परीक्षण दल की आख्या आ जायेगी, तो जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर इसमें 16 लाख के गबन का मसला है।

और इतना जो लोगों ने धन जमा किया उसकी स्टेट बैंक की रसीद भी मौजूद है लेकिन स्टेट बैंक में जमा नहीं है। मान्यवर, मोहर के साथ रसीद मौजूद है। यह इतना गम्भीर मसला है। अकबरपुर में टांडा में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने की बात कही गई। कई मर्तबे उसका ट्रांसफर हुआ कई बार उसका ट्रान्सफर रुक गया उसको न हटाने के क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि प्रारम्भिक जांच से नोटर ड्राफ्टर को दोषी पाया गया है जब विशेष जांच आख्या आ जाएगी तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह अकबरपुर में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी पाया गया और टांडा से अकबरपुर 11 किलोमीटर दूर है और आज भी वह अधिकारी वहीं मौजूद है आपके विभाग के मुख्य अधिकारी वहां की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उनको नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, प्रारम्भिक जांच आख्या में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी नहीं पाया गया जब दोष सामने आएगा तो कार्यवाही की जाएगी।

अवध वन प्रभाग से मस्टर रोल पर वन रक्षक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति

*6--श्री रियासत हुसैन--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग में कितने आदमी मस्टर रोल पर वन रक्षक के पद पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? इनकी तदर्थ अथवा नियमित नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनको तदर्थ अथवा नियमित किये जाने के सम्बन्ध में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

अवध वन प्रभाग में कुल 4 आदमी मस्टर रोल पर वन रक्षक के पद पर एक से तीन वर्षों की अवधि से कार्यरत थे, जिनकी अब नियमित नियुक्ति कर दी गयी है।

*7--श्री पंचानन राय--

[दिनांक 28-2-44 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित।]

ए0 टी0 सी0 सीतापुर में कम्पनी कमांडर के वेतन असंगति पर विचार

*8--श्री राम आसरे वर्मा--
(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या जो/1139/10-142-1165, दिनांक 1-8-1969 आई0 पी0 सी0 दिनांक 8 जून, 1981 के अन्तर्गत ए0 टी0 सी0, सीतापुर में कितने ऐसे कम्पनी कमान्डर हैं जो अपने जूनियर से कम वेतन पा रहे हैं ? क्या सरकार असंगति पर विचार कर रही है कि एक अधिकारी जो वहां पर तैनात है वह अपने जूनियर से वेतन कम न पाये ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ए0 टी0 सी0 सीतापुर में नियुक्त चार कम्पनी कमांडरों में से एक श्री राहत अली खां, अपने से कनिष्ठ कम्पनी कमान्डर श्री यशपाल तलवाड़ से कम वेतन पा रहे हैं। जी हां, प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है एवं शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

थाना बड़ौत, जनपद मेरठ में हत्या की घटनाएं

*9---श्री मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बड़ौत, जनपद मेरठ में माह सितम्बर, 1982 से दिसम्बर, 82, तक कुल कितनी हत्याओं की घटनाएं हुयी हैं ? उक्त मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

प्रश्नगत अवधि के दौरान हत्या के कुल 8 मामलों की सूचना, जिनमें 10 लोगों की हत्या हुई थी, थाना बड़ौत पर दर्ज हुई ।

उक्त में से 2 मामलों में आरोप-पत्र तथा 5 में अन्तिम रिपोर्ट भेजी गयी । शेष एक मामले में विसरा का परीक्षण कराना शेष है ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी पांच मामले ऐसे हैं जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है । इन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाने के क्या कारण हैं ? शेष एक मामला जिसमें परीक्षण का इन्तजार किया जा रहा है उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, 10 मुकदमें में से जो पांच मुकदमों के निर्णय फाइनल हुए हैं वह हैं---

मुकदमा नम्बर--275, मुकदमा नम्बर 286, मुकदमा 298 मुकदमा नम्बर 322 मुकदमा नम्बर 356 इनमें फाइनल रिपोर्ट लगी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि फाइनल रिपोर्ट क्यों लगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

जब कोई सबूत नहीं है तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी ।

श्री रियासत हुसैन--

जो पांच मामले में फाइनल रिपोर्ट लगी है क्या उसमें विसरा प्रजिर्व किया गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या रिपोर्ट आई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जो पांच फाइनल मामले आए हैं उसमें विसरा प्रिजर्व नहीं किया गया था ।

थाना राया, जिला मथुरा में श्री सन्तोषी जाटव की हत्या की दर्ज रिपोर्ट की जांच

*10---श्री सरदार सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भावली, थाना राया, जिला मथुरा के सन्तोषी जाटव की गांव के सवर्णों ने हत्या दिनांक 28-3-82 को की थी और पुलिस द्वारा न कार्यवाही किय जाने के कारण मृतक की वृद्धा मां श्रीमती नथिया व ताई श्रीमती स्वरूपी व भाई सियाराम ने दिनांक 17-5-82 से जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन किया था ? यदि हां, तो अब तक हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या शासन अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच कर मुल्जिमों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-3-82 को मृतक के भाई श्री तुलाराम ने थाना राया पर इस आशय की प्रथम सूचना अंकित कराई कि उसके भाई श्री सत्तों उर्फ सन्तोषी जाटव को अभियुक्तगण लाला राम,

रामजी लाल व मुरली ने गोली मार कर घायल कर दिया। इस सूचना पर अ0 सं0 61 धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया किन्तु घायल श्री सन्तोषी जाटव की मृत्यु दिनांक 29-3-82 को सदर अस्पताल, मथुरा में हो जाने के कारण उक्त अभियोग धारा 302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। दिनांक 29-3-82 को अभियुक्त रामजी लाल के भाई श्री ईश्वरी प्रसाद ने थाना राया पर सूचना अंकित कराई कि उसके यहां 15-16 बदमाशों ने सशस्त्र डकैती डाली और उसी में मृतक सन्तोषी जाटव की हत्या बदमाशों की गोली लगने से हो गई। इस पर अ0 सं0 61-ए/82, धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। मृतक के परिवारजनों ने अभियोग में कार्यवाही करने हेतु अनशन किया था।

स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त अभियोगों में अब तक की विवेचना से मृतक सन्तोषी जाटव के कत्ल में नामजद अभियुक्तों के नाम गलत प्रतीत होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

शासन द्वारा उपरोक्त अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, हरिजनों पर कितना अत्याचार हो रहा है, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जो राम जी लाल के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके यहां बदमाश आए और डकैती डाली, जिसमें मृतक सन्तोषी जाटव की हत्या बदमाशों की गोली लगने से हो गई तो क्या रामजी लाल के परिवार के किसी सदस्य को आग्नेयास्त्रों से चोट आई?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहूंगा कि यह एक हरिजन की मृत्यु का प्रश्न था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके विरोधियों ने झूठा केस थाने में दर्ज करा दिया और बताया कि जो हरिजन मारा गया था, वह उनके घर पर घुस आया था। जांच करने पर यह तथ्य गलत पाया गया। इस पर सरकार की ओर से इन्क्वायरी की जा रही थी ताकि दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय इसमें जो एक एस0 आई0 थे इस बीच उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाई। इसलिए यह मुकदमा सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया। जो हरिजन मरा है, उसके प्रति हमें हमदर्दी है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं, जब एफ0 आई0 आर0 में मुलजिम नामजद होता है, तब रूलिंग है "पुलिस हैज गाट नो बिजनेस....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। आप इसकी हिन्दी करें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस तरह की जो सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि पुलिस कोई न्यायिक घोषणा नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जब जाटव के परिवार के लोगों ने नामजद रिपोर्ट

करा दी थी, तो मुलजिमों को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ? पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि जो एस0 आई0 थे श्री सुमेर सिंह त्यागी, हम महसूस करते हैं कि उनकी तरफ से कमी रही, किन्तु उनकी पहले ही मृत्यु हो गई । इसीलिए जांच सी0आई0डी0 को दे दी ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हत्या में नामजद मुलजिमान की गवाही गुजरी तो पुलिस ने किन कारणों से इस तरह के अभियुक्तों को नजरंदाज किया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, नजरंदाज नहीं किया बल्कि कार्यवाही हो रही है । जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी है । सरकार की तरफ से जो अधिकारियों की लापरवाही हुई, वह एस0 आई0 स्वर्ग चले गये, उनके लिए अब क्या कर सकते हैं ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्योंकि यह बहुत पुरानी घटना हो गई है, अतः सी0 आई0 डी0 से कब तक इसकी जांच करा लेंगे ? क्या प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त इसकी जांच कराने का आदेश देंगे और जो रिपोर्ट मिले उसको शीघ्र से शीघ्र अदालत में भेजेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, यह केस 14-3-83 को सी0 आई0 डी0 को दिया गया । मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द इसकी इन्क्वारी करा लेंगे ।

*11--श्री धम्मन सिंह गहलोत--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री राम धनी, निवासी देवखरिया, थाना फतेहपुर की हत्या की जांच

*12--श्री भीखालाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामधनी, निवासी देवखरिया, थाना फतेहपुर के गायब होने की सूचना थाना फतेहपुर में दिनांक 22-12-82 में लिखाई गई जिसमें उनकी हत्या किए जाने का सन्देह व्यक्त किया गया और रामधनी की लाश 28-12-82 को बरामद हुई जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया ? यदि हां, तो थाना फतेहपुर की पुलिस ने रिपोर्ट लिखाने के बाद तथा लाश बरामद होने के बाद क्या कार्यवाही की और क्या कातिलों का पता लगाकर उनका चालान किया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जी हां ।

किन्तु मृतक का शव दिनांक 28-12-82 को नहीं बल्कि 24-12-82 को बरामद हुआ । इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ की गई थी तथा शव बरामद होने पर उसका पोस्ट मार्टम करा कर बाद अ0 सं0 6/83 धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत करके विवेचना की गई तथा अभियुक्तों का पता लगाकर उनका चालान किया गया ।

श्री भीखा लाल--

कितने अभियुक्तों का चालान हुआ और कब हुआ था ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसमें 5 अभियुक्तों का चालान हुआ था । 2 इसमें गिरफ्तार किए गए । जिनके नाम हैं गो रन पुत्र श्री विश्वेसर, ग्राम देवखरिया, थाना

फतेहपुर (बाराबंकी) और बिन्दू राम, ग्राम देवखरिया । इनको दिनांक 26-1-83 को गिरफ्तार किया गया । इसके अलावा जो तीन हाजिर हुए, उनके नाम हैं राम अवतार, रामनाथ पुत्र श्री बिन्दुको और श्री राम खिलावन पुत्र श्री विश्वेसर । राम नाथ दिनांक 6-2-83 को हाजिर हुए और श्री राम खिलावन दिनांक 9-2-83 को हाजिर हुए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित सिफारिशों का कार्यान्वयन

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित सिफारिशों का कार्यान्वयन करने हेतु उन पर टिप्पणी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सूचना विभाग से हाल में ही आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनको कार्यान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

चूंकि द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिश काफी विस्तार में है, इस लिए माननीय सदस्य उनको कृपया मेरे कार्यालय-कक्ष में, अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं ।

उक्त सिफारिशों पर प्रदेश शासन की सामान्य सहमति भारत सरकार को भिजवा दी गयी थी । इस सम्बन्ध में इस प्रदेश के शासन द्वारा कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप अपने उत्तर की प्रति को देखें । इसमें प्रश्न कहीं पर भी नहीं लिखा गया है । ऐसा नहीं होना चाहिए

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इसके लिए मुझे खेद है । जिसने भी यह किया होगा उसके खिलाफ में कार्यवाही अवश्य करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या सूचना मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं, वे मुख्य रूप से किन-किन बिन्दुओं पर हैं और राज्य सरकार को भारत सरकार से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें राज्य सरकार से क्या अपेक्षा की गयी थी ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा कि यह एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है । इसमें लगभग 300 पृष्ठ हैं, जिसे विस्तार से यहां पर बताना सम्भव नहीं है । उसमें मान्यवर, प्रेस का योगदान क्या है असंवैधानिक रूप से प्रेस पर कोई अनुचित दबाव न पड़े प्रेस स्वतन्त्रता और उसके दायित्व आदि बातों पर चर्चा हुई है । उद्योग के रूप में प्रेस को स्थापित किया जाय, समाचार-पत्रों को अपने आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार किया गया है, उनके प्रशिक्षण और अन्वेषण के लिए भी उसमें एक बिन्दु है । वैसे यह बहुत ही विस्तार से है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उस रिपोर्ट के जो उप-शीर्षक थे, उन्हें बता दिया है । क्या यह सही है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की गहरी चिन्ता प्रकट की है कि प्रदेश के या देश के पत्रकार निष्पक्ष रूप से समाचारों

का संकलन नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर काफी दबाव पड़ रहा है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो रहा है। उनकी सुरक्षा, निष्पक्ष समाचारों के प्रकाशन और उनकी सेवाओं के बारे में सरकार की ओर से क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जहां तक मौजूदा सरकार का प्रश्न है, समाचार पत्रों में निष्पक्ष प्रकाशन के लिए पत्रकारों के ऊपर कोई अनुचित दबाव न पड़े उसके लिये हमारी सरकार कृत संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञ है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों में कोई व्यवस्था नही होती है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, यह माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में है, मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आप बैठें, मैंने श्री ऊदल जी को बुला लिया है।

श्री ऊदल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रेस आयोग की संस्तुतियां हैं, उनको जो हमारे यहां के प्रेस मालिक हैं, उन संस्तुतियों के आधार पर उनकी सेवाशर्तों को भी अभी तक नहीं मान रहे हैं और बहुत से प्रेस मालिकों ने तो एकदम ही उसे नहीं माना है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि यह संस्तुतियां पूरी की पूरी लागू हो जाय ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रेस आयोग की जो संस्तुतियां हैं, उन पर हमसे सहमति मांगी गयी थी, यह सहमति चली गयी है और केन्द्र में इस पर विचार चल रहा है, केन्द्र सरकार के तहत ही इसका फैसला होना है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था, उसके सम्पूर्ण उत्तर से तो अवगत कराया नहीं गया और यह कह दिया गया प्रश्नकर्ता सदस्य से कि वे उनके दफ्तर में चले जायें और उसको देख लें। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नों के उत्तर जो हैं, उससे सदन को अवगत कराया जाना आवश्यक है या नही ? अगर नहीं दिया जा सकता, तो उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को दिया जाना आवश्यक है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह इस तरह से होता आया है, इस तरह से परम्परा भी रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो पहले सवाल किया था, उसमें यह जानना चाहता था कि पत्रकार भाई जो समाचार का संकलन या उसका प्रकाशन या मुद्रण करते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनको, सुरक्षा देने की गारंटी के बारे में क्या प्रयास किये जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत संकल्प हैं तो मान्यवर, कृत संकल्प होना तो सभी बातों के बारे में है। मैं दुबारा उसी सवाल को दोहरा रहा हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं कौन-कौन सी नयी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि उनको सुरक्षा की दृष्टि से गारंटी मिल जाय और सेवा की शर्तों में सुधार हो जाय ?

श्री प्रमोद कुमार--

हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद के सब इन्सपेक्टर प्रशिक्षणार्थी श्री लालजी त्रिपाठी की बीमारी की अवस्था में परेड कराये जाने से मृत्यु

*14--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 13 जनवरी, 1983 को पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद में सब इन्सपेक्टर प्रशिक्षणार्थी श्री लालजी त्रिपाठी की मृत्यु बीमारी की अवस्था में परेड कराने के लिए मजबूर किये जाने के कारण हुई जिसके सम्बन्ध में पुलिस सब इन्सपेक्टर प्रशिक्षणार्थियों ने जिला अधिकारी मुरादाबाद को प्रधानाचार्य द्वितीय के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो पुलिस सब इन्सपेक्टर ट्रेनी श्री लाल जी त्रिपाठी की मृत्यु का कारण क्या है और क्या इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए और उनकी विधवा को सभी प्रकार की मिलने वाली सहायता प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

यह सही नहीं है कि पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद के सब-इन्सपेक्टर प्रशिक्षणार्थी श्री लाल जी त्रिपाठी को बीमारी की अवस्था में परेड करने के लिये मजबूर किया गया और इस कारण उनकी मृत्यु हुई। प्रशिक्षणार्थियों ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को प्रधानाचार्य द्वितीय, मुरादाबाद के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। परन्तु इस मामले पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया था।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में दी गयी डाक्टरी राय के अनुसार मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सका।

इस मामले में गुप्तचर विभाग से जांच नहीं करायी जा रही है। श्री त्रिपाठी की विधवा श्रीमती शारदा त्रिपाठी को देय धनराशियां भुगतान कर दी गयी हैं।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहती हूं कि जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या लिखा गया है, क्या तथ्य प्रकाश में लाये गये ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, उसमें यह लिखा है महोदय, सविनय निवेदन है कि हम पी0टी0सी0 मुरादाबाद के कैडेट हैं एवं हमारे साथी कैडेट श्री लाल जी त्रिपाठी पुत्र श्री केदार नाथ त्रिपाठी पंडालपुर टोला कोइलतिया पोस्ट आफिस सरवरी थाना बूलरिया बाजार जिला गोरखपुर की दर्दनाक मृत्यु पी0 टी0 सी0 अधिकारियों के अत्याचारों के कारण हुई। आज दिनांक 13-1-83 (वृहस्पतिवार), जो कि पी0 टी0 सी0 कैडेटों के लिए विश्राम का दिन निर्धारित है, हेड कान्सटेबुल श्री तेज प्रकाश ने पी0 टी0 सी0 अधिकारियों के आदेशानुसार, श्री लाल जी त्रिपाठी से परेड कराते हुए दौड़ लगवायी, जिसके लिए हमारे साथी कैडेट ने बार बार अपनी असमर्थता व्यक्त की किन्तु उस निर्दयी उस्ताद ने उसकी एक न सुनी और उसे दौड़ लगाने को बाध्य किया। परिणाम स्वरूप हमारे बीमार साथी कैडेट को परेड ग्राउन्ड में दौड़ लगाते हुए मृत्यु हो गयी। उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे साथी कैडेट श्री त्रिपाठी को शाम 12-1-83 को इक्कीस चक्कर पी0 टी0 सी0 के परेड ग्राउन्ड जिसकी लम्बाई 320 मीटर है, के

लगवाए गये जो घातकपूर्ण एवं अमानवीय बात है। हम सब पी0 टी0 सी0 कंडेटों का आपसे सविनय निवेदन यह है कि--

(1) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जाय और हमारे साथी कंडेट श्री त्रिपाठी के परिवार के सदस्यों को समुचित मुआवजा (कम से कम दो लाख रुपया) दिया जाय।

(2) सभी पी0 टी0 सी0 कंडेटों को इस बात की गारन्टी दी जाय कि भविष्य में किसी भी पी0 टी0 सी0 के कंडेट के साथ इस प्रकार की अमानवीय कार्यवाही न की जाय ताकि सभी कंडेट पी0 टी0 सी0 में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

उल्लेखनीय बात यह है कि इस समय पी0 टी0 सी0, मुरादाबाद के अमानवीय नियम, कानून एवं वातावरण इस प्रकार का है कि कोई भी पी0 टी0 सी0 कंडेट समाज सेवक नहीं बन सकता।

श्री रियासत हुसैन--

जब इस कंडेट की मृत्यु हुई थी तब मैं स्वयं मुरादाबाद में मौजूद था। इसमें काफी मामला चला था। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री लाल जी त्रिपाठी, जिसको कि मैदान में भगाया गया, क्या उससे पहले वे मेडिकल रिपोर्ट पर थे या नहीं? दूसरे, जब उसकी मृत्यु हुई और मेमोरेण्डम दिया गया, तो उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

पी0 टी0 सी0 में जाने से पहले कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि वे बीमार हैं। जहां इन्क्वायरी का प्रश्न है, इसकी इन्क्वायरी श्री बी0 पी0 सिंघल, डी0 आई0 जी0, पी0 टी0 सी0 ने की थी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, विषय की गम्भीरता से अपने आप स्पष्ट है और जो माननीय मंत्री जी ने पत्र पढ़ा है उससे स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु फील्ड में चक्कर लगाने से हुई है। ऐसी स्थिति में सारी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने में क्या परेशानी है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसमें जांच डी0 आई0 जी0 महोदय कर चुके हैं और पोस्टमार्टम भी हो चुका है, कोई विशेष बात नहीं निकली, जिसके आधार पर कि इसे पुनः सी0 आई0 डी0 को सौंपा जाय। सब सन्तुष्ट हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इसकी जांच डी0 आई0 जी0 ने की। वे उसी विभाग के अधिकारी हैं, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे निष्पक्ष जांच कर सकेंगे। इसमें लिखा है कि उनकी मृत्यु का कारण उनको मैदान में दौड़ाया जाना है। अगर सी0 आई0 डी0 से जांच करवाना नहीं चाहते हैं, तो क्या डी0 एम0, मुरादाबाद से जांच का आश्वासन देंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

पी0 टी0 सी0 में दौड़ नहीं करायी जायगी तो कोई बैठने के लिए वहां थोड़े ही भेजा जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बड़ा गम्भीर सवाल था। एक तो सन्दर्भित व्यक्ति की मृत्यु का होना, सबने चिन्ता प्रगट की, मैं भी चिन्ता प्रगट कर रहा हूं, लेकिन जो ज्ञापन दिया है पी0 टी0 सी0 रंगरूटों ने, उन्होंने गम्भीर बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। आखिर में लिखा है कि वहां का वातावरण ऐसा है कि वहां कोई समाज सेवक नहीं बन सकता। यह एक गम्भीर बात है। यह सम्पूर्ण

जो पी० टी० सी० की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इसने प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया है। वहां के कैडेट अगर स्वयं ऐसा महसूस करते हैं, तो जो हम सिपाहियों से उम्मीद करते हैं कि समाज सेवक बनेंगे, यह व्यवस्था का दोष है। ऐसे गम्भीर बिन्दु के बारे में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की, कोई जांच कराई, कोई व्यवस्था में परिवर्तन की बात सोची ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इसमें माननीय सदस्य ने जो कहा है, इस प्रश्न से तो सम्बन्धित नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दिखा लें तो दिखा लिया जायेगा ताकि और अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिलाया जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं इसमें व्यवस्था का प्रश्न बाद में उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उठा लीजियेगा।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों व रेलों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष प्रबन्ध

*15—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में व रेलों में होने वाली लूट पाट की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई विशेष प्रबन्ध किए हैं ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रबन्ध किये गये हैं, जैसे राज्य मार्गों पर रात्रिगश्त को सुदृढ़ करना जनपदों के वायरलेस सेट सरहदी थानों को आवश्यकतानुसार तत्काल सूचित करने के लिए रात भर खुला रखना, अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु बसी के मुख्य अड्डों पर चेकिंग करना आदि।

रेलों में होने वाली लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए जो विशेष प्रबन्ध किए गये हैं उनमें रात्रि कालीन गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था करना, सक्रिय अपराधियों के रिकार्ड की छानबीन तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, समस्त स्टेशनों पर अपराधियों का फोटो रखना आदि सम्मिलित हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो विशेष व्यवस्था हुयी है, वह कब से शुरू हुयी है और दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था के लागू होने पर जो पहली तिमाही बीती, उसमें अपराध बढ़े, घटे या बराबर रहे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जब से श्रीपति जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में आये हैं, तब से अपराध बहुत घट गये हैं।

(हंसी और शोर)

श्री मोहन सिंह—

इसका मतलब यह रहा कि जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे मुख्य मंत्री इस प्रदेश के तब ज्यादा अपराध थे ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैं यह जानना चाहता था कि जब से यह विशेष व्यवस्था लागू हुई है, उसकी पहली तिमाही में क्या अपराध बढ़े हैं या घटे अथवा क्या पोजीशन है और दूसरी बात जाननी

चाही थी कि यह व्यवस्था कब से लागू हुई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जैसा कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपराध घटे या बढ़े, उसी को मैं भी बता रहा हूं कि अब अपराध काफी घटा है ।

*16—श्री मंजूर अहमद—

[दिनांक 21-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-141 द्वारा उत्तरित] ।

*17—श्री ऊदल—

[दिनांक 13-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-21-22 द्वारा उत्तरित]

ग्राम चकगंज अलीशाह सरावां में ग्राम इंटकुहिया के निवासी श्री हरीलाल यादव की हत्या की जांच

*18—श्री शेर बहादुर (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-10-83 को थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ के ग्राम चकगंज अलीशाह सरावां में ग्राम इंटकुटियां के निवासी का कत्ल हुआ है जिसमें थानाध्यक्ष दीदारगंज ने मुल्जिमों की तरफ से धारा 147/148/149 व 307 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट अंकित की है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की प्रति व मरहूम की डाक्टरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में मरहूम के लड़के का घटना के तुरन्त बाद, कोई तार व प्रार्थना-पत्र एस0 एस0 पी0, आजमगढ़ व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके तथ्य क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार एक अभियोग अपराध संख्या 94/83 धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत वादी द्वारा पंजीकृत कराया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति व मरहूम की डाक्टरी रिपोर्ट की प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती हैं । जहां तक शिकायती-पत्र का प्रश्न है, मृतक हरीलाल यादव के पुत्र श्री राम आसरे यादव निवासी इंटकुहियां, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़ के प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच हेतु शासन द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग को चेकअप कराने के आदेश दे दिये गये हैं । शिकायती तार उपलब्ध नहीं है । शिकायती-पत्र में मुख्य तथ्य यह है कि प्रार्थी को नेवासे में मिली जमीन हड़पने के उद्देश्य से उसके पिता की हत्या कर दी गयी है तथा पुलिस को प्रलोभन देकर असलियत को छिपाया गया । मामले की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने की भी मांग की गयी है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त शिकायती-पत्र व तार में जांच की कार्यवाही तत्कालीन थानाध्यक्ष दीदारगंज को सुपुर्द की गयी थी किन्तु उनकी दिनांक 5-2-84 को अचानक मृत्यु होने से कार्यवाही रुक गयी । प्रश्नगत मामले (अपराध संख्या 94/83) में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त अब पूरे मामले का चेकअप अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने हेतु आदेश भी दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 18 के बारे में श्री शेर बहादुर सिंह कृपया मेरे कक्ष में मुझ से मिले, उनके प्रश्न से सम्बन्धित डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास आयी है, उसे देख लें ।

जनपद सीतापुर, ग्राम सभा पिपरावां में बदमाशों द्वारा सामूहिक नरसंहार, परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की मांग

*19—श्री हर गोविन्द वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना महोली के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में ग्राम सभा पिपरावां में कुछ बदमाशों ने घुसकर सामूहिक नरसंहार रात में पिछले 6 महीने में किया जिसमें एक ही परिवार के कई लोग मारे गये और कई लोग बुरी तरह से घायल हो कर सदरपुर अस्पताल में भर्ती हुए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार दुखी परिवार को पांच-पांच हजार रुपये की सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-9-83 को 10·45 बजे दिन श्री राजा राम पासी निवासी गहरा थाना मितौली, जनपद लखीमपुर खीरी ने थाना महोली, जनपद सीतापुर पर 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 3/4-9-83 की रात्रि ग्राम पिपरावां, जनपद सीतापुर में वादी के बहनोई के घर में घुसकर तीन व्यक्तियों (वादी की बहन, पत्नी एवं एक वर्षीय पुत्री) की हत्या तथा चार बच्चों को घायल कर देने के आशय की सूचना अंकित कराई । उक्त सूचना पर थाना महोली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/452/324/326/307/302 भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

घटना से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जनपद बुलन्दशहर के थाना डिबाई व थाना ननौरा में कारबाइन व बन्दूकों के लाइसेंस

*20—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि तहसील अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के थाना डिबाई व थाना ननौरा में किन-किन लोगों के पास 30 कारबाइन व बन्दूकों के लाइसेन्स हैं ? इसमें से कितनों ने लाइसेन्सों का नवीनीकरण नहीं कराया है तथा ऐसे लाइसेंसधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

प्रश्न में उल्लिखित थाना क्षेत्र के जिन व्यक्तियों के पास 30 कारबाइन व बन्दूकों के लाइसेन्स हैं, उनके नाम देना जनहित में न होगा । प्राप्त सूचनानुसार उक्त सभी लाइसेंसियों ने लाइसेंसों का नवीनीकरण करा लिया है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि उन व्यक्तियों के नाम बताना जनहित में नहीं है तो क्या इन नामों को जनहित में न बताना सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ऐसे अपराधियों के नाम प्रकाश में न लाए जा सकें क्योंकि कांग्रेस आई में तमाम ऐसे गुण्डे हैं, जिनकी वजह से आज अपराध आम हो रहा है, इसलिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन नामों का न बताना क्या सामाजिक जनहित है, या आर्थिक दृष्टि से है या राजनीतिक दृष्टि या देश की अखण्डता की दृष्टि से कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको प्रकाश में लाया जा सके ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ ।

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर ।)

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि कांग्रेस आई के तमाम गुण्डे अपराध कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं इसकी आज्ञा नहीं दी है, आप कृपया बैठें ।

अतारांकित प्रश्न

आगरा तहसील में नव-निर्माण के लिए स्वीकृत मार्ग

1—श्री विजय सिंह राना—

प्रश्नकर्त्ता के प्रथम सत्र 1983 के छठे मंगलवार के अता० प्र० सं० 39 के उत्तर के संदर्भ में क्या सा० नि० मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तहसील में कुल 12 कि० मी० नव निर्माण के लिए स्वीकृत मार्ग कहां से कहां तक हैं इसमें जो 10 कि० मी० मार्ग का निर्माण शेष रह गया उसके संदर्भ में अब क्या स्थिति है और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? इसके अतिरिक्त 10 कि० मी० मार्ग पर कहां से कहां तक आधुनिकीकरण कार्य किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री विद्या भूषण)—

12 कि० मी० स्वीकृत मिट्टी स्तर तक नव-निर्माण का कार्य निम्नलिखित है :—

(1) आगरा जगनेर तांतपुर मार्ग से मनकेड़ा तक—2 कि०मी० ।

(2) बरौली अहीर से श्यामो, बमरोली कटारा, हिगोद खेरिया होकर नगला सबला तक 10 कि० मी० । 10 कि० मी० लम्बाई में से 4.200 कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य भूमि अध्याप्ति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । इसके अतिरिक्त 10 कि०मी० में आधुनिकीकरण का कार्य जो चंदौसी-आगरा-तांतपुर मार्ग के कि० मी० 180 से 189 तक है, आगरा तहसील में न होकर एत-मादपुर तहसील में है । यह कार्य भी लगभग पूर्ण है ।

2—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

राज्य विद्युत् परिषद् में सहायक लेखा अधिकारियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही

3—श्री सुल्तान सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् में कुछ सहायक लेखा अधिकारी दिसम्बर, 79 से तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । इन अधिकारियों की संख्या 16 है । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इन अधिकारियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आगरा जनपद के गांव घनौली, नरीपुरा और सहारा गावों का विद्युतीकरण

4—श्री विजय सिंह राना—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के गांव घनौली

नरीपुरा और सहारा गांवों के विद्युतीकरण के संदर्भ में दिनांक 12 जुलाई, 1982 के तत्कालीन ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री सुशील शास्त्री) के आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

ग्राम धनौली का विद्युतीकरण 31 मार्च, 1983 को कर दिया गया है ।

सहारा गांव का जिला योजना क्रियान्वयन व समन्वय समिति द्वारा अनुमोदन न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका है । इस समिति द्वारा अनुमोदन होने पर इस गांव का विद्युतीकरण किया जायेगा । जहां तक नरीपुरा गांव का प्रश्न है इसका विद्युतीकरण वर्ष 1984–85 में किया जायेगा ।

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा चोट रजिस्टर की तिथि में कटिंग करने के सम्बन्ध में जांच

5—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 जुलाई, 1980 को अपराध संख्या 162–ए/1980 पुलिस चौकी अमृतपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद की जांच विशेष अनुसंधान शाखा पुलिस, फर्रुखाबाद जनपद ने की जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा चोट रजिस्टर की तिथि में काट छांट का तथ्य प्रमाणित हुआ ? यदि हां, तो क्या इस चिकित्साधिकारी को निलम्बित कर इनके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अपराध की जांच विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की गई ।

विवेचक ने आघात रिपोर्ट की कटिंग के विषय में कोई कार्यवाही आवश्यक न समझ कर उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा । वाद न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निर्णयोपरान्त ही कोई कार्यवाही सम्भव होगी ।

6—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[दिनांक 14 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के द्वारा उत्तरित]

देवरिया जनपद के क्षेत्राधिकारी, सलेमपुर के विरुद्ध आरोपों का जांच

7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के क्षेत्राधिकारी सलेमपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों सहित नन्दकिशोर सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 1983 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रश्नगत पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करने का निदेश दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लेमपुर थाना, जनपद देवरिया की पुलिस के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र की जांच

8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरि वंश सहाय, श्री कुबेर भंडारी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर थाना, जनपद देवरिया की पुलिस के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1983 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय विधायक श्री कुबेर भंडारी का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में वर्णित आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक के माध्यम से करायी गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

श्री देवनाथ कुम्हार, ग्राम नदुआ-छपरा, थाना बरहज के पत्र में आरोपों की जांच

9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री गौरीशंकर भैय्या—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवनाथ, ग्राम नदुआछपरा, थाना बरहज का आवेदन पत्र प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न के साथ दिनांक 15-10-83 का इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उन्हें पानी पीने व आम रास्ता को रोक दिया गया है तथा चारपाई पर बैठने के लिए उनके रिश्तेदारों को पीटा गया है ? यदि हां, तो आवेदन पत्र पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय विधायक श्री हरिवंश सहाय के पत्र दिनांक 15-10-1983 के साथ देवनाथ कुम्हार, ग्राम-नदुआ छपरा, थाना बरहज का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने हेतु जिलाधिकारी, देवरिया को निर्देश दे दिया गया है।

जनपद आगरा के समोगर पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में पत्र

10—श्री विजय सिंह राना—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के समोगर पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1983 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण —

प्रश्नगत-पत्र में प्रस्तावित पुल का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है।

थाना बजरिया, जिला कानपुर नगर के नामपद मुल्जिमानों की गिरफ्तारी की मांग

11—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इल्जाम नं0 285-ए धारा 147/148/149/302 आई0पी0 सी0 थाना बजरिया, जिला कानपुर नगर के नामजद मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अभियोग में अब तक की विवेचना से नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित न होने के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीनस्थ शोध अधिकारियों को बीमा आदि की सुविधा

12—श्री धनीराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शोध अधिकारियों को सामान्य राज्य कर्मचारियों की तरह अनुमन्य बीमा आदि की सुविधा नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों क्या सरकार वेतनमान 850—1720 रु0 में कार्यरत सभी राज्यपत्रित कर्मचारियों को यह सुविधा अतिशीघ्र दिलाये जाने हेतु घोषण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों संगठन के रु0 850—1720 के वेतनमान में कार्यरत शोध अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को अन्य सामान्य राज्य कर्मचारियों की तरह बीमा आदि की सुविधा दी जा रही है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में विद्युत सब स्टेशन, सोरांव मऊआयमा सिकन्दरा व फूलपुर के फीडिंग क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

13—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विद्युत सब स्टेशन सोरांव मऊ आयमा, सिकन्दरा व फूलपुर के फीडिंग क्षेत्र में अलग-अलग कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कितने गांवो में विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है ? क्या मंत्री जी प्रत्येक सब-स्टेशन के विद्युतीकृत गांवों (हरिजन बस्ती) की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद इलाहाबाद में निम्नलिखित विद्युत सब स्टेशनों के फीडिंग क्षेत्र मे ग्रामों का ऊर्जीकरण इस प्रकार है :—

	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण	एल0 टी0 लाइन बिछाकर ग्रामों विद्युत करण
सोरांव		
सब स्टेशन	89	6
मऊ आइमा	113	7
सिकन्दरा	186	3
फूलपुर	189	2

12 ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसका नाम संलग्न सूची † में दिए है ।

प्रत्येक सब स्टेशन से विद्युतीकृत ग्रामों की हरिजन बस्ती की सूची † संलग्न है ।

14—श्री राधेश्याम पटेल—

[दिनांक 21—2—84 को अतारांकित प्रश्न संख्या—181 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सुल्तानपुर खास तथा जोगापुर के ग्रामीण उपभोक्ताओं के कनेक्शन की बहियावां फीडर से जोड़ने का औचित्य

15—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में मऊ

†(छापी नहीं गई ।)

आयमा फीडर से जुड़े ग्राम सुल्तानपुर खास, जोगापुर के कनेक्शन काट कर दहियावां फीडर से जोड़ने का क्या औचित्य है ? क्या जनहित में काटे गए कनेक्शनों को पुनः यथावत मऊ आयमा फीडर से जोड़वाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

परिषद की नीति के अनुसार केवल उन्हीं 11 के0 वी0 पोषकों पर निरन्तर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है जिनपर 250 से अधिक पावर लूम के कनेक्शन है। इसके अन्तर्गत मऊ आयमा फीडर भी आता है।

सुल्तानपुर खास तथा जोगापुर के ग्रामीण उपभोक्ताओं के कनेक्शन मऊ आयमा फीडर से काट कर दहियावां ग्रामीण पोषक से जोड़ दिए गए हैं क्योंकि उन गांवों में पावरलूम कनेक्शन नहीं है।

16--श्री राधेश्याम पटेल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

सोरांव तहसील के पडरेखा अकारी हाट ग्राम में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

17-श्री राधेश्याम पटेल--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सोरांव तहसील के पडरेखा अकारी हाट ग्राम में 132-33 के0वी0 का अधिष्ठान (विद्युत) का निर्माण कब तक बन कर चालू हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद इलाहाबाद की सोरांव तहसील में 132-33 के0 वी0 विद्युत सब-स्टेशन के वर्ष 1984-85 के अन्त तक निर्मित एवं चालू हो जाने की सम्भावना है।

जनपद इलाहाबाद, ग्राम महुली/चतुरपुर में श्रीमती कन्हई की सोते समय जेवरात निकालकर हत्या, अभियुक्तों की गिरफ्तारी

18--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना बहरिया के अन्तर्गत ग्राम महुली/चतुरपुर में दिनांक 18/19 दिसम्बर, 82 को रात्रि में असामाजिक तत्व श्रीमती कन्हई को सोते समय घर से उठा ले गये और हाथ व दोनों पैर काटकर जेवरात निकाल कर हत्या कर दी, जिसमें ग्रामीणों ने प्रयास करके हत्यारों को गिरफ्तार कराया था ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ? क्या पुलिस की उदासीनता से शेष मुल्जिम अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें गिरफ्तार करने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में दिनांक 20-12-82 को धारा 460 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से प्रकाश में आए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना से अन्य कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान बेवाना के श्री कोलेश्वर द्वारा जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिया गया कथित-पत्र

19--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरदेव, विधायक के पत्र के साथ ग्राम प्रधान बेवाना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद श्री कोलेसर चमार का प्रार्थना-पत्र उन्हें दिनांक

19-11-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्राम प्रधान की सुरक्षा हेतु दिनांक 5-3-83 तक शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कोलेश्वर ने लिखित बयान दिया कि उन्होंने जान-माल की सुरक्षा व धमकी के बारे में न तो कोई प्रार्थना-पत्र दिया है न ही उन्हें इस बात का खतरा है। अतः सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के बहरिया दान्दूपुर पक्की सड़क में लेपन का कार्य

20--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के बहरिया दान्दूपुर पक्की सड़क पर अभी तक द्वितीय डामर लेपन नहीं किया गया और सड़क बिल्कुल खराब हो गई है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत न करने के क्या कारण हैं ? सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

प्रश्नगत सड़क 15 कि0 मी0 लम्बी है। 6 कि0 मी0 में द्वितीय सतह लेपन का कार्य कराया जा चुका है। 4 कि0 मी0 में द्वितीय सतह लेपन का कार्य प्रगति पर है। शेष कि0 मी0 का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद इलाहाबाद में गंगा नदी पर कर्जनपुल के निकट पुल के निर्माण की मांग

21--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में गंगा नदी पर कर्जनपुल के बगल एक पुल का निर्माण शासन द्वारा प्रस्तावित है ? यदि हां, तो खर्च क्या होगा एवं उसकी रूप रेखा क्या है ? कब तक कार्य आरम्भ हो जाएगा और कब तक बन कर तैयार हो जाने का अनुमान है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त पुल का निर्माण कराने पर शासन विचार करेगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

प्रस्तावित पुल 400.32 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया है। कर्जन पुल से निकटता के कारण इसका निर्माण आरम्भ करने के पूर्व रेलवे तथा रक्षा मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त हो जाने तथा धन के उपलब्ध होते रहने पर इसके निर्माण में चार वर्ष लगने की सम्भावना है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वृद्धि के सम्बन्ध में विचार

22--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण में वृद्धि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पत्रांक ओ0 एम0 नं0 1/3/72 ई0 एस0(टी) सेक्ट, दिनांक 12-3-73 प्रदेशीय शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं ? क्या शासन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हित में उसे तुरन्त लागू करने का विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

केवल जनसंख्या को आधार मानकर आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी करना संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप न होगा ।

जनपद इलाहाबाद में गोमती से कमलानगर मार्ग का आधुनिकीकरण

23--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 40 नम्बर गोमती से कमलानगर मार्ग का आधुनिकीकरण स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितना धन खर्च हो चुका है ? कितना लम्बा मार्ग किस स्तर तक निर्माण किया गया है, अभी कितना मार्ग बनना अवशेष है ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां ।

इस मार्ग पर अब तक 15·54 लाख रु0 खर्च हो चुका है । 6·2 कि0 मी0 लम्बाई में प्रथम सतह लेपन तक तथा 3 कि0 मी0 द्वितीय सतह लेपन तक पूर्ण हो चुका है । शेष 1·8 कि0 मी0 में 800 मीटर में टाप कोट तक कुटाई तथा 1·00 कि0 मी0 इन्टर कोट की कुटाई पूर्ण हो चुकी है । अब केवल एक कि0 मी0 में टाप कोट की कुटाई एवं 1·8 कि0 मी0 में प्रथम सतह लेपन तथा 5 कि0 मी0 में द्वितीय सतह लेपन का कार्य अवशेष है ।

श्री बद्रीनाथ आदि द्वारा थाना मऊ आयमा, जिला इलाहाबाद में चोरी की दर्ज रिपोर्ट

24--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-14 फरवरी, 1983 की रात्रि में श्री बद्री विशाल, निवासी मऊ आयमा, थाना मऊआयमा, इलाहाबाद के द्वारा बीसों हजार रुपये के वस्त्रों की चोरी की रपट थाना मऊआयमा में दर्ज करायी गयी है ? क्या इसके पूर्व भी मुख्तार अहमद तथा भगेलू राम, निवासी मऊआयमा के यहां चोरी की रपट भी थाना मऊआयमा में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो यह रपट क्या है ? अभी तक इनमें कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार प्रथम सूचना श्री बद्रीनाथ द्वारा दिनांक 14-2-83 को थाना मऊआयमा, जिला इलाहाबाद में अंकित कराई गई किन्तु इसमें अभियुक्तों के नाम या चोरी गए कपड़ों की कीमत का उल्लेख नहीं था । इस सम्बन्ध में धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना के पूर्व श्री मुख्तार अहमद ने दिनांक 13-10-82 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने घर में चोरी करने के विषय में धारा 380 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत तथा श्री भगेलू राम ने दिनांक 13-12-82 को थाना मऊआयमा में 3-4 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वादी से उसके घर का दरवाजा खुलवाकर मारने-पीटने व सामान तथा जेवर सहित नगद 5,000 रु0 लूट लिए जाने के सम्बन्ध में धारा 394 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया था । तीनों अभियोगों से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं । इन तीनों अभियोगों में विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

*(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 163 पर ।)

जनपद इलाहाबाद में सोरांव फूलपुर के मार्ग का आधुनिकीकरण

25--राधेश्याम पटेल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सोरांव-फूलपुर के मार्ग अवशेष का आधुनिकीकरण हेतु शासन द्वारा धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य न होने का क्या कारण है ? उक्त निर्माण हेतु धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां ?

धन उपलब्ध है तथा निर्माण कार्य हो रहा है। 3·2 कि0 मी0 में प्रथम सतह लेपन पूर्ण हो चुका है तथा 1·8 कि0 मी0 कंकड़ की सतह पर टाप कोट की कुटाई प्रगति पर है।

जनपद बांदा में पुलिस सब-इंस्पेक्टर का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

26--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या गृह मन्त्री बताने की करेंगे कि जनपद बांदा में कितने पुलिस सब-इंस्पेक्टर 6 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं ? इतनी लम्बी अवधि तक एक ही जगह पर इनको रखने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्तमान समय में केवल दो उप-निरीक्षक जनपद बांदा में 6 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं।

सम्बन्धित दोनों उप-निरीक्षकों के निलम्बित होने के कारण उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करना उचित नहीं समझा गया है।

27--श्री राधेश्याम पटेल--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त।]

विद्युत सब-स्टेशन सिकन्दरा में विद्युत आपूर्ति हेतु सब-स्टेशन कायम करने पर विचार

28--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में विद्युत सब-स्टेशन सिकन्दरा (फूलपुर) की विद्युत आपूर्ति विस्तृत क्षेत्र में रखरखाव की समुचित व्यवस्था न हो सकने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति निश्चित घंटों से बहुत कम होती है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगा कि 1 फरवरी, 1983 से 10 फरवरी, 1983 तक की औसत आपूर्ति कितनी थी ? क्या इस क्षेत्र के विस्तार आधिक्य को देखते हुए समुचित विद्युत आपूर्ति हेतु एक और सब-स्टेशन कायम करने पर शासन विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

29--श्री राधेश्याम पटेल--

[दिनांक 21-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 102 द्वारा उत्तरित।]

श्री आर0 एन0 चतुर्वेदी, अपर जिलाधिकारी, आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र में आरोपों की जांच

30--श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को श्री आर0 एन0 चतुर्वेदी, अपर जिलाधिकारी, आगरा के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 26-11-83 को दिया था ? यदि हां, तो श्री चतुर्वेदी

द्वारा पत्र में वर्णित श्री बाबू लाल सिंह, संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग का जयपुर हाउस, आगरा में मकान बनवाने सम्बन्धी शिकायत की जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ? क्या शासन श्री आर० एन० चतुर्वेदी, ए० डी० एम०, आगरा तथा श्री बाबू लाल सिंह, संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । शिकायती-पत्र दिनांक 26-11-83 की जांच जिलाधिकारी, आगरा से करायी गयी तथा जांचोपरान्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय श्रीनाथ की विधवा पत्नी को आर्थिक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

31—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 17/18 मई, 1983 को रात्रि में डाकुओं की मुठभेड़ में मरे श्रीनाथ पुत्र गंगा, निवासी, ग्राम चकभानपुर उर्फ चकिया, सिकन्दरा, तहसील फूलपुर, थाना मऊआयमा, जिला इलाहाबाद की विधवा पत्नी को जीवन-निर्वाह तथा लड़की की शादी हेतु आर्थिक अनुदान हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र संलग्नक सहित दि० 1 जुलाई, 1982 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1982 का नहीं बल्कि 1 जुलाई, 1983 का प्राप्त हुआ है । मृतक श्रीनाथ की विधवा एवं अन्य आश्रितों के सम्बन्ध में असाधारण पेन्शन प्रकरण अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु तैयार करा लिये गये हैं ।

डाकुओं से मुठभेड़ में मारे गये गैर-सरकारी व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देने के नियमों में आश्रित पुत्रियों के विवाह पर अनुदान देने का प्राविधान नहीं है ।

इलाहाबाद के विद्यार्थी पंकज सक्सेना की मृत्यु की जांच

32—श्री धन्मन सिंह गहलोत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा "पंकज सक्सेना" इलाहाबाद के विद्यार्थी की मृत्यु की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराए जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र सं० 12062, दि० 29-9-83 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और जांच की प्रगति क्या है तथा इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए लोगों के के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता का कथित पत्र दिनांक 27-9-83 शासन को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराये जाने से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 9-6-83 को घटना के समय मृतक पंकज सक्सेना बम्ब बना रहा था, जो संयोगवश विस्फोट हो जाने के कारण घायल हो गया था । पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व सुम्मा उर्फ सुरेश नामक व्यक्ति द्वारा उसको उपचार हेतु एस० एन० अस्पताल, आगरा कार द्वारा ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई । इस घटना की सूचना पर थाना कोतवाली, मथुरा में अ० सं० 417/83 अन्तर्गत धारा 5/7 एक्सप्लोसिव ऐक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान दिनांक 15-9-83 को उक्त सुम्मा को बन्दी बनाया गया किन्तु साक्ष्य के अभाव में उसे धारा 169 जा० फौ० के अन्तर्गत

रिहा कर दिया गया और इस अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। मामले को सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद अलीगढ़ में बन्दूक पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र

33—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में 1 जनवरी, 1983 से अक्तूबर, 1983 तक नागरिकों ने कितने प्रार्थना-पत्र बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेन्स हेतु दिए थे? उनमें से कितने लाइसेन्स रिवाल्वर एवं पिस्तौल के जिलाधीश एवं ए0 डी0 एम0, अलीगढ़ ने दिए हैं? जिनको लाइसेन्स दिए गये हैं उनके नाम व पते क्या हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद अलीगढ़ में प्रश्न में उल्लिखित अवधि में आयुध अनुज्ञापन हेतु बन्दूक के 3312 तथा पिस्तौल/रिवाल्वर के 149 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से पिस्तौल/रिवाल्वर के 29 लाइसेन्स जिला मजिस्ट्रेट तथा 7 लाइसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किये गये। जिन व्यक्तियों को लाइसेन्स स्वीकृत किये गए उनका नाम व पता देना जनहित में न होगा।

जनपद शाहजहांपुर के कोलाघाट, जैंतीपुर घाट, अजमाबाद घाट पर पान्टून पुल अथवा स्थायी पुलों की योजना

34—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कोलाघाट, जैंतीपुर घाट, अजमाबाद घाट पर पंटून ब्रिज अथवा स्थायी पुलों की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो पुलों का निर्माण कब तक करा दिए जायेंगे?

श्री विद्या भूषण—

कोलाघाट पर पान्टून पुल तथा आजमाबाद घाट पर पक्का पुल स्वीकृत है। जैंतीपुर घाट पर पुल निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोलाघाट पर पान्टून पुल का निर्माण आवश्यकतानुसार पान्टून उपलब्ध होने पर तथा आजमाबाद घाट पर पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

वाराणसी पूर्वी जोन सा0 नि0 विभाग में मैकसफाल्ट का क्रय

35—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी पूर्वी जोन सा0 नि0 विभाग में सन् 79/80 80/81, 81/82, 82/83 एवं नवम्बर, 1983 तक कितने ड्रम मैकसफाल्ट कितने रुपए का कहां से मंगाया गया है और उसका वितरण प्रत्येक वर्षों में कितने-कितने ड्रम का किया गया है?

श्री विद्या भूषण—

अपेक्षित विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर।)

बड़ागांव कुंडा चिबिला कुरु मार्ग को विभागीय निर्माण इकाई मार्ग, वाराणसी को स्थानान्तरण निर्माण तथा व्यय

36—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव कुन्डी चिबिला कुरु मार्ग वाराणसी प्रान्तीय

खंड, वाराणसी के कार्यक्षेत्र में है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मार्ग को विभागीय निर्माण इकाई मार्ग, वाराणसी को स्थानान्तरित कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि अब तक कोई कार्य इस मार्ग पर नहीं हो पाया ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक कितना व्यय इस मार्ग पर हुआ है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मार्ग प्रारम्भ में प्रान्तीय खंड, वाराणसी के अन्तर्गत था किन्तु अगस्त, 1981 में इसे विभागीय निर्माण इकाई वाराणसी को स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

मार्ग की 12·00 कि0 मी0 लम्बाई में से 2 8 कि0 मी0 में जहां भूमि अब उपलब्ध हो गई है, मिट्टी का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा एक कि0मी0 में आरम्भ कर दिया गया है । शेष लम्बाई में अब भी भूमि उपलब्ध नहीं है ।

अब तक इस मार्ग पर 15 हजार रुपये व्यय हुए हैं ।

37—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

श्री राजकुमार को चौकी सिधौरा एवं फूलपुर थाने की पुलिस द्वारा पीटने एवं अमानुषिक व्यवहार किये जाने की जांच

38—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 वर्षीय राज कुमार पुत्र गौरी शंकर, गांव सिधौरा, थाना फूलपुर, वाराणसी को चौकी सिधौरा एवं फूलपुर थाने की पुलिस ने पीट कर एवं अमानुषिक व्यवहार करके 4-12-1983 को 25 आर्म्स एक्ट में चालान कर दिया है ? यदि हां, तो राजकुमार के चोटों का इलाज एवं मुआइना रा0 अस्पताल, वाराणसी में हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार श्री राज कुमार से चाकू बरामद होने के विषय में पंजीकृत अपराध में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया । इस मामले की विवेचना पुनः की गयी । अभी तक की विवेचना से मामला 25 आर्म्स एक्ट का सही नहीं पाया गया । विवेचना प्रचलित है । विवेचना के उपरांत दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । राज कुमार की चोटों का परीक्षण राजकीय अस्पताल में नहीं किया गया है तथा जिला कारागार वाराणसी की सूचनानुसार उसके दाखिले के समय शरीर पर कोई चोट नहीं थी । इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री उमेश कुमार लावनियां, निवासी जगदीशपुरा द्वारा थाना जगदीशपुरा, आगरा में दर्ज मुकदमा

39—श्री बदन सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उमेश कुमार लावनियां, निवासी 46/1153 जगदीशपुर, आगरा ने अपराध संख्या 97, दिनांक 11-6-1983 में धारा 147, 148, 149, 307, 436, 395, 397, 302 के अन्तर्गत थाना जगदीशपुरा, आगरा में कोई मुकदमा दर्ज कराया है ? यदि हां तो अभियुक्तों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान इस अभियोग से संबंधित चार अभियुक्त गिरफ्तार किये

जा चुके हैं। अब इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के गांवों में विद्युतीकरण हेतु योजना

40—श्री बदन सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में केवल 12 गावों में ही वर्ष 1983 तक बिजली दी गई है ? यदि हां, तो उसके अन्य बड़े-बड़े गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए क्या कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत विकास खण्डों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 1983 तक निम्न है :

ब्लाक का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
फतेहपुर सीकरी	17
किरावली (अछनेरा)	13
अकोला	22
योग ..	52

किरावली व अकोला विकास खंडों में एस0 पी0 ए0 स्कीम चल रही है जिसमें क्रमशः 57 व 27 ग्रामों के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण का प्राविधान है।

जनपद उन्नाव, ग्राम कन्वरपुर के मैकू लाल द्वारा बदमाशों के विरुद्ध थाना असोहा में दर्ज रिपोर्ट

41—श्री सन्त बख्श सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम कन्वरपुर, मैकू लाल पुत्र पुरन द्वारा दिनांक 8-11-1983 को गांव के ही कई बदमाशों के विरुद्ध उपरोक्त थाने में अपराध संख्या 323/504, 506, आई0 पी0 सी0 के (हरिजन अत्याचार) के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में उल्लिखित मुल्जिमानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर मुकदमा न्यायालय भेजा गया ? यदि नहीं तो क्यों ? और मुकदमा न्यायालय कब तक भेज दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। विधिवत् विवेचना के बाद दोनों अभियुक्त बुद्धू व अनिल कुमार के विरुद्ध धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिनांक 9-3-1984 को न्यायालय प्रेषित किया गया है।

थाना लहरतारा की पुलिस के सिपाहियों के विरुद्ध घूस लेने की जांच

42—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूराम पुत्र राम औतार, ग्राम महमूदपुर गंरूही, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर ने 1500 रुपया बाबूराम से घूस के तौर पर पकड़ कर वसूलने विषयक कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस कप्तान सीतापुर को दिनांक 5 दिसम्बर से 8 दिसम्बर 1983 के बीच में थाना लहरपुर की पुलिस के दो सिपाहियों के बारे में दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रार्थना-पत्र दिनांकित 6 दिसम्बर, 1983 पर जांच करायी गयी। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

छपिया घाट पर स्वीकृत पुल

43—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र रुधौली-बखिरा मार्ग पर छपिया घाट का पुल बनवाने हेतु दिनांक 5 अक्तूबर, 1981 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

छपिया घाट पर पाइल पुल स्वीकृत है। पक्के पुल का आगणन मांगा गया है। पक्के पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है। प्रश्न नहीं उठता।

44—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[दिनांक 13 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 131 द्वारा उत्तरित।]

एस० ओ० थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर के खिलाफ शिकायती-पत्र, आरोपों की जांच

45—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1983 को एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का एस० ओ० थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात के खिलाफ इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त थाना इंचार्ज ने अनेक डकैतियों को चोरी इन्द्राज किया है ? जिसकी जांच थाना इंचार्ज का स्थानान्तरण करके करायी गयी ? यदि हां, तो किसके द्वारा जांच करायी गयी ? क्या जांचकर्त्ता ने जिनके यहां डकैती पड़ी उनके बयान लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था।

आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, भोगनीपुर द्वारा कराई गई किन्तु जांच के दौरान थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण आवश्यक नहीं समझा गया।

प्रभावित व्यक्तियों के बयान लिए गये।

पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

बादशाहनगर स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के क्वार्टर को सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक को आवंटित न किया जाना

46—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र क्रमशः दिनांक 26 जुलाई व 2 अगस्त, 1983 को बादशाहनगर स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के क्वार्टर नम्बर यू० 4/4 हेतु सचिवालय के एक सहायक जिनकी सेवाएं प्रवर वर्ग के वेतनमान में दस वर्ष की हो चुकी हैं शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

संदर्भित पत्रों में उल्लिखित विषय पर विचार किया गया और उक्त आवास सम्बन्धित सहायक को आवंटित किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आवंटित धनराशि

47—श्री माताप्रसाद पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 82–83 की बस्ती जनपद के लिए कुल आवंटित धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्या थी तथा उसे किन–किन मार्गों को बनाने में अथवा कौन–कौन सी सामग्री खरीदने में व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि इटावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों पर निश्चित धनराशि खर्च नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री विद्या भूषण—

जनपद बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 1982–83 हेतु कुल आवंटित धनराशि 489–398 लाख रु0 थी । इसका विवरण माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48—श्री धम्मन सिंह गहलोत—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बस्ती जनपद में ग्राम गौरी राई, विकास खंड खेसरहा स्थित ग्राम सभा के तालाब का पट्टा गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में जांच

49—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बृजेश कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मत्स्य उत्पादन अनुभाग का कोई अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 3766/12 मत्स्य–83, दिनांक 29 अगस्त, 1983 बाबत ग्राम गौरी राई, विकास खंड खेसरहा, तहसील बांसी, जनपद बस्ती में तालाब का पट्टा गलत ढंग से किए जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, गोरखपुर मंडल को जांच हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र आयुक्त, गोरखपुर मंडल को लिखा गया था । बस्ती जनपद में ग्राम गौरी राई, विकास खंड खेसरहा स्थित ग्राम सभा के तालाब का पट्टा गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), गोरखपुर ने सूचित किया है कि शासन के अर्द्ध–शासकीय पत्र संख्या 3766/12–मत्स्य–83, दिनांक 29 अगस्त, 1983 में वर्णित बिन्दुओं पर परगनाधिकारी की आख्या प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त विषयक पट्टे के सम्बन्ध में यह दर्शाया है कि दिनांक 11 मार्च, 1982 की नीलामी कार्यवाही में सर्वश्री लगन, मूलन एवं सफी ने अंगूठा निशानी नहीं लगाया था ।

जहां तक श्री अदालत को बरीयता के विषय में विचार किये जाने का प्रश्न है प्राप्त आख्या में स्पष्ट किया है कि सन्दर्भगत मामले में वाद अदालत बनाम अमरुल्लाह, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

शाहजहांपुर जनपद के पुवायां क्षेत्र में सस्ते मूल्यों पर जलाऊ लकड़ी का डिपो खोलने की व्यवस्था

50—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में शहरी क्षेत्र में सस्ते मूल्यों पर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री संजय सिंह—

शाहजहांपुर जनपद के पुवायां क्षेत्र में सस्ते मूल्यों पर जलाऊ लकड़ी का एक डिपो खोलने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में पलिया, लखनऊ मार्ग पर गोविन्दगंज रेलवे क्रासिंग पर ओवर हेड ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव

51—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में पलिया, लखनऊ मार्ग पर गोविन्दगंज रेलवे क्रासिंग (शहरी भाग में) ओवर हेड ब्रिज के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री विद्याभूषण—

जी हां।

प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है तथा नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सूर्य प्रकाश गुप्त, प्रधान, ग्राम मानिकपुर का विद्युतीकरण से सम्बन्धित-पत्र

52—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य प्रकाश गुप्त, प्रधान, ग्राम मानिकपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का विद्युतीकरण से सम्बन्धित-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 1983 के साथ विद्युत् विभाग के जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 जुलाई, 1983 प्राप्त हुआ था, जिसमें विधायक जी ने लिखा था कि ग्राम मानिकपुर के प्रत्येक सम्भावित उपभोक्ता से अनुमानित व्यय 340.00 रुपये से कम जमा कराया जाय।

सामान्य योजनायें ग्राम के विद्युतीकरण के प्राक्कलन के आधार पर रु0 340.00 की धनराशि से कम पैसा का भुगतान लेना सम्भव नहीं है।

श्याम इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सन्स, टांडा फैजाबाद द्वारा टांडा थरमल प्रोजेक्ट में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य का भुगतान

53—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम इलेक्ट्रिकल एण्ड सन्स, टांडा फैजाबाद द्वारा टांडा थरमल प्रोजेक्ट में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य वर्ष 1980 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म का भुगतान न होने के कारण विभाग को सम्बन्धित फर्म द्वारा 20 मार्च, 1983/3 अप्रैल, 1982 को तथा मुख्य परियोजना प्रबन्धक को 1 जनवरी, 1983 को तथा प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 14 फरवरी, 1983 तथा दिनांक 23 मार्च, 1983 को मुख्य मन्त्री को लिखा गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

उक्त फर्म द्वारा मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टांडा तापीय शक्ति परियोजना को लिखा गया पत्र 1 जनवरी, 1983 को प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टांडा तापीय शक्ति परियोजना से आख्या मांगी गई थी।

प्रारम्भिक जांच के अनुसार मेसर्स श्याम इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सन्स, टांडा का कोई भुगतान अवशेष नहीं है। इस

सम्बन्ध में विस्तृत जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जा रही है तथा अग्रिम कार्यवाही जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी ।

न्यायिक सेवाओं में पदोन्नतियों का आधार

54--श्री बंशीधर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-12-83 को उ0 प्र0 न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का पदोन्नति में शासनादेशानुसार आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अवगत कराया है कि वे न्यायिक सेवाओं में पदोन्नतियां ज्येष्ठता/वरीयता के आधार पर करते हैं तथा उसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जाता है ।

इमरजेंसी कमीशन आफिसर तथा शार्ट सर्विस कमीशन आफिसर की नियुक्तियां, पदों पर नियमित किये जाने की मांग

55--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन इमरजेंसी कमीशन आफिसर तथा शार्ट सर्विस कमीशन आफिसर की नियुक्ति 1-1-1977 से पूर्व सचिव जिला सैनिक कार्यालय के पदों पर हुई है, उन्हें नियमित किए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कब तक उन अधिकारियों को अपने पदों पर नियमित कर दिया जाएगा ।

हरिजन एवं समाज तथा सैनिक कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

अनुबन्ध पर नियुक्तियां एक उच्च निर्णय के आधार पर निश्चित अवधि के लिए की जाती हैं और इस निर्णय में नियमित किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री अयोध्या प्रसाद अग्निहोत्री को स्वीकृत केन्द्रीय व राज्य पेंशन के भुगतान को रोका जाना

56--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अयोध्या प्रसाद अग्निहोत्री निवासी 3/173, सेनापति कूचा, फर्रुखाबाद को 1930 व 1932 के आन्दोलनों में कुल 11 माह 20 दिन जेल रहने के कारण प्रदेश व केन्द्र सरकार की राजनैतिक पेंशन प्राप्त हो रही थी, जो इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि 1938 में यह कांग्रेस सरकार बनने पर ग्रामसेवक नियुक्त कर दिये गये थे ? यदि हां, तो माफी न मांगने पर भी यह पेंशन किस नियम के अन्तर्गत निरस्त की गयी ?

श्री संजय सिंह--

श्री अयोध्या प्रसाद अग्निहोत्री को स्वीकृत केन्द्रीय व राज्य पेंशन को निरस्त नहीं किया गया है बल्कि पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है क्योंकि श्री अग्निहोत्री के विरुद्ध इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे गलत आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा सन् 1939 में कांग्रेस सरकार भंग होने पर अंग्रेज सरकार के अन्तर्गत नौकरी करते रहे जबकि अन्य व्यक्तियों ने जिन्हें कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत नौकरी मिली थी, अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिया था । जांच से श्री अग्निहोत्री के विरुद्ध की गई शिकायत सही पायी गयी ।

साथ ही उनके द्वारा वर्ष 1932 में भोगी गयी सजा की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

57—श्री विजय सिंह राना—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के के कारण निरस्त ।]

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर, मंत्री कारागार द्वारा अग्रसारित कथित पत्र

58—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 27-3-83 को श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर, मंत्री कारागार द्वारा अग्रसारित पत्र, जो थानाध्यक्ष सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध अदालत की प्रतिकूल टिप्पणी के विषय में है, संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत पत्र गृह विभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

विद्युत् परिषद्, लखनऊ में सहायक विधि अधिकारी ग्रेड-2 के रिक्त पद

59—श्री मन्जूर अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद्, लखनऊ में सन् 1980 में सहायक विधि अधिकारी ग्रेड-2 की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार किये गये ? यदि हां, तो अभी तक नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । राज्य विद्युत् परिषद् ने फिलहाल इन पदों को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया है । इन पदों पर भविष्य में आवश्यकतानुसार भर्ती की जायेगी ।

उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या

60—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31-12-83 को माननीय उच्च न्यायालय में कितने वाद विचाराधीन हैं तथा माननीय न्यायाधीशों के कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 31-12-1983 को माननीय उच्च न्यायालय में कुल 1,97,516 वाद विचाराधीन थे, जिनमें से 1,46,128 मूल वाद एवं 51,388 प्रकीर्ण वाद थे । उक्त तिथि को माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के कुल रिक्त पदों की संख्या 20 थी ।

जनपद गोरखपुर के ए0 डी0 एम0 (वित्त) के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

61—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के ए0 डी0 एम0 (वित्त) जो गत वर्ष बाढ़ में राहत कार्य हेतु इंचार्ज थे, के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 15-5-83 शासन को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति श्री बाबू लाल सिंह, संयुक्त सचिव ने अपने पत्रांक क-142 (1)/दो (2)-83 उ0 प्र0 शासन नियुक्ति (2) अनुभाग, दि0 5 मई, 1983 द्वारा किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । दिनांक 15-5-83 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग के पत्र दिनांक 5-5-83 द्वारा माननीय विधायक के जिस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गई थी वह दिनांक 11-3-83 का पत्र था। शिकायती पत्र दिनांक 11-3-83 में लगाये गये आरोपों की जाँच जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा करायी गयी। जांचोपरान्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाये गये।

जनपद गोरखपुर के थाना चौक, बाजार महाराजगंज, पनियरा व अंग्रह में डकैती तथा मृतकों के नाम

62--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना चौक, बाजार महाराजगंज, पनियरा व अंगहा में माह मई व जून 1983, में कितने गांवों में हुई डकैती में लोगों की जाने गयी हैं ? ऐसे गांवों के नाम व मृतकों के नाम क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सत्र न्यायालयों में फौजदारी वादों में पैरवी हेतु विधायकों की संस्तुति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

63--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर से कितने अनुसूचित, पिछड़ी एव सवर्ण जाति से सम्बन्धित अधिवक्ताओं ने शासन को सत्र न्यायालयों में फौजदारी वादों में पैरवी हेतु सरकार के तरफ से पैनल लायर्स को नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र स्वयं या विधायकों के माध्यम से सन् 1981 से जनवरी, 1983 तक (आवेदन-पत्र) भेजे हैं ? इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने लोगों को लिया गया है ? इनके नाम व पते क्या हैं ?

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

नामिका वकील (फौजदारी) के पदों पर सन् 1981, से जनवरी 1983 तक केवल एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र विधायक की संस्तुति शासन को प्राप्त हुआ था। ऐसी संस्तुतियां किस विधायक द्वारा किसके लिये की गई यह बताया जाना जनहित में उचित नहीं है।

नियुक्तियों की संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजी जाती है। इसके लिये शासन को कोई सीधा प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा जाता। विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.05 में किसी प्रकार का कनवैसिंग आदि पर भी रोक लगाई गई है क्योंकि ऐसी संस्तुतियां अभ्यर्थी को अनर्ह कर सकती हैं।

जनपद गोरखपुर में गोर्रा नदी, गौरी घाट पर नावों को जोड़कर यातायात की सुविधा हेतु पीपे का पुल के निर्माण की कार्यवाही

64--श्री फिरंगी प्रसाद, विशारद-

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में गोर्रा नदी के गौरी घाट पर नावों को जोड़कर यातायात की सुविधा प्रदान करने हेतु सन्, 1981 से माह जून, 1983 तक कितनी बार व कितनी नावें भेजकर लगाई गयीं ? नावों को जोड़कर यातायात की सुविधा कितने समय तक प्रदत्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया था। प्राप्त

सूचना के अनुसार यह कार्य घाट के आस पास के ग्रामवासियों द्वारा आपस के सहयोग से किया गया था ।

65—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि में नावें गौरी घाट पर भेजी गयीं, परन्तु काफी दिन वहां अस्त-व्यस्त पड़ी रहीं एवं बाद में वापस गयीं ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि देनी पड़ी तथा इन नावों का प्रयोग एक साथ जोड़ कर यातायात की सुविधा देने हेतु क्यों नहीं किया गया ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्न नहीं उठता है ।

66—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में उक्त घाट पर पीपे के पुल बनवाने हेतु पीपा कहां से मंगाया जा रहा है तथा कहां पर नया पुल बनाने हेतु आदेश दिया गया है ? इस पुल के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत है और यह पुल कब तक बन जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

इस पुल के लिए पीपे विद्युत यांत्रिक खण्ड, इलाहाबाद से मंगाने की व्यवस्था की जा रही है । उक्त पीपे के पुल का निर्माण गौरी घाट के समीप गौरी नाले पर किया जाना है जिसके लिए रु0 18.89 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । पान्टून पुल के निर्माण का कार्य पूरा होना पीपों तथा अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर है ।

सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों एवं सचिवालय सेवा के अधिकारियों के नियमितीकरण की मांग

67—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों एवं सचिवालय सेवा के अधिकारियों का नियमितीकरण 1980 के बाद से अब तक नहीं किया गया है जबकि कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 19/5-81-कार्मिक (1), दिनांक 24-4-1982 के अनुसार एक साल से अधिक के लिए तदर्थ नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और इस बीच नियमित चयन करा लिया जाना चाहिए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, उप सचिव तथा संयुक्त सचिव का नियमितीकरण वर्ष 1980 के पश्चात् भी किया गया है । अनुसचिव के पद पर नियमितीकरण तथा उक्त पद सहित संयुक्त सचिव, उप सचिव के पदों पर नियमित चयन कतिपय विधिक कारणों से अक्तूबर, 1981 के पश्चात् नहीं किया जा सका । चयन वर्ष 1981-82 से 1983-84 की अनुभाग अधिकारियों की रिक्तियों हेतु नियमित चयन के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को भेजा जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर में वन प्रभाग उत्तरी व दक्षिणी में पशुओं के चारण की अनुमति

68—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में वन प्रभाग उत्तरी व दक्षिणी में जहां नर्सरी नहीं होती है, वहां पर आस-पास के गांवों के पशुओं का चारण होता रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री संजय सिंह—

गोरखपुर वन प्रभाग उत्तरी एवं दक्षिणी में जहां नर्सरी या टांगिया क्षेत्र, अन्य वृक्षारोपण वा छोटी पौध वाले क्षेत्र नहीं होते हैं वहां चारण होता

रहत है। इस प्रकार के चारण की अनुमति समीपस्थ गांव वालों के उपयोग के लिये कार्य योजना के प्राविधानों के अनुसार दी जाती है।

69--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम विशुनपुरा व रानापार के टोला कपर फोखा में निजी नलकूपों के दोनों कनेक्शनों में कथित अनियमितता की शिकायत, पावर कनेक्शन की स्वीकृति

70--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर, ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुरा व रानापार के टोला कपरफोखा में निजी नलकूपों का कनेक्शन नं0 ए 7/15/7/49 व ए 7/टी0/4/24 है? यदि हां, तो यह भी सत्य है कि इन दोनों नम्बरों से सम्बन्धित काश्तकार बिना इंडस्ट्रियल पावर स्वीकृत कराए आटा चक्की, तेलघानी व चावल कूटने का धंधा प्रारम्भ से ही चला रहे हैं जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने शासन व जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को माह फरवरी, 1982 से माह दिसम्बर, 1982 तक अनेक बार किया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां।

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर, ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुरा व रानापार के टोला कपरफोखा में निजी नलकूपों के कनेक्शन नं0 ए-7/15/7/49 व ए-7/टी/4/24 चल रहे हैं।

यह सत्य नहीं है कि उक्त दोनों नम्बरों से सम्बन्धित काश्तकार बिना इण्डस्ट्रियल पावर स्वीकृत कराये प्रारम्भ से ही आटा चक्की, तेल-घानी व चावल कूटने का धंधा चला रहे हैं। इन कनेक्शनों पर औद्योगिक विधा चलाने सम्बन्धी कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

71--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों कनेक्शनों से पावर का काम लेने के कारण सम्बन्धित जे0 ई0 व अन्य कर्मचारियों ने माह फरवरी 1982 से माह दिसम्बर, 1982 तक कितने बार कनेक्शन काटा और स्थानीय थाने में रपट किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त--

उक्त दोनों पावर कनेक्शनों पर किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण सम्बन्धित जे0 ई0 व अन्य कर्मचारियों द्वारा माह फरवरी, 1982 से माह दिसम्बर, 1982 के बीच एक भी बार कनेक्शन नहीं काटा गया। अतः स्थानीय थाने में रपट करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

72--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त दोनों कनेक्शनों को इस समय पावर कनेक्शन की भी स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां, तो कब से? क्या देर से पावर कनेक्शन स्वीकार करने में सरकारी राजस्व की हानि हुई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त--

उपर्युक्त पावर कनेक्शन नं0 ए-7/15/7/49 को दिनांक 9-9-1982

से तथा कनेक्शन नं0 ए-7/टी/4/24 को दिनांक 1-10-1982 से औद्योगिक विधा चलाने की स्वीकृति विद्युत् परिषद द्वारा प्रदान की गयी थी। उपभोक्ताओं को देर से औद्योगिक विधा स्वीकृत करने के कारण विभाग को किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं हुई है, क्योंकि स्वीकृति की तिथि से पूर्व इन दोनों कनेक्शनों पर केवल निजी नलकूप का ही उपभोग किया जा रहा था। अतः इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के उप विद्युत् गृह राजधानी की कालोनी में अन्य विभाग के कर्मचारी के रहने की जांच

73--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के उप विद्युत् गृह राजधानी की कालोनी के जे0 ई0 एस0 एस0 ए0 व लाइन मैन आदि से सम्बन्धित कमरों में भारतीय स्टेट बैंक, गोरखपुर शाखा राजधानी के मैनेजर एक उन्टेंट चौकीदार आदि जनवरी, 81 से माह जनवरी 20, 1983 तक लगातार अवैध रूप से रहते आ रहे हैं ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र माह सितम्बर, 1982 से माह 16 जनवरी, 1983 तक जिले के विभागीय अधिकारियों एवं शासन को मिला है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं। प्रश्नकर्त्ता के पत्र प्राप्त हुये जिन पर जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि किसी अन्य विभाग का कोई कर्मचारी गोरखपुर के उप विद्युत् गृह राजधानी की कालोनी के आवासों में नहीं रह रहा है।

जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खंड के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

74--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खन्ड, के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4 मई, 1983 प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मन्त्री ने अपने पत्रांक एम0 4064 सी0 एम0 2/83 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनुभाग--2 अनेक्सी भवन दिनांक 28 मई, 1983 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। इस शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी के माध्यम से करायी गयी। जांच के फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, गोरखपुर के विरुद्ध कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

जनपद गोरखपुर विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं व अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र

75--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, विद्युत् विभाग के कितने अधिशासी अभियन्ताओं व अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता द्वारा माह मार्च, 1983 से माह मई, 1983 तक शिकायत शासन व विभागीय अधिकारियों को भेजी है ? श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मन्त्री के पत्रांक एम0 4077 सी0 एम0-2/83 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनु0-2 अनेक्सी

भवन, लखनऊ दिनांक 15-5-1983 एवं कार्यालय मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, यू0 पी0 एम0 ई0 सी0 या ओ0 डी0 एल0 डब्लू0, वाराणसी के पत्रांक 3077 स0 क्षे0 आ0 बा0 (कार्य)/12-बी-43, दिनांक 21 मई, 1983 द्वारा जिनको प्राप्त की स्वीकृति की गई है, पर अब तक क्या कार्यवाही गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, गोरखपुर के केवल एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध माह मार्च, 1983 से मई, 1983 तक दो शिकायती-पत्र दिनांक 4-5-1983 व 6-5-1983 प्राप्त हुये । उक्त दोनों शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी के माध्यम से करायी गयी । जांच के फलस्वरूप उक्त अधिकारी/कर्मचारी के कार्य में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

जनपद गोरखपुर के जे0 ई0, ई0 ई0 व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

76--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के किन-किन जे0 ई0, ई0 ई0 व सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध जन-प्रतिनिधियों ने माह जनवरी, 1982 से मई, 1983 तक कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार करने, विलम्ब से कनेक्शन स्वीकार करने, बिना कनेक्शन रुपये लेकर फर्जी लाइन चलाने आदि की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? इसमें प्रश्नकर्त्ता की शिकायत जिसको श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी मुख्य मन्त्री के पत्रांक एम0/2785/सी0 एम0-2/83 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनु0-2 सचिवालय अनेक्सी भवन, लखनऊ दिनांक 12-5-1983 के पत्र द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति की गयी है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् वितरण खण्ड, गोरखपुर के कार्यालय में लोड स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम व पते, बिना लोड स्वीकृत हुए, सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच

77--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड के कार्यालय में दिसम्बर, 1982 से माह मार्च, 1983 तक किन लोगों ने लोड स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र जमा करते हुए 25 रु0 अरनेस्ट मनी जमा किया है ? इसमें से कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं, इनके नाम व पते क्या हैं और लोड कब स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद गोरखपुर में तीन विद्युत् वितरण खण्ड कार्यरत हैं । इन तीनों खण्डों में दिसम्बर, 1982 से माह मार्च, 1983 तक कुल 180 लोगों ने लोड स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र जमा करते हुए 25 रु0 अर्नेस्ट मनी जमा किया है, जिनकी सूची माननीय सदस्य ऊर्जा मन्त्री जी के कक्ष में जाकर देख सकते हैं ।

जहां तक अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, का प्रश्न है, विद्युत् कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र में जाति का प्रारूप नहीं होता है, इस कारण यह बता पाना सम्भव नहीं है कि उपरोक्त सूची में से कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं । इस विषय में यथासम्भव प्रयत्न करने पर केवल निम्नलिखित तीन लोगों का पता चल सका है जो कि अनुसूचित जाति के हैं :--

1—श्री गणेश प्रसाद, ग्राम व पोस्ट खीर बार, जिला गोरखपुर ।

2—श्री गोपी, ग्राम व पोस्ट जंगल रसूलपुर, जिला गोरखपुर ।

3—श्री चिखुरी बेलदार, ग्राम गुलहरिया, पोस्ट भोट, ब्लाक उरूवा बाजार, जिला गोरखपुर ।

इन तीनों लोगों का भार क्रमशः दिनांक 27-1-1983 13-5-1983 तथा 29-8-1983 को स्वीकृत किया जा चुका है। शेष 177 आवेदकों में से 175 को लोड स्वीकृत कर दिया गया है तथा दो आवेदक श्री रामनाथ ग्राम व पोस्ट झुगिया बाजार, गोरखपुर एवं श्री मुन्नी लाल शर्मा, ग्राम रघुनाथपुर, पोस्ट बिकशि गोरखपुर को इसलिये स्वीकृति नहीं दी जा सका क्योंकि इन लोगों ने औद्योगिक कनेक्शन हेतु नगर उद्योग केन्द्र का लाइसेन्स प्रस्तुत नहीं किया है।

78—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या यह भी सत्य है कि इस दिशा में बिना लोड स्वीकृत हुए सम्बन्धित जे0 ई0 (श्री मिश्र) पोल, तार लगाकर लाइन चालू कर देते हैं जिसके लिए 1200 रु0 प्रति काश्तकार लेते हैं ? इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र माह अप्रैल, 83 से 6 मई, 83 के बीच शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिना लोड स्वीकृत हुए कथित जूनियर इन्जीनियर पोल व तार लगाकर लाइन चालू कर देते हैं जिसके लिये वे रु0 1200 लेते हैं, इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आ पा रहा है। फिर भी, उक्त जूनियर इन्जीनियर का स्थानान्तरण करके मामले में जांच करायी जा रही है।

लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश

79—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामस्वरूप, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन, स0 नि0 अनु0-3 के पत्र संख्या 3233-ई0 वा0 आर0/23 (3)-11(1)/79, दि0 30 सितम्बर, 1982 के अनुसार लोकसेवा आयोग से 65 अभ्यर्थी के सहायक अभियन्ता सा0 नि0 वि0 द्वारा जिसमें से केवल 40 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गये उनमें से केवल 25 व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण किया है ? क्या मंत्री, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके स्थान पर क्रमांक 40 से आगे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी कराने के आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां। जिन अभ्यर्थियों ने मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया और स्वस्थ पाये गए उनकी तैनाती के आदेश जारी किये गए। तदनुसार प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या 2438-ईएजी-8ईए/82, दिनांक 12-11-82 द्वारा 40 अभ्यर्थियों को, कार्यालय ज्ञाप संख्या 2588/ईएजी, दिनांक 12-12-83 द्वारा 15 अभ्यर्थियों को कार्यालय ज्ञाप संख्या 3276 ईए जी/8ईए-वि0/या/83 दिनांक 1-12-83 द्वारा 8 अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जनपद गोरखपुर के उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रभागों में पशुओं का चराना बन्द न होना

80—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के रेंज पकड़ी चौक (उत्तरी एवं दक्षिणी) फरेंदा एवं

कैम्पियरगंज में वन विभाग के जंगलों में जहां पशु चराए जाते थे, अब वन निगम के गठन हो जाने के बाद पशुओं का चराना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जनपद गोरखपुर के उत्तरी एवं दक्षिणी गोरखपुर वन प्रभागों के रेंज पकड़ी, चौक (उत्तरी एवं दक्षिणी) तथा कैम्पियरगंज के अन्तर्गत पड़ने वाले जंगलों में वन निगम के गठन हो जाने के बाद पशुओं का चराना बन्द नहीं किया गया है ।

जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज, चौकी बरही, थाना झंगहा, चौक बाजार में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

81—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज, चौकी बरही, थाना झंगहा, चौक बाजार के कितने पुलिस कर्मियों के (सिपाही एवं सब इंस्पेक्टर) के विरुद्ध माह मार्च, 1983 से माह 10 अगस्त, 1983 तक प्रश्नकर्ता ने कितनी शिकायतें की हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कांस्टेबिल श्री सुदामा प्रसाद मिश्र की बदमाशों द्वारा मार डालने से मृत्यु तथा उनके पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्र द्वारा नियुक्ति हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

82—श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदामा प्रसाद मिश्र, थाना असन्दरा, जिला बाराबंकी में कांस्टेबिल पद पर कार्य करते हुए 25 जनवरी, 74 को बदमाशों द्वारा मार डाले गए थे ? क्या उनके पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्र ने अपने पिता के स्थान पर सेवारत होने के लिए पिछले दो साल के अन्तराल में माननीय मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, गृह सचिव एवं आई0 जी, पुलिस को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो राजाज्ञा के अनुसार इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । श्री सुदामा प्रसाद मिश्र, थाना असन्दरा, जिला बाराबंकी में कान्स्टेबुल के पद पर कार्य करते हुए 25 जनवरी, 1974 को बदमाशों द्वारा मार डाले गये थे । श्री ओम प्रकाश ने अपने पिता के स्थान पर सेवारत होने के लिये पिछले दो साल के अन्तराल में माननीय मुख्य मन्त्री, गृह मंत्री गृह सचिव एवं आई0 जी0 पुलिस को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे । श्री सुदामा प्रसाद के वरिष्ठ पुत्र श्री राम कमल मिश्र को दिनांक 12-8-74 को कान्स्टेबुल के पद पर उनके पिता की मृत्यु के पश्चात नियुक्त कर लिया गया है । उनके दूसरे पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्र को "उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974" के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुलिस मुख्यालय को निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री उग्रसेन सिंह, लोको वर्कशाप, एन0 ई0 आर0, गोरखपुर के प्रार्थना पत्र पर जांच

83—श्रीमती गौरा देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उग्रसेन सिंह, निरीक्षक, लोको वर्कशाप एन0 ई0 आर0, गोरखपुर का प्रार्थना-

पत्र एक पुलिस सब-इंसपेक्टर के सम्बन्ध में माननीय वन राज्य मन्त्री, श्री संजय सिंह द्वारा अग्रसारित दि0 2-8-83 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। जांच में आरोप सही नहीं पाये गये।

थाना झंगहा, जिला गोरखपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कथित पत्र

84--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना झंगहा, जिला गोरखपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 12-12-83 को संलग्नक सहित पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 12-12-83 पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल जिले के खटीमा विकास खंड में असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कटान की जांच, थाना टनकपुर में पकड़ी गयी खैर की लकड़ी

85--श्री बिहारी लाल--

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल-खटीमा वि0 खंड के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा वन विभाग के वृक्षों की अवैध कटान वर्ष 81-82 में कितनी हुई ? क्या उसमें छपे हुए पेड़ भी थे ? यदि हां, तो छपे हुए पेड़ों की संख्या कितनी थी तथा अवैध कटान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

उत्तर पीलीभीत वन प्रभाग के अन्तर्गत नैनीताल जिले के खटीमा विकास खंड के आरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 81-82 में असामाजिक तत्वों द्वारा 97 अवैध कटान के मामले पकड़े गये। इनमें कोई भी छपे वृक्ष नहीं थे। उक्त 97 अवैध कटान के मामलों में से 88 मामलों का फैसला विभाग द्वारा किया गया तथा अभियुक्तों से 22,698 रुपये वसूल किए गये। 9 मामले न्यायालय में बताये गये जिनमें से 4 मामले विभाग के पक्ष में निर्णीत हुए और अभियुक्तों से 1,250 रुपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल करके उन्हें दण्डित किया गया। इसके अलावा जब्त की गयी लकड़ी की नीलामी की गयी और उससे 13,485 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रश्नगत अवैध कटान से 37,433 रुपये की धनराशि की वसूली की गयी।

86--बिहारी लाल--

क्या वन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल के थाना टनकपुर में जो खैर की लकड़ी वर्ष 81-82 में पकड़ी गयी वह कितनी है ? उसमें किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा गया, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

वर्ष 81-82 में नैनीताल जिले के थाना टनकपुर के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से काट कर ले आते हुए खैर की पकड़ी गयी। लकड़ी के छोटे बड़े गिल्टों की कुल संख्या 29 थी। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा निम्न-लिखित व्यक्तियों को पकड़ा गया था जिनका चालान उ0 प्र0 ग्रामीण एवं

पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत न्यायालय में किया गया --

1--श्री मोहम्मद उमर पुत्र मुहम्मद आशिक, निवासी पीलीभीत ।

2--श्री मोहम्मद वहीद खां पुत्र मोहम्मद हमीद खां, निवासी बरेली ।

3--श्री इकबाल अहमद पुत्र काले नि0 पीलीभीत ।

4--श्री मुश्ताक अहमद पुत्र दौलत खां, निवासी पीलीभीत ।

5--श्री मुहम्मद उमर पुत्र इनायत उल्ला, निवासी पीलीभीत ।

उक्त पांच मामलों में से चार मामलों का निस्तारण करके 3,030 रुपये जुर्माना लगाकर वसूला गया तथा एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

नलकूप खंड, द्वितीय गोंडा के अधिकारियों द्वारा स्टोर से सीमेन्ट बेचने के सम्बन्ध में जांच

87--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 21-1-83 को नलकूप खंड द्वितीय, गोंडा के अधिकारियों द्वारा स्टोर से सीमेन्ट बेचने हेतु ट्रक नं0 यू0 टी0 जेड0 2199 में चौक स्थित राम औतार सिंह के घर जा रही थी, जिसकी सूचना कोतवाली गोंडा को उसी दिन दी गई थी और उक्त ट्रक पकड़ा गया था ? यदि है, तो शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर माल पकड़े जाने के बावजूद अब तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली गोंडा में सूचना प्राप्त होने पर जांच में पाया गया कि ट्रक पर 40 बोरी सीमेन्ट लदी थी जो सरकारी गोदाम की बाउन्ड्री में खड़ी थी । जूनियर इंजीनियर ने पूछने पर बताया कि सरकारी कार्यों के लिये सीमेन्ट जा रही है । बरामद 40 बोरी सीमेन्ट एस0 डी0 ओ0 की सुपुर्दगी में दी गयी । चूंकि सीमेन्ट सरकारी कार्य हेतु जा रहा था अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

श्री प्यारे हरिजन, निवासी ग्राम पाठकपुर, जिला उन्नाव को श्री छत्रपाल द्वारा मारे-पीटे जाने की दर्ज रिपोर्ट

88--श्री मोहन सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना असीवन के अन्तर्गत ग्राम पाठकपुर के निवासी श्री प्यारे पुत्र मंसुख हरिजन को गांव के निवासी जो कि बहुत ही असरदार तथा बदमाश किस्म के हैं, बुरी तरह मारा-पीटा जिसकी रिपोर्ट थाना उक्त में 323/504/506 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 18-10-83 को दर्ज की गयी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18-10-83 को श्री प्यारे हरिजन, निवासी ग्राम पाठकपुर, जिला उन्नाव को उसी ग्राम के निवासी श्री छत्रपाल ने मारा तथा उसी के परिवार के लोगों ने गाली-गलौज एवं जान-माल की धमकी दी । इस सम्बन्ध में दर्ज मु0 अ0 सं0 184 धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 थाना आसीवन में विवेचना के बाद अभियुक्त छत्रपाल, मंडारी, श्रीमती छंगा तथा श्रीमती राम दुलारी के विरुद्ध दिनांक 22-12-83 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है ।

वर्ष 1983 में मथुरा जनपद में हुए कत्ल

89—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983 में मथुरा जनपद में कुल कितने कत्ल हुए ? थानावाइज कत्लों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार मथुरा जनपद में वर्ष 1983 के दौरान 90 कत्ल हुए । थानावाइज कत्लों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 169 पर ।)

होमगार्ड्स विभाग में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

90—श्री अमरनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड्स विभाग में लगातार 15 से 20 वर्ष सेवारत द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्थायी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । स्थायी पद न होने अथवा स्थायीकरण के लिये कर्मचारियों का कार्य एवं आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण कार्यरत सभी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा सका है । सभी पदों के स्थायी हो जाने तथा कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के लिये उपयुक्त पाये जाने पर स्थायी कर दिया जायेगा ।

होमगार्ड्स विभाग में मृत कर्मचारियों के परिवार जनों को पेंशन हेतु कार्यवाही

91—श्री अमर नाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-12-83 को होमगार्ड्स विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी लगातार पांच वर्ष से दस वर्ष तक सरकारी सेवा करने के बाद मृत हो गए हैं जिनके परिवारजनों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो सका ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसे 14 हैं । जिनमें 11 के पेंशन कागजात महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेज दिये गये हैं । शेष 3 के पेंशन पत्र तैयार किये जा रहे हैं ।

फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ले में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही

92—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर के कुछ मोहल्लों को विद्युत् सम्बन्धी कठिनाइयों के विषय में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, फतेहगढ़ को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 308-क/83, दिनांक 29-9-83 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें इंगित कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

माननीय विधायक ने फर्रुखाबाद शहर के पांच मोहल्लों की विद्युत् सम्बन्धी कठिनाइयों के विषय में संस्तुति की थी । इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 170 पर ।)

फर्रुखाबाद शहर के मो0 दरीबा पश्चिम के हरिजन निवासियों का विद्युत् कनेक्शन के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

93—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर के मो0 दरीबा पश्चिम के हरिजन निवासियों के 21 प्रार्थना-पत्र जनता कनेक्शन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र संख्या 92/का/83, दिनांक 16-4-1983 के जरिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खण्ड फतेहगढ़ को भेजे थे ? यदि हां, तो इन हरिजनों को अब तक जनता कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

21 उपभोक्ताओं में से 11 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने हेतु 8-2-1984 को धन जमा किया है। और अनुबन्ध कर दिये हैं। जिससे निर्धारित आवश्यक प्रतिलाभ प्राप्त हो जाता है। अतः इस मोहल्ले के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और उपभोक्ताओं को विद्युत् कनेक्शन जल्दी ही दे दिये जायेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति में योग्यता का प्राविधान

94—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 के बाद सार्व0 नि0 विभाग में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु जो सेवा नियमावली में योग्यता का प्राविधान है उसके अनुरूप कितने अवर अभियन्ता उक्त योग्यता रखते हुए अभी तक प्रोन्नति से वंचित हैं ? ऐसे अवर अभियन्ता की प्रोन्नति में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री विद्या भूषण—

वर्ष 1972 के बाद हुए चयन में नियमावली में योग्यता प्राविधान के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों में असफल तथा वर्तमान में अर्हता ग्रहण कर पात्र होने वाले ऐसे लगभग 69 अवर अभियन्ता (सिविल) तथा 2 अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) एवं 4 अवर अभियन्ता (प्राविधिक) हैं जिनके चयन की कार्यवाही अब पद उपलब्ध होने पर किया जाना प्रस्तावित है।

पुलिस कर्मियों को ट्रेनों में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा

95—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में पुलिस कर्मियों को ट्रेनों में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ण रूपरेखा क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। समस्त पुलिस कर्मियों को ट्रेनों में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा शासन द्वारा नहीं उपलब्ध करायी गयी है, अपितु दिनांक 29-9-1981 के पूर्व 400 रु0 या उससे अधिक वेतन पाने वाले समस्त राज्य कर्मचारी, जिनमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, वित्तीय नियमों के अनुसार प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिये प्राधिकृत थे। तत्पश्चात द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शासन ने उपरोक्त सुविधा केवल उन राजकीय सेवकों को ही अनुमन्य रखी जो अपने पुनरीक्षित वेतनमान में 750 रु0 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हो। तत्पश्चात शासन ने उपरोक्त निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करते

हुए उपरोक्त सुविधा उन शासकीय सेवकों को भी उपलब्ध करायी जो पुराने वेतनमान में अपने वेतन के आधार पर दिनांक 29-9-1981 के पूर्व रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिये प्राधिकृत थे, भले ही उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 29-9-1981 को 750 रु0 से कम निर्धारित हुआ हो।

बिलग्राम, जिला हरदोई में चलचित्र निगम द्वारा बनाए जा रहे सिनेमा गृह का अवरुद्ध निर्माण कार्य

96--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या सूचना मन्त्री को ज्ञात है कि बिलग्राम जिला हरदोई में चलचित्र निगम द्वारा बनाए जा रहे सिनेमा घर का कार्य लगभग 6 माह से रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में रोक पैदा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी हां।

समय से निर्माण-सामग्री उपलब्ध न होने तथा वित्तीय कठिनाई के कारण, बिलग्राम, जिला हरदोई में चलचित्र निगम द्वारा बनाए जा रहे सिनेमाघर का निर्माण-कार्य फिलहाल अवरुद्ध है।

निर्माण कार्य के अवरुद्ध होने का दायित्व किसी अधिकारी का नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

रीजनल पासपोर्ट आफिसर, लखनऊ में किसी व्यक्ति को दफ्तर के कर्मचारियों द्वारा मारने-पीटने की कथित घटना

97--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दि0 1 फरवरी, 1983 को सायं 5 बजे रीजनल पासपोर्ट आफिस, लखनऊ में जनता के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दफ्तर के कर्मचारियों द्वारा बुरी तरह मारा गया और बाद में उसे पुलिस को दे दिया गया ? यदि हां, तो उस व्यक्ति पर किस धारा के तहत मुकदमा चलाया गया तथा उसे मारने-पीटने का क्या कारण था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 फरवरी, 1983 को रीजनल पासपोर्ट आफिस लखनऊ में जनता के किसी व्यक्ति को दफ्तर के कर्मचारियों द्वारा मारने-पीटने तथा बाद में उसे पुलिस में देने की कोई रिपोर्ट अंकित होना नहीं पाई गई। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हाजी अब्दुल हक द्वारा श्री डी0 के0 सिसोदिया, थाना इंचार्ज गंज डुन्डवारा, एटा के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

98--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-2-83 को उन्हें श्री हाजी अब्दुल हक द्वारा श्री डी0 के0 सिसोदिया, थाना इंचार्ज गंज डुन्डवारा, एटा के विरुद्ध उनको जान से मार देने की धमकी के सम्बन्ध में भेजा गया है, जिसकी इत्तिला तार द्वारा 2-2-83 तथा 17-2-83 को शासन को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह सही है कि श्री हाजी अब्दुल हक, निवासी गनेशपुर, थाना गंजय डवारा, जनपद एटा द्वारा उच्चाधिकारियों को सम्बोधित इस आशय का तार दिया गया था कि थाना गंज डुंडवारा की अपराध स्थिति की शिकायत करने पर उप निरीक्षक श्री डी0 के0 सिसोदिया प्रार्थी से नाराज हैं तथा असामाजिक

तत्वों से मिलकर उन्हें जान से मरवाने तथा झूठे मुकदमें में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई। जांच से विदित हुआ कि वादी श्री हाजी अब्दुल हक, दिनांक 30-1-83 को पंजीकृत अभियोग, के अन्तर्गत धारा 137/323 भा0 दं0 वि0 के नामित अभियुक्त हैं जिसमें पुलिस कार्यवाही से बचने हेतु उन्होंने पेशबन्दी में उपरोक्त आरोप लगाये हैं।

39वां वृत्त के खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 खाते में द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जमा की गई धनराशि

99—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 39वां वृत्त के खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 खाते में जो धनराशि द्वितीय वेतन आयोग (1-7-79) की रिपोर्ट के अनुसार जमा होनी थी, वह जमा कर दी गई है? यदि नहीं, तो कर्मचारियों को हो रही ब्याज हानि की जिम्मेदारी किस पर होगी?

श्री विद्या भूषण—

39वां वृत्त के अधीनस्थ खंड (सिविल) नं0 1, 2 तथा विद्युत अनुरक्षण खंड नं0 1, 2 लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 खाते में जो धनराशि द्वितीय वेतन आयोग (1-7-79) की रिपोर्ट के अनुसार जमा होनी थी, वह उनके खाते में जमा कर दी गई है।

अनुरक्षण खंड (सिविल) नं0 3 लखनऊ में जो धनराशि जमा होनी थी उनमें से 25 कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 खाते में जमा होने वाली धनराशि जमा हो चुकी है। शेष 30 कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 में जमा होने वाली धनराशि उनके खाते में मार्च, 1984 वेतन भुगतान के समय जमा करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

जिन कर्मचारियों के स्तर पर इस सम्बन्ध में विलम्ब हुआ उनको चेतावनी दे दी गई है।

वृक्षारोपण के बाद कस्बा सांडी, जिला हरदोई में असामाजिक तत्वों द्वारा पेड़ उखाड़ने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

100—श्री हरीशंकर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए वृक्षारोपण के बाद कस्बा सांडी, जिला हरदोई में असामाजिक तत्वों द्वारा पेड़ उखाड़ने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 7-11-83 के उत्तर में विभाग द्वारा भेजे गए पत्र संख्या 73-एम-अ0ठ-4-874-बी/83 गृह (पुलिस) अनुभाग-4 दिनांक 22-11-83 के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले की जांच जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा परगनाधिकारी बिलग्राम से करवाई गई। जांच से पेड़ों के उखाड़े जाने में किसी अध्यापक का हाथ होना नहीं पाया गया। प्रमुख अध्यापकों के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप कालेज में व्याप्त गुटबन्दी तथा आपसी मनमुटाव के कारण लगाया जाना प्रतीत हुआ है।

श्री विशाल की थाना हरपालपुर, जिला हरदोई में कथित मुठभेड़ में हत्या

101—श्री हरीशंकर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-2-81 को श्री विशाल की थाना हरपालपुर, जिला

हरदोई में कथित मुठभेड़ में हत्या किए जाने की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हुई थी जिसमें मुठभेड़ कृत्रिम और कुछ पुलिस कर्मी दोषी पाये गये ।

कस्बा बिलग्राम, जिला हरदोई में ब्लैक से कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने के सम्बन्ध में पत्र

102—श्री हरीशंकर—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा बिलग्राम, जिला हरदोई में ब्लैक से कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-1-82 तत्कालीन गृह मन्त्री को प्राप्त हुआ जिसका उत्तर दिनांक 20-2-82 को पत्रांक एम 434 द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो जांच के बाद मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420 भा0 दं0 वि0 तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा 120बी भा0 दं0 वि0 के अपराध में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । उनके नाम व पते निम्नलिखित हैं :—

श्री निर्भय कुमार गुप्ता व श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, निवासी मो0 सतराना बिलग्राम, जिला हरदोई ।

103—श्री हरी शंकर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

सांख्यिकी कर्मचारियों की ज्येष्ठता भंग किये जाने के सम्बन्ध में पत्र तथा ज्येष्ठता पुनर्निर्धारण

104—श्री शरीयतुल्ला —

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में सांख्यिकी कर्मचारियों की ज्येष्ठता भंग किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने उनको 20 पत्र लिखे ? यदि हां, तो मेरे पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । नियोजन विभाग की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु प्रश्नकर्ता को भी पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 भेजा जा चुका है ।

105—श्री शरीयतुल्ला—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सांख्यिकी कर्मचारियों की ज्येष्ठता में त्रुटियों के बारे में परीक्षण रिपोर्ट मिलने के पश्चात् शासन ने निदेशक को कोई मार्ग-दर्शन किया ? यदि हां, तो ज्येष्ठता सूची में कोई सुधार क्यों नहीं किया गया ?

श्री संजय सिंह—

नियोजन विभाग की पारस्पारिक ज्येष्ठाता प्रदान किये जाने का निर्णय निदेशक, पशुपालन को संसूचित कर दिया गया था जिसके आधार पर निदेशक ने छटनी शुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित कर भी दी है ।

वाराणसी में भदोही-दुर्गागंज मार्ग को पक्का कराने का कार्य

106—श्री बनवारी राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में भदोही-

दुर्गागंज मार्ग पर मिट्टी की कुटाई हो गयी है ? यदि हां, तो सड़क को पक्की न करने का क्या कारण है ? उक्त सड़क कब तक पक्की हो जायगी ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मार्ग को पक्का कराने का कार्य प्रगति पर है । बीच के कुछ भाग पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही भी चल रही है । अतः सड़क का निर्माण कब तक पूरा होगा, यह भूमि तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

107—श्री बनवारी राम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

108—श्री बनवारी राम—

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मेसर्स एम0 ए0 ट्रेडिंग कम्पनी नूरखापुर भदोही जिला वाराणसी में श्रमिक कानून

109—श्री ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 ए0 ट्रेडिंग कम्पनी, नूरखापुर, भदोही, जिला वाराणसी में श्रमिक कानून जैसे न्यूनतम वेतन, सवेतन अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, वेतन पर्ची, वगैरह लागू है या नहीं ? क्या इस कम्पनी की जांच कभी श्रम विभाग ने किया है ? क्या सरकार इस कम्पनी की जांच कराकर श्रमिक कानून लागू करायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स एम0 ए0 ट्रेडिंग कम्पनी नूरखापुर, भदोही, जिला वाराणसी में न्यूनतम वेतन, सवेतन अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश सम्बन्धी श्रम कानून पूरी तरह लागू हैं । इस कम्पनी का निरीक्षण-पत्र विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1983 तथा 3 मार्च, 1984 को दिया गया है अतः प्रतिष्ठान का जांच करा कर श्रम कानून लागू कराये जाने का प्रश्न नहीं रह जाता ।

श्री टेकबहादुर, चौकीदार, ए0ए0 ट्रेडिंग कम्पनी शाखा जमुनीपुर, वाराणसी की सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में दिया गया पत्र

110—ऊदल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टेकबहादुर चौकीदार ए0 ए0 ट्रेडिंग कम्पनी शाखा जमुनीपुर, वाराणसी ने श्रम निरीक्षक भदोही, वाराणसी श्रम उप आयुक्त, वाराणसी एवं मा0 श्रम मन्त्री को नवम्बर, 1983 में प्रार्थना-पत्र दिया है कि 10 वर्ष की सेवायें होते हुये भी उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आनपरा तापीय परियोजना, मिर्जापुर में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, मस्टर रोल लागू किये जाने तथा समस्त सुविधायें दिये जाने की मांग

111—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव श्री जे0 सी0 गुप्त, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने पत्र संख्या 2124 एल0 ए0 रा0 वि0प0/1 ओ0 स0—181/83, दिनांक 3 नवम्बर, 1983 द्वारा समस्त महाप्रबन्धकों को लिखा है कि नियोजित श्रमिकों का श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन मुख्य नियोजक द्वारा कराया जाय ?

यदि हां तो आनपरा तापीय परियोजना अनपरा मिर्जापुर में नियोजित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

112--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र के अन्तिम पैरा में श्रमिक ठेका प्रणाली समाप्त कर मस्टर रोल लागू किया जाय और समान कार्य के लिये समान वेतन सवेतन छुट्टियां, आकस्मिक, उपार्जित एवं मेडिकल अवकाश, एवं परिषद् के कार्य से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है ? यदि हां, तो आनपरा तापीय परियोजना, अनपरा मिर्जापुर में इसे अब तक लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश भी अभी तक लागू नहीं किये गए हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिवालय परिसर स्थित टेलीप्रिंटर आपरेटरों को सचिवालय प्रशासन के टंककों की वरिष्ठता सूची में स्थान दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

113--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1983 जो उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर स्थित टेलीप्रिंटर सेल के टेलीप्रिंटर आपरेटरों को सचिवालय प्रशासन के टंककों की वरिष्ठता सूची में स्थान दिलाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

मामला विचाराधीन है ।

114--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[दिनांक 28 फरवरी, 1984 को तारांकित प्रश्न संख्या-1 द्वारा उत्तरित ।]

अस्थायी निर्माण खंड, मथुरा के अन्तर्गत ग्राम जारऊ हेतु जुगसना रजबहा पर सड़क निर्माण

115--डाक्टर धर्मपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण खंड, मथुरा के अन्तर्गत ग्राम जारऊ के लिए जुगसना रजबहा पर सड़क निर्माण 2 वर्ष पूर्व शासन से स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक उसका निर्माण प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? उक्त सड़क कब तक पक्की करा दी जावेगी ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परगनाधिकारी काशीपुर, जनपद नैनीताल के जीप ड्राइवर श्री हरीश चन्द्र के विरुद्ध शिकायत-पत्र

116--श्री बलवीर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनको प्रश्नकर्त्ता द्वारा 8 अगस्त, 1983 में कोई पत्र परगनाधिकारी काशीपुर जनपद नैनीताल के जीप ड्राइवर हरीश चन्द्र के विरुद्ध श्रीमती स्वर्ण कौर विधवा स्व0 साधू सिंह जसपुर खुर्द, जिसके पाने की सूचना अ0 शा0 प0 संख्या 299 वी0 वाई0 पी0 आठ-3-6/49 पी 183 गृह(पुलिस)अनुभाग- 3 दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 द्वारा दी गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस बारे में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि श्रीमती कौर तथा परगनाधिकारी, काशीपुर की जीप ड्राइवर के मध्य जमीन सम्बन्धी आपसी विवाद चल रहा था । इस विवाद के कारण दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी तथा दोनों पक्षों की ओर से थाने पर मुकदमें पंजीकृत कराये गये। विवेचना के उपरान्त परगनाधिकारी के जीप ड्राइवर की ओर से पंजीकृत कराये गये अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा प्रार्थिनी के पुत्र की ओर से पंजीकृत अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

जांच से परगनाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

पडरौना से समऊ सड़क के निर्माण की मांग

117—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत पडरौना से समऊ सड़क पर एक-एक फुट गहरे गड्ढे बन गये हैं ? यदि हां, तो उसको बनवाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री विद्या भूषण—

यह मार्ग 35 कि0मी0 लम्बा है जिसमें से केवल 9.50 कि0मी0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है । यह भाग सतह लेपित है और इसकी सामान्य दशा संतोषजनक है ।

देवरिया जिला अन्तर्गत ढ़हेतिमपुर महुआडीह रोड का निर्माण

118—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत ढ़हेतिमपुर महुआडीह रोड कब तक पिच हो जायगी ? क्या सही है कि पिछले तीन वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मार्ग का केवल 5 कि0मी0 पक्का करने के लिए स्वीकृत है। इसमें से 2.500 कि0 मी0 में ऊपरी सतह तक तथा 2.500 कि0मी0 में मध्य सतह तक कुटाई का कार्य हो चुका है । शेष कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

भवानीपुर ग्राम, जिला सीतापुर के निवासी भोला चमार के यहां भीषण डकैती

119—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 11/12 दिसम्बर, 1983 को भवानीपुर ग्राम, थाना रामकोट, जिला सीतापुर के निवासी भोला चमार के यहां भीषण डकैती पड़ी थी जिसमें डकैतों ने काफी लूट-पाट की तथा उसकी नवविवाहिता पतोहू को गांव के बाहर ले जाकर 6 व्यक्तियों ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट थाना रामकोट में उसी दिन नामजद दर्ज कर ई गयी थी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । अतः अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

120-121—श्री सीताराम निषाद—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

थाना चिरैया कोट, जनपद आजमगढ़ में डकैती, हत्या आदि की घटनाएं

122—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-1983 से 11-1-84

तक थाना चिरैया कोट, जनपद आजमगढ़ में कितनी डकैती, हत्या, लूटपाट, राहजनी, बलात्कार तथा बलवा आदि की घटनाएं हुई हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-1982 से 11-1-1983 के मध्य घटी घटनाओं से यह कितनी अधिक हैं ? क्या यह सही है कि जनपद का थाना चिरैयाकोट सबसे अशान्त क्षेत्र चल रहा है ? यदि हां, तो इसके रोकथाम के लिए शासन स्तर से क्या कदम उठाए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना चिरैयाकोट, जनपद आजमगढ़ में दिनांक 1-7-83 से 11-1-84 तथा 1-7-82 से 11-1-83 के मध्य घटी घटनाओं की तुलनात्मक तालिका उसके अन्त के साथ निम्न प्रकार है :—

अवधि

घटना	1-7-83 से 11-1-84	1-7-82 से 11-1-83	अन्तर
डकैती	5	0	+5
हत्या	6	4	+2
लूटपाट	0	0	0
राहजनी	2	2	0
बलात्कार	0	1	-1
बलवा	4	6	-2

यह सही नहीं है कि थाना चिरैयाकोट अशान्त क्षेत्र चल रहा है । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज व सठीयावां में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

123—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ब्लाक जहानागंज, कटोयावां, सुल्तानपुर में दिनांक 11-1-1984 तक कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कराया गया और कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण कराया जाना अवशेष हैं ? क्या प्रश्नकर्ता विधायक का कोई पत्र ग्राम बरसगीक, ब्लाक जहानाबाद की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ को मई/जून, 1983 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद आजमगढ़ में हसानागंज, कटोयावां एवं सुल्तानपुर नाम के कोई विकास खंड नहीं हैं किन्तु क्रमशः जहानागंज व सठीयावां विकास खंड हैं । 11 जनवरी, 1984 तक जहानागंज विकास खंड में 29 हरिजन बस्ती और सठीयावां में 15 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ । अवशेष हरिजन बस्तियों को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि जनगणना पुस्तिका में इन हरिजन बस्तियों की गणना नहीं की गयी है ।

अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी का कोई पत्र ग्राम बरसगीं, ब्लाक जहानागंज की हरिजन बस्ती के सम्बन्ध में मई/जून, 1983 में प्राप्त नहीं हुआ है । एक पत्र अगस्त 1983, में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त हुआ है । उक्त हरिजन बस्ती का प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है और विद्युती-

करण करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के चक्रपानपुर से बड़हलगंज तक स्वीकृत मार्ग का निर्माण

124—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के चक्रपानपुर से बड़हलगंज तक सड़क विभाग द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसको कब तक पूरा कराया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण—

चक्रपानपुर से बड़हलपुर के बीच मार्ग का कुछ भाग विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत है ।

स्वीकृत भागों पर स्वीकृत स्तर तक कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है । उक्त मार्ग का जो भाग स्वीकृत नहीं है, उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही जिला समिति द्वारा की जायेगी ।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु बनायी गयी विभागीय चयन समितियां

125—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु जिला चयन समिति के स्थान पर विभागीय चयन समितियां बनाई गयी है और उनके माध्यम से प्रायः तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इनमें भर्ती के सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

विभागीय चयन समितियों के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियां करने और नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

126—श्री जयदीप सिंह बरार—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

छितवापुर पुलिस चौकी, लखनऊ द्वारा लालकुआं क्षेत्र के चार लड़कों को प्रताड़ित करने का आरोप सम्बन्धी शिकायती-पत्र

127—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1983 का उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें छितवापुर पुलिस चौकी लखनऊ द्वारा लालकुआं क्षेत्र के चार लड़कों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

उपरोक्त पत्र में लगाये गये आरोपों की क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच करायी गयी जांच से लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स रामपुर डिस्टलरी एण्ड केमिकल कं0 लि0, रामपुर में मजदूरों से ठेकेदारी प्रथा द्वारा लिये जाने वाले कार्य के विरुद्ध उठाये गये कदम

128—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि रामपुर डिस्टलरी लि0, रामपुर में मजदूरों से ठेकेदारी प्रथा द्वारा लिए जाने वाले कार्य के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए और इसे समाप्त करने का इरादा कब तक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स रामपुर डिस्टलरी ऐण्ड केमिकल कं0 लि0, रामपुर श्रमिक संविदा विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत एक पंजीकृत प्रतिष्ठान है और अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा लाइसेन्स लेकर ही संविदा श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है जो अधिनियम के विरुद्ध नहीं है ।

किसी प्रतिष्ठान में किसी कार्य हेतु ठेका श्रमिकों के नियोजन को उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित एडवाइजरी बोर्ड की संस्तुतियों पर ही निषिद्ध करने पर शासन विचार कर सकता है ।

129—श्री माधव प्रसाद—

[7वें बुद्धवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चिकित्सा सचिव शाखा के अनुभाग—1 के अनुभाग अधिकारी श्री अवधेश शरण के स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त, भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती—पत्रों की जांच

130—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सचिव शाखा के अनुभाग—1 के अनुभाग अधिकारी श्री अवधेश शरण का स्थानान्तरण माह अगस्त, 1981 में चिकित्सा सचिव शाखा से खाद्य सचिव शाखा में किया गया था ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, चिकित्सा अनुभाग—1 के अनुभाग अधिकारी श्री अवधेश शरण को आदेश दिनांक 14 अक्तूबर, 1981 द्वारा चिकित्सा अनुभाग—1 से खाद्य तथा रसद अनुभाग—8 में स्थानान्तरित किया गया था । श्री अवधेश शरण चिकित्सा विभाग में काफी लम्बे समय से प्रवर वर्ग सहायक/अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तथा उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक शिकायती—पत्र प्राप्त हुआ था, अतः चिकित्सा विभाग से उनके स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे ।

131—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या अब उक्त कथित स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश किस तिथि से पारित किया गया तथा किस तिथि को निरस्त किया गया है ? यदि नहीं, उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश को आज तक कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ? तथा उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, आदेश दिनांक 13—3—1984 द्वारा पूर्व में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14—10—1981 को निरस्त कर दिया गया है ।

132—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने का करेंगे कि उक्त अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध माह अगस्त, 1981 से पूर्व

अब तक कितने भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री श्रीपति मिश्र--

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्री अवधेश शरण, अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध माह अगस्त, 1981 से पूर्व कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई । माह अगस्त, 1981 के पश्चात् अब तक 11 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । उनकी जांच कराई जा रही है ।

133--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अनुभाग अधिकारी (श्री अवधेश शरण) के विरुद्ध माह अक्तूबर, 1982 से आज तक कितने भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्रों में से कितने ऐसे शिकायती-पत्र हैं, जो विधायकों द्वारा दिये गये हैं तथा इनमें क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं तथा उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार माह अक्तूबर, 1982 से आज तक 5 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 4 पत्र विधायकों के हैं । इन शिकायती-पत्रों में श्री अवधेश शरण के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाये गये हैं तथा उनकी जांच कराने एवं उनके स्थानान्तरण की मांग की गई है । श्री अवधेश शरण को आदेश दिनांक 13-3-84 द्वारा चिकित्सा विभाग से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन समन्वित बाल विकास सेवा कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया गया है । शिकायती-पत्रों की जांच कराई जा रही है ।

श्री राधे श्याम दांतरे द्वारा उरई कोतवाली को गोवध निषेध अधिनियम सम्बन्धी आरोपों की दी गयी सूचना पर कार्यवाही

134--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राधे श्याम दांतरे ने दिनांक 19 सितम्बर, 1983 तथा दिनांक 3 अक्तूबर, 1983 को डाक द्वारा (रिकार्डेड डिलेवरी से) उरई कोतवाली को गोवध निषेध अधिनियम सम्बन्धी आरोपों की प्रथम सूचना दी थी ? यदि हां, तो उस पर मुकदमा तत्काल कायम क्यों नहीं किया गया और अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्न में संदर्भित दोनों प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । जांच प्रारम्भ की गई । चूंकि प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-9-1983 की जांच के दौरान ही वर्तमान पशुधन अधिकारी जालौन स्थान उरई ने उपरोक्त के सम्बन्ध में अपराध संख्या 474 धारा 8 (2) गोवध निवारण अधिनियम थाना कोंच में पंजीकृत कराया । इसलिए प्रार्थना-पत्र 19-9-1983 का समायोजन उक्त अभियोग की विवेचना में कर दिया गया है । यह अभियोग विवेचनाधीन है । प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 3-10-1983 की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसी आरोप के संबंध में परगना मजिस्ट्रेट, कोंच द्वारा जांच की जा रही है । अतः परगना मजिस्ट्रेट, कोंच की जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरि शंकर शर्मा, एत्मादपुर, आगरा के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही

135--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रति

पत्र संख्या 10556/83, दिनांक 8-7-1983 जिसके पाने की स्वीकृति उनके पत्र संख्या एम-6014/सी0 एम0-2/83 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनुभाग-2 से दी गयी है तथा जो कि श्री हरीशंकर शर्मा, एत्मादपुर आगरा के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में है, के बारे में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत मामले में भा0 द0 वि0 की धारा 364 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें की अब तक की विवेचना से केवल अभियुक्त राम निवास का हाथ अपहरण में पाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी अथक प्रयासों के बावजूद न हो सकने के कारण उसके विरुद्ध धारा 82-83 ज0 फौ0 की कार्यवाही की गई । अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अपहृत की बरामदगी के संबंध में यथाआवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

झांसी जनपद के खिरिया घाट रपटे के निर्माण में सीमेन्ट मसाले के उपयोग में निर्धारित मापदन्ड

136--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि झांसी जनपद के खिरिया घाट के निर्माण में जो सीमेंट मसाले का उपयोग किया गया है, वह स्वीकृत मानदन्ड में नहीं है ? यदि हां, तो शासन तकनीकी सम्प्रेक्षण द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

रपटे के निर्माण में उपयोग किये गये सीमेंट मसाले की समय-समय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्वेषणालय से जांच करायी गयी तथा उसे स्वीकृत मापदंड के अन्तर्गत पाया गया ।

137--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

जनपद झांसी के खिरियाघाट के रिपटे के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

138--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के खिरियाघाट के रपटे का मूल व्यय आगणन की स्वीकृत कितने रुपये की है ? क्या यह सच है कि उक्त रपटे के निर्माण में स्वीकृत आगणन से कई लाख रुपया अतिरिक्त व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इसके कारणों की शासन ने क्या जांच की है ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी डा0 पी0 सी0 दिवाकर के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

139--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या पशुधन मंत्री जी जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राधे श्याम दांतरे ने 13 जून, 1983 को प्रदेश के तत्कालीन विशेष सचिव, पशुधन विकास श्री के0 आर0 भाटी से भेंट कर के उन्हें जालौन जिले के तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी डा0 पी0 सी0 दिवाकर द्वारा आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत का एक पत्र तथा इन्हीं डाक्टर दिवाकर द्वारा कोंच में अवैध गोवंश वध कराकर निहित स्वार्थों की पूर्ति करने की शिकायत करते हुए, दूसरा शिकायती-पत्र दिया दिया था ? यदि हां, तो इन दोनों पत्रों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब की गयी और क्या निष्कर्ष रहा है ?

क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ता श्री दांतरे को अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

इन दोनों शिकायती-पत्रों की जांच परगना मजिस्ट्रेट, कोंच (जालौन) द्वारा की जा रही है । जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सिद्ध करने हेतु दो तिथियां प्रदान की जा चुकी हैं और अग्रिम तिथि 23-3-1984 निश्चित है ।

140—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[दिनांक 13 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 151 द्वारा उत्तरित ।]

141—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[5वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील लोहाघाट में हरे देवदार के पौधों के अवैध कटान की जांच

142—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार को प्रश्नकर्ता के मुख्य मन्त्री/वन मन्त्री को दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 को लिखे पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील लोहाघाट में हरे देवदार के पौधों का अवैध कटान लगातार चालू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में कुल कितने हरे देवदार के पौधे काटे गये ? इस सम्बन्ध में परगनाधीश व अन्य स्थानीय जिलास्तरीय व प्रादेशिक स्तर के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाहियां की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

प्रश्नकर्ता द्वारा वन मन्त्री को लिखा गया पत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 प्राप्त हुआ था जिस पर जांच हो रही है । जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील लोहाघाट में कौलीटेक वन पंचायत में 47 देवदार के वृक्ष कटे हुये पाये गये जिसके सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत 20 दिसम्बर, 1983 को राजस्व पुलिस के यहां केस दर्ज करा दिया गया जो तहकीकात कर रही है । ढौरिया वन पंचायत में 8 पेड़ कटे हुये पाये गये जिनमें से 5 वृक्ष मान्य हक हकूक के अन्तर्गत स्वीकृत हुये थे तथा शेष 3 अवैध रूप से कटे वृक्षों के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 379/202 के अन्तर्गत 15 फरवरी, 1984 को श्री नारायण दत्त, सरपंच, वन पंचायत तथा अन्य के विरुद्ध राजस्व पुलिस के यहां केस दर्ज करा दिया गया है ।

श्री देवान, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ के पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में पत्र तथा जांच

143—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र, दिनांक 8 नवम्बर, 1983 को श्री देवान, निवासी ग्राम बरकोता, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ के पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में था, शासन को प्राप्त हुआ है, जिसपर उप सचिव गृह पुलिस अनुभाग-4 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 630-खं0 वि0/आठ-4 गृह पुलिस अनुभाग-4 दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 के द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा कराई गई। थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट पर दरियाफ्तहाल पर मुकदमा अंकित है जो विवेचनाधीन है। श्री देवान के पुत्र का पता लगाने हेतु स्थानीय पुलिस ने हर सम्भव जगह तलाश किया किन्तु अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। पुलिस प्रयास कर रही है।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत वनीकरण पर व्यय

144—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 1981 से अब तक हुये वनीकरणों पर कुल कितना व्यय किया गया और कुल कितने पेड़ लगाये गये हैं तथा अब कितने पेड़ जीवित हैं? इन पेड़ों की सुरक्षा के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं तथा प्रति चौकीदार को क्या वेतन दिया जाता है?

श्री संजय सिंह—

पौड़ी-गढ़वाल जनपद के अन्तर्गत वर्ष 1981 से अब तक वनीकरणों पर रु0 1,55,43,043 व्यय किया गया तथा कुल 87,04,038 पेड़ लगाये गये। अब 52,83,281 पेड़ जीवित हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए दीवाल बन्दी व घेरबाड़ की गयी है तथा देखभाल के लिए दैनिक मजदूरी पर चौकीदार रखे गये हैं। प्रत्येक चौकीदार को रु0 208 प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है।

थानाध्यक्ष, चिरैयाकोट, जनपद आजमगढ़ श्री एस0 वी0 सिंह तथा सब-इंसपेक्टर श्री वी0 वी0 सिंह के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

145—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने थानाध्यक्ष, चिरैयाकोट, जनपद आजमगढ़ श्री एस0 वी0 सिंह तथा सब-इंसपेक्टर श्री वी0 वी0 सिंह के सम्बन्ध में दिनांक 9 जनवरी, 1984 को कोई प्रतिवेदन दिया है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विषय में प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को आदेश दे दिये गये हैं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

टांडा तापीय शक्ति परियोजना, मखदूमनगर हेतु कृषकों की ली गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

146—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टांडा तापीय शक्ति परियोजना, मखदूमनगर, फैजाबाद के ग्राम मखदूमनगर के प्रभावित किसानों द्वारा भूमि प्रतिकर सम्बन्धित कोई मुकदमा जिला जज, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन था तथा दिनांक 31-3-82 को जिला जज, फैजाबाद द्वारा मखदूमनगर ग्राम के समस्त किसानों के पक्ष में निर्णय हुआ है? यदि हां, तो उक्त तिथि को न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय क्या है? क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय के मुताबिक जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा सी0 पी0 एम0 परियोजना के आदेश दिनांक 10-4-83 के अनुसार दिनांक 11-4-83 को ग्राम मखदूमनगर के प्रभावित किसानों को भूमि का प्रतिकर भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कुल धनराशि क्या है तथा प्रत्येक किसानों को कितनी धनराशि भुगतान की गयी है?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना कोतवाली, फैजाबाद में नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर, जनपद फैजाबाद के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

147—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 21-10-81 को थाना कोतवाली, फैजाबाद में नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर, जनपद फैजाबाद के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध धारा 408 आई० पी० सी० के अन्तर्गत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और किन-किन अपराधियों को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । पंजीकृत अपराध की जांच विशेष अनुसंधान शाखा को सौंप दी गयी । अब तक की विवेचना के आधार पर प्रश्नगत इंटर कालेज के प्रधानाचार्य श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध 11,222 रु० का गबन सिद्ध हुआ है और आरोप-पत्र दिनांक 7-8-82 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया । छात्रवृत्ति शेषधन एवं भवन निधि की धनराशि के गबन की जांच को शीघ्र पूरी करने हेतु विवेचक को निर्देश दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् प्रेषण खंड, प्रथम, बेतिया-हाता, गोरखपुर को कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

148—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-4-83 का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् प्रेषण खंड, प्रथम, उत्तर प्रदेश रा०वि० प०, बेतियाहाता, गोरखपुर को कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति अपने पत्रांक 1022-वि० प्र० खं० प्र० (गो)-83, दिनांक 25-5-83 द्वारा किया है ? यदि हां, तो क्या इसमें प्रश्नकर्त्ता को जांच के, अवसर पर बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा पूरा विवरण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखीमपुर से प्रकाशित साप्ताहिक 'जयन्ति पुष्प' में प्रकाशित न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ धोखा धड़ी के सम्बन्ध में पत्र

149—श्री बलबीर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विधायक, सीतापुर द्वारा दिनांक 25-11-81 को लखीमपुर खीरी से प्रकाशित साप्ताहिक 'जयंत पुष्प' दिनांक 20-10-81 में प्रकाशित न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ धोखा-धड़ी के सम्बन्ध में पत्र मिला, जिसके पाने की सूचना आपके पत्र सं० एम० 600, दिनांक 9-12-81 द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो उस बारे में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

पत्र शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

थानाध्यक्ष, फतेहाबाद द्वारा युवक रामचन्द्र उर्फ सपेरा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या की जांच

150—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर भैंट्या तथा श्री राम गोविन्द—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के थानाध्यक्ष ने गत वर्ष ग्राम चाचीपुरा के युवक रामचन्द्र उर्फ सपेरा को उसके ग्राम से दिन में 12 बजे उठाकर उसी दिन रात में एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या की थी ? क्या इस संदर्भ में मंत्री जी को मृतक के भाई भगवान सिंह का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-10-83 को थानाध्यक्ष, फतेहाबाद पुलिस दल के साथ अपराधी की तलाश एवं गश्त हेतु नियुक्त थे विनौली की तरफ से कुछ व्यक्ति आते दिखायी दिये । शक होने पर पुलिस दल आड़ में छिप गया । उनके पास आने पर जब पुलिस दल ने पूछा कि वे कौन हैं तो उन्होंने पुलिस दल पर फायर करना शुरू कर दिया । पुलिस दल ने भी आत्म सुरक्षार्थ फायर किया । फलस्वरूप एक अपराधी मारा गया जिसके पास से असलहा आदि भी बरामद हुआ । शेष अपराधी भागने में सफल हो गये । इस घटना के सम्बन्ध में अपराध अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 व 25 आर्म्स ऐक्ट थाना फतेहाबाद पर पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी । घटना के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र में लगाये आरोपों की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा करायी गयी । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

ग्राम कुसुमुहा, विकास खंड बड़रांव, जनपद आजमगढ़ के विद्युत् कनेक्शन

151—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसुमुहा, विकास खंड, बड़रांव, जनपद आजमगढ़ के कुछ नागरिकों ने विद्युत् कनेक्शन हेतु मार्च, 1982 में धनराशि जमा की थी ? यदि हां, तो किन लोगों ने और कितनी धनराशि जमा की थी इनमें से कितने लोगों को कनेक्शन दे दिया गया है और कितनों को नहीं दिया गया ? कनेक्शन न देने के प्रमुख कारण क्या हैं और कनेक्शन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

ग्राम कुसुमुहा, विकास खंड बड़रांव, जनपद आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति ने मार्च, सन् 1982 में कोई धनराशि विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा नहीं की । अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी0 एस0 टी0 एस0, गोरखपुर में प्रवेश हेतु परीक्षा

152—श्रीमती गौरी देवी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 एस0 टी0 एस0, गोरखपुर में प्रवेश हेतु 26 जून, 1983 को परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें से कितने छात्रों का प्रवेश हुआ ? क्या सभी सीटें भर गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

केवल 42 छात्रों का प्रवेश हो सका ।

जी नहीं ।

कुछ सीटें प्रवेश हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश न लेने के कारण तथा अन्य सीटें छात्रों द्वारा न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त न कर सकने के कारण नहीं भरी जा सकीं ।

मेसर्स जौली रेडियो एन्ड साउन्ड सर्विस, रामपुर में नियुक्त कर्मचारी, वेतन, बोनस का भुगतान

153—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौली टी0 वी0 एवं रेडियो जिसके पुर्जों का इम्पोर्ट कोटा प्रदेश भर में सबसे अधिक है तथा उत्पादन भी अधिक है, में कितने श्रमिक अथवा टेक्निशियन काम करते हैं और उनको कितना प्रतिमाह वेतन दिया जाता है तथा उन्हें सन् 1983 में कितना प्रतिशत बोनस दिया गया और किस हिसाब से फन्ड काटा गया ? यदि इसका उल्लंघन हुआ है तो अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है और अब सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स जौली रेडियो एन्ड साउन्ड सर्विस, रामपुर में 98 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिसमें से 4 प्रबन्धक वर्ग की श्रेणी में आते हैं । इन्हें 300 रु0 से लेकर 1,350 रु0 तक प्रति माह वेतन दिया जाता है ।

वर्ष 1983 में कर्मचारियों को अर्जित वेतन के 20 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान किया गया ।

भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 8 प्रतिशत की दर से फन्ड की नियमित कटौती की जाती है । चूंकि कटौती नियमानुसार है, अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा के अनुभाग-4 में कार्यरत अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध विधायकों के पत्र

154—श्री जनार्दन प्रसाद ओझ:—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1981 से सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा के अनुभाग-4 में कार्यरत अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध माननीय विधायकों व अन्य के कितने शिकायती-पत्र जिनमें दिनांक 5-3-1983, 12-9-1983 व 10-10-1983 के पत्र भी शामिल हैं, शासन को प्राप्त हुए तथा उनमें क्या-क्या आरोप हैं और क्या उन आरोपों की नियमानुसार विभागीय जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्न में उल्लिखित अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध माननीय विधायकों के चार शिकायती-पत्र दिनांक 25-1-1983, 4-8-1983, 12-9-1983 एवं 10-10-1983 प्राप्त हुए, जिसमें अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, व्यभिचार तथा एक महिला कर्मचारी को उत्पीड़ित किये जाने के तथाकथित आरोप थे ।

दिनांक 25-1-83 के शिकायती-पत्र पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी से विस्तृत जांच कराई गई । जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये । तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी द्वारा शिकायतकर्त्ता माननीय विधायक को तदनुसार सूचित भी कर दिया गया था । अन्य विधायकगणों से प्राप्त शिकायती-पत्रों में लगभग वे ही आरोप थे जो कि दिनांक 25-1-1983 के शिकायती-पत्र में लगाये गये थे, अतः इन पर पुनः जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

कोतवाली, हरदोई में पंजीकृत अपराध की विवेचना रोकने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश तथा रिपोर्ट, अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराने की मांग

155.--श्री भोला पान्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली, हरदोई में पंजीकृत अपराध सं0 75, दिनांक 19-5-82 के अन्तर्गत धारा 120-बी/420/468/471 की विवेचना रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने पुलिस अधीक्षक, हरदोई को आदेश दिए थे, जिसे बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

प्रशासनिक दृष्टि से तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए तथ्यों का परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता समझी गई, जिस हेतु विवेचना स्थगित रखी गई और बाद को पुनः विवेचना प्रारम्भ की गई, जो प्रचलित है ।

156--श्री भोला पान्डेय--

क्या यह सही है कि जिला मजिस्ट्रेट के प्रभाव के कारण उक्त अपराध की विवेचना अभी तक पूर्ण कर आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया गया, क्योंकि विवेचनाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तगण को निलम्बित नहीं किया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह कहना सही नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट के प्रभाव के कारण उक्त अपराध की विवेचना अभी तक पूर्ण कर आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है । इस अभियोग की विवेचना निष्पक्ष रूप से की जा रही है । विवेचक द्वारा अभी तक इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट को अभियुक्तगण के निलम्बन के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है ।

157--श्री भोला पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई का अन्यत्र स्थानान्तरण कर इसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के विरुद्ध सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग तथा धन के अपवंचन के कथित आरोपों की जांच

158--श्री भोला पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई दिनांक 17-6-82 को राजकीय जीपें अपने निजी कार्य से दिल्ली ले गए थे ? क्या इस यात्रा में गाड़ी 900 कि0 मी0 चली, किन्तु केवल हरदोई से दिल्ली की एक तरफ की यात्रा के लिए 389 कि0 मी0 के लिए 50 पैसे प्रति कि0 मी0 की दर से लगभग 6 माह बाद धन जमा किया गया, जब कि 900 कि0 मी0 के लिए नियमानुसार 850 रु0 जमा करने चाहिए थे । क्या सरकार जिला मजिस्ट्रेट के विरुद्ध सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग तथा देय धन के अपवंचन के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

जिलाधिकारी, हरदोई न हरदोई से दिल्ली तक की प्रश्नगत यात्रा अपरिहार्य परिस्थिति में अपने पिता की गम्भीर बीमारी की सूचना पाकर की थी । वे

हरदोई से दिल्ली तक की एकतरफा यात्रा राजकीय जीप से किये थे और उसके उपरान्त वे बस द्वारा पंजाब के लिये चले गये। अवकाश से वापस लौटने पर जिलाधिकारी ने निजी दिल्ली यात्रा में दोनों तरफ कुल 77 कि0 मी0 चली जीप की यात्रा व्यय की धनराशि शासनादेश के अनुसार 389 रुपया की धनराशि दिनांक 28-6-82 को जमा कर दिया था बाद में उन्होंने अद्यावधिक शासनादेश के अनुसार बकाया धनराशि 389 रु0 का मा भुगतान 7-3-84 को कर दिया है।

उपरोक्तानुसार यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत यात्रा में गाड़ी 900 कि0 मी0 चली थी और उसके लिये उन्हें 850 रु0 जमा करना चाहिये था।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा न तो सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया गया और न ही देय धन का अपवंचन करना ही पाया गया।

थानाध्यक्ष, मेंहावल, जनपद बस्ती के विरुद्ध जनता से नाजायज पैसा वसूलने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा स्थानान्तरण

159--श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

क्या शासन को जानकारी है कि थानाध्यक्ष, मेंहदावल, जनपद बस्ती के विरुद्ध वहां की जनता से नाजायज पैसा वसूलने के सम्बन्ध में कोई पत्र 12-1-84 को गृह सचिव एवं सचिव, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच सौंप दी गयी है तथा प्रश्नगत थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण जनपद से बाहर कर दिया गया है।

160--श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि थानाध्यक्ष, मेंहदावल (बस्ती) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1983 में श्री जय सिंह, अध्यक्ष, युवक कांग्रेस (अ.ई), मेंहदावल, बस्ती का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिसम्बर में तो नहीं अपितु उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 159 में सन्दर्भित पत्र के साथ श्री जय सिंह का प्रश्नगत पत्र संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ है। कृत कार्यवाही का विवरण प्रश्न संख्या 159 के उत्तर में अंकित है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

161--श्री मित्रसेन--

[5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री उदयशंकर चौधरी, थाना पुरानी बस्ती, जिला बस्ती के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

162--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री उदय शंकर चौधरी, थाना पुरानी बस्ती, जिला बस्ती का दिनांक 27-12-83 का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, बस्ती की जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता

परीक्षा तापीय परियोजना, झांसी में परीक्षण के दौरान रोटर में क्षति तथा जांच

163—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30-6-83 को परीक्षा तापीय परियोजना (झांसी) का करीब पांच करोड़ रुपयों की लागत का रोटर परीक्षण के ही दौरान टूट गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसने जांच की और कौन दोषी पाया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

दिनांक 29-6-83 को (2×110 मेगावाट) परीक्षा तापीय परियोजना की प्रथम इकाई ग्रिड से समकालित (सिनक्रोनाइज) करने के परीक्षण के दौरान रोटर में कुछ क्षति हुई जिसकी मरम्मत कर ली गई है । यह सही नहीं है कि कोई रोटर टूटा था ।

इस मरम्मत और स्थापन का अनुमानित व्यय 70 लाख है जो कि बीमा कम्पनी से देय है ।

इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों की समिति का गठन किया गया जिसमें परिषद् के दो एवं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के एक वरिष्ठ अभियन्ता हैं ।

जांच समिति ने अधिकांश जांच कार्य पूरा कर लिया है किन्तु रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई ।

164—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[दिनांक 1-3-84 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त ।]

पुलिस कर्मचारियों की भांति सेवा-निवृत पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक महीने के अतिरिक्त वेतन की मांग

165—श्री मारकण्डेय चन्द—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों सन् 1980 ई० से प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में एक महीने का अतिरिक्त वेतन सरकार द्वारा मिलता है ? यदि हां, तो क्या सेवा-निवृत्त (अवकाश प्राप्त) पुलिस कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस विभाग के कतिपय अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को जिनके कार्यालय माह के द्वितीय शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश में साधारणतया खुले रहते हैं, को उनकी कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिया जाता है ।

जी नहीं ।

सेवा-निवृत्त कर्मचारी इन शर्तों को पूरा नहीं करते अतः प्रश्नगत सुविधा का लाभ उन्हें दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

छोटी गण्डक के ऊपर चनुकी घाट, देवरिया में पैन्टून ब्रिज बनाने हेतु कथित योजना

166—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के जिला योजना से छोटी गण्डक के ऊपर चनुकी घाट विकास क्षेत्र लार, देवरिया में पैन्टून ब्रिज बनाने हेतु कोई योजना बना कर राज्य सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो यह ब्रिज कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

167—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

[दिनांक 15-3-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 160 द्वारा उत्तरित

भाषा निधि की स्थापना तथा ब्याज प्राप्त धन से हिन्दी के उन्नयन हेतु किये गये कार्य

168—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 10 करोड़ रुपये से स्थापित भाषा निधि को उसकी स्थापना से दिसम्बर, 1983 तक कुल कितना ब्याज मिला तथा ब्याज में प्राप्त धन से हिन्दी के उन्नयन हेतु क्या-क्या कार्य किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

10 करोड़ रुपये से स्थापित भाषा निधि को उसकी स्थापना से दिसम्बर, 1983 तक कुल 75 लाख रुपये ब्याज मिला तथा ब्याज से प्राप्त इस धनराशि से हिन्दी के उन्नयन हेतु किये जाने वाले कार्य विचाराधीन हैं ।

जिला मिर्जापुर में मिर्जापुर-रीवां राष्ट्रीय मार्ग पर अवैध निर्माण की जांच

169—श्री परमाई लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदोली पुत्र हनुमान, ग्राम समोगर, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर ने मिर्जापुर-रीवां राष्ट्रीय मार्ग के कि0 मी0 8, हे0 मी0 4 के पास पश्चिम पटरी पर अवैध निर्माण कर मकान बना लिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट उक्त ग्राम के श्री केदार नाथ पुत्र रामपति निवासी ग्राम अहमलपुर, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर द्वारा ता0 30-9-83 तथा 27-9-83 को राज्यपाल महोदय व 30-9-1983 27-9-1988 को मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण विभाग, लखनऊ तथा दिनांक 29-9-1983 तथा 30-9-1983 मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग निर्माण विभाग वरुणा पुल, वाराणसी तथा दिनांक 29-9-1983 व 27-9-1983 को सहायक अभियन्ता, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा चील्ह-गोपीगंज मार्ग के हस्तान्तरण का प्रस्ताव

170—श्री परमाई लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा चील्ह-गोपीगंज मार्ग के हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को मई, 1983 के अन्तिम सप्ताह में पंचायती राज अनुभाग-3 से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है, जबकि उक्त रोड को विभाग द्वारा पक्का करा दिया गया है ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

आजमगढ़ नगर में निर्माणाधीन बाई पास के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग किये जाने की शिकायत

171—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर में निर्माणाधीन बाईपास के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग किए जाने की कोई शिकायत किसी विधायक के द्वारा अक्तूबर, 1983से दिसम्बर, 1983 के मध्य प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और इसकी जांच

किस अधिकारी से कराई गई है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्याभूषण--

प्रश्नगत मामले में आजमगढ़ के निवासियों का दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 का एक शिकायती पत्र श्री दल सिंगार यादव, विधायक के पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1983 (जो जनवरी, 1984 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है) के साथ प्राप्त हुआ है । उसमें लगाए गए आरोपों को जांचोपरान्त प्रमाणित नहीं पाया गया ।

जीयनपुर-बिलरियागंज-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम मालटारी के कृषकों की ली गयी भूमि

172--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम मालटारी के जिन किसानों की भूमि सड़क में ली गई है उनको भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री विद्याभूषण--

जीयनपुर-बिलरियागंज-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम मालटारी के जिन किसानों की भूमि सड़क बनाने में ली गयी है वह चकबन्दी के दौरान सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दी गयी है तथा कृषकों से खारिज करके मार्ग में दर्ज कर दी गयी है । अतः प्रतिकर का भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

जीयनपुर-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम जटांव के कृषकों की ली गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

173--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर-महराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम जटांव के किसानों की सड़क में ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक यह भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री विद्याभूषण--

जीयनपुर-महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम जटांव के किसानों की मार्ग निर्माण में ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान दिनांक 29 मार्च, 1979 को कर दिया गया है ।

जीयनपुर-मुबारकपुर मार्ग पर स्थित ग्राम बेरमा में कृषकों की ली गयी भूमि तथा प्रतिकर के भुगतान की मांग

174--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर-मुबारकपुर मार्ग पर स्थित ग्राम बेरमा के जिन किसानों की भूमि सड़क में ली गयी है उनको भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक वह भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी नहीं ।

जीयनपुर मुबारकपुर मार्ग पर स्थित ग्राम बेरमा की 15.032 एकड़ भूमि सड़क बनाने में ली गयी है । इसमें से 11.495 एकड़ भूमि चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त हुई है जिसके प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाना है । शेष

3,537 एकड़ भूमि अध्याप्ति की विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं और शीघ्र प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायगा ।

आजमगढ़ जिले के चारों खंडों का धन का आवंटन तथा उपयोग

175—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में उनके विभाग के चारों खंडों को अलग-अलग वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में डी0 आर0 डी0 ए0 तथा एन0 आर0 ई0 पी0 में कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? किन-किन खंडों में आवंटित धन का उपयोग नहीं किया गया ? इसके क्या कारण हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्याभूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची के निर्णय किये जाने का आधार

176—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं की जो वरिष्ठता सूची बनी है इसका निर्माण किस आधार पर किया गया है ?

श्री विद्याभूषण—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14-1-82 में दिये गये मार्ग-दर्शक आदेशों के आधार पर तैयार की गयी है । उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर में अपराधों की संख्या तथा रोकथाम हेतु व्यवस्था

177—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर में विगत वर्षों से अपराधों की संख्या बढ़ गयी है ? यदि हां, तो उसके रोकथाम की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में वर्ष 1981, 1982 व 1983 में हस्त-लेपीय अपराधों की संख्या क्रमशः 425, 438 व 447 रही है, जिससे स्पष्ट है कि विगत वर्षों में अपराधों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है । अपराधों की रोकथाम हेतु नगर में सशस्त्र पुलिस पिकेट, विशेष पुलिस दस्ते का गठन व विशेष रात्रि गश्त की व्यवस्था की गयी है ।

'मनुस्मृति' व 'राम चरित मानस' ग्रन्थों की जब्ती के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

178—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 27-7-83 को श्री रघुनाथ सिंह यादव, अध्यक्ष व श्री दयानाथ निगम, महामन्त्री, अर्जक संघ, उत्तर प्रदेश का पत्र रामायण व मनुस्मृति की जब्ती के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्रश्नगत पत्र में मुख्य रूप से "मनुस्मृति" तथा "राम चरित मानस" ग्रन्थों की इस आधार पर जब्त घोषित करने का अनुरोध किया

गया है कि यह ग्रन्थ मानव धर्म पर प्रहार करने वाले एवं संविधान विरोधी है। परीक्षणोपरान्त इन ग्रन्थों को जब्त करने का औचित्य नहीं पाया गया।

नायब दरोगा श्री उमाकान्त पाण्डेय, थाना रामकोला, जिला देवरिया के भ्रष्ट क्रियाकलापों की जांच

179—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री छोटे लाल 'रत्न' डा0 अम्बेडकर सेवा समिति इकाई पपडर, रामकोला, जिला देवरिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-11-83 को नायब दरोगा श्री उमाकान्त पाण्डेय, थाना रामकोला, जिला देवरिया के भ्रष्ट क्रियाकलापों की जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांचोपरान्त लगाये गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विभाग वाराणसी द्वारा विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन, जमानत के रूप में जमा करायी गयी धनराशि

180—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग वाराणसी द्वारा वर्ष 1982-83 व 1983-84 के लिए प्रत्येक ब्लाकों में तेरह-तेरह गांवों का विद्युतीकरण हेतु आदेश दिया था? यदि हां, तो ब्लाक बड़ागांव, पिंडरा व चोलापुर हरहुआ वाराणसी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों से गांवों के नाम मांग लिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं।

वर्ष 1982-83 और 1983-84 में वाराणसी जिले में एल0 टी0 लाइन बिछाकर ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निम्न प्रकार है:

1982-83	5
1983-84	34

ब्लाकवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन जिला नियोजन समिति द्वारा किया जाता है इसलिए सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों से कोई नाम नहीं मांगे जाते हैं।

181—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्युतीकरण के काम से सहायक अभियन्ता विद्युत् एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत्, वाराणसी उपरोक्त ब्लाकों के किन-किन गावों में जाकर वहां की जनता से पचीस-पचीस रुपया जमानत के जमा कराये और कौन-कौन से गांव का सर्वे करके इस्टीमेट वगैरह बनाकर वर्ष 1983 में विद्युतीकरण किए हैं और 1984-85 में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1983-84 में उपरोक्त ब्लाकों के निम्नलिखित ग्रामों में प्रस्तावित उपभोक्ताओं से 25 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करायी और इन ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर

विद्युतीकरण कार्य हाथ में लिया गया है :

ब्लाक	विद्युतीकरण हेतु गांवों का नाम
1	2
चोलापुर	राजबड़ी
चोलापुर	मुनारी
चोलापुर	सिंहपुर
चोलापुर	कटारी
चोलापुर	हाजीपुर
बड़ागांव	कुरू
बड़ागांव	फतेहपुर
पिण्ड्रा	गड़खाडा
पिण्ड्रा	जगदीशपुर
पिण्ड्रा	बढ़ौना
पिण्ड्रा	पंतिराजपुर
हरहुआ	लोहान
हरहुआ	लालपुर
हरहुआ	सरसवां

उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम राजबाड़ी मुनारी, गड़खड़ा, जगदीशपुर, लालपुर व लोहान का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 1984-85 में विद्युतीकरण हेतु अभी नए ग्रामों का चयन नहीं किया गया है।

डी0 एफ0 ओ0, मथुरा द्वारा स्टेट बैंक, मथुरा से निकाली गयी धनराशि

182—श्री सरदार सिंह—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि माह जुलाई, अगस्त, 1983 में डी0 एफ0 ओ0, मथुरा ने स्टेट बैंक मथुरा से दस लाख रुपया यह लिखकर निकाल लिया था कि उसका बजट आने वाला है, लेकिन शासन से मात्र पांच लाख रुपये का बजट बैंक में पहुंचा ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य के लिए डी0 एफ0 ओ0, मथुरा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को इस सम्बन्ध में ट्रेजरी आफिसर, मथुरा का कोई आपत्ति-पत्र भी जुलाई, 1983 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री संजय सिंह—

जी नहीं, डी0 एफ0 ओ0, मथुरा ने, साख सीमा विलम्ब से प्राप्त होने के कारण, यह लिख कर दिया था कि जुलाई, 1983 से सितम्बर, 1983 तक 10 लाख रुपये की साख सीमा आने वाली है। डी0 एफ0 ओ0, मथुरा ने वास्तव में माह जुलाई, 1983 में रु0 3,97,053 तथा अगस्त, 1983 में रु0 3,85,081·00 (अर्थात् कुल रु0 7,82,134·00) की धनराशि स्टेट बैंक, मथुरा से निकाली थी जिसके विरुद्ध उनको प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 से उक्त दोनों महीनों के लिए क्रमशः रु0 6,25,000·00 तथा रु0 6,67,225·00 (अर्थात् कुल रु0 12,92,225·00) की साख सीमा आवंटित की गई। चूंकि डी0एफ0ओ0, मथुरा द्वारा उक्त दोनों महीनों के लिए आवंटित साख सीमा के अन्दर ही धनराशि निकाली गई है और इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। कोषाधिकारी, मथुरा ने जुलाई, 1983 में नहीं, वरन् अगस्त, 1983 में, प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0, लखनऊ को यह सूचित किया था कि डी0 एफ0 ओ0, मथुरा ने आवंटित साख सीमा से अधिक धनराशि आहरित की है। उक्त विवादास्पद

स्थिति उत्पन्न होने का कारण विभाग द्वारा जारी की गई साख सीमा का कोषाधिकारी स्तर पर समायोजित न हो पाना ही था। जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है, डी0 एफ0 ओ0, मथुरा ने आवंटित साख सीमा के अन्दर ही आहरण किया था, अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती जनपद में ग्राम गोलोहरा से बरांवशरीफ तक सड़क निर्माण करने के प्रस्ताव पर मांगी गयी रिपोर्ट

183—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-11 के पत्र संख्या 880/जे0पी0 ई0-23—सा0 नि0 वि0 अनु0 11-34(1) ई/83, 2-11-83 द्वारा बस्ती जनपद में ग्राम गोलोहरा से बरांवशरीफ तक सड़क निर्माण करने के प्रस्ताव पर प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, बस्ती से अधीक्षण अभियन्ता, 15वीं वृत्त आजमगढ़ एवं अधीक्षण अभियन्ता नियोजन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या प्रान्तीय खंड, बस्ती के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्रांक 3255/सी-1/8 सितम्बर, 1983 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन को तथा 4414/सी-1, दिनांक 7-12-83 अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ एवं संयुक्त सचिव, सा0 नि0 वि0, उत्तर प्रदेश को रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क के निर्माण कराने का आदेश पारित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विद्याभूषण—

जी नहीं। सन्दर्भित पत्र में जिला योजना में विचार करने हेतु जिलाधिकारी, बस्ती को निर्देश दिये गये थे।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, बस्ती ने अपने पत्रांक 3255/सी-1, दिनांक 8-9-83 में नहीं बल्कि पत्र संख्या 3140/सी-10 दिनांक 1-9-83 में प्रमुख अभियन्ता एवम् पत्र संख्या 4414/सी-1, दिनांक 7-12-83 में अधीक्षण अभियन्ता, पन्द्रहवां वृत, आजमगढ़ एवम् शासन को आख्या भेजी है। यह मार्ग जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है।

इसके निर्माण की स्वीकृति, जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने तथा आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था कर लिये जाने पर ही दिया जाना सम्भव होगा।

राज्य कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से लखनऊ में सरकारी मकान आवंटित किये जाने के आदेशों को निरस्त

184—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या दिनांक 23-8-82 के द्वारा जिन राज्य कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से लखनऊ में सरकारी मकान आवंटित किये गये थे, वे किन कारणों से निरस्त किये गये ? जिनके नाम निरस्तीकरण आदेश संख्या आर-9821-बत्तीस-83-60 एच - 80, दिनांक 2 अगस्त, 1983 में सम्मिलित थे उनमें से क्रम संख्या 9, 10, 11, 12, और 14 को ही किस मापदण्ड से पुनः मकान आवंटित कर दिये गये और उन्हीं श्रेणी के शेष कर्मचारियों को सरकारी मकान आवंटन से किस आधार पर वंचित किया गया तथा कब तक दिनांक 2-8-83 को निरस्तीकरण

आदेश की सूची अवशेष रह गये कर्मचारियों को भवन आवंटित कर दिए जायेंगे ?

श्री अ.पति मिश्र—

आदेश दिनांक 23-8-82 द्वारा जिन राज्य कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से लखनऊ में सरकारी मकान आवंटित किये गये थे उन आवंटन आदेशों को सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किया गया।

जिनके नाम निरस्तीकरण आदेश सं0 9821-32-83-60 एच/80, दिनांक 2 अगस्त, 1983 में सम्मिलित थे उनमें से क्रम सं0 9, 10, 11, 12 और 14 के सम्बन्ध में सरकारी आवास आवंटन करने हेतु सक्षम स्तर से आदेश तो प्राप्त थे, किन्तु दिनांक 23-8-82 के आवंटन आदेशों पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। अतः इस त्रुटि का निराकरण करते हुये उन्हें सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से पुनः आवास आवंटित कर दिये गये। शेष कर्मचारियों को सरकारी मकान आवंटन से वंचित रखने का कारण उनके द्वारा आवास आवंटन के लिये निर्धारित अर्हता पूर्ण न होना है। अतः अवशेष रह गये कर्मचारियों को आवास आवंटन करना तब तक सम्भव न हो पायेगा जब तक कि वह आवास आवंटन हेतु निर्धारित अर्हतायें एवं मापदंड पूर्ण न कर लें।

नागल मोरपुर रेलवे फाटक से आमको दीपचन्द्रपुर तक सड़क के निर्माण की मांग

185—श्री राम स्वरूप निम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नागल, मोरपुर रेलवे फाटक से आमको दीपचन्द्रपुर तक पांच किलोमीटर सड़क जिला ग्राम विकास समिति द्वारा 1981-82 में बनाए जाने हेतु तथा मरम्मत कराए जाने हेतु पास कर दी थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क को विभाग द्वारा न बनाए जाने का क्या कारण है तथा कब तक सड़क को बनवा दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जुगसना, रजबाहा (कैनाल) की पटरी को तीन किलोमीटर तक सड़क बनाए जाने की स्वीकृति

186—श्री रामस्वरूप निम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शाहाबाद रोड से जाह ग्राम के लिए जुगसना, रजबाहा (कैनाल) की पटरी को तीन किलोमीटर तक सड़क बनाए जाने की स्वीकृति 1980-81 एवं 1981-82 में मिल गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क को अब तक न बनाए जाने का क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती राममूर्ति देवी, ग्राम सुनवर्सा, जिला इटावा के पति की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

187—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित श्रीमती राममूर्ति देवी, ग्राम सुनवर्सा, पो0 बकेवर, जिला इटावा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-11-83 को पति की हत्या के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच सरकार

ने सी0 आई0 डी0 के किस अधिकारी से कराई और जांच में क्या तथ्य पाए ? क्या दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

घटना राजस्व पुलिस क्षेत्र में घटित हुई था । अतः मामले की जांच राजस्व पुलिस द्वारा की जा रही है । मामले में स्पष्ट साक्ष्य व तथ्य प्राप्त न होने के कारण अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ।

तहसील रामसनेही घाट में रारी नदी के पुल के निर्माण की कार्यवाही

188--श्री राम सागर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि तहसील राम सनेहीघाट में रारी नदिया कल्यानी, गोमती नदी के बीच बसे पचासों गांवों के पिछड़ेपन के विकास के लिए देवीगंज घटमापुर सुबेहा मार्ग का निर्माण उनके विभाग से कराया जा रहा है ? यदि हां तो इसी सड़क पर पड़ने वाली रारी नदी के पुल के निर्माण के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री विद्याभूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रारी नदी पर बन रहे लकड़ी के पुल की लकड़ी थाना अध्यक्ष द्वारा चुरा कर ले जाने के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

189--श्री राम सागर--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक ने दिनांक 24 अगस्त, 1982 को जनपद बाराबंकी, थाना असन्दरा की रारी नदी पर बन रहे लकड़ी के पुल की लकड़ी को एक थाना अध्यक्ष द्वारा चुरा कर ले जाने के सम्बन्ध में उन्हें एक पत्र जांच कराने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस घटना में अब तक जांच कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विषय में एक शिकायती-पत्र दिनांक 15 अक्तूबर, 1982 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच जिलाधिकारी के माध्यम से कराने के आदेश दिये गये थे किन्तु अब प्रश्नगत विषय में जांच भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन को सौंप दी गयी है । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

छंटनी शुदा अध्यापकों को पुनर्नियुक्ति के बाद पूर्व वेतन में अर्जित वेतन वृद्धियों का लाभ देने पर विचार

190--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 के बाद राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ, राजकीय पालीटेक्निक, नरेन्द्र नगर, उत्तरकाशी एवं बिजनौर से आर्टिटेक्चर एवं कास्टयूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग पाठ्यक्रम के छटनी शुदा अध्यापकों को विभाग में पुर्नानियुक्ति पर पूर्व वेतन में अर्जित वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों को यह लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

हां, छटनी शुदा एक मात्र अध्यापक को पुर्नानियुक्ति के बाद पूर्व वेतन में अर्जित वेतन वृद्धियों का लाभ देने अर्थात वही वेतन देने जो कि वह छटनी से पूर्व प्राप्त कर रहे थे, का मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है । चार

अन्य अध्यापिकाओं की सेवायें 2 बार समाप्त करनी पड़ी थीं जो छटनी शुदा कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती हैं। इनमें से तीन को प्रथम पुर्नानियुक्ति पर वही वेतन दिया गया है जो कि वे सेवा समाप्ति के पूर्व प्राप्त कर रही थी तथा एक अध्यापिका को जिनकी याचिका उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

191--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन 1972 के बाद अब तक ऐसे छटनी शुदा अध्यापकों के लिए पुर्नानियुक्ति पा जाने पर पूर्वसेवा में अर्जित वेतन वृद्धि सम्बन्धी लाभ दिए जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

हां, शासनादेश दिनांक 10-12-73 तथा दिनांक 30-8-75 में निहित शर्तों की पूर्ति होने पर छटनी शुदा कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति किये जाने के उपरान्त वही वेतन दिये जाने की सुविधा प्रदान की गई है जो वे छटनी होने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

सरदार प्यारा सिंह, जिला बहराइच को थाना खैरीघाट की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

192--श्री भोला लाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार प्यारा सिंह, निवासी ग्राम नैनिहा, थाना मोतीपुर, जिला बहराइच ने पुलिस अधीक्षक, बहराइच को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-11-1982 इस आशय का दिया है कि थाना खैरीघाट की पुलिस ने उनको दिनांक 29-9-1981 को गिरफ्तार कर के दो मुकदमे नं0 163/81 तथा 164/81 कायम किए और उनका वेडले-स्काट रिवाल्वर नं0 101974 जमा करा लिया, जो अब पुलिस के मालखाने से गायब होना बताया जाता है ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी और रिवाल्वर सरदार प्यारा सिंह को वापस किया गया अथवा नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रार्थनापत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किन्तु सरदार प्यारा सिंह को दिनांक 27-9-1981 को मु0 अ0 सं0 163/81 धारा 147/148/149/307/323/332/452/336 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उसकी तलाशी लेने पर एक वेडलेस्काट रिवाल्वर संख्या 101974 मय सात जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था। रिवाल्वर का लाइसेन्स श्री सिंह द्वारा न प्रस्तुत करने के कारण उनके विरुद्ध मु0 अ0 सं0 164/81 धारा 25 आर्म्स एक्ट भी पंजीकृत किया गया। उक्त रिवाल्वर थाने से गायब होने पर उक्त थाने के एक उपनिरीक्षक के विरुद्ध धारा 409/379 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत वाद पंजीकृत हुआ। अभियुक्त का चालान न्यायालय को किया जा चुका है। चूंकि उक्त रिवाल्वर अभी तक बरामद नहीं हुआ है अतः उसे सरदार प्यारा सिंह को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी जिले के विभिन्न थानों में पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं

193--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 1981 से 30 नवम्बर, 1983 तक मैनपुरी जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में कितने

व्यक्तियों को मार गिराया ? उनमें कितना और किन-किन पर पारितोषिक घोषित था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1981 से 30 नवम्बर, 1983 तक कुल 135 डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गये ।

ख-उक्त मारे गये डकैतों में से 18 पर पारितोषिक घोषित था जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ" आगे पृष्ठ 172 पर)

ग्राम रसधान से ग्राम डेरापुर को जाने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

194--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित ग्राम अमौली ग्राम जरौली आदि गांवों के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-11-1983 ग्राम रसधान से ग्राम डेरापुर को जाने वाली सड़क बनवाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

जी हां, किन्तु पत्र दिनांक 26-10-1983 का है जो माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 2-11-1983 के साथ प्राप्त हुआ है । पत्र में उल्लिखित मार्ग जिला सेक्टर में आता है । अतः उक्त प्रस्ताव जिला अधिकारी, कानपुर देहात को उक्त योजना में विचारार्थ भेज दिया गया है ।

तहसील कासगंज की काली नदी पर ओन घाट पर पुल बनाने का निर्णय

195--श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का माह सितम्बर, 1983 में जनपद एटा की तहसील कासगंज की काली नदी पर ओन घाट पर पुल बनाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विद्याभूषण--

माननीय सदस्य के सितम्बर 1983 के किसी पत्र का पता नहीं चल सका । तथापि ओनघाट में सबमर्सिबिल पुल बनाने का निर्णय दिसम्बर, 1983 में लिया जा चुका है ।

196--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

197--श्रीमती गौरी देवी--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

गांव मूसाखाड़, जिला वाराणसी के निवासी श्री भोला के छप्पर एवं घरेलू सामान को वन विभाग के कर्मचारी द्वारा उजाड़े जाने की शिकायत तथा श्री शंकर प्रसाद, ब्रांच कमेटी द्वारा दिया गया कथित प्रार्थना-पत्र

198--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भोला पुत्र मुन्नी लाल, हरिजन चमार गांव मूसा खाड़, थाना चकिया, जिला वाराणसी के छप्पर एवं घरेलू सामान को वन विभाग के कर्मचारी 8-4-1983 को उजाड़ ले गये ? क्या यह सही है कि उसकी शिकायत परगनाधिकारी चकिया, वाराणसी से की गयी थी ? यदि हां, तो परगनाधिकारी चकिया ने क्या कार्यवाही की ?

श्री संजय सिंह—

यह सही नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारी श्री भोला पुत्र मुन्नी लाल हरिजन के छप्पर व घरेलू सामान को दिनांक 8-4-1983 को उजाड़ कर ले गये थे। वास्तव में श्री भोला वन भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते थे, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने रोका था। यह भी सही है कि श्री भोला ने एक शिकायती पत्र परगनाधिकारी, चकिया, वाराणसी को दिया था जिसे उन्होंने जांच हेतु रेंज आफिसर चकिया के पास भेजा। परन्तु बार-बार बुलाने पर भी भोला जांच के लिये उपस्थित नहीं हुए।

199—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उसकी शिकायत 15-7-1983 को शंकर प्रसाद मन्त्री जांच कमेटी मूसा खाड़, चकिया वाराणसी ने भी एक प्रार्थना-पत्र देकर जिलाधीश वाराणसी से किया था? यदि हां, तो जिलाधीश वाराणसी ने क्या कार्यवाही की?

श्री संजय सिंह—

श्री शंकर प्रसाद, मन्त्री जांच कमेटी, मूसाखाड़ चकिया, वाराणसी का तथा-कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-7-1983 जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में बात की थी प्रश्न संख्या 14 के बारे में जो श्रीमती गौरी देवी का प्रश्न है जो मुरादाबाद में पी० टी० सी० है जिसके बारे में जिलाधिकारी को अपने विज्ञापन में कहा है कि वहां का वातावरण बड़ा दोषपूर्ण है क्योंकि वहां पर रहकर कोई समाज-सेवी बन ही नहीं सकता है, इस प्रश्न पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दे दी थी।

क्या इस तरह का कोई ज्ञापन मिला? जो ज्ञापन मन्त्री जी ने यहां पढ़ कर सुनाया, इसलिये वह सदन की सम्पत्ति बन गयी। वहां के रंगरूट स्वयं ही वहां की व्यवस्था को दोषपूर्ण कहते हैं और कहते हैं कि उस वातावरण में, उस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समाज-सेवी नहीं बन सकता है। तो डर यह है कि जो शान्ति व्यवस्था के रक्षक हम बनाना चाहते हैं वह भक्षक न बन जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है? इस बिन्दु पर क्या सरकार ने अध्ययन किया, इस बात का उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप और वो मेरे कक्ष में आ जायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप नियम 38 देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि जो सवाल हम करेंगे उन सवालों का उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। सरकार इस पर उत्तर देती है कि इस पर हम विचार करेंगे और जो उचित समझेंगे, करेंगे। इसका उत्तर तो उनको देना ही चाहिये था। चाहे यही कहते कि इस समय हम इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। पर कुछ न कुछ तो उत्तर आना ही चाहिये था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

शासन को बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका वह सही उत्तर दें ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, प्रश्न संख्या 20 के सम्बन्ध में मैं व्यवस्था चाहूंगा कि मन्त्री जी ने कहा कि जनहित में नाम बतलाना उचित नहीं होगा । सदन को अभी तक की यह परम्परा रही है कि जब ऐसे प्रश्न होते थे तो उनकी सूची साथ में संलग्न कर दी जाती थी और उत्तर में कह दिया जाता था कि सूची संलग्न है । अब यह कुछ भले, शरीफ लोगों के नाम प्रश्न में पूछे गये जिनको लाइसेन्स मिला वे शरीफ लोग ही होंगे या शरीफ से कुछ ऊंचे स्टेटस के होंगे या होने चाहिये तो उनके लिये यह कह कर कि उनके नाम बतलाना जनहित में उचित नहीं है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियमों को देख कर विचार करूंगा, उसके बाद सरकार को आज्ञा दूंगा कि उसके अनुसार कार्यवाही की जाय ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस सदन में आपने तथा आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इस बात के बराबर निर्देश दिये हैं कि अगर कोई माननीय सदस्य शिकायत करता है और उस पर जांच की मांग करता है तो उससे सम्बन्धित विषय की जो जांच करायी जायेगी तो जांचकर्त्ता सम्बन्धित विधायक से सम्पर्क स्थापित करेगा । मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और विशेष करके 127 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय वित्त मन्त्री जी, आप लोग सुनें कि वे क्या कह रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह क्यों सुनने लगे हमारी बातों को । तो मैं यह कह रहा था कि या तो आप अपने निर्देश वापस ले लीजिये कि माननीय सदस्य से सम्पर्क स्थापित करना वांछित नहीं है या फिर अपने निर्देशों का कड़ाई से पालन कराइये । यह जो अतारांकित प्रश्न संख्या 127 है इसमें एक शिकायत-पत्र था जिसमें लखनऊ के चार लड़कों को मारा गया और फर्जी आरोप लगा कर मुकदमा बनाया गया । प्रश्न का जवाब आ गया कि "उपरोक्त पत्र में लगाये गये आरोपों की क्षेत्राधिकारी के द्वारा जांच करायी गयी और जांच से लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।" क्षेत्राधिकारी बैठ कर रिपोर्ट बना देते हैं और वह यहां आ जाती है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मैं आज भी अपनी बात पर आरूढ़ हूं कि मेरे आरोप सत्य हैं । क्षेत्राधिकारी ने जब जांच की तो प्रश्नकर्त्ता सदस्य से क्यों नहीं सम्पर्क स्थापित किया ?

श्री अध्यक्ष--

फिर बतायेंगे आपको ।

श्री ऊदल--

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि जो माननीय सदस्यों की शिकायतों की जांच की जाती

है, तो उनकी जांच करते समय उनसे भी पूछा जाया करे। आपको इसके बारे में क्या कहना है ?

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, अगर कोई ऐसी जांच है, जिसमें विधायक से पूछना आवश्यक होता है तो उसमें माननीय सदस्य से पूछा जाता है। क्या आपने ऐसे आदेश दिए हैं कि हर शिकायत में पूछा जाय ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर कल निर्णय दूंगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आप अतारांकित प्रश्न संख्या 33 को देखें। इस में मैंने पूछा था कि 1 जनवरी, 1983 से अक्तूबर, 1983 तक नागरिकों ने कितने प्रार्थना, पत्र बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेंस हेतु दिए थे, तो उत्तर में कहा गया है कि जनहित में लाइसेंस दिए जाने वाले व्यक्तियों के नाम बताना ठीक न होगा तो मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी बता दिया है कि नियमों को देख लूंगा और तब इस पर अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इसको भी भेज दें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जिस शिकायती पत्र में माननीय सदस्य से जानकारी की आवश्यकता होती है, उसमें उससे पूछ लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न सं0 70 से 78 तक जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित हैं, उनमें नवों में किसी भी प्रश्न के बारे में विधायक से पूछने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको भी उसी में सम्मिलित कर दूंगा।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, यहां पर सरकार द्वारा यह कह दिया जाता है कि जनहित में बताना ठीक नहीं है, आपने कह दिया है कि जनहित में सरकार कहती है तो वह उत्तर देने में मजबूर नहीं है। हाउस आफ कामन्स में ऐसी प्रथा है कि ऐसे प्रश्नों के लिए एक दिन सारे विधायकों की बैठक होती है और जनहित के मामले जिनका उत्तर देना उचित नहीं होता है, उनका उत्तर दिया जाता है, तो वही प्रथा क्या यहां पर भी लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियमों को देखकर निर्णय दूंगा।

महारानी लाल कुंवरि डिग्री कालेज बलरामपुर (गोंडा) के प्रधानाचार्य पद पर श्री ए0 के0 चतुर्वेदी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चार्ज न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-2-1984 के अनुसार महारानी लालकुंवरि डिग्री कालेज, बलरामपुर (गोंडा) के प्रधानाचार्य श्री ए0 के0 चतुर्वेदी को प्रधानाचार्य पद पर बहाल कर दिया। 16-7-1979 की स्थिति पर वापस कर दिया जबकि वह प्रधानाचार्य थे। निर्णय की फोटो स्टेट कापी संलग्न है। फैजाबाद मंडल के उप शिक्षा निदेशक ने भी अपने पत्र दिनांक 1-3-1984 को कालेज के प्रबन्धाधिकरण को निर्देशित किया कि वह उन्हें काम पर वापस ले लें। परन्तु मान्यवर, कालेज श्री चतुर्वेदी को चार्ज नहीं दे रहा है। शासकीय आदेश की खुली अवहेलना कर रहा है। वहां की जनता तथा छात्रों की मांग है कि श्री चतुर्वेदी को योगदान दिलाया जाये। ऐसा न करने से छात्रों ने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है। परीक्षायें सर पर हैं। शासन द्वारा सहयोग न दिये जाने से बलरामपुर में उत्तेजना तथा तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली लोग श्री चतुर्वेदी को काम पर न लेने का दबाव सरकार पर डाल रहे हैं। मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन प्रबन्धाधिकरण से तुरन्त कराया जाये जिससे वहां का वातावरण सामान्य बन सके। मान्यवर, मैं इस हेतु शासन से प्रभावी हस्तक्षेप की अपेक्षा करता हूं।

रुनकता ग्राम समूह पेयजल योजना (आगरा) के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जनपद आगरा के अछनेरा ब्लाक के ग्राम रुनकता में ग्राम समूह पेय जल योजना का जल निकट स्थित पार्क लेदर फैक्ट्री के कच्चे चमड़े की धुलाई में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक तत्व मिश्रित चारों ओर भरे हुये वेस्ट वाटर के रिसने से दूषित व खारा हो गया है, इसके प्रयोग से बीसों हजार की जन आबादी वाले रुनकता क्षेत्र में अनेक चर्म रोग व पेट रोगों से नागरिक दो माह से ग्रसित हो गये हैं। उन्होंने उक्त पेयजल योजना का जल पीना बन्द कर दिया है, जिससे वे भारी पेयजल संकट में फंस गये हैं। उधर पार्क लेदर फैक्ट्री के मालिकों ने जल निगम के उच्चाधिकारियों को प्रश्नगत जल योजना को समाप्त करने के लिये गांठ लिया है जिससे क्षेत्र में पेय जलाभाव से भारी जन आक्रोश व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि पार्क लेदर फैक्ट्री तुरन्त उखड़वा दी जाय ताकि रुनकता ग्राम समूह पेय जल योजना पूर्ववत् चालू होकर क्षेत्र में जल सम्पूर्ति कर सकें।

ऐतिहासिक कौशाम्बी, इलाहाबाद की प्रस्तावित खुदाई न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में एक ऐतिहासिक एवं अति महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। जनपद इलाहाबाद, मंझनपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त ऐतिहासिक कौशाम्बी स्थल है। शासन की ओर से उक्त स्थल के खुदाई के लिये इतिहास विभाग को काफी धनराशि दी गई है परन्तु खेद है कि खुदाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है।

यहां पर देश और विदेश से दर्शकों का आवागमन बराबर बना रहता है परन्तु आवागमन का कोई भी सुलभ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साधन नहीं हैं। एक ओर सरकार छोटे-छोटे स्थलों को विकसित कर पर्यटन स्थल बना रही है वहां पर कौशाम्बी की उपेक्षा की जा रही है।

अतएव मैं मांग करता हूं कि ऐतिहासिक कौशाम्बी स्थल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गौरव के स्तर पर विकसित कर सौन्दर्यीकरण किया जाय तथा खुदाई में व्यय की धनराशि की जांच कराई जाय।

हल्द्वानी के पास नन्दौर नदी के किनारे कच्ची सड़क पर हुई ट्रक दुर्घटनाओं की जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, दिनांक 14-3-1984 को ट्रक यू0 पी0 आई0 नं0 6691 हल्द्वानी से 45 किलोमीटर दूर नन्दौर नदी के पास वन विभाग की कच्ची सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 10 व्यक्तियों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई तथा 9 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये जिनका उपचार हल्द्वानी अस्पताल में हो रहा है जिसमें अधिकांश की हालत चिन्ताजनक है। दिनांक 17-3-1984 को ट्रक यू0 एस0 आर0 3105 लगभग 4 बजे सायं इसी रोड पर पूर्व घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस ट्रक में बैठे लोग पहली दुर्घटना से मरे व्यक्तियों को देखने आये थे। इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गये तथा 19 व्यक्ति घायल हैं। ये दोनों ट्रक नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वहां गये। लोगों में घोर असंतोष एवं निराशा व्याप्त है।

अतएव मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय परिवहन मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन दोनों दुर्घटनाओं की मैजिस्टीरियल जांच करायी जाय। मृतकों के आश्रितों को समुचित मुआवजा दिलाया जाय तथा घायल व्यक्तियों को समुचित उपचार व्यवस्था कर उन्हें भी मुआवजा दिया जाय।

अनुसूचित जाति के युवकों की समिति, मोटर सर्विसिंग सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, चरगावां, गोरखपुर को अभी तक प्रस्तावित ऋण न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, वर्ष 1975-76 में जिले के अधिकारियों द्वारा 25 आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के युवकों की एक समिति मोटर सर्विसिंग सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, चरगावां, गोरखपुर के नाम से पंजीकृत करायी गयी और यह आश्वासन दिया गया कि समिति को एक लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराकर इन 25 युवकों की रोजगार की समस्या हल की जायेगी। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने वर्षों पूर्व दस हजार रुपये की मार्जिन मनी की गारन्टी भी दे दी परन्तु अभी तक उक्त समिति को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। दूसरी तरफ युवकों ने इस रोजगार के प्रलोभन में अन्य रोजगार प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। युवकों द्वारा 63 डिसमिल भूमि भी प्राप्त कर लिया गया है परन्तु अधिकारियों की लापरवाही से लगभग आठ वर्षों तक प्रयास करने के पश्चात् भी उन्हें ऋण उपलब्ध नहीं हो सका जिससे उनका जीवन अन्धकारमय हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर तत्काल ऋण उपलब्ध कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय ।

देवरिया जनपद की तहसील हाटा-पडरौना में सीलिंग की भूमि को फर्जी तरीके से हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, देवरिया जनपद के तहसील हाटा-पडरौना में लगभग दस हजार एकड़ सीलिंग वन विभाग, ग्राम समाज तथा कोर्ट आफ वार्ड की जमीन पर जिले के अधिकारियों एवं असरदार लोगों ने सन् 1956 व 59 फसली में जालसाजी करके नाम दर्ज करा लिया है । रिकार्ड आफिस से खतौनी प्राप्त कर उसके पन्ने फाड़ कर जालबट्टा किया गया है । चकबन्दी में फर्जी मुकदमा दर्ज कर घूस लेकर हजारों एकड़ जमीन हड़पी जा चुकी है। एस0 ओ0 सी0 हाटा श्री एस0 पी0 अजोर ने अपने परिवार के नाम 50 एकड़ जमीन लिखा लिया है । बाल्टी बाबा ने अपने पिता नवशेष पुत्र चिरकुट के नाम ग्राम बुढ़वा जंगल में 80 एकड़ पर नाम चढ़वा लिया है । ग्राम रामपुर गोनहा के प्रधान ने 100 एकड़ ले लिया है । बाल विकास परियोजना अधिकारी खड्डा ने 60 एकड़ लिखा लिया है । दो सब-इंसपेक्टरों ने 70-70 एकड़ पर अपने परिवार का नाम चढ़वा लिया है । कुछ जनप्रतिनिधियों तथा परगनाधिकारियों ने भी अपने परिवार के नाम सैकड़ों एकड़ जमीन लिखा कर किसी से पीछे नहीं है। जमीन की चोरी की लूट मची है । रिकार्ड आफिस जालसाजों का अड्डा बना हुआ है । वहां मेला सा लगा रहता है कोई देखने तथा सुनने वाला नहीं है ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय राजस्व मंत्री से मांग करता हूं कि तत्काल कार्यवाही उक्त जालसाजों पर की जाय ।

उत्तर प्रदेश उत्तर रक्षा एवं पुनर्वास केन्द्र बेनाझावर, कानपुर की संस्था द्वारा तैयार माल को रेट कन्ट्रैक्ट से मुक्त किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोलालाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश उत्तर रक्षा एवं पुनर्वास केन्द्र बेनाझावर, कानपुर नामक संस्था हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 2612/सा-सु0/एस-टी/प्रो/हसक/81-82, दिनांक 15 मार्च, 1983 द्वारा पुरोनिधानित (स्पान्सर्ड) है जो कारागार से मुक्त बेरोजगार बंदियों/प्रोबेशन पर छूटे व्यक्तियों तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं से मुक्त संवासियों तथा बाल अपराधियों को प्रशिक्षण के उपरान्त पुनर्वासन में सहायता देती है । यह संस्था टेन्ट व छोलदारिया बनवाने का प्रशिक्षण देती है । इस संस्था द्वारा निर्मित माल को पंचायत राज उद्योगों तथा सेंट्रल जेल, फतेहगढ़ द्वारा निर्मित माल की तरह उद्योग विभाग ने रेट कन्ट्रेक्ट से मुक्त कराकर बिक्री की सुविधा प्रदान नहीं की है जिससे संस्था संकट में है और परीक्षार्थियों को भी पारिश्रमिक के रूप में उचित लाभ नहीं हो पाता ।

अतएव इस महत्वपूर्ण विषय को शासन के संज्ञान में लाकर अनुरोध है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि संस्था द्वारा तैयार माल को उद्योग विभाग द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट से मुक्त करके विक्रय की सुविधा प्रदान की जाय ।

विक्रीकर आयुक्त द्वारा बिक्रीकर के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास औचित्य के दो प्रश्न आये हैं एक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त का और एक माननीय किरनपाल सिंह जी का ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी जब इस बजट पर सामान्य चर्चा चल रही थी उसका उत्तर देते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने अतिरिक्त मंडी शुल्क और बिक्री कर पर जो अधिभार लगाया गया है या जो जमानत का पैसा लिया जाता है उसके बारे में कुछ रियायतों की घोषणा की थी, जिससे पूरी रियायत की घोषणा किया है उससे सहमत हों या न हों लेकिन छोटे व्यापारियों को राहत की जरूर थी । किन्तु उसके बाद कई दिन व्यतीत हो गये लेकिन उन घोषणाओं का विधिक स्वरूप क्या होगा उसके बारे में सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया । उसका परिणाम है और मैंने आपके पास घोषणा प्रस्तुत किया है कि समाचार पत्रों में घोषणा कर दिया कि व्यापारी अगर जमानत राशि या रिटर्न 20 तारीख जो आज का दिन अंतिम दिन है, को दाखिल नहीं करेंगे तो कल से उन पर प्रताड़ना होगी और प्रताड़ना में 24 प्रतिशत का ब्याज लगेगा तथा नियमों में और जो प्रताड़ना होगी वह जारी होगी, इसलिए औचित्य का प्रश्न बनता है चूंकि सदन के सामने यह बात उठी है ।

जहां तक नियमों का ताल्लुक है घोषणा कर देंगे कि नियमों की प्रक्रिया अलग होगी । लेकिन प्रदेश के अन्दर चूंकि आंदोलन हुआ, आमरण अनशन पर लोग गये, सरकार ने आश्वासन दिया और तब आन्दोलन हटा लेकिन उसके बाद सरकार का फिर अपनी नियत का परिवर्तन कर लेना, कोई घोषणा न करना, कोई विधिक स्वरूप न बनाने से व्यापारियों में और किसानों में फिर उत्तेजना का वातावरण पैदा हो रहा है । इसलिए जो चीज सदन में घटी और आपके संज्ञान में आयी चूंकि इस समय कोई विधेयक लाया जा सकता है जिससे व्यापारियों और किसानों को लाभ होता किन्तु इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि सदन के अन्दर घटना घटी, मंत्री जी ने आश्वासन और वायदा किया था कि जब हम निर्णय करेंगे तो उसके पहले माननीय सदस्यों को बुलाकर, व्यापारियों के नेताओं को बुलाकर वार्ता करेंगे, जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया, मेरी सही जानकारी है कि मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई और उसमें कुछ लोगों से कहा गया कि बिना बुलाये लोग घुस आये लेकिन जिनको उचित समझते उनको वह बुलाकर कोई फैसला करते तो वह ठीक था किन्तु सरकार ने इन दोनों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जिससे उत्तेजना का वातावरण पैदा हो रहा है, इसलिए यह मेरा औचित्य का प्रश्न है जिस पर आप निर्णय दें ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, जहां तक इस औचित्य का प्रश्न का सवाल है, तो यह आयुक्त की घोषणा के बारे में उठाया है । मुझे आश्चर्य है कि विद्वान सदस्य उसको अधिभार से कैसे जोड़ रहे हैं । यह घोषणा जो आयुक्त ने किया है बिक्रीकर मंडी शुल्क और अधिभार के बारे में जिक्र किया है । मान्यवर, सामान्य परम्परा है बिक्रीकर के बारे में और जो जमा करने की तिथि है उसका जिक्र किया गया है । तो बिक्रीकर प्रदेश में है और रहेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, दूसरा सवाल कि व्यापारियों के प्रतिनिधियों से और विधायकों से वार्ता करने का तो वह अलग-अलग भी और बैठक में भी आये और उनसे अलग-अलग चर्चा किया और संकेत रूपरेखा का दिया। जो विधिवत यहां अध्यादेश की शक्ल में या विधेयक की शक्ल में लाने की बात है तो वह आयेगा, उसमें परीक्षण हो रहा है। लेकिन जो यहां घोषणा किया है रियायतों के बारे में तो वह दी जा रही हैं और दी जायगी, उसमें सरकार कुछ नहीं बदल रही है और वह संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि जब तक सरकार की ओर से अध्यादेश या विधेयक की शक्ल में कोई चीज पारित नहीं होती तब तक नई व्यवस्था के अनुसार जमानत का पैसा यदि नहीं जमा कर रहे हैं तो फार्म नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि नई घोषणा तक फार्म से वंचित नहीं किया जायगा और जो सीमा में आता है रिटर्न के बारे में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि जो परिवर्तन किये हैं उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाय और किसी को परेशानी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और वित्त मंत्री जी को मैंने सुना, जैसा कि मंत्री जी ने सदन में घोषणा किया और आश्वासन दिया है उसके अनुसार वह शीघ्रति शीघ्र कार्यवाही करेंगे और कार्यान्वित करायेंगे। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

15 मार्च, 1984 को प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के अभाव में फसलों के झुलसने के सम्बन्ध में चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, गत 12 मार्च को इसी माननीय सदन के अन्दर मैंने एक बहुत गम्भीर प्रश्न को कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया था - किसानों की फसल जो विद्युत् आपूर्ति के अभाव में झुलस रहा है, जंगल जल रहे हैं उसके बारे में यह जो मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था उस पर उसके बाद ही आपका निर्देश हुआ था कि सरकार 15 तारीख को इस पर एक वक्तव्य देगी। उसके बाद 14 तारीख को आपके ही निर्देश पर, विद्युत् मंत्री जी उस समय यहां पर मौजूद थे, यह हुआ था कि इस पर 15 तारीख को चर्चा होगी। तो विद्युत् आपूर्ति के अभाव जैसे गम्भीर विषय पर 15 तारीख को चर्चा होना निश्चित हुआ था। लेकिन 15 तारीख को चर्चा का विषय न लेकर, उस दिन के एजेन्डे के अनुसार कार्यसूची के मद संख्या 12 पर केवल वक्तव्य था। विद्युत् मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले थे किन्तु जब उनको मालूम हुआ कि किसानों में आक्रोश व्याप्त है तो उन्होंने अपने दौरे को स्थगित कर दिया। इसपर मैंने जब जिला अधिकारी से मालूम किया तो मालूम हुआ कि अब मन्त्री जी बिना समय बताए हुए किसी दिन आयेंगे। उसपर भी जब वह वहां नहीं आए तो फिर मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि अब वह रात के वक्त आयेंगे। अब यह कह सकते हैं कि लिखकर नहीं दिया गया था, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जब आपने बिना लिखे उसको चर्चा हेतु मान लिया और मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया, उसके बावजूद भी चर्चा न कराने का क्या

कारण है ? और इसी से वह औचित्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल सूख जाने और किसानों के मर जाने के बाद पानी रूपी दवा देने से क्या फायदा होगा ? इसलिए इस पर मैं औचित्य के प्रश्न को उठाना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त).—

इसमें हमारे और हमारे विभाग के विरुद्ध औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। उन्होंने कहा है चर्चा होनी चाहिये, आप आदेश दे देते और कार्यसूची में चर्चा होती तो अवश्य होती। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब आप आदेश दें, आज भी मुझे चर्चा कराने में कोई आपत्ति या विरोध नहीं है। इस बीच में जो हमारा कर्तव्य था, हमारे चीफ इंजीनियर हाइडिल और जल इंजीनियर्स को यह आदेश जारी हो गए हैं कि वह सब जगह दौरा करें। जहां की शिकायत मिल रही है, उसे हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रदेश में फसल झुलस रही है, लेकिन जहां-जहां कठिनाई है....

(व्यवधान)

इस सदन में कहने से नहीं झुलसता है, दिमाग खुद झुलसता है, फसल नहीं झुलस रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

विद्युत् मंत्री जी का ऐसा कहना कि विद्युत् आपूर्ति के अभाव में फसल को नहीं नुकसान नहीं हो रहा है, फसल झुलस नहीं रही है, तो श्रीमन्, आप बुलन्दशहर के रहने वाले हैं, तो अधिक नहीं आप चले, माननीय सदस्य वहां चले और विद्युत् मंत्री जी चलें और वहां देख लें, तो उनको तसल्ली हो जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर सब से ज्यादा गेहूं पैदा करता है। कोई एक जिला आप छांट लें, उसको देखने के बाद आपकी आंखें झुलस जाएंगी, आप इसके लिए तैयार हो जाइये।

श्री अध्यक्ष—

आप चले जाइये, बुलन्दशहर घूम आइये। संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए हेलीकाप्टर का प्रबन्ध कर दें। मैंने इस पर विद्युत् मंत्री और किरनपाल सिंह को सुना। 15 मार्च को वक्तव्य लगा हुआ था विद्युत् के बारे में। बहुत कोशिश करने के बाद माता प्रसाद जी से सलाह मशविरा किया, लेकिन उस दिन सदन स्थगित कर दिया गया, क्योंकि कोरम नहीं हो पाया था। लेकिन जहां तक इसके बारे में चर्चा का सम्बन्ध है, किरनपाल सिंह जी आज अपराह्न 5 बजे अनन्तिम रूप से जो मद संख्या 15 है—उसमें 30 अक्तूबर, 1983 को ओबरा विद्युत् गृह में लगी आग से उत्पन्न भयंकर विद्युत् संकट के सम्बन्ध में श्री मरूतार अनीस द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा लगी हुई है। वह जो ग्रिड है तमाम सूबे का, तो उसपर भी असर पड़ेगा। तो किरनपाल सिंह जी उस समय आपको बोलने का पूरा अवसर रहेगा। आपको समय दे दूंगा। इस औचित्य के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं।

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अधीन बनाये गये विनियम†

*शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना संख्या 1548/15-7-12 (49)-84 दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा बनाये गये विनियम सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे वहीं गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

इन्टर मीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9 (4) के अधीन बनाए गए विनियम को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विनियम अभी सदन के पटल पर रखे हैं मैं इसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं । नियमों से सहमत होते हुए भी मैं कुछ बातें इसलिए कहना जरूरी समझता हूं कि क्योंकि वह हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठार घात करती है और इसलिए सरकार को यह शक्ति है ही नहीं जो वह इसे जारी कर सके । संदर्भ दिया गया है इन्टरमीडिएट ऐक्ट 1921 का और यह कहा गया है कि इस ऐक्ट की धारा 9 (4) के तहत यह नियमावली बनाई गई है । धारा 9 (4) में यह है--

"हवेनएवर इन दि ओपिनियन आफ दि स्टेट गवर्नमेन्ट, इट इज नेसेसरी आर एक्सपेडिएन्ट टू टेक इमिडिएट एक्शन, इट मे, विदाउट मेकिंग ऐनी रिफरेन्स टू दि बोर्ड अन्डर दि फारगोइंग प्रोविजन्स, पास सच ऐज आर्डर आर टेक सच अदर ऐक्शन कान्सीस्टेन्ट विथ दि प्रोविजन्स आफ दिस ऐक्ट ऐज इट डीम्स नेसेसरी...."

जहां राज्य सरकार इस बात को आवश्यक समझे कि तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित है वहां परिषद् के पूर्व प्राविधानों के होते हुए भी परिषद् को संदर्भित किए बिना वह कार्यवाही कर सकती है और आदेश पारित कर सकती है । यह इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल माना जायेगा । यह है इसमें । मान्यवर, बोर्ड का अधिकार क्या है वह भी इसमें दिया हुआ है । धारा 7 में बोर्ड के अधिकारों का उल्लेख है । इतना जरूर है कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए यह नियम बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा का जहां तक ताल्लुक है वह अधिकार उसके तहत में नहीं आती है जिसके तहत यह इसको कर रहे हैं । मैं इसके बहुत से नियमों से सहमत हूं, पर उसी के साथ-साथ कोई भी नियमावली ऐसी नहीं हो सकती है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत हो या संविधान की भावना के प्रतिकूल हो ।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 19 में हर आदमी को यह अधिकार है कि वह संघ बना सके और वाकय स्वातन्त्र का भी अधिकार है । वह किसी भी संगठन को कायम कर सकता है । जहां तक माध्यमिक शिक्षकों का सम्बन्ध है, वे राज्य कर्मचारी तो हैं नहीं, वे अपने संघ बना सकते हैं, विभिन्न संस्थाओं में काम भी कर सकते हैं, चुनाव में भी भाग ले सकते हैं और इस कारण उनको ट्रेड यूनियन के भी अधिकार हैं । अब यह नियमावली जो रखी गई है उसके नियम 23 में कहा गया है -- "कोई भी अध्यापक निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए कोई चन्दा या दान नहीं वसूल करेगा" । अध्यापक होने के साथ-साथ वह किसी भी संस्था अथवा किसी राजनैतिक दल का या अन्य संस्था का पदाधिकारी भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में उसको उसके लिए चन्दा भी लेना पड़ सकता है । वह उसके लिए चन्दा लेगा मान्यवर, इससे तो वह न तो चंदा ले सकते हैं और न दान इत्यादि ले सकते हैं अर्थात् सामाजिक उनके जो कार्य हैं उन पर अंकुश लगा दिया गया है । इसी प्रकार से इसमें अंतिम जो है उसमें कहा गया है कि विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई अध्यापक विद्यालय में न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई बैठक बुलायेगा और न ही किसी बैठक में भाग लेगा। तो यह गोलमोल चीज रखी गई है "विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत," इससे जो अध्यापक हैं वह मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं और विभागीय काम जो हैं उन पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान की धारा 19 के अंतर्गत जो उनको यूनियन बनाने का अधिकार है, किसी संस्था में काम करने का अधिकार है तो इन सब पर अंकुश लगाया गया है। सरकार की साजिश है, सरकार अध्यापकों के साथ राजकीय कर्मचारियों की भांति व्यवहार करना चाहती है।

जहां तक मुझे जानकारी है कि राजकीय कर्मचारियों को अपने राजकीय सेवा के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठनों में काम करने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों में काम करने का अधिकार है, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इन धाराओं का प्रभाव यह होगा कि लाखों की संख्या में जो अध्यापक हैं उनके प्रति सरकार ने जानबूझकर साजिश करके, उनको सामाजिक कार्यों से प्रतिबंधित कर दिया जायगा यह बड़ा भारी षडयंत्र किया जा रहा है। उनके सामाजिक, राजनैतिक तथा जनतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इससे बड़ा भारी आंदोलन छिड़ सकता है और स्थिति अशांतिपूर्ण हो सकती है। आवश्यकता तो यह है कि इस समय शांति पैदा की जाय लेकिन सरकार इन उत्तेजनापूर्ण, विघटनकारी नियमों को बनाकर ऐसी चीज करने जा रही है जिससे प्रदेश में अशांति फैल सकती है। जो विधायिनी शक्ति है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके अनुसार जो कानून बनाने का अधिकार है तो जो कानून बनाये जायेंगे वह कानून संविधान की जो मूल भावना है उसके प्रतिकूल नहीं होने चाहिये। यह उसके प्रतिकूल है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

*शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कुछ आपत्तियां उठायीं। मैं तो समझता था कि वह धन्यवाद देने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि माननीय किरन पाल सिंह जी ने कुछ आपत्तियां उठायी थी।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल तो आपको धन्यवाद दे रहे थे।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 9(4) के अधीन जो नोटीफिकेशन इशू हुआ है तो उसके अनुसार यह सदन के सामने आना चाहिये। जो लोकल ऐक्ट्स हैं, जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट हैं उसकी धाराओं के हिसाब से जो भी कोई नोटीफिकेशन हमेशा इशू होते हैं वह सदन के सामने रखे जाते हैं। तो जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा 23(ए) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि :—

"डेट आफ कमिंग इन्टू एफेक्ट आफ रूल्स एण्ड कन्ट्रोल आफ लेजिस्लेचर ओवर देम।

(1) आल रूल्स मेड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट अन्डर ऐन उत्तर प्रदेश ऐक्ट शैल, ऐज सून ऐज मे बी आफ्टर दे आर मेड बी लेड बिफोर ईच हाऊस आफ दि स्टेट लेजिस्लेचर, वाइल इट इज इन सेशन, फार ए टोटल पीरिएड आफ नाट लेस दैन थर्टी डेज"।

तो जो भी रूल या कानून बनायेंगे वह सदन के सामने रखे जायेंगे। मान्यवर, रूल्स की परिभाषा 37 में दी गई है कि :—

"रूल्स" शैल मीन ए रूल....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी एक बात आप बतायें। क्या इसकी हिंदी में किताब लाइब्रेरी में नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मुझे हिन्दी में नहीं मिल सकी। मैं हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे, मन्त्री लोग और माननीय सदस्य, जब हिन्दी में किताब उपलब्ध हो सकती हो आसानी से तो उसको पढ़ने का प्रयास किया जाय। यदि उपलब्ध न हो तब अंग्रेजी में उसकी बात कही जाय।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने भरसक प्रयास किया लेकिन हिन्दी की किताब नहीं मिली इसलिये इससे पढ़ रहा हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो पुस्तकें वाचनालय में उपलब्ध हैं अंग्रेजी में, उन सारी पुस्तकों के बारे में आप व्यवस्था दें कि उनका हिन्दी रूपान्तरण कर दिया जाय।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपके पुस्तकालय में गया था, वहां पर मैंने कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी की, तो मुझे यह बताया गया कि बहुत सारे अधिनियम व नियम जो महत्वपूर्ण हैं, जो जनता से सम्बन्धित हैं और विधान सभा से सम्बन्धित हैं, वह हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझको सूची दीजिए, मेरे कक्ष में आइये, तब मैं उसको देखूंगा।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, रूल 30 जो है, उसकी परिभाषा यह दी गई है कि जो अधिकार दिये गये हैं कानून में, विधेयक में उसके तहत वह होना चाहिये। यह जो एजेंडे में रखा गया है, बिलकुल उसके अनुसार रखा गया है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति रखी है, वह बिलकुल उसके विपरीत है। यह जो आपत्तियां उन्होंने उठाई, मान्यवर, सेक्शन 9 (4) जो इसमें दिया गया है, उसमें वह अधिकार ही नहीं था, राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी करने का, किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी करने का, मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उसको उसी भाषा में पढ़ा था, बड़े जोर-शोर से कहा था कि जब आवश्यकता हो, तो :--

"सच अदर ऐक्शन कान्सीस्टेंट विद दि प्रोविजन्स आफ दिस ऐक्ट ऐज इट डीम्स नेसेसरी एण्ड इन पार्टीकुलर में बाई सच आर्डर मोडीफाई आर रिसाइन्ड आफ मेक एनी रेगुलेशन इन रिस्पेट आफ एनी मैटर एण्ड शेल फोर्थ विद इन्फार्म दि बोर्ड एकार्डिंगली"।

यानी दूसरे जो और भी कार्य हैं, जो भी उसमें कार्यवाही हैं, जो इस ऐक्ट के हिसाब से हैं, वोट का इन्होंने कहा था, तो वोट नहीं, बल्कि जो इस ऐक्ट के हिसाब से हो, तो आवश्यकता कौन तय करेगी, आवश्यकता तो तय सरकार करेगी। सरकार को, राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है सेक्शन 9(4) में कि अगर किसी वक्त सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि यहां पर इस धारा 9(4) के अन्तर्गत कोई नोटीफिकेशन जारी करना आवश्यक है, तो वह जारी किया जा सकता है। अब जो दो आपत्तियां इनकी हैं, एक तो यह है कि जो फण्डामेंटल अधिकार हैं,

उसके खिलाफ हैं। मान्यवर, मौलिक अधिकार को देखें, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने हवाला दिया है सेक्शन 19 का जो प्रोसेशन के इकट्ठा होने का, या जमा होने का, या यूनियन बनाने का, तो वह सही बात है, लेकिन हर अधिकार पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध जरूर लगा है, एक जगह वह जमा हो सकते हैं, लेकिन मान्यवर, क्या वह सचिवालय में जमा हो सकते हैं, या किसी के कक्ष में जमा हो सकते हैं ? या राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के कक्ष में जमा हो सकते हैं या किसी के घर में जमा हो सकते हैं ? मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार की कई बार बात गयी और जो उसने समय-समय पर फैसले दिये हैं, दुर्गादास बासू की, किताब यह भी दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में है और इसकी कापी भी हिन्दी में नहीं है, प्रयास करने के बावजूद भी हिन्दी में नहीं मिल सकी। इसके अन्दर मान्यवर, उन्होंने कहा था कि--

"दि राइट आफ पब्लिक मीटिंग आर प्रोसेशन इज नाट स्पेसिफिकली गारेन्टीड बाई दि कान्स्टीच्यूशन बट विल फालो फ्राम दि राइट आफ एसेम्बली बट देयर इन नो राइट टू होल्ड ए मीटिंग एनीहवेयर ऐज दि सिटिजन्स प्लीज ई० जी० आन प्राइवेट प्रापर्टी आर इविन आन गवर्नमेंट प्रापर्टी इन दि ऐबसेन्स आफ एनी ला आर यूसेज सपोर्टिंग सच राइट, दि राइट टू होल्ड मीटिंग इन पब्लिक प्लेसेज इज सबजेक्ट टू दि कन्ट्रोल आफ दि एप्रोप्रिएट अथारिटी रिगार्डिंग दि टाइम एण्ड प्लेस आफ दि मीटिंग"। यानी यह जो अधिकार है, यह जो राइट टू असेम्बली है, यह इस अधिकार से है, इसका यह मतलब नहीं है कि जहां पर जी चाहे जमा हो जाइये :--

"आन प्राइवेट प्रापर्टी आर इविन आन गवर्नमेंट प्रापर्टी इन दि ऐबसेन्स आफ ऐनी ला आर यूसेज सपोर्टिंग सच राइट, दि राइट टू होल्ड मीटिंग इन पब्लिक प्लेस इज सब्जेक्ट टू दि कण्ट्रोल आफ दि एप्रोप्रिएट अथारिटी रिगार्डिंग दि टाइम ए एण्ड प्लेस आफ दि मीटिंग"

जहां पर जी चाहे मान्यवर, वहां पर मीटिंग नहीं की जा सकती, बल्कि उसके ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे और जो अप्रोप्रियेट एथारिटी होगी, हमारे घर पर कोई मीटिंग करना चाहे, तो वहां पर हम अप्रोप्रियेट एथारिटी होंगे।

सदन के अन्दर जब आये तो एप्रोप्रिएट अथारिटी आप सरकार में हो तो सरकार है, विद्यालय में हो तो वहां का प्रधानाचार्य प्राचार्य या वाइसचान्सलर एप्रोप्रिएट एथारिटी है। हर जगह पर एप्रोप्रिएट अथारिटी प्रतिबन्ध रख सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है। 305 पर रेलवे बोर्ड बनाम निरंजनA 19/9 SC 966 (69-70) दूसरा 306 पर हिम्मत लाल बनाम पुलिस कमिश्नर A 1973 SC 8 (94) है। राइट आफ एसेम्बली का अधिकार एसोसियेशन का अधिकार कुछ प्रतिबन्ध लगा कर किया जा सकता है। जब विद्यालय के भीतर पढ़ाई हो रही हो, परीक्षा हो रही हो, उस वक्त मीटिंग करना चाहें और कहें कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि कार्य संचालन ठीक तरह से हो सकेगा। छात्रों की जिम्मेदारी हम सब की है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा इसके बारे में इतनी रूलिंग और नियम हैं कि सारे दिन डिबेट चल सकती है। इन्होंने कहा कि अध्यापक चन्दा किसी प्रकार का नहीं ले सकता है। यह जो नोटीफिकेशन निकला है यह 9 (4) में निकला है। उसके अन्दर सारी चीजें पारिभाषित की गयी हैं।

मैं बता रहा हूं, आप ऐक्ट मंगवा कर देख लीजियेगा। 17 नम्बर 16 (चचच) में किया गया है, 18 नम्बर 16 (छ) छ में किया गया है।

19 नम्बर 16 (चचच) में किया गया है, 20 नम्बर छ 16 (छ) में किया गया है, 21 नम्बर छ 16 (छ) में किया गया है, 22 नम्बर 16 (चचच) में किया गया है, 23 नम्बर 7-ग में किया गया है, 24 नम्बर 16 (छ) में किया गया है, 25 नम्बर 16 (छ) में किया गया है, 16 नम्बर 16 (छ) में किया गया है। जो बेस है, उसके आधार पर सारी चीजें की गई हैं। विद्यालय में शिक्षण का सम्बन्ध है, यह उस सीमा तक है। यह किसी की व्यक्तिगत बात से सम्बन्धित नहीं है। यहां अध्यक्ष महोदय आप कहते हैं कि जेब में हाथ न डालो क्या बाहर भी यह लागू होता है। बाहर तो हम पतलून में हाथ डाल सकते हैं, अपनी पतलून में।

श्री अध्यक्ष--

आप दुबारा वही कहें।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने कहा कि पतलून में हाथ डाल सकते हैं, फिर कहा अपनी पतलून में नहीं तो राजेन्द्र गुप्ता जी कहते दूसरे की पतलून में हाथ डाल रहे हैं। इनसे बहुत बच कर रहना पड़ता है। इनसे डर रहता है आपसे नहीं।

श्री अध्यक्ष--

होली के दिन पी तो नहीं है?

श्री अम्मार रिजवी--

आप हम सभी के मुखिया हैं, जो आप करते हैं, वही हम करते हैं। जो रास्ता आप दिखाते हैं, उसी पर हम लोग चलते हैं। इस क्षेत्र के अन्दर इस सदन के अन्दर इस नियमावली को क्रियान्वित किया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि यह नोटीफिकेशन..

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

सारे नियमों का हवाला आपने दिया लेकिन 420 नियम को आपने अपने पास रख लिया, उसको नहीं कहा।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 420 नियम जो है उसमें कुछ न कुछ तो जरूर हिस्सा बांटते हैं। तो मान्यवर, यह विद्यालय तक की बात है। उसमें कोई चन्दा ले सकता है जो सार्वजनिक चीज हो उसमें वह मीटिंग करें एसोसिएशन बने इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है केवल विद्यालय और शिक्षण से संबंध है। इसलिए माननीय गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि वह किसी प्रकार की शंका न करें किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है न प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है शिक्षण संस्थाओं से हटकर।

श्री केदार नाथ सिंह--

जो मूल विचार बिन्दु था उससे हटकर मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात में फंसा डाला। मान्यवर, पेरेन्ट ला संविधान के अन्तर्गत नियम बनाया जा सकता है या अधिसूचना जारी की जा सकती है। मूल प्रश्न यह नहीं है मूल प्रश्न यह है कि कोई भी अध्यापक चन्दा या धन वसूल नहीं करेगा तो उसका मूल अधिकार हनन नहीं कहा जाएगा। जो अधिकार प्रदत्त हैं उन पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए यदि होता है तो ऐसे नियम बनाने का इस सदन को या सरकार को अधिकार प्राप्त है?

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो विस्तार से बताया उसको तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और श्री केदार नाथ जी को सुना।

यू0 पी0 जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा 23-क में यह प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश के अधिनियमों के अन्तर्गत बनी नियमावली को सदन के पटल पर रखा जाएगा। उक्त अधि-

नियम की धारा 4 की उपधारा (37) में नियम की परिभाषा दी गई है और उक्त परिभाषा के अन्तर्गत विनियम भी कतिपय दशाओं में शामिल किये गये हैं। आज की कार्यसूची की मद संख्या 3 के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9 (4) के अन्तर्गत बने विनियमों को सदन के पटल पर रखा जा रहा है। यदि इन विनियमों में कोई प्राविधान संविधान के विपरीत है तो उनकी वैधता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर इसे सदन के पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय गुप्त जी माननीय किरनपाल सिंह जी ने 15 तारीख तक की बात कही इसके अतिरिक्त जैसा मैं कह रहा हूं कि दिनांक 15 मार्च, 1984 को सदन में कतिपय सदस्यों द्वारा यह बात कही गई थी कि जब सदन चल रहा हो तो उस समय कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा या सचना या शासन का आदेश, सदन के अन्दर घोषित किया जाना चाहिए। उक्त विचारों के अनुसरण में यदि इस विनियम को सदन के पटल पर रखा जाता है तो इसमें अनौचित्य का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। इसलिए मैं इसको रखने की आज्ञा देता हूं।

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि--इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984, जो विधान सभा द्वारा 28 फरवरी, 1984 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 15 मार्च, 1984 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 जो विधान सभा द्वारा 28 फरवरी, 1984 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 15 मार्च, 1984 को प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1984 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 मार्च, 1984 को वापस प्राप्त हो गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री हरिवंश सहाय की, किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है। श्री

हुकुम सिंह को थाना बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा सौराज नामक हरिजन युवक को जिन्दा जला दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री सत्यपाल सिंह की फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज थानान्तर्गत कतिपय गांवों में जहरीली शराब के पीने से 15 लोगों के मरने तथा कई लोगों के अंधे होने के सम्बन्ध में हैं। श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री रेवती रमण सिंह की भी इसी फर्रुखाबाद की घटना के सम्बन्ध में हैं। श्री सरदार सिंह की दिनांक 16 मार्च, 1984 को रामपुर में श्री मुहम्मद आजम खां, विधायक पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किये जाने तथा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में, श्री किरनपाल सिंह, श्री खैरुल बशर, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री राधेश्याम पटेल, श्री मोहन सिंह तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय की भी रामपुर की घटना के सम्बन्ध में हैं। श्री अकबाल हुसैन की, ग्राम बसंतपुर थाना तुलसीपुर जनपद गोण्डा के गोमती हरिजन पर थानाध्यक्ष के षडयंत्र से कातिलाना हमला व हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में हैं तथा श्री जसवंत सिंह विष्ट की रुद्रपुर (नैनीताल) में पंजाब के आतंकवादियों द्वारा बरेली कार्मशियल बैंक के लूटे जाने के सम्बन्ध में हैं। मैंने श्री हरिवंश सहाय की सूचना को ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है, श्री किरनपाल सिंह ने जो सूचना दी है, यदि यह लिखकर देंगे तो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में शीघ्रातिशीघ्र उसको लेने पर विचार करूंगा। श्री जसवंत सिंह विष्ट की सूचना जांच के लिये भेज दी गयी है। अन्य 4 सूचनाओं के लिये मैं नम्बर से बुला देता हूं और आप स्वयं निर्णय कर लें, जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं, मैं एक-एक को बुलवा लूंगा, कौन माननीय सदस्य बोलेंगे, आपस में स्वयं तय कर लें। तब तक मैं श्री हुकुम सिंह जी को बुलवाता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने जो आज कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं अपने जनपद में घटी एक अत्यन्त गम्भीर घटना की ओर, इसके माध्यम से, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 14 तारीख को सौराज नामक एक हरिजन नवयुवक को पुलिस ने जिन्दा जला दिया। तीन दिन तक वह नौजवान प्राणों की रक्षा के लिए लड़ता रहा और 17 तारीख को उसका देहान्त हो गया। मान्यवर, वहां के थाना अध्यक्ष, थाना बुढ़ाना, जिसके अन्तर्गत उस क्षेत्र की जनता ने प्रदर्शन किया, ने वहां लाठी चार्ज किया, जिससे मान्यवर, सैकड़ों आदमी घायल हो गये। मान्यवर, इस घटना के कारण पश्चिमी क्षेत्र की मुजफ्फरनगर की जनता में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। यहां तक ही नहीं सत्ता पक्ष के एक विधायक श्री सोमांश प्रकाश एवं श्री नकली सिंह जब घटना स्थल पर गये और वहां की स्थिति देखी कि सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गये और जिस नौजवान को जलाया गया था, उसको देखकर वह विवश हो गये और श्री सोमांश प्रकाश ने आत्मदाह की घोषणा की। इसमें 3 बिन्दु हैं, (1) एक बिल्कुल निरपराध निर्दोष हरिजन को जिन्दा जलाया गया, वह भी पुलिस कर्मियों द्वारा, (2) लाठी चार्ज किया गया और (3) इस सदन के एक सम्मानित सदस्य को अपने प्राणों की आहुति देने की घोषणा करना जिससे वहां की जनता का आक्रोश समाप्त हो सके। मान्यवर, इससे गम्भीर घटना और क्या हो सकती है जहां एक हरिजन के प्राणों की रक्षा करने का प्रश्न है, वहीं एक साथी विधायक के प्राणों की रक्षा करने का भी प्रश्न है, उन्होंने हजारों आदमियों के समक्ष घोषणा की। उक्त दृश्य को देखकर उन्हें आत्म-दाह की घोषणा करनी पड़ी। मान्यवर,

इस पर चर्चा जरूर स्वीकार करें वरना जिस किस्म की स्थिति हो रही है वह कोई भी रूप धारण कर सकती है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने विशेष रूप से इस घटना से सम्बन्धित श्री नकली सिंह और श्री सोमांश प्रकाश का जो हवाला दिया है, तो उनसे भी बात मालूम हो जाय, तो स्थिति सामने आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—

श्री सोमांश प्रकाश या और कोई माननीय सदस्य इस पर कोई बात कहना पसन्द करेंगे ?

(1 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री नकली सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जनपद में यह बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिसका किसी भी ओर से हमको कोई उचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मजबूर होकर हमें यह घोषणा करनी पड़ी। यदि इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम लोग पुनः थाने को घेर लेंगे। मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि उस हरिजन युवक की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि थानेदार साहब उससे पैसा मांग रहे थे। उससे पैसा लाने के लिए एक सिपाही उसे पकड़ने गया। रास्ते में उससे पैसे मांगे। जब उसने पैसा देने में असमर्थता प्रकट पर की तो, एक सिपाही ने उसके पांव पकड़ और एक सिपाही ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया वह हरिजन युवक तीन दिन तक अस्पताल में रहा, जहां उसने अपनी दम तोड़ दी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने वहां के अधिकारियों से इस पर कार्यवाही करने को कहा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जब उसके मां-बाप थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया गया, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए। उनको वहां से भगा दिया गया। उस हरिजन युवक की मां को पकड़ कर एक गलत-सलत रिपोर्ट लिखवा दी गयी और उसमें उसका अंगूठा लगवा दिया गया। आज सारे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। उस हरिजन युवक के शव को जलाने के लिए हमें स्वयं मौके पर जाना पड़ा। हमने उन्हें यह कह कर शान्त किया कि इस थानेदार और जो पुलिस कर्मी इससे सम्बन्धित है, उनके खिलाफ जांच करवायेंगे, अगर इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो हम लोग हर समय आपके साथ हैं। इस पर चाहे हमको भूख हड़ताल करनी पड़े या प्रदर्शन करना पड़े। हम आप लोगों के साथ हैं। इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि कम से कम आप इस पर चर्चा करवा दीजिए ताकि सही तथ्य सामने में आ सकें और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो सके।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने जो नियम 56 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था, उसको माननीय श्री नकली सिंह, सत्ता पक्ष के विधायक ने और गम्भीर बना दिया है। मान्यवर, घटना 14 तारीख को होती है और वह युवक 17 तारीख को इस दुनिया से चला जाता है आज 20 तारीख हो गई है, परन्तु इस सम्बन्ध में शासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। स्वयं माननीय श्री नकली सिंह, सत्ता पक्ष के विधायक ने चर्चा की मांग की है। जिससे यह मामला और गम्भीर हो जाता है। मेरा 8-9 साल का अनुभव है कि कोई ऐसा मामला, जिसे विपक्ष ने उठाया हो और सत्ता पक्ष ने उसका समर्थन किया हो। परन्तु आज इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने भी अपनी स्वीकृति चर्चा के लिए दी है, यह पहला मौका है। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि, शायद आप भी इस विषय की गम्भीरता को समझ रहे होंगे, आप इस पर चर्चा होने दें और सदन की आगे की कार्यवाही को प्रोसीड न होने दें। सदन इससे आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिये, जब तक इस पर चर्चा स्वीकार करके, चर्चा न करवायें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूरी घटना का जिक्र किया और माननीय नेता विरोधी दल ने भी जैसा कहा कि यह पहला मौका है कि हरिजन की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कोई राजनैतिक वातावरण बनाने की कोशिश नहीं की है। दोनों ही पक्षों ने कोई कोशिश नहीं की। हरिजन युवक की नृशंस हत्या की घटना का उल्लेख यहां पर किया गया। जिसे सुनकर हमारा माथा और इस आदरणीय सदन का माथा शर्म के साथ झुक जाना चाहिए।

मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति 302 का अपराध करता है और उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 होती है, एक वकील होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि उस अधिकारी को अभी तक तुरन्त जेल में क्यों नहीं डाला गया और उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। सभी माननीय सदस्य इसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं। दूसरे, मैं इस बात का विरोध करूंगा यदि सरकार इस प्रकार का आश्वासन देती है कि इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से करायी जायेगी। सी0 आई0 डी0 से मान्यवर जांच कराने का मतलब होगा इस केस को दफना देना। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य नकली सिंह, ने इस घटना का जिक्र किया, माननीय सदस्य घटनास्थल पर गये, उन्होंने वहां की स्थिति को देखा और किसी तरह उस शव का दाह संस्कार करवाया गया, मान्यवर, जांच की प्रक्रिया एक लम्बी प्रक्रिया होगी। मान्यवर, मैं कहता हूं कि इस घटना की बाबत तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए और इससे सम्बन्धित जो लोग हैं, उन्हें दंडित होना चाहिए। और जेल में डालकर जो 302 के मुल्जिम हैं, उन मुल्जिमों पर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए, अगर यह नहीं किया गया, तो इस पर सभी यहां बैठे प्रतिनिधि दुख व्यक्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

पुलिस महानिदेशक को दंडित करायें।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो मैं तय करूंगा। इसकी बाबत जो तथ्य हैं, वह तो सभी माननीय सदस्यों ने कह दिये हैं। आप बैठें। मैंने संसदीय कार्य मन्त्री जी को बुला लिया है?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर विषय कोई हो नहीं सकता आप इसको 4 बजे के बाद ले लें।

श्री किरन पाल सिंह--

सरकार को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, आपको इस पर सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिये।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, यह दुर्घटना चाहे किसी भी जाति-बिरादरी से सम्बन्ध रखें, एक नौजवान के लिए या एक मनुष्य के

साथ जो इस तरह का व्यवहार है, मैं समझता हूं, बहुत ही निन्दनीय है और इसमें कोई इस दल का सवाल नहीं है, कोई उस दल का सवाल नहीं है। आपने देखा कि हर व्यक्ति ने इसकी निन्दा की है, दुख प्रकट किया है। जो वहां पर अधिकारी हैं, जो पुलिस आफिसर्स हैं, जिन्होंने बताया, मैंने माननीय नकली सिंह जी से बात की थी, जिनका डायरेक्ट इन्वालवमेंट है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है, हम लोग 10 बजे तक उसकी कापी दे देते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय हुकुम सिंह जी ने 9 बज कर कुछ मिनट पर यह सूचना दे दी थी, माननीय मंत्री जी के भाषण से पूरा आभास हो रहा है कि सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और जो घटना हुई है, उसकी बाबत सरकार को अभी तक कोई चिन्ता नहीं हो रही है। मान्यवर, इससे शासन की संवेदनहीनता और हरिजनों के प्रति इनके विरोधी दृष्टिकोण का इससे बढ़ कर, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। मान्यवर, आवश्यक यह था और हमारी विधिक व्यवस्था है, उसके अनुसार, पुलिस महानिदेशक के पास इसकी जानकारी आना चाहिये थी, लेकिन जैसा कि श्याम लाल बाजपेयी जी ने अपनी बात कही थी कि यहां के शीर्षस्थ अधिकारी ही हरिजनों पर अत्याचार करते हैं, मान्यवर, वहां पर किस तरह से सूचना आयेगी ? मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन दिन बीत जाने के बाद, 14 को यह घटना होती है, 17 तारीख को उसकी मृत्यु होती है और अब तक शासन के पास उसकी जानकारी क्यों नहीं हुई ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज 9 बजकर कुछ मिनट पर आपको इसकी कापी दी गयी, अब डेढ़ बज गये हैं, चार घंटे हो गये हैं मान्यवर, अगर शासन के पास सूचना नहीं थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से हम यह नहीं सुनना चाहते हैं कि जो अधिकारी वहां पर हैं, हम साफ जानना चाहते हैं कि वह कौन पापी दरोगा है या कौन पुलिस का अधिकारी या ए0 पी0 है, जिसकी वजह से या जिसकी शह पर यह घटना घटित हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय तक सरकार के पास सूचना नहीं होनी चाहिए थी ? दूसरे मान्यवर, आपकी ही व्यवस्था के अनुसार जानना चाहता हूं, जैसे कि पहले भी यहां बातें कही गयी हैं और आप की पीठ से व्यवस्थाएं दी गयी हैं कि जिस विषय का कोई गम्भीर मामला है, उसके प्रभारी मंत्री को आना चाहिये, माननीय गृह मंत्री को यहां आना चाहिये था, माननीय मुख्यमंत्री को यहां आना चाहिए था, मान्यवर, पूर्व व्यवस्थाओं के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री का यहां पर न आना, इस बात का परिचायक है कि इतने गंभीर मामले को, हरिजन पर हुए जुल्म के मामले को, शासन गम्भीरता के साथ नहीं ले रहा है। मान्यवर, इन दो मामलों पर मैं आप की बात जानना चाहता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री सोमांश प्रकाश जी भी आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अगर सभी माननीय सदस्य बोलेंगे, तो कैसे होगा ?

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

यह स्थिति की गम्भीरता का प्रश्न है।

(श्री सोमांश प्रकाश को पुकारे जाने पर ।)

श्री सोमांश प्रकाश--

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि उस हरिजन के साथ ज्यादती हुई, वह हरिजन मारा गया, पुलिस ने ज्यादती की । लेकिन वे दोनों सिपाही जेल भेज दिये गये हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है । मैं इस बात की जरूर मांग करना चाहता हूं कि एस० ओ० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, यह मैं मांग करना चाहता हूं कि उसे छुट्टी देकर भेजा गया है, वह गलत है, उसे भी हटाया जाय और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय ।

(घोर व्यवधान)

एस० ओ० के खिलाफ कार्यवाही हो, यह मैं चाहता हूं । वह जो मारा गया है, वह न खराब आदमी था और न बदमाश था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उन दोनों सिपाहियों को जेल भेज दिया गया है, यह जानकारी भी माननीय सदस्य दे रहे हैं, सरकार के पास जानकारी नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री सोमांश प्रकाश--

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दबाव के कारण जिला प्रशासन कुछ परेशान हो रहा है, यह नहीं होना चाहिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह राजनीतिक दबाव तो वहां के मन्त्री का हो सकता है, इस बात का साफ एलीगेशन आ गया। विद्याभूषण जी वहां से आते हैं । श्री सोमांश प्रकाश जी ने कहा कि राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि विद्याभूषण जी का दबाव पड़ रहा है । उनको सदन में बुलाइए, मुख्यमंत्री जी को सदन में बुलाइए ।

(घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

विद्याभूषण जी ने इस दरोगा को संरक्षण दिया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय विद्याभूषण जी को सदन में बुलाया है, आप लोग बैठिये ।

(घोर व्यवधान)

*श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल ने श्री विद्याभूषण का नाम लिया है, इसलिये उनको बुलवाया है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह जो विषय है, जिस पर चर्चा हो रही है . . .

(घोर व्यवधान)

इस विषय की गम्भीरता को मैं पिछले 20 सालों में पहली बार देख रहा हूं । यह जो गम्भीर प्रश्न उपस्थित हुआ है कार्यस्थगन प्रस्ताव की शक्ल में, जिसे माननीय हुकुम सिंह जी ने दिया है, मैं चाहता हूं कि इस पर निर्णय लेने से पूर्व नियम 57 और नियम 60 (2) की तरफ विशेष तौर से ध्यान दे लें कि क्या इस सदन का 1/12 हिस्सा इस एडजार्नमेंट मोशन पर चर्चा कराने के लिये तैयार है या नहीं ? अगर तैयार है, तो सारा काम छोड़कर चर्चा करायी जाय ।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष जी यह बात जो माननीय सोमांश प्रकाश जी ने पुलिस कर्मियों पर हुई कार्यवाही के बारे में बतायी कि दो कांस्टेबिल्स को सरकार ने तत्परता से जेल भेज दिया है, साथ ही इस सम्बन्ध में जो बातें चाहे इस पक्ष के बैठने वालों ने या उस पक्ष के बैठने वालों ने कही कि उस थानेदार को इस गम्भीर घटना से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको निलंबित किया जाता है और उसके खिलाफ या और कोई भी जो इस मामले से सम्बन्धित होगा सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, लेकिन प्रक्रिया के साथ इन्क्वायरी सस्पेन्शन के बाद जरूर करवानी होगी क्योंकि यह इंसाफ का तकाजा है वरना आइन्दा आने वाला जमाना कहेगा कि उस समय का सदन सेन्टीमेंटल था, जिसने इस प्रकार की कार्यवाही जल्दबाजी में की इसलिए हम ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते प्रिजुडिस होकर इसलिए पहले हम इन तथ्यों की जानकारी करवा लें, साथ ही उस थानेदार को भी निलम्बित किया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह प्रश्न ही नहीं है, श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न नहीं उठाया था (शोर) प्रश्न यह नहीं था कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी मैंने तो प्रश्न उठाया था कि नियम 56 और 60 (2) के अन्तर्गत अगर इन दोनों नियमों के आधार पर यह बात बनती है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए इस सदन में और तब उस चर्चा के समय आप यह बताइयेगा कि हमने क्या-क्या कार्यवाही की है और उस पर यह सदन निर्णय लेगा कि यह कार्यवाही उचित है या नहीं और उससे हम लोग संतुष्ट हैं या नहीं, इसलिए इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अभी जो प्रश्न व्यवस्था के इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और माननीय मंत्री जी कृपया उन तथ्यों को सामने लाएं जिसकी वजह से अभी उन्होंने कहा कि इस गम्भीर घटना में सम्बन्धित थानेदार भी सम्मिलित है जिसे निलंबित भी उन्होंने किया है और मैंने भी स्पष्ट रूप से यही कहा था कि जिस समय वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, उस समय पुलिस द्वारा बर्बरता से जनता पर लाठीचार्ज किया गया और तरह-तरह के जुल्म उन पर किये गये, इसलिए मैं पुनः अपनी बात पर बल देते हुए यह मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करवाई जाए ताकि सारे तथ्य प्रकाश में आयें कि किस प्रकार से बेचारे हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और वहां की जनता पर लाठी चार्ज व अन्य बर्बरताएं हुईं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने नियम 56 और 60 देख लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने पहले भी एक औचित्य का प्रश्न उठाया था और फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार के पास अब तक इसकी जानकारी क्यों नहीं आयी, क्या यह आप को नहीं जानी चाहिये थी अब तक और दूसरा मान्यवर, प्रतिपक्ष के पास सिर्फ कार्य-स्थगन प्रस्ताव ही एक ऐसा हथियार है जो शासन की नीति को उजागर करता है और इनकी नीति से जो परिणाम सामने आते हैं, उनको इसी कार्य-स्थगन के तहत यहां पर लाता है, इसके अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं है सरकार को सेंसर करने का । इसलिए मान्यवर, मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया था कि क्या शासन के पास अब तक सूचना आ

नहीं जाना चाहिए थी और क्या सरकार इसके लिए दोषी नहीं है और दूसरी बात इस गम्भीर घटना पर माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राज्य गृह मंत्री जी को यहां पर उपस्थित नहीं रहना चाहिये इनके यहां पर न आने से इस बात पर बल मिलता है कि शासन इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहा है ।

इन तीनों बातों पर मान्यवर, मैं आपके श्रीमुख से व्यवस्था चाहता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री विद्या भूषण)—

मान्यवर, मुझे अभी बताया गया कि इस विषय में कहा गया है कि कोई पोलीटिकल प्रेशर डाला गया है । मैं इस सदन में यह बतला देना चाहता हूं कि मैंने क्लियर आदेश दिये कि वह चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो तुरन्त उसके खिलाफ सीरियस ऐक्शन लिया जाना चाहिये । जितने भी हरिजनों का मेटर है, गरीबों का मेटर हमारे सामने आता है, वहां पर मेरा आर्डर यही होता है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाय । मैं कभी भी उसके बचाने का प्रयास नहीं करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात श्री सोमांश प्रकाश जी ने कही जिनके क्षेत्र का यह मामला है, उनके जनपद का यह प्रश्न है, वह सत्ता पक्ष के आदमी हैं उन्होंने यह कहा कि वहां पर राजनैतिक दबाव पड़ रहा है । मान्यवर, मैंने उसमें यह एड किया राजनीतिक दबाव तो माननीय मन्त्री जी का ही पड़ सकता है और किसी का नहीं पड़ सकता । वे नाम नहीं ले पाये डाइरेक्टली । यहां पर खाली यह कह देने से कि हम हरिजनों के बड़े हमदर्द हैं, पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं आप की हमदर्दी को कि आपने क्या-क्या किया है । मैं पुनः अपनी बात पर बल देता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर, चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने जो कहा यह सरासर झूठ है । यह मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है । मैं आप के माध्यम से आप का संरक्षण चाहता हूं और मैं आप से निवेदन करता हूं कि इस कांड की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये इससे सच्चाई निकल कर सामने आ जायेगी कि असली तथ्य क्या है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहां तक व्यवस्था के प्रश्नों को सुनूं ? अब मुझे निर्णय देने दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह सरासर झूठ है । तो क्या "झूठ" शब्द संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही देख कर उसे निकाल दूंगा ।

मैंने इस विषय पर माननीय सदस्यों को सुना, इस पर मैं आज्ञा देता हूं कि कल एक घंटे की चर्चा होगी । इस पर पूरी तरह से सब सामग्री मंगवा ली जाय, जांच करा ली जाय, चाहे वहां किसी को भेज कर जो भी साधन आप इस्तेमाल करना चाहें कर के पूरी जानकारी हासिल कर लें, मैं इस पर चर्चा के लिये कल एक घंटे का समय निर्धारित करता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

लेकिन मान्यवर, इसकी जांच किसी पुलिस के अधिकारी द्वारा नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मन्त्री जी जानें, जब इस पर चर्चा होगी तब यह देख लिया जायेगा । मैं संसदीय कार्य मन्त्री से इस बारे में बात करूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय गौरी शंकर जी ने जो कहा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐक्शन ले कर, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि पुलिस के द्वारा इनक्वायरी न करायी जाय, अन्य किसी एजेंसी के द्वारा करायी जाय तो उसी के द्वारा जांच करायी जा रही है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने एक एलीगेशन दिया मन्त्री जी के खिलाफ और उन्होंने उस चैलेन्ज को स्वीकार किया है । तो श्रीमन्, मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज को दे दी जाय । वे इसके लिये प्रस्ताव कर दें, मैं उसका समर्थन कर दूंगा । आप हिम्मत तो करिये कहने की, हम लोग समर्थन करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच करा ली जाये ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय नेता विरोधी दल ने कई बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच करा ली जाये, तो क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाली 12 करोड़ जनता, उसके अधिकारियों पर उनका विश्वास नहीं है । जब भी होता है वह कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच करायी जाये । इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अविश्वास प्रकट करना उचित नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 17 तारीख को जब सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में होली का उल्लास था, उसी समय फर्रुखाबाद में कन्नौज के पास बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई, जिसमें 15 निरपराध लोग मर गए, 3 लोगों की आंखें चली गयीं, लगभग 50 लोग कानपुर अस्पताल में भर्ती हैं । कन्नौज के पास लोलापुर, पंचमपुर, मनेवा, मसइया, केशवपुर आदि गांव हैं, वहां पुलिस की सांठ-गांठ से नकली शराब बनती थी । राम खेलावन नाम का व्यक्ति है, उसने अपने बयान में कहा है कि चौकी की पुलिस के तालमेल से नकली शराब बनायी जाती थी और यह अवैध धन्धा चल रहा था, इसी के कारण शराब में डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल की मिलावट की गयी और जिसके कारण कई लोग संसार से चले गये । यही नहीं मान्यवर, इसमें 11 और 12 साल के बच्चे भी इस दुनिया से चले गये । यह इस सरकार की नीति का परिचायक है कि पुलिस कर्मी अवैध लोगों से मिले हुए हैं । मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के गृह मन्त्री अर्थात् मुख्य मन्त्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी पुलिस ऐसे जघन्य कामों में लगी हुई है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है । मैंने सरकार की नीति की चर्चा की है । शराब की बोलियां होती हैं । जो नशाबन्दी थी, उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया है, केवल यह कहकर कि राजस्व की प्राप्ति करनी है । शराब के ठेके उठाये जाते हैं, सस्ती शराब का धन्धा चलता है । यह प्रश्न केवल कन्नौज का ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का है । सभी जगह पर इस प्रकार के अवैध धन्धे चल रहे हैं । मिलावट वाली शराब बेची जाती है । पुलिस को इस तरह की चीजों की जानकारी रहती है परन्तु वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इसलिए मैं चाहूंगा कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर आप चर्चा करा दें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मिला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अन्तर्गत इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, नियम तो आपने ही बनाये हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

आप अपने विवेक से दो को स्वीकार कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन मैंने दिया है वह एक गम्भीरतम बिन्दु की ओर आकर्षित करता है । एक नई प्रथा, एक नया वातावरण हिंसा का इस प्रदेश में व्याप्त हो गया है और सत्ताधारी पक्ष अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका हिंसा के द्वारा उन्मूलन करके अपने राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ है । मान्यवर, पिछले बृहस्पतिवार को सदन की समाप्ति के बाद एक गम्भीर घटना घटी । इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य श्री आजम खां जब शुक्रवार को अपने घर जा रहे थे तो रात्रि के 8 बजे के करीब रामपुर के बस अड्डे पर उनके ऊपर सुनियोजित और प्राणघातक हमला किया गया । मान्यवर, एक अबोध बालक जो कि हिन्दू धर्म को मानने वाला था, जोर से न चिल्लाता और आजम खां साहब को सावधान न किये होता तो उनके खूनी दरिन्दों के पंजे जो हाथ में चाकू लिये हुये थे, उनके सीने पर चल जाते और हमारे इस आदरणीय सदन के एक सम्मानित सदस्य हमेशा के लिये चले जाते ।

मान्यवर, एक विशेष स्थिति उस समय वहां के बस अड्डे पर पैदा हो गई थी । जब आजम खां साहब उस दिन वहां बस अड्डे पर उतरते हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको घेर लिया और उनके ऊपर लाठी और डंडे से आक्रमण किया । उस समय जो माननीय सदस्य के साथ अन्य साथी थे, उन्होंने आक्रमणकारियों को पहचान लिया और उनके साथ खूब गुत्थमगुत्था हुई । उसके उपरान्त थाने में नामजद रिपोर्ट लिखाई गई । थाने में पुलिस अधीक्षक और डी० एम० के सामने नामजद एफ० आई० आर० लिखायी गई । उसके बाद तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया । मान्यवर, उनकी गिरफ्तारी के चन्द लमहे के बाद धारा 307 जो कि भारतीय दंड संहिता की एक मजबूत दफा है, उसके अन्तर्गत गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन लोगों को रिहा कर दिया । इसलिये मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है और हम चाहते हैं कि सदन का कार्य रोककर इस पर आप चर्चा करा दें क्योंकि पूरे प्रदेश का वातावरण विषाक्त होता जा रहा है और पूरे प्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध सुनियोजित तरीके से साजिश की जा रही है । इसलिये इस अविलम्बनीय कार्य-स्थगन के विषय पर आप से चर्चा की मांग करते हैं ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, कल हमें यह बात अखबारों में पढ़ने को मिली ....।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया कि इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य के ऊपर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमला हुआ। जो बातें हुईं, वह उन्होंने विस्तार से बता दीं किन्तु जिस विषय पर माननीय किरनपाल सिंह जी बोलना चाहते हैं, मैं भी वही कहना चाहता हूं कि कल जब हमने अखबारों के माध्यम से यह बात पढ़ी और सभी अखबारों में यह चीज आई कि एक कातिलाना हमला मुहम्मद आजम खां के ऊपर हुआ था तो जो हमारे प्रदेश के गृह सचिव हैं उनका एक वक्तव्य उस विषय पर आया कि उनके ऊपर रंग डालने पर यह झगड़ा हुआ। मान्यवर, माननीय आजम खां बैठे हुए हैं, स्वयं उनसे आप इसे सुन सकते हैं। रंग डालने का वहां पर कोई प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने रंग डालने पर कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन इस प्रदेश के गृह सचिव महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह वाकई में हिन्दू-मुस्लिम दंगे को भड़काने का प्रयास था। उनके ऊपर जब इस तरह से आक्रमण किया गया तो आक्रोश से वे विचलित हो गये और यह गम्भीर स्थिति पैदा हो गई। मान्यवर, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। गृह सचिव ने क्यों इस तरह का वक्तव्य दिया, उनका क्या इंटेंशन था? इससे उन्होंने स्वयं दंगा भड़काने की चेष्टा की।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इस बीच सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक आवाज यह सुनाई दी कि चूंकि मैं शांत और ठीक-ठीक यहां पर बैठा हुआ हूं इसलिए महसूस होता है कि कोई हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ। मान्यवर, अगर किसी का मर जाना ही उस पर हमला होने की जमानत है तब तो मैं यकीन कर लेता हूं। मान्यवर, जब मैं ठीक 8 बजे बस से उतरा तो मेरे ऊपर जो हमला हुआ उससे मैं मर जाता, जख्मी हो जाता, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि किसी की जिन्दगी बचाना या उसको मारना किसी के हाथ में नहीं है और न ही किसी की जिन्दगी बचाना इस सदन के बस की बात है। वह खुदा के हाथ की बात है। लेकिन जिस तरह से यह सब हुआ वह सब के लिए परेशानी की बात है। ठीक 8 बजे जब मैं बस से उतरा और जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो माहौल मेरे शहर का है क्योंकि वहां रियासत थी और मैं पहला शख्स हूं जिसने नवाबों की आंखों में आंख डालकर यह कहा है कि मजलूमों पर जुल्म हुआ है। कभी कोई ऐसा मान्यवर, उस शहर से चुनाव जीत कर इस सदन में नहीं आया, कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जो उस नवाब खानदान से ताल्लुक न रखता हो। मैंने पहली बार वहां के हरिजनों की बात उठाई, मैंने दबे लोगों के लिए आवाज उठाई, पशमांदा और अकलियतों की आवाज उठाई है। इस खानदान ने औरों के साथ साजिश करके दो बार मेरे ऊपर कातिलाना हमला कराया जब मैंने रजा टेक्सटाइल की हड़ताल चलाई थी उस वक्त भी मेरे ऊपर दो बार हमले हुए और 40-40 हजार रुपये दे कर इसी सूबे के लोगों को बुलाया गया। मैंने सदन में मामला उठाया था और वह दोनों हमले नाकाम हुए। इसकी इत्तिला दी थी।

16 ता0 को जब मैं बस से उतरा तो मेरे ऊपर हमला हुआ मैं कैसे बच गया यह मैं नहीं बयान कर सकता। वहां पर गुत्थम-गुत्था हुई तीन हमलावर सहित आये। मैं नहीं देख पाया लेकिन बताया गया। मैं एक लफ्ज झूठ नहीं कहूंगा मेरे ऊपर देशी तमंचे से हमला हुआ लेकिन वह नहीं चला चाकू से हमला हुआ उसी वक्त एक बच्चे ने जोर से आवाज लगाई बचो आजम भाई। एक हिन्दू भाई जिनके ऊपर मैं शुबहा नहीं करता मुझे घसीट कर बस की दूसरी तरफ ले गये मैंने जोर से झटका मारा तो वह एक तरफ गिरे और मैं दूसरी तरफ गिरा। इसी बीच मैंने रिवाल्व

निकाल ली। हमलावरों ने पूरी तरह से मेरे ऊपर हमला कर दिया था। मेरे रिवाल्वर निकालने के बीच में उनको समय मिल गया। मैं मिसाल पेश कर रहा हूं जिस तरह पानी में ईंट मारने से गोल दायरा बन जाता है उसी तरह भीड़ छट गयी जैसे पानी में ईंट फेंकने पर पानी फैल जाता है उसी तरह से वह दूर हो गए। वह हमलावर रिवाल्वर निकालने का फायदा उठा कर भाग गये। मैं बच गया अगर नहीं बचा होता तो यहां पर शोक प्रस्ताव आप कर लेते इसके बरखिलाफ अगर मैं जख्मी होता तो क्या होता। मैं यह कहने जा रहा हूं कि वहां पर नजदीक में दो आरम्ड कांस्टेबुल खड़े थे उनमें से एक भी आगे नहीं आया और मुलजिमान भाग गये कोई पुलिस कर्मी नहीं आया मैंने यह सब कुछ इसलिए बरदाश्त किया कि दूसरे दिन सुबह होली का त्योहार था अगर मैं जख्मी हो जाता तो मेरे इलाके और साथ मिले इलाके मुरादाबाद में इसका नतीजा क्या होता। हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते, कितनों की जानें जाती, कितने घर जल जाते। तो वह अंदाजा लगा सकते हैं जो फसादात की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। यह बड़ा ही नपातुला मनसूबा था अगर हालात पर मेरी मजबूत पकड़ न होती तो क्या से क्या हो गया होता।

मान्यवर, प्रदेश में मेरे खिलाफ एक सुनियोजित कार्यवाही हो रही है। माननीय मुलायम सिंह जी पर हमला हुआ। मैं खुला आरोप लगाता हूं, किसी को जिन्दा रखना या न रखना इस सदन के बस की बात नहीं, लेकिन यह काम जानबूझ कर एक मनसूबे के अनुसार हो रहा है कि जहां लोकदल का लीडर मजबूत है उसको खतम किया जाय।

(व्यवधान)

मैं अपने जिले में मान्यवर, लोकदल का ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसने कांग्रेसियों के दांत खट्टे कर दिये हैं उनको मुझसे खतरा है। वहां का नवाबजादा मेरे रहते गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता, वहां का नवाबजादा हरिजनों की बस्तियों को नहीं जला सकता है, वहां का नवाबजादा मेरे रहते रजा टेक्सटाइल के मजदूरों पर जुल्म नहीं कर सकता। मेरे होते हुए मेहनतकश बीड़ी मजदूरों का शोषण नहीं हो सकता।

मान्यवर, दूसरे दिन होली का त्योहार था तो इस घटना को नया रंग देकर फिरकेवाराना तहरीक बनाने की साजिश यहां के होम सेक्रेटरी ने की। मैंने कहा कि यहां पर जो कार्यवाही हो रही है जो तरीका इनके द्वारा अख्तयार किया गया है उसमें मेरी छवि को पूरे सूबे में धूमिल करने की कोशिश हो रही है। रामपुर में फसाद हो जाता, मुरादाबाद में फसाद हो जाता तो इसकी तमाम जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी जाती या यहां के होम सेक्रेटरी के ऊपर जाती।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह हमला काशीनाथ जी आप पर भी कभी होगा आप बच नहीं पायेंगे यह जो सरकार का रवैया है। क्या कभी दिल की मुतालिक कैफियत होती है इन्सान दूसरों के गम देख कर अपने गम भूल जाता है। अभी पांच मिनट पहले जिस तरह से हरिजन को जलाने की बात आयी तो इस जालिम सरकार ने किस तरह से एक हरिजन को जला दिया उसमें मेरे ऊपर हमला हुआ तो कोई गलत नहीं हुआ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, काशीनाथ जी हमला करते हैं करवाते नहीं हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह जहां कांड हुआ उसके 50 कदम दूर पर थाना सिविल लाइन

है। 100 कदम की दूरी पर डी0 एम0 का रेजीडेन्स और 200 कदम की दूरी पर पुलिस अधीक्षक का रेजीडेन्स है, लेकिन न तो जिलाधिकारी वहां आयीं और न पुलिस अधिकारी ठीक समय पर आये। वहां नेशनल हाई वे पर साढ़े तीन घन्टे तक 20 हजार लोगों ने अपना धरना जारी रखा और रास्ते को रोक दिया मांग थी पुलिस कर्मी निलम्बित हो मलजिमान गिरफ्तार हो यह शर्मनाक साजिश कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई थी। लेकिन जो होली का बहाना लेकर फिरकेवाराना फसाद कराना चाहते हैं उसी तरह यह कांग्रेस दल और वहां का नवाबजादा फिरकेवाराना फसाद कराना चाहता है इसीलिये जिलाधिकारी वहां नहीं आये और पुलिस अधीक्षक दो घन्टे बाद आये। जिनको नामजद रिपोर्ट में लिखाया गया उन मुल्जिमों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया लेकिन हमारी तरफ के लोगों ने उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया और फिर पुलिस को अपने कार्यकर्त्ता के साथ भेजकर गिरफ्तार कराया गया। मान्यवर, 8 बजे का वाकया था मगर 12-50 बजे मेरी रिपोर्ट दर्ज की गयी। मैं बहैसियत वकील जानना चाहता हूं और इसी लिये सदन से कहना चाहता हूं कि यदि मुकदमा चला, तो 4 घन्टे का जो वाकया है उससे यह मामला गैर कानूनी हो जायेगा और मुकदमें में कोई जान नहीं रह जायेगी।

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि धारा 307 और धारा 393 का मुकदमा मेरे रिवाल्वर छीनने के सिलसिले में कायम हुआ आम हालात में भी ऐसे मुल्जिमानों की जमानत हाई कोर्ट से पहले नहीं हो सकती है। धारा 307 और 393 नान-बेलेबुल आफेंस है। मान्यवर, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि यह मुल्जिमान चूंकि कांग्रेसी थे, नवाबजादा और पार्लियामेंट के जर-खरीद थे, इसके पहले दो बार और यह तीसरी बार हमला हुआ, यह हमला इसलिये था कि वह आवाज जो उनके खिलाफ उठती है, यहां न उठ सके। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मुल्जिमानों को गिरफ्तारी के 4 घन्टे बाद रिहा कर दिया गया जबकि यह संगीन वाकया है और धारा 307 तथा 393 के अन्तर्गत है जिसमें हाई कोर्ट से पहले जमानत नहीं हो सकती है और चूंकि होली का पर्व था, हम चाहते थे कि यह पर्व अच्छी तरह हो और कोई फिरकेवाराना माहौल पैदा न हो, इसलिए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से श्री मोहन सिंह और श्री मुहम्मद आजम खां की बात सुनी। श्रीमन्, आपका ध्यान और सदन का ध्यान होली और ईद जो राष्ट्रीय पर्व हैं, उनकी क्या महत्ता होती है उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं और यदि श्री आजम खां ने आइने अकबरी को पढ़ा होता तो यह जिक्र यहां न करते, मान्यवर, अकबर बादशाह हर वर्ष इस बात का एलान करता था कि होली और ईद के त्योहार से परहेज करने वाले और इसके प्रति घृणा करने वाले प्राण दंड के भागी होंगे। तो राष्ट्रीय पर्व पर, होली के अवसर पर यदि कोई रंग डालता है जिससे आपने परहेज किया और गाली आपने दिया।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह होली के त्योहार का सहारा लेकर फिरकेवाराना फसाद कराना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

वहां दो गिरोहों में झगड़ा हुआ लेकिन आपकी मंशा रायट कराने की थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र जी, आप बैठ जायं, संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, किसी पर लगाम नहीं है । अब घटना क्या है, इसको आप सुन लें,

(व्यवधान)

आजम खां साहब इतनी देर बोलते रहे आपने उन्हें सुना और हम सबने सुना । आप देखें घटना क्या है, यह तथ्य से परे उन्होंने बात कही है,

(घोर व्यवधान)

(सर्वश्री यशपाल सिंह, मुहम्मद आजम खां व काशीनाथ मिश्र साथ-साथ बोलते रहे ।)

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर) ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । इसको आपने ऐसा बना लिया है

(व्यवधान)

मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैंने आपको (श्री काशीनाथ मिश्र से) सुन लिया है, अब आप बैठें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप घटना तो सुन लें, सारा सदन घटना की सच्चाई से तो अवगत हो जाए । जो तथ्य इन्होंने कहा है, उसमें इन्होंने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है । सारी सच्चाई का तोड़ मरोड़ कर रखा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मुझे घटना नहीं सुनना है, मैंने संसदीय कार्य मन्त्री जी को बुलाया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

तो मैं सदन का इस पर त्याग करता हूं ।

श्री सुन्दर सिंह--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री काशीनाथ मिश्र व श्री सुन्दर सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

अगर यह नहीं बोलेंगे तो इनकी कार छिन जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

आजम खां साहब ने पूरी घटना बताई और उससे पहले मोहन सिंह जी ने उस पर विस्तार पूर्वक कुछ कहा । सबसे पहली बात जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि न तो किसी प्रकार का इसमें राजनीतिक षडयन्त्र है, न किसी प्रकार की कोई योजना थी, और न कांग्रेस सरकार अथवा कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार के इस तरह के षड्यन्त्र में विश्वास करती है । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

में उनकी सन्तुष्टि के लिए, आजम खां जी के सन्तोष के लिए, जो कोई भी वह एजेंसी बतावें और कहें कि उस एजेंसी से इसकी जांच करवा दीजिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

श्रीमन्, आप पहले चेतराम गंगवार को सुन लीजिए, वह किसी को सुनने नहीं देना चाहते हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मुझे बड़ा असन्तोष है कि आजम खां साहब, जिन्होंने पूरी घटना बताई, उसमें उन्होंने पूरे तथ्य नहीं बताए हैं। जब वह बस स्टैण्ड से...

(व्यवधान)

में अध्यक्ष जी द्वारा आपको समर्पित कर रहा हूं। जब वह बस स्टेशन पर पहुंचे तो झगड़ा कैसे हुआ, क्या हुआ इसको आप जानें और इसमें रंग की भी बात है। वह कहते हैं कि रंग की बात नहीं है, किन्तु रंग की भी बात उसमें स्पष्ट रूप से है...

(व्यवधान)

मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो कुछ भी इस सदन में कहेंगे सच कहेंगे और उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन इधर भी बहुत से माननीय सदस्य हैं जो इस बारे में तरह-तरह की बातें कह रहे हैं, उनकी बात का भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो इसकी जांच हम सी0 आई0 डी0 के द्वारा करवायेंगे कि किन कारणों से यह सारी बात हुई। जो एक्शन लिए गए हैं...

(व्यवधान)

जब आजम खां बस स्टेशन से थाना सिविल लाइन्स पहुंचे, वहां के इन्चार्ज ने कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं और जिन दो कांस्टेबुलों के बारे में उन्होंने बताया था कि वह बन्दूकें लिये खड़े रहे और उन पर कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि उनको तत्काल निलम्बित किया गया। एफ0 आई0 आर0 में बाद को दो व्यक्तियों के नाम बताये गये, पहले नहीं बताये गये थे उनको गिरफ्तार किया गया। विवेचना जारी है। माननीय आजम खां साहब उस वक्त सारी कार्यवाही से सन्तुष्ट भी थे।

(व्यवधान)

रास्ता अवरुद्ध इसलिये हुआ था कि रिक्शा चालकों ने नेशनल हाइवे पर कुछ रिक्शा उलट दिये थे। माननीय आजम खां साहब रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष हैं...

(व्यवधान)

मान्यवर, हमें दुख है कि इस तरह की चीज हुई, मगर सरकार पर इस तरह का यह चार्ज नहीं लगा सकते कि तत्परता से कार्यवाही नहीं हुई।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि इस सारे मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जायेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाये, फिरकेवाराना नकाब जो चेहरों पर पड़ी हुई हैं उनको उठाया जा सके और यह चीज सामने आ सके कि यह झगड़ा क्यों हुआ, किस बात से हुआ। सरकार को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है यह भी बेनकाब होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार न करें, सरकार स्वयं इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी करायेगी। उससे सारे तथ्यों

का पता चल जायेगा, चेहरों से नकाबें हट जायेंगी और माननीय नेता, विरोधी दल तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को फिर से सोचने के लिये मजबूर होना पड़ेगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि रामपुर के एक विधायक के साथ एक घटना घटी और होम सेक्रेटरी का एक बयान भी अखबारों में छपा जिसके कारण सारे प्रदेश में एक साम्प्रदायिक लहर फैल गयी । यह दंगा फैलाने का काम सरकार न किया । इसलिये मेरी मांग है कि होम सेक्रेटरी को हटाना चाहिये...

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री भोलालाल--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है उस पर हमें यकीन करना चाहिये, पर एक बात का स्पष्टीकरण और मन्त्री जी कर दें । धारा 307 का मुकदमा जब दर्ज होता है तो उसमें जमानत सेशन के नीचे नहीं होती, इस मामले में थानेदार ने कैसे छोड़ दिया । इस चीज में शंका पैदा होती है कि पुलिस में और हमलावरों में साजिश थी ।....

श्री अध्यक्ष--

जुडीशियल इन्क्वारी आप कब से आरम्भ करवा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसी हफ्ते के अन्दर इसके आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना । जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना का सम्बन्ध है मैंने उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है । माननीय मोहन सिंह और अन्य सदस्यों ने जो कहा तो उस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मन्त्री ने जुडीशियल इन्क्वायरी कराने का आश्वासन दिया है । नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें हैं, मैं सबको अस्वीकार करता हूं ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से...

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसको दिखवा रहा हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मेरे ऊपर जो बीती है उसको मैं कहना चाहता हूं । मुझे भी गम्भीर खतरा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप 3 बजे मेरे कक्ष में आ जायं ।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग

*सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,91,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 2 बजकर 19 मिनट पर अधिष्ठाता श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, सहकारिता समाज का दर्पण है । सहकारिता जन आंदोलन है । यही कारण रहा कि आज दो मिलने के बाद भारत के संविधान के निर्माताओं ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र बनाया । सहकारी क्षेत्र के माध्यम से देश और प्रदेश में बहुत कार्य हुआ और हमारी पंचवर्षीय योजनायें चलीं और उसमें सहकारिता को प्राथमिकता दी गयी । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि भारत के ग्रामीण अंचलों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है । उत्तर प्रदेश ग्रामों का प्रदेश है । प्रदेश के ग्रामों में प्रदेश की जनता की आत्मा बसती है । तो मान्यवर, सहकारिता के माध्यम से कई ऐसे कार्य किये गये जिससे ग्रामों से लेकर शहरी क्षेत्र तक एक जाल सा बिछा दिया गया और उसके माध्यम से इस प्रदेश के विकास की योजना चली । जब हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि किस तरह से सहकारिता गांवों तक फैली हुयी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियों की संख्या 20,302 है । उनके सदस्यों की संख्या 1 लाख 30 हजार है । इसमें प्राधिकृत पूंजी जो है वह 271 करोड़ रुपये की है । जो कार्यशील पूंजी है वह 2137 करोड़ रुपये की है । हमारे उत्तर प्रदेश में 56 जिला सहकारी बैंक हैं और एक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक है जो शीर्षस्थ संस्था है । इसी प्रकार प्रदेश में 8 हजार 618 प्रारम्भिक साधन सहकारी समितियां हैं वह इस बात का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से आज हमारे प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वह अनुकरणीय है ।

आज हम देखते हैं कि जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं और जो हमारे जिला सहकारी बैंक हैं उनकी शाखायें 1090 हैं जो इस वर्ष के अन्त तक 1134 हो जायेंगी यह इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, गरीबों, निर्बल वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है । हमारे जो बैंक हैं वह अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्य कालीन ऋण जनता को उपलब्ध कराते हैं। किसानों की फसल सृजित करने के लिए उनकी रखवाली के लिए, मध्यकालीन ऋण आदि के लिए इस प्रकार की योजना जो है, पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है । पिछले जो वर्ष हैं, उसमें इन बैंकों और समितियों के माध्यम से 250 करोड़ का लक्ष्य है । जनवरी, 1984 तक 206.30 करोड़ रुपया बांटा गया है । यह इस प्रकार का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में हमारी संस्थायें किस तरह से हमारे प्रदेश में सेवा कर रही हैं । प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हमारे बैंक हैं वह किस तरह से जनता की सहायता करते हैं कि आज से कुछ दिन पहले देश और प्रदेश के अन्दर जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की गयी, जितना ऋण सभी प्रदेशों में बांटा गया है, यह एकीकृत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अन्दर 48 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बांटा गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की गयी है । इसके लिए भारत सरकार की तरफ से बधाई मिली ।

(शासक पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गयीं ।)

यह हमारा बहुत बड़ा सहकारिता का योगदान रहा है । हमारे भूमि विकास बैंक जो हैं, वह दीर्घकालीन ऋण देकर प्रदेश की जनता को, जो हमारा यह

नारा है कि हम देश के गांव-गांव के खेत तक पानी पहुंचायेंगे, ट्रैक्टर और सिंचाई के साधन तथा अन्य तरह के साधन देकर, गांव की जनता की सेवा करेंगे, उसके लिए हमारे भूमि विकास बैंक ने सेवा की है। आज भूमि विकास बैंक ने एक अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो इस प्रदेश में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम देखते हैं कि आज उपभोक्ता जो हमारा सहकारी संघ है, जो बिचौलिया करते थे, यह हमारा उपभोक्ता संघ अगर न होता, तो आज हम देखते कि कीमतें किस तरह से आसमान छू रही हैं और ग्रामीण और शहरी लोगों को उपभोक्ता की चीजें किस तरह से नहीं मिलतीं। इसके माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत हमारी संस्थायें जनता की सेवा कर रही हैं। सभी सहकारी संस्थाओं द्वारा पिछले वर्ष 320 करोड़ का व्यापार हुआ। इस वर्ष जनवरी तक 168 करोड़ का व्यवसाय आज उपभोक्ता के माध्यम से हुआ है। तीसरी जो संस्था पी0 सी0 एफ0 है, उसके माध्यम से गांव-गांव में उर्वरक पहुंचा कर, गांव-गांव में चीनी पहुंचा कर और प्रदेश के अंचलों में व्यापार करके प्रदेश की सेवा कर रहा है। आज प्रदेश के अन्दर 250 क्रय-विक्रय समितियां, मंडियों में उचित मूल्य के लिए 1982-83 में 38.28 करोड़ का व्यवसाय किया है और मूल्य समर्थन योजना में 97.66 करोड़ रुपये का गेहूं, 36.7 लाख का धान क्रय किया है। पर्वतीय क्षेत्र में भेषज योजना में लगी 76 समितियों ने 21 लाख से अधिक का व्यापार किया है।

इसी प्रकार 82-83 में 464.5 करोड़ का व्यवसाय किया गया है। पी0 सी0 एफ0 में मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र दोनों की सेवा पी0 सी0 एफ0 कर रहा है। 8 करोड़ की लागत का सोयाबीन का कारखाना हल्द्वानी में लग रहा है जिसमें 30 हजार मैट्रिक टन क्षमता का प्राविधान है। यह पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। 4.7 करोड़ का 50 मैट्रिक टन का वनस्पति प्लांट पर्वतीय क्षेत्र हल्द्वानी में लगाया जा रहा है। इसी तरह मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहकारिता प्रदेश की सेवा कर रहा है।

विश्व बैंक की टीम अभी-अभी आयी थी। हमारे प्रदेश में विश्व बैंक के माध्यम से बनने वाले गोदामों का निरीक्षण करने के लिए यह टीम आयी थी। वहां से जो अधिकारी आये थे उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के माध्यम से साधन सहकारी केन्द्रों पर जो गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है वह सराहनीय है। विश्व बैंक की टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। यह सहकारिता की देन है। 3 हजार 111 गोदाम बन चुके हैं। 8133 समितियों में से 6037 गोदामों का कार्य पूरा हो चुका है। यह सहकारिता की देन है। पूरे प्रदेश में पी0 सी0 एफ0 कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में आलू की बहुत समस्या है। किसान आलू पैदा करता था और उसकी क्या दशा होती थी, किसान के आलू को रखने वाला कोई नहीं होता था वह बर्बाद होती थी। किसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसी समस्या को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने शीतगृह के निर्माण की योजना चलायी। इस योजना के तहत 119 शीतगृह बनने हैं। पहले इन गोदामों की क्षमता 2 हजार मैट्रिक टन की होती थी अब इसकी क्षमता 4 हजार मैट्रिक टन हो गयी है। 50 गोदाम बन चुके हैं, 42 का कार्य शुरू है। इस वर्ष 10 शीतगृह और तैयार हो जायेंगे। हमारे शीतगृह आलू के भण्डारण का कार्य कर रहे हैं। सहकारिता ने हमेशा मान्यवर, चुनौतियों का सामना किया है। चाहे प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात हो या सार्वजनिक वितरण की बात हो। उत्तर प्रदेश में सहकारिता ने

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुनौती को स्वीकार किया और कामों को सीमित रखते हुए प्रदेश की जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीजें उपलब्ध कराया।

मान्यवर, इसमें हमको सफलता मिली। अभी बिहार, पटना में पूरे देश का सम्मेलन हुआ सहकारी संस्थाओं का सम्मेलन। उसमें भारत के कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र ने उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिस प्रकार से सुचारू रूप से चलायी जा रही है, देश के अन्य प्रदेशों में भी उसी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करवायें। मान्यवर, 7956 साधन समितियों में 9344 दुकानें हैं। इस योजना के शुरू से आज तक 328.56 करोड़ का व्यापार हो रहा है। इस वर्ष फरवरी तक 62.72 करोड़ का व्यापार हो चुका है यह हमारे देहात की दुकानें हैं। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में 1010 समितियों में 21 79 दुकानें हैं। 164.13 करोड़ का व्यापार हुआ है। इस वर्ष 36.37 करोड़ का व्यापार हुआ है। जो हमारे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हैं वह बता रहा हूं। फसली बीमा की बात कहना चाहूंगा इस देश और प्रदेश में बड़े लोगों का बीमा होता था लेकिन आज सहकारिता के माध्यम से किसानों की फसल का सहकारिता बीमा शुरू हुआ है। सहकारिता की बहुत बड़ी देन है। इस वर्ष 1983-84 में 50 जनपद की 181 तहसीलों में यह योजना चालू की और इसमें 158 लाख का लक्ष्य था। जिसके लिये भारत सरकार ने सहकारिता को बधाई दी है कि फसली बीमा की शुरुआत की है।

मान्यवर, मैंने यहां के बैंकों के विषय में कहा हमारे उत्तर प्रदेश में नगरीय बैंक भी हैं जो शहरों की जनता की सेवा करते हैं। जिस तरह से हमारे देहाती अंचलों में बैंक थे इनका सहकारी संस्थायें करती हैं। मान्यवर सेवा मंडलों के माध्यम से बेरोजगारों के लिए जो दर-दर की ठोकर खाकर परेशान होते थे उनके लिए उनकी शिक्षा के अनुकूल उनको सेवा देने के लिए सेवा मंडल ने दायित्व लिया है। अभी अभी हमारे कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा कापियों को जंचवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जो हमारे इलाहाबाद का सेवा मंडल कार्य कर रहा है आज भी उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पहला अवसर है कि सहकारिता परिषद् का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ जो पहले कभी भी उत्तर प्रदेश में सलाहकार सहकारिता परिषद् का गठन नहीं हुआ। आज हमको सुनने में आया है कि आज देश में भारत सरकार सहकारिता परिषद् बनाने की सोच रही है। मान्यवर, सहकारिता के माध्यम से यह बात मैं नहीं कह सकता कि सारे कार्य अच्छे ही हुए हैं कुछ ऐसे भी कार्य हो रहे हैं या हो जाते हैं जिसकी बदनामी होती है उसकी जांच के लिए सहकारी सेल की स्थापना की है। जो उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे जैसा व्यक्ति हो बड़े से बड़ा अधिकारी हो छोटे से छोटा अधिकारी हो किसी माध्यम से अगर सहकारिता में उनके खिलाफ मामला गया है तो उसकी जांच होती है और सजा मिल जाती है यह सहकारिता की बहुत बड़ी देन है। प्रदेश में पी0 सी0 यू0 के माध्यम से कई शिक्षण संस्थायें हैं इसमें सहकारिता के लिए शिक्षा दी जाती है जो इस प्रदेश की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हैं। मान्यवर, जो सहकारिता बन रही है हमारे इस पक्ष के भी और उस पक्ष के भी लोग कह रहे हैं कि सहकारिता में सहकारीकरण हो गया है। सरकारी लोगों की चलती है।

मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी देन रही है आजकल की कि प्रशासकों की नियुक्ति जो प्रदेश में भ्रामक बात फैली हुई है इसके लिए करेंगे। यह सहकारिता की बहुत बड़ी देन है। इस तरह से मान्यवर, भूमि विकास बैंक

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, पी0 सी0 एफ0 आदि अन्य अनेक संस्थाओं के माध्यम से इस प्रदेश का जो कार्य किया गया है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि प्रदेश में जो हरित क्रांति आयी है, उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी के कारण प्रदेश आत्म-निर्भर हुआ है। यह सहकारिता की बहुत बड़ी देन है।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--66, सहकारिता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, आंकड़ों के आइने में माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के माध्यम से प्रदेश के जन सामान्य को उपलब्धियों का अवलोकन कराना चाहा है। निस्सन्देह मैं यह बताना चाहूंगा सुझाव के रूप में....

श्री धरम पाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य कभी कोआपरेटिव के कैशियर भी रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य व्यवस्था के नाम पर इस तरह के लांछन न लगायें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय सदस्य किसी मट्ठे में कभी पथेरा भी रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

इसका जवाब वही दे सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैंने सहकारिता के बारे में जानने का प्रयास किया है। मिलकर कार्य करने के नाम संगठित और सहकार्य है और यहीं से सहकारिता के रूप का प्रादुर्भाव होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले कोई काम नहीं कर सकता है। चाहे भौतिक हो या आत्मिक हो, किसी भी कार्य को करने के लिये समाज का सबल साथ चाहिये। उसके कृत्य की कृतियों से उत्पन्न उपलब्धियां ही समाज के सबल हाथों की देन होती हैं और यही कृतियों के उपकरण जो हमारे बीच में आते हैं, जीवन को सुखी, समृद्ध और शान्तिपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। यह महत्ता संगठन में से निहित है। जब संगठन के रूप में कोई काम करते हैं तब सुखी स्थिति में जीवन और सुखी दिखाई पड़ता है और दुःख के समय दुःख का आघात घटकर न्यून हो जाता है। इसी प्रकार सहकारिता के माध्यम से कोई काम करते हैं तो इसका लाभ समाज को सम्पूर्ण रूप से मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से सहकारिता विभाग में हानि और सरकारी धन का अपहरण हुआ करता है, उससे कोई एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता। इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसके मूल उद्देश्य समग्र लोगों के मिलकर चलने और गतिरोध को कम करने की कोशिश करें।

मान्यवर, सबसे पहला गतिरोध का या दुरभिसन्धि इस विभाग में यह है कि इस विभाग की स्थापना के समय इसका मूल उद्देश्य यह था कि व्यक्तिगत साहूकारी के पंजे से सामान्य जनजीवन को मुक्त करेंगे और जन जीवन को सुखी करेंगे। गांव के किसान को उन्नति-पथ पर ले जायेंगे। उनको वस्त्र मुहैया कराया जायेगा और उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। और वह सबल होगा। आज हम देखते हैं कि जिस सहकारिता विभाग को पहले डी0 बी0 था अब वह कैन्सर में बदल

गई है। ऋणों के बारे में कहा गया कि हम तीन प्रकार के ऋण देते हैं। अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घ-कालीन। दीर्घकालीन एजेन्सियों के रूप में जो कार्य करती हैं वह भूमि विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 मार्च, 1959 को हुई थी, उस समय वह शैशव काल में था। इससे पूर्व का मैं आप को अवलोकन कराना चाहता हूं कि अल्प कालीन और मध्य कालीन जो ऋण आपके विभाग द्वारा दिये जा रहे हैं, आपके विभाग के अमीन, सहकारी पर्य-वेक्षक किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। आपके जो अधिकारी हैं, वे सरकार की गाड़ियों पर बैठकर सड़क पर देखे जाते हैं।

माननीय मन्त्री जी आप भी गांव के रहने वाले हैं। देवरिया और बलिया एक ही हैं। आप नहीं जानेंगे तो आपके निकट वाले जानेंगे कि आज आपके विभाग द्वारा सामान्य जनता के हितों की हत्या किस प्रकार की जा रही है। आपका जो सचिव होता है, जो खाद देने का बड़ा अधिकारी होता है, वह किसानों से दस्तखत करा लेता है। खाद तो वह 3 बोरी देता है, परन्तु वसूली करता है 30 बोरों की। और खाद वितरण की आप दुहाई देते हैं। इसको पकड़ने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। वह हरिश्चन्द्र है, वह विश्वामित्र है और वह कर्ण है। आपका सचिव, साधन सहकारी समिति सर्वोपरि है। जो कुछ वह लिख देता है, वह अमिट छाप हो जाती है। आज जिस तरह से उनसे वसूली की जा रही है और जिस प्रकार वे लोग असुरक्षित हैं इससे उनको बचाया जाय, उनकी (किसानों की) सुरक्षा व्यवस्था की जाय।

भूमि विकास बैंक के माध्यम से जो दीर्घ कालीन वितरण व्यवस्था का प्रश्न है, यह एक प्रसन्नता की बात है। आज आप इसके माध्यम से ट्रैक्टर, पम्पसेट और रहट आदि-आदि चीजें देने के लिए जो व्यवस्था की गई है, हमें लगता है कि आप अपने इन अधिकारियों के जाल में फंसकर, इन सभी चीजों को उपलब्ध नहीं करवा पायेंगे। विश्व-बैंक की प्रशंसा-पत्र की बात आप करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जिन लोगों ने आपको माननीय बनाया है क्या उनसे भी आपको इसी तरह का प्रशंसा-पत्र मिला ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र जी आप भी तो प्रशंसा-पत्र दे रहे हैं। स्वस्थ आलोचना भी तो प्रशंसा-पत्र है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, व्यक्तिगत आक्षेप तो कोई है ही नहीं। अगर वह आयेगा, तो आगे चलकर आयेगा, अभी तो नहीं है।

भूमि विकास बैंक के माध्यम से सामान्य जन और किसानों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, दी जाती हैं, वह सुविधाएं कम और शोषण अधिक होता है। पम्पिंग सेट का लोन देते समय ग्राम विकास अधिकारी 500 रु0, बिचौलिये का कुछ अलग और एक हजार रुपये उनकी शाखा के प्रबन्धक प्रति पम्पिंग सेट लेते हैं। मान्यवर ट्रैक्टर की बात दूर रही, गोबर गैस की बात तो दूर रही।

अभी माननीय साथी धरम पाल ने एक बात कही थी। मान्यवर, साथी धरम पाल, जिन्होंने राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया है और उनकी राजनीतिक वल्दियत और सकूनत में अन्तर आ गया है। मुझे गर्व इस बात का है कि मैं सहकारिता विभाग में कोषाध्यक्ष रहा हूं और मुझे इसकी बाबत व्यक्तिगत अनुभव है। माननीय मंत्री जी मेरे ज्येष्ठ भाई हैं यह चुनौतियां देते हैं सदन में, मेरी भी यह चुनौती है, अगर वह व्यवहारिक धरातल पर सत्य न उतरें, तो यह चाहें सदन में बैठे रहें, त्याग-पत्र न दें, लेकिन मैं देवरिया वापस चला जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता--

वल्दियत की बात भाई धरम पाल से ही पूछनी पड़ेगी ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

ऐसे लोग सोचते नहीं हैं ।

मान्यवर, भारतीय रिजर्व बैंक और जिला सहकारी बैंक के बीच में, जितनी ऋण देने की एजेन्सियां काम करती हैं, उनके माध्यम से किसानों की सुविधा जहां तक मिलने की बात है, उनमें सुविधा तो कम है, शोषण अधिक है । यह एजेन्सियों में काम करने वाले लोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकारी बैंक से सम्बद्ध हों, या बीज की एजेन्सी हो, वह तमाम सारे लोग बंगलों में ठाठ से रहते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं और ऐश-आराम की जिन्दगी व्यतीत करते हैं । मान्यवर, मैं कहूंगा कि उन एजेन्सियों, बिचौलियों को, समाप्त किया जाय और मेरा सुझाव यह है कि जिला सहकारी बैंक और सभी बैंकों को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की शाखा के रूप में कार्य करने के लिये स्थिति का निर्माण कराया जाय इससे सूद का प्रतिशत घटेगा और किसानों के ऊपर ऋण भार कम पड़ेगा और उनको इस सहकारिता के माध्यम से होने वाले लाभ का प्रतिशत कुछ बढ़ जायेगा ।

मान्यवर, यहां गांधी जी की चर्चा आयी, गांधी जी के औरस पुत्र होने के नाते, लोकतंत्र में इनकी बड़ी आस्था है, बड़ी निष्ठा है, यह लोकतांत्रिक धारी लोग साधन सहकारी समितियों से लगायत जिला सहकारी बैंकों तक प्रशासकों की नियुक्ति कर, उनके माध्यम से अनुचित धन का लाभ लेने का उपक्रम सफल रूप से कर रहे हैं । और मान्यवर यहां तक कि यह लाभ फाजिल नगर के उप चुनाव तक उतर गया । हमारे यहां बैंक में कार्य करने वाले, जिला सहकारी बैंक में, जितने कर्मचारी अधिकारी थे, कांप गये थे । मेरे मण्डल के उप निबन्धक, गोरखपुर मण्डल के उप निबन्धक आज भी उस चुनाव का खामियाजा निकाल रहे हैं । मान्यवर, सचिवों की नियुक्ति होनी थी और उसमें 5 हजार प्रति सचिव की दर से लगाकर 10 हजार को बीच तक के पैसे की बात थी । आप चाहें तो मंत्री जी इस बात को नोट कर लें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दुर्गा प्रसाद जी, जो आक्षेप आप पैसे का लगा रहे हैं, उस से सम्बन्धित जो आपके पास सबूत हों, उन्हें आप जांच इत्यादि के लिये माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, ऐसा लोग कहते हैं, मैं उसी जिले का रहने वाला हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आपके पास इसकी बाबत किसी तरह के सबूत हों, तो आप उन्हें मंत्री जी को दे दीजियेगा । मैं यह कह रहा हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा ।

मान्यवर, यह स्थितियां इतनी दूभर हैं कि वहां पर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित माध्यम से नहीं कर रहा है । वे बराबर धन अर्जन और शोषण की नीयत से सक्रिय हैं । सहकारिता विभाग और सहकारिता में कार्य करने वाले सहकर्मी लोग चाहे रहें या न रहें, उनके बड़े अधिकारी और उनका कहना है कि माननीय मंत्री जी स्वयं सन्तुष्ट रहें, विभाग रहे या न रहे, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

कोई विभागीय सुझाव भी दीजिये ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, इसके अलावा वितरण की व्यवस्था आने से ऐसा कैंसर हो गया है

इस विभाग को कि इससे सहकारिता के मूल को छोड़कर, दूसरी तरफ इसके कर्मचारी अधिकारियों का झुकाव हो गया है। इससे ऋणियों की सदस्य संख्या नहीं बढ़ रही है और ऋणी की वसूली नहीं हो रही है। स्थिति क्या होगी, कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा है। सारे छोटे-बड़े अधिकारी और कर्मचारी चीनी, रेपसीड आयल, पाम आयल, मिट्टी का तेल और कपड़ा, जिसमें तत्काल अनुचित लाभ हो, उसमें लगे रहते हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, यह व्यवस्था ही ऐसी है, इसमें उनके घर का पैसा तो लगता नहीं है, समिति का पैसा लगता है, बैंक लोन एडवान्स करती है, लाभ तत्काल मिल जाता है। वितरण की व्यवस्था का कोई भी माध्यम किया जाय लेकिन अगर सहकारिता विभाग को जीवित रखना है और इसके माध्यम से जनसेवा करने की आकांक्षा है, तो वितरण व्यवस्था को अलग कर दीजिये। सहकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ा है। सहकारिता विभाग पहले ही किसी से कम भ्रष्ट नहीं था, यह भ्रष्टाचार का मूर्तिमान स्वरूप था। अब इसमें कुछ नियंत्रण जिला पूर्ति अधिकारी का हो गया है, कुछ परगनाधिकारी का हो गया है और सहायक निबन्धक तो इसके माई-बाप हैं ही। ललचाये हुए लोग इससे अनुचित लाभ लेने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

15 मिनट और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत सारे लोग इस पर बोलना चाहते हैं, आप शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

ठीक है, मान्यवर।

सहकारी पर्यवेक्षक, जिस पर आधा नियंत्रण बैंक का होता है और आधा विभाग का होता है, यह अर्द्ध नारीश्वर के रूप में होता है। इसका वेतन और व्यय भार का वहन भी आधा-आधा दोनों करते हैं। इसको या तो बैंक का पूर्णकालिक सेवा कर्मी बना देना चाहिये या विभाग का। गांव के भूखे नंगे लोगों की गाढ़ी कमाई का सूद का पैसा गांव के लोगों को मिलना चाहिये, लेकिन आपने देखा होगा कि उस पैसे से बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पी0 सी0 एफ0 का भवन है, जिसमें कि विक्रीकर और चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के भवन में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय है। मेरा कहना है कि अगर सहकारिता विभाग दूसरी शाखाओं के साथ सहयोग नहीं कर सकता तो फिर दूसरे लोगों के साथ क्या सहयोग करेगा। एक ही भवन है। विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कार्यालय इसमें रहते। विक्रीकर को, चकबन्दी को, भारतीय रिजर्व बैंक को भाड़े पर दे सकते हैं, लेकिन पी0 सी0 एफ0 और अन्य शाखाओं को भाड़े पर रख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अधिकारियों की संख्या अधिक हो गई है।

शीतगृहों का निर्माण चल रहा है। माननीय मन्त्री जी ने संकेत किया है कि आलू की पैदावार अधिक होगी और उसकी सुरक्षा भी होगी। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन यह आलू देहातों में बोया जायगा और शीतगृह लखनऊ में बनाया जायगा। देहातों में भी सड़कें और बिजली हैं। शीतगृहों के लिए किसी दूसरी जगह की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां सड़क हो, बिजली हो वहां पर अधिकांश शीतगृह बनाया जाता है, लेकिन छोटे-छोटे गांवों में भी जहां पर बिजली हो और सड़क हो, बनाया जाना

चाहिए इससे किसानों को जो भाड़ा आलू शीतगृह तक पहुंचाने में देना पड़ता है वह बचेगा और इससे आलू की पैदावार भी ज्यादा होगी और उसे उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और दूसरी बात प्याज के शीतगृह भी बनाये जाने चाहिए। प्याज ज्यादातर देवरिया और बनारस के बीच में अधिक पैदा होती है, इसलिए इन स्थानों पर प्याज के शीतगृह बनाए जायं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या मिश्रा जी आपको जानकारी है कि प्याज शीतगृह में रक्खी जा सकती है, जहां तक मैं समझता हूं कि वह शीतगृह में और खराब हो जाती है, वह तो ओपेन में रखी जाती है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

जी नहीं, मेरी जानकारी है कि प्याज शीतगृह में रक्खी जाती है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मिश्रा जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने शीतगृहों के बारे में बताया तो शीतगृहों का आकार और रचना क्या होगी क्या इसके बारे में भी आपने सोचा है यदि नहीं तो क्या इस सम्बन्ध में भोला पान्डे जी से पूछा ?

(हंसी)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मैंने पहले भी शीतगृहों के बारे में यही सुझाव दिए थे कि जिन बड़े-बड़े शीतगृहों के निर्माण हो रहे हैं, उन्हें बन्द कराकर छोटे-छोटे शीतगृहों का निर्माण कराया जाए और दूसरी बात जो विश्व बैंक की योजनाओं द्वारा जो खाद्यान्न गोदाम बन रहे हैं, वह पूर्णतया राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत बन रहे हैं और उनके स्थानों का चयन ऐसी जगहों पर किया जा रहा है, जहां पर खाद्यान्न के बिकने पर मिलने वाली राशि की सुरक्षा-व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए इस ओर मेरा सुझाव है कि इन स्थानों का चयन जहां पर गोदामों को निर्मित होना है, गांव के मध्य हो या बगल में ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विधायकों व माननीय मंत्री जी की जो भी संस्तुतियां इस सम्बन्ध में होती हैं, उसे अधिकारीगण मानते ही नहीं हैं, तो इस प्रकार से हमारे बहादुर मंत्री की भी इन अधिकारियों सामने नहीं चलेगी तो फिर शासन किस तरह से चलेगा और फिर छोटों को कौन सुनेगा। दूसरे किसान सेवा सहकारी समिति में जो 7 लाख रु0 की लागत लगी है और उसमें जो इ0 ओ0 और टी0 ओ0 की नियुक्तियां की गई हैं और जिनका सम्पूर्ण व्यय वेतन आदि मिलाकर इन समितियों को उठाना पड़ता है जब कि स्वयं यह समितियां आर्थिक रूप से कितनी सबल हैं, इसे आप और हम सभी जानते हैं।

श्री बच्चा पाठक—

यह व्यवस्था आपके ही के समय की है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

तो इस ओर मेरा यह सुझाव है कि या इन इ0 ओ0 और टी0 ओ0 को हटाया जाये या इनका सम्पूर्ण व्यय सहकारिता विभाग द्वारा वहन हो। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता भन्डारों के कर्मचारियों की कोई सेवा-नियमावली नहीं बनी हुई है, सम्भवतः ढ़ाई साल पहले बनी थी या अब बनने वाली है, इसलिए इस नियमावली को तत्काल बनवाकर शीघ्र ही क्रियान्वित करवाया जाये एक दूसरी बात यह कि प्रक्रिया इकाइयों में भवन और मशीनों के लिए ऋण दिए जा रहे हैं परन्तु उसके उत्पादन के लिए कच्चे सामान के लिए ऋण नहीं दिए जा रहे हैं, यदि ऐसा हुआ तो फिर भवन और मशीनों की उपयोगिता ही क्या है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जब आप भवन और

मशीनों के लिए ऋण दे रहे हैं तो कच्चे माल के खरीदे जाने की व्यवस्था भी आप करें।

मान्यवर, अब आपसे सम्बन्धित कुछ बातें हैं उसका स्पष्टीकरण आप देंगे। किसी ने सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश पोस्टल सहकारी बैंक के प्रशासक से आपने 10 हजार रु0 लिए। हमारे जिले के प्रबन्ध निदेशक एक बार विदेश यात्रा कर आये हैं और दूसरी बार जाने की उनकी योजना बन गई है। हमारे गांव के लोग अपने खेत की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, नहर का पानी पौधों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उर्वरक के अभाव में खेत जले जा रहे हैं और ये विदेश यात्रा के लिए हवाई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। यह जो दुरभि सन्धि चल रही है, यह नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिए। जो रह गया हो उसे दुबारा जब आप बोलें तो ले लीजिएगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

इसी के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए दोनों पक्षों के सदस्यों को सहकारिता के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय 3.00 बजे हैं साढ़े चार बजे तक बहस को समाप्त कर देना है क्योंकि उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे और कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद जी को बोलना होगा। मैं समझता हूं कि 5 मिनट का समय काफी रहेगा क्योंकि बहुत से लोग बोलने के लिए हैं। आप लोग कम से कम केवल अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में ही बोलें। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने समय का बराबर ध्यान रखेंगे।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)--

मान्यवर, आपने सहकारिता के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सहकारिता मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उससे पहले कि मैं बजट के डिटेल में जाऊं, माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको मैंने सुना उसमें तथ्य और कथ्य की बहुत कमी थी। मुझे कुछ ऐसा लगा कि होली की खुमारी के मूड में उन्होंने इसे रखा है तभी कुछ समझ में नहीं आया कि उनके कटौती के प्रस्ताव का आशय क्या है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

कहीं आप भी तो उसी मूड में नहीं हैं, तब कैसे आपकी समझ में आयेगा ?

(हंसी)

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)--

तो मान्यवर मैं कह रहा था कि सहकारिता इतना महत्वपूर्ण विषय है जैसे कि बिजली। जैसे कि बिजली के बिना बड़ी असुविधा होती है उसी प्रकार से सहकारिता भी जन-जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि किसी न किसी माध्यम से सहकारिता को टच न करता हो। वैसे हिन्दुस्तान में सहकारिता 1918 में शुरू हुई थी परन्तु देश के स्वतन्त्र होने के बाद नेहरू जी ने, जिनको ऐसा विश्वास था कि गरीबों का भला सहकारिता आन्दोलन के जरिए से हो सकता है, अतएव भारत सरकार ने सहकारिता को प्रोत्साहन दिया और आज स्थिति यह है कि सहकारिता गांव-गांव में प्रतिष्ठित हो चुकी है और हर क्षेत्र में बहुत पहले से खूबसूरती के साथ, शालीनता के साथ यह उच्च स्तर पर काम कर रही है।

मान्यवर, अगर बुराई करने के लिए ही बुराई की जाय तो हर एक में

हर जगह बुराई हो सकती है। लेकिन सहकारिता का स्वरूप वर्तमान मंत्रि मन्डल में श्रीयुत श्रीपति मिश्र मंत्रि मन्डल में श्री बच्चा पाठक ने इसे नया आयाम देने की कोशिश की है, व्यक्तिगत रूप से भी इसमें उन्होंने कोशिश की है, छापे मारे हैं, बराबर कार्यवाहियां हो रही हैं। और जितनी भी संस्थायें हैं, उन सबने प्रगति की है, कागज पर ही नहीं बल्कि यथार्थ में उनकी प्रगति बढ़ी है। मान्यवर, सहकारिता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी एक ही मांग थी कि सहकारिता परिषद् उत्तर प्रदेश में बनायी जाये, क्योंकि भारत के कुछ अन्य प्रदेशों में यह काम कर रही है। गत वर्ष माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जन प्रतिनिधियों को, सहकारिता के विशेषज्ञों की एक सहकारिता काउन्सिल बनाई, जिसकी मीटिंग महीने में एक-दो बार होती है और सहकारिता के मार्ग दर्शन, कार्यक्रम क्या होने चाहिये और उसमें क्या बुराइयां हैं, सहकारिता ऐक्ट और उसके नियमों में क्या चैन्जेज होनी चाहिए। इन सब पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया जाता है। 5-5 और 6-6 घन्टे तक मीटिंग होती है और इन सभी बातों पर डिसकशन होता है। सहकारिता में जो बुराइयां व्याप्त कर गयी हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाये और उनको दूर करके कौन सा नया रूप दिया जाये। सहकारिता परिषद् बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका निर्माण कर दिया गया है और उसने अपने कार्य को करना शुरू कर दिया है। अब हमारा विश्वास है कि सहकारिता में जो बुराइयां हैं वह समाप्त हो जायेगी और सहकारिता नियमों में भी आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सहकारिता में करीब 11 हजार सोसाइटियां गांवों में काम कर रही हैं और वे खाद, बीज, कृषि उपकरण और तमाम प्रकार के उपयोगी सामग्री को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए और जनता को हर सुविधा देने के लिए तत्पर हैं और यह मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं, यद्यपि कि यह बहुत ही मुश्किल बात है यह बड़ा ही दुरूह काम है। जन वितरण का कार्य बड़ा ही दुरूह कार्य है, परन्तु सहकारिता के जरये इसको करने की कोशिश की गयी है और उसमें सफलता भी मिली है। पहले खाद वितरण का कार्य प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जिसका परिणाम यह होता था कि शहरों में ही सारी खाद का ब्लैक में विक्रय हो जाता था, अब यह कार्य सहकारिता के माध्यम से किया जा रहा है और सुचारूरूप से चल रहा है। मान्यवर, दूसरे प्रदेशों की तुलना में इसकी बड़ी तारीफ की गयी है और यह कहा गया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जन वितरण का कार्य चल रहा है, उस प्रकार का और कहीं पर भी नहीं चल रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यादव जी, आप भूमि विकास बैंक के बारे में भी बता दें, वह चौथे नम्बर पर है।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—

मैं समझ नहीं पाया कि बाजपेयी जी यह किस मंशा से कह रहे हैं। इसके द्वारा किसानों को काफी सहायता पहुंचायी जा रही है। पी0 सी0 एफ0 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है और इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट हैं उनमें इसके सारे कार्यकलाप, प्राफिट, लास आदि का विवरण प्रकाशित होते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से यह संस्था काम कर रही है और इसकी प्रगति हो रही है। सहकारिता आन्दोलन ने जनता की हर क्षेत्र में सहायता पहुंचायी है, यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इन शब्दों के साथ में पाठक जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, समय थोड़ा है और कुछ इशारों में ही आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से काफी बातें करनी हैं। श्रीमन्, सहकारिता और समाजवाद दोनों का एक चोली-दामन का साथ है। न सहकारिता बिना समाजवादी विचारधारा के चल सकती है और न ही समाजवाद बिना सहकारिता की विचारधारा के आ सकता है। परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि माननीय मंत्री जी एक बड़े डायनामिक, बड़े प्रभावशाली और बड़े ताकतवर हैं, किसी चीज में कम नहीं हैं। कुछ अखबारों में माननीय मंत्री जी के खिलाफ दुनिया भर की बातें छपी, लेकिन सब साफ। यह माननीय मंत्री जी के शक्तिशाली होने की एक मिसाल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंत्री जी दूसरे विभागों और अनेकों चीजों के मामले में तो प्रभावशाली हैं लेकिन जहां आपके अपने विभाग की बात है, उसमें आपकी पकड़ ढीली है। आपका कन्ट्रोल आपके विभाग के ऊपर नहीं है। मैं इसकी कुछ मिसालें भी दूंगा जिससे आप वाकिफ भी होंगे।

श्रीमन्, आप 18 जनवरी को मुरादाबाद तशरीफ ले गये थे। वहां पर आपको एक मेमोरेंडम दिया गया था। आपके विभाग के जो आडीटर्स हैं, वे आडिट करते हैं। मुरादाबाद में अब तक सन् 1953 से लेकर दिसम्बर, 1983 तक 544 आडिट के मामले रिफर हुए जिनमें 3 करोड़ रुपये का इन्वालवमेंट है। इसी सम्बन्ध में 18 जनवरी को आपको एक मेमोरेंडम दिया गया था। उसके बारे में कोई भी कार्यवाही किसी भी स्तर पर कहीं भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि आपके आडीटर्स को डाइरेक्ट एफ0 आई0 आर0 लाज करने का अधिकार नहीं है, वह आपके विभाग को है। जब विभाग में कोई चीज आती है तो आपके विभाग के जो एम0 डी0 हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वे ए0 आर0 को सौंप देते हैं जिससे किसी भी स्तर पर कोई प्रभावशाली काम नहीं हो पाता है। सम्भल का मामला था। उसमें 4 लाख रुपये के सेल और पर्चेज का गोलमाल था। उसमें भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह केस भी आपको दिया गया था। दिक्कत क्या है। एक तरफ तो आपने सन् 1982 में इसी असेम्बली में जवाब दिया था कि हमारी जो साधन सहकारी समिति पकड़ेवास की है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर आपने बनाया है उसके ऊपर 8 सौ रुपये का बकाया है उसके चाचा के ऊपर 7,200 का बकाया है और सन् 74 से है उसके दूसरे चाचा के ऊपर 10,366 20 रुपये का बकाया है जो कि 20-1-81 से है और उसके तीसरे चाचा के ऊपर 6,219 रुपये 48 पैसे का बकाया 30-1-78 से है और इस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर स्वयं आपने बताया कि 800 रुपये का बकाया है। इसके साथ ही आपने यह भी कहा था कि उनसे लैंड रेवेन्यू की वसूलयाबी की जायेगी। आज तक वह लैंड रेवेन्यू की वसूलयाबी नहीं हुई क्योंकि वे तो एडमिनिस्ट्रेटर ठहरे, प्रभावशाली ठहरे।

दूसरी तरफ एक गरीब आदमी जो कि देवापुर ब्लाक का रहने वाला है आलेहसन नाम का है, उसे भैंस खरीदने के लिए तीन हजार रुपये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किये गये। 2,550 रुपये की भैंस आयी। 1,500 रुपये उसने जमा कर दिये। 833 रुपये की सब्सिडी दी गई और 300 रुपये की एक रसीद उससे और ले ली इस तरह से 2,633 रुपये की वसूलयाबी उससे हो गई। उसके बाद 1-12-1983 को 2,178 रुपये की उसके ऊपर नोटिस सर्व हो गई। जब उसकी बूढ़ी मां 15-6-83 को उस नोटिस को लेकर ए0 आर0 मुरादाबाद के पास आयी, जिसकी एक फोटोस्टेट कापी मेरे पास है, यह आदेश हुआ कि उसकी वसूलयाबी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो चुकी है, लेकिन ए0 आर0 ने उसकी बात नहीं मानी। उसका हिसाब लेकर वह मेरे पास आयी। इसलिए इस तरह का कोअरसिव मेथेड न अपनायें। यह आपके ए0 आर0 का खत है लेकिन आपके सचिव ने उस ए0 आर0 के खत को नहीं माना और वसूलयाबी का नोटिस जारी कर दिया और कुर्की की नोटिस दे दी। तो वह औरत भागी-भागी फिर रही है और उसका कहना है कि मैंने पैसा दे दिया है। तो यह गरीब की बात है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है दूसरी तरफ वह प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटर है। इसलिए मेरा कहना है कि आपका सहकारिता बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के चल नहीं सकता है। जब तक आप सहकारिता में इलेक्टेड लोगों को अधिकार नहीं देंगे यह सारी गड़बड़ियां होंगी।

यहां पर एल0 डी0 बी0 जिसकी बड़ी तारीफ की गई कि इससे अच्छा कोई बैंक नहीं है। तो यह बैंक ऐसा है जिसमें गरीबों को उसकी जमीन से वंचित किया जाता है, ऐसा किसी बैंक में नहीं देखेंगे कि जो ऋण के बदले में जमीन को नीलाम कर दे, जमीन से वंचित करना आपके 20सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ है और ला आफ जस्टिस के भी खिलाफ है। आर्य जी यहां पर बैठे हैं उनका करोड़ों रुपया एरियर में पड़ा है लेकिन आप जमीन की नीलामी नहीं कर सकते। आज पूरे सूबे में लैंड डेवलपमेन्ट बैंक से परेशानी फैली हुई है इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस चीज पर विशेष ध्यान दें और किसी कीमत पर उस गरीब की जमीन की जिसने विकास के लिए ऋण लिया है नीलाम नहीं होनी चाहिये। जब किसी गरीब की जमीन की नीलामी होती है और गांव का कोई आदमी खरीददार नहीं होता है तो आपका भूमि विकास बैंक खुद ही खरीददार बन जाता है। इसलिए चाहे बैंक हो या सोसायटीज हों उनमें निर्वाचित लोगों का होना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप करीब दुगना समय ले चुके हैं अब एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन--

इसी तरह जो आपके यहां एपाईंटमेंट की शिकायतें आती रहती हैं और वह बराबर रहेंगी जब तक आप निर्वाचित लोगों को नहीं लेंगे तब तक यह रहेगी क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को ही दे। मैं एक मिनट में खतम करता हूं। एक मिसाल है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध या यों कहिये घर की मुर्गी दाल बराबर चाहे उसे दाल की तरह खायें या सब्जी की तरह खायें।

श्री अधिष्ठाता--

क्या माननीय मंत्री जी के लिए कह रहे हैं?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी का अपने विभाग के ऊपर कंट्रोल है नहीं लेकिन दूसरे विभागों के ऊपर बड़ा प्रभावशाली कंट्रोल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसा कंट्रोल उनका मंत्रिपरिषद् पर है या उनकी लेजिसलेचर पार्टी पर है क्योंकि बड़ी मुहिम हुई कि श्री बच्चा पाठक को हटाओ लेकिन कोई हटा नहीं पाया, उसी तरह का कंट्रोल अपने विभाग पर भी डालें, जोर देकर कार्यवाही करें उन ए0 आर0 और डिफालटर एडमिनिस्ट्रेटर्स पर जोर डालें और उनको हटायें। आपकी अपने विभाग पर पकड़ नहीं है। यही बात कह कर जो माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनकी कटौती वह होने नहीं देंगे, उनको वह मानेंगे नहीं मैं इस कटौती के प्रस्ताव को इतना तकतवर बनाने की बात करता हूं कि शायद माननीय मंत्री जी का कुछ कट जाय या उनको समझ आ जाय, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(3 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर, अपना नाम बता दें ।

*श्री नकली सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि शायद मेरा नाम आपको पसंद नहीं आया, लेकिन यह नाम मेरे माँ बाप ने दिया है जिसको मैं छोड़ नहीं पाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना नाम तो बता दें ।

श्री नकली सिंह—

मान्यवर, मुझे क्षमा करें ।

मान्यवर, मैं सहकारिता मन्त्री, श्री बच्चा पाठक द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सहकारिता के बारे में कुछ कहना ऐसा लगता है कि जैसे अपने आपको कुछ कहना हो । मान्यवर, हर इंसान का जीवन सहकारिता से इतना जुड़ गया है कि किसी जगह पर अपने को सहकारिता से अलग नहीं देखता है । हर जीवन के पहलू पर सहकारिता दिखाई देगी । उत्तर प्रदेश के बारे में सहकारिता के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि जबसे श्री बच्चा पाठक सहकारिता मंत्री हुये हैं तबसे सहकारिता ने एक प्रकार की दौड़ भरना शुरू किया है । मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली जबसे सहकारिता में आयी है तब से कम से कम 100 प्रतिशत नहीं तो 99 प्रतिशत लोग खुश हैं । चूंकि उनको तेल, चीनी आदि समय पर मिल रही हैं ।

मान्यवर, प्राइवेट डीलरों को जो तेल की दूकानें दी गयी हैं तो उपभोक्ताओं ने हमसे शिकायतें किया है कि मिट्टी का तेल, चीनी आदि का कोटा सहकारिता को दिलवा दें जिससे उनको समय पर चीजें मिल जाय ।

मान्यवर, हमारे जनपद में जिस दिन से डी० सी० डी० एफ० ने कुकिंग गैस का काम अपने हाथों में लिया है तबसे पकाने की गैस की कमी नहीं है । वहां किसी भी बड़े आदमी को गैस घर पर नहीं पहुंचाई जाती बल्कि छोटे और बड़े सभी को लाइन में लगाकर गैस मिलती है ।

मान्यवर, इसी प्रकार डी० सी० डी० एफ० के अन्तर्गत जो शीतगृह बना है उसमें इधर 4 सालों से किसान जो अपनी पैदावार को वहां रखना चाहते हैं उनको प्रायरिटी दी जाती है अन्यथा शीतगृह खाली पड़ा रहेगा किन्तु किसी व्यापारी को कोई छूट नहीं दी गयी है जबकि इसके पहले शीतगृह बड़े-बड़े लोगों के हाथों में था तो वह स्वयं चीजें खरीदकर उसमें रखते थे ।

मान्यवर, भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस बैंक को देश के 4 सराहनीय बैंकों में से एक माना है । तो जब यह लोग यह इल्जाम लगाते हैं कि प्रशासक एक-एक हजार रुपये फीस लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह कैसे लेते हैं जबकि किसानों को छूट मिली है कि उसको 1/3 नकद मिलेगा और शेष वह इंजन कहीं से खरीदे तो खरीदार को उस धन का चेक काट कर दे दिया जायेगा तो प्रशासक कैसे रुपये मार जाता है । यह मेरी समझ में नहीं आता । इसलिये इल्जाम लगाने के लिये कुछ कह दें लेकिन किसान को इतने सस्ते दर पर और, इतने अच्छे तरह से ऋण और कहीं से उपलब्ध नहीं हो सकता है । हमारे सहकारिता विभाग ने जब से गेहूं खरीदना प्रारम्भ किया है, इस सम्बन्ध की उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं । यह काम और भी कई एजेन्सियां करती हैं लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि किसान सहकारिता के खरीदारों को अपना गेहूं बेचना पसन्द करता है बनिस्बत किसी और एजेंसी के, क्योंकि वहां पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और उसका यदि थोड़ा कमजोर गेहूं भी है तो वह भी ले लिया जाता है, जबकि दूसरी एजेंसियों की दुकानों पर उसे परेशान किया जाता है। इसके साथ में सहकारिता बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। यह सहकारिता विभाग जिस आधार पर खड़ा है, उससे किसी अच्छे नतीजे का होना असम्भव है। क्योंकि सहकारिता तीन बातों पर खड़ा है। सबसे पहले आवश्यकता है, दूसरे नम्बर पर इच्छा है और फिर उसके साथ-साथ तीसरा है ईमानदारी। यह तीन मूल तथ्य हैं। अब मैं इसके सम्बन्ध में प्रचलित मिथ को दूर करना चाहता हूं। लोग समझते हैं कि सहकारिता समाजवाद का अंग है, लेकिन सहकारिता का समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका और जापान दोनों में सहकारिता है, जबकि दोनों पूंजीवादी देश हैं। क्योंकि इन दोनों देशों में सहकारिता के तीनों मूल तत्व वर्तमान होने पर सहकारिता प्रारम्भ हो गयी और वह सफल भी रही। उदाहरण के लिए अमेरिका में कपास की खेती में सहकारिता है। वहां पर आदमी उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि मजदूर बहुत महंगे थे और मिलते नहीं थे, इसलिए आवश्यकता होने पर वहां के सारे किसानों ने मिलकर सहकारिता अपनाई और कपास बीनने की कीमती मशीनें मंगा लीं। तो पहले कपास बीनने की आवश्यकता हुई, फिर सहकारिता के आधार पर उन्होंने मशीनें मंगवा लीं और उससे बीनने लगे। फिर उन्होंने समझा कि रुई के दाम पर हमारी कपास बिक जाती है तो उन्होंने ओटाई वाली मशीन भी मंगा ली। फिर उनके दिमाग में वह बात आई कि उनका बिनौला बेकार चला जाता है तो फिर उन्होंने उससे तेल निकालने की मशीनें सहकारिता के आधार पर मंगा ली। उसके बाद फिर जब उन्हें यह पता चला कि इससे निकली खली जानवरों के लिए पौष्टिक आहार है तो उन्होंने खली से जानवरों के खाने के लिए आहार तैयार करने की मशीनें मंगा ली और उससे जानवरों का पौष्टिक आहार बनाना प्रारम्भ किया। तो वहां पर आवश्यकता थी, सहकारिता आयी, क्योंकि वहां मजदूर न मिलने के कारण मशीनों की आवश्यकता थी और इच्छा थी और ईमानदारी थी उन देशों का गुण है। वह ईमानदारी से सहकारिता चलाते हैं और यदि यहां देखा जाए तो सहकारिता किसी चीज का उत्पादन नहीं करती है।

अब कुछ चीनी मिलें लगायी हैं, लेकिन वह उत्पादक नहीं हैं। यहां की सारी सहकारिता ऋण देने पर या सामान देने पर तुली हुई है और यह दोनों शोषण के कार्य हैं। ऋण देने में सूदखोरी और सामान बेचने में ज्यादा दाम लेकर मुनाफाखोरी है। यह एक शोषण की प्रणाली है। जो सहकारिता देश में चल रही है। जब से सहकारिता का भारत में जन्म हुआ, न आवश्यकता थी, न इच्छा थी और ईमानदारी का तो यहां नितान्त अभाव है ही। यहां पर उत्पादन तो है ही नहीं। इसमें आप कोई उत्पादन करके दिखायें। और उस उत्पादन को स्वावलम्बी बनाइये। मान्यवर, ये नियन्त्रित मूल्य पर चीजों को खरीदकर बढ़े हुए मूल्य पर उन चीजों को बेचते हैं, यह काम सहकारिता का हो गया है। आज सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सब जगह काला बाजार और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह (सरकारी पक्ष) लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सामने बैठे हैं यह तो बंधुआ मजदूरों की तरह हैं जो बेचारे हाथ उठाकर शाम को चले जायेंगे। आज हालत यह है कि किसी भी सोसाइटी को देख लिया जाय और किसान मजदूरों का जनमत ले लिया जाये, एक सोसाइटी भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां ठीक तरह से काम हो रहा हो। जब तक उत्पादन के साथ सहकारिता को नहीं जोड़ा जायेगा, आप सफल नहीं होंगे।

चीनी मिलों में बहुत थोड़ा हिस्सा किसानों का है। मगर मेरा निवेदन यह है कि चीनी मिलें अगर घाटे पर चल रही हैं तो आप उन्हें क्यों चलाना चाहते हैं? वह घाटा आप कहां से लायेंगे? कोई भी सहकारिता का आन्दोलन गर घाटे पर चलता है तो वह सफल नहीं होगा। उसमें तो किसान, मजदूर और सरकार तीनों का बराबर हिस्सा प्रबन्ध में होना चाहिए जो आज नहीं है। सरकार के कानूनी दांव-पेंच के बल पर उत्पादन नहीं बढ़ सकता और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो बराबर नौकरशाही का अधिकार होता चला जायेगा, नौकरशाही ज्यादा से ज्यादा फायदा उठायेगी और आपकी सहकारिता की चीनी मिलें बराबर घाटे पर चलेंगी।

आपने सुपर बाजार सामान बेचने के लिए बनाये हैं। लखनऊ के सुपर बाजार में बराबर घाटा चला आ रहा है। कभी मुनाफा नहीं हुआ। फिर क्यों आप उनको चला रहे हैं? इच्छा जब सहकारिता की जगी नहीं है, ईमानदारी का अभाव है, तो आप उसे क्यों चला रहे हैं?

मान्यवर, पुखरायां साधन सहकारी समिति के बारे में लोगों ने कुछ शिकायत की और लिख कर भेजा। 3 साल से बराबर लिखा जा रहा है। जिन लोगों के बारे में शिकायत की गयी उन्हीं को आपने जांच के लिए भेजा। फिर जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री को लिखा, तब तक चौथे आदमी को भेजा जो पहले से ही भ्रष्ट था। जब वह मौके पर जांच के लिए गया तो लोगों ने कहा देखिये, यह 3 नं0 की ईंट है, इसे देख लीजिये जिसका प्रयोग हो रहा है। उस अधिकारी ने कहा कि इसे तो हम कानपुर में देखेंगे, यहां नहीं। यह हालत है इनकी ईमानदारी की। तो जब ईमानदारी है नहीं, इच्छा है नहीं, उत्पादन है नहीं, तो सहकारिता किस चीज पर टिकी हुई है? इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती महारानी दोहरे—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने माननीय सहकारिता मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और बजट का समर्थन करती हूं, समर्थन इसलिए करती हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस विभाग का सम्बन्ध किसान और मजदूरों से है। अमीर और गरीब सबका इससे सम्बन्ध घनिष्ट है। इस विभाग का निर्माण 1904 में हुआ था और उस समय एक छोटी सी समिति के रूप में यह बना था। इसके पुराने इतिहास को और इसके प्रसार को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश की प्रगति में, हमारे किसानों की प्रगति में, इस विभाग ने कितना महान योगदान दिया है और उसके लिए इस विभाग की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है।

मान्यवर, सहकारिता परिषद् की जो नियुक्ति या निर्माण किया गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। अधिष्ठाता महोदय, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि इस विभाग का जितना आप गहराई से अध्ययन करेंगे उतना ही ऐसा पायेंगे कि हम वहां कुछ नहीं पा रहे हैं। असल में यह अपने आप में इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशाल और विकराल है कि इसकी जितनी गहराई में जायेंगे और जितना चिंतन करेंगे उतना ही ऐसा पायेंगे कि हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं इतने बड़े ज्ञान का यह भंडार है। जब शुरू में इसका एक समिति के रूप में निर्माण हुआ था तो उस समय इससे समाज के कुछ लोगों को ही फायदा मिला लेकिन आज जो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कार्य चल रहा है उसमें गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को बड़ा फायदा पहुंचा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर इसमें हम गहराई से जायें तो आपकी तरफ के कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बखेड़ा करना चाहते हैं ताकि प्रचार का माध्यम उनको मिले और जनता को भी कुछ कहने का बहाना मिले। इसमें जो स्पेशल कंपोनेंट की योजना है उससे गरीब वर्गों को काफी लाभ हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ा सा अन्याय भी कहीं-कहीं हुआ है। जिन लोगों को सरकार कुछ देना चाहती है तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिससे सही लाभ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उस तक वह नहीं पहुंच पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस ओर वह विशेष ध्यान दें।

देश की प्रधान मंत्री और इस प्रदेश का शासन इस ओर पूर्णरूप से जागरूक है यह प्रयास किया जा रहा है कि गरीब को अधिक से अधिक सहायता दी जाय। जैसा कि कहा गया कि जो भैंसे दी जाती हैं उसमें अनियमिततायें की जाती हैं तो ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं कि बैंक में 3 हजार पर हस्ताक्षर करा लिया गया और भैंस 2 हजार की मिली। ऐसे बहुत से उदाहरण मिले और उनके ऊपर कार्यवाही भी की गयी है। कुछ पर कार्यवाही हुई और कुछ पर कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या दूसरी जातियों के हैं वह बैंक से अनुदान लेते हैं। किसान के लिए उसकी खेती ही सर्वोपरि होती है। हर वर्ष प्रदेश के किसी न किसी जिले में दुर्भाग्य से दैवी प्रकोप के कारण ओला वृष्टि हो जाती है, बाढ़ या सूखा हो जाने के कारण किसान की क्षति हो जाती है। वसूली के समय किसान को बड़ी दिक्कत होती है। वसूली का आदेश जब जाता है तो उनके ऊपर बड़ा भारी प्रहार किया जाता है। नियमों के अनुसार वह सही है लेकिन मैं शासन से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आये, वसूली न देने पर उनके ऊपर कुर्की आ गयी और जो गरीब के पास 2-4 बीघे जमीन है जिससे वह अपनी जीविका उपार्जन करते हैं वह नीलाम कर दिया जाता है। तो मैं समझती हूं कि सरकार का जो तरीका और जो नजरिया गरीब को ऊपर उठाने का है इससे वह अधूरा रह जायेगा और एक बड़ी अजीब बात होगी।

मैं चाहती हूं कि शासन इस ओर ध्यान दे और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसानों की खेती न नीलाम की जाय और कोई दूसरा तरीका सरकार निकाले ताकि गरीबों की जमीनें सुरक्षित रहे और वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। जैसा मैंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए यह जरूरी है कि बीज, पानी और खाद जब किसान को आवश्यकता होती है और उस समय उपलब्ध कराया जाय तो किसान उत्पादन अधिक बढ़ा सकता है। सहकारिता विभाग इसमें किसानों की बहुत मदद कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि 4 साल पहले का इतिहास देखें और तुलना करें तो कार्यक्षमता बहुत बढ़ी है और जो हमारे शासनगृह हैं, पी० सी० एफ०, डी० सी० एफ० या यू० पी० एस० एस० हैं इन्होंने गतिशीलता के साथ कार्य किया है जिससे प्रदेश का विकास हुआ है। इन शब्दों के साथ

में पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं तथा अधिष्ठाता महोदय आपको भी धन्यवाद देती हूं।

* श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, सहकारिता की भावना है मिल जुल कर काम करना। जब से माननीय मंत्री जी सहकारिता मंत्री बने हैं, इन्होंने सहकारी संस्थाओं का सरकारीकरण कर दिया और जो वहां चुने हुए व्यक्ति जनप्रतिनिधि आते थे, उनको वहां से हटाकर और कुछ जगह सरकारी अफसरों को और कुछ जगह अपनी पार्टी के लोगों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया, तबसे सहकारिता को बहुत भारी धक्का लगा। मिसाल के तौर पर वसूली जो कि पहले 80 प्रतिशत थी, अब घट कर 50 और 52 प्रतिशत हो गयी है। ऋण जो पहले था, वह घटा। ब्याज की दर बढ़ी। यह एक ऐसी बुनियादी बातें मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि वे उस पर विचार करेंगे। इससे किसानों और जन-प्रतिनिधियों को कितना धक्का लगा, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मंत्री जी यदि दिल पर हाथ रख कर देखें तो उनका दिल कहेगा कि वास्तव में मैंने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है और लोकतांत्रिक प्रणाली को खतम करके डिक्टेटरशिप की प्रथा जारी की है। मैं अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को दूंगा, आशा है कि वे उस पर विचार करेंगे।

मान्यवर, आप देखेंगे कि भूमि विकास बैंक से किसान कर्ज लेता है, उसको साढ़े 42 रुपये प्रति हजार को बर से स्टाम्प फीस देनी पड़ती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में यह फीस मुक्त है 80 हजार रुपये तक के लिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस सदन में घोषणा करें कि जो कर्ज किसान भूमि विकास बैंक से लेता है, उनके ऊपर रेहन मुक्त स्टाम्प फीस मुक्त कर दें। इसी के साथ-साथ यह भी चाहूंगा कि सिंचाई के लिये जो ट्रैक्टर दिये जाते हैं, उनकी सर्विस कम्पनी वाले नहीं करते। उनके यहां आपकी ओर से सुपरवाइजरी स्टाफ होना चाहिये जो देखें कि वाकई में किसानों की क्या दिक्कतें हैं कि ताकि कर्ज की वसूली की जा सके।

मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 नाम, की एक संस्था इनकी प्रदेश स्तर की है। केन्द्र सरकार की इफको नाम की एक संस्था केन्द्र स्तर पर बनी जो खाद का उत्पादन करती है। प्रदेश की सभी समितियां उसकी सदस्य होती हैं, परन्तु बिचौलिये के रूप में पी0 सी0 एफ0 बनी हुई है। उसको 160 रुपया प्रति टन कमीशन मिलता है, लेकिन जो छोटी संस्थाएं हैं, उनको केवल 80 रु0 प्रति टन मिलता है और यदि एक भी बोरी फट जाय तो कमीशन खत्म हो जाता है। पी0 सी0 एफ0 नाम की जो संस्था है, जिसकी 15 मंजिली इमारत बनी हुई है, मैं चाहूंगा कि उसका कमीशन खत्म कर साधन सहकारी समिति, प्राइमरी किसान सेवा सहकारी समिति आदि जो छोटी संस्थायें हैं, खाद वितरित करती हैं, उनको सुदृढ़ बनाया जाय।

मान्यवर, जब से इन्होंने प्रशासक प्रणाली अपनाई है, ऐक्ट में यह है कि एक साल में दो प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं होना चाहिये और जब से प्रशासक प्रणाली आयी है तब से हमारा यह तजुर्बा रहा कि खर्च 5-6 प्रतिशत हो गया। और सचिव लोग जो जाली वाउचर बनाकर खर्च 4 और 5 प्रतिशत कर देते हैं, जोकि ऐक्ट और रूल्स के विरुद्ध है। ऐक्ट और रूल्स में स्पष्ट लिखा है कि खर्च 2 प्रतिशत से अधिक न हो। सहकारी सचिवों की हालत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दयनीय हो गयी है। सर्विस नियमावली नहीं बनी है। तनख्वाह उनको कम काम अधिक। वेयर हाउस के गोदामों में किसानों का गल्ला पिछले दो वर्षों से नहीं रखा जाता है, बल्कि यहां से, चेयरमैन साहब जो वयर हाउस के हैं, वह किसानों का गल्ला जमा करने पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं और किसानों को मजबूर कर देते हैं कि न्यूनतम प्राइस सपोर्ट के अन्तर्गत अपना गल्ला बेचें। हमारे सहकारी बैंकों में थी टायर सिस्टम ऋण देने का है। रिजर्व बैंक यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक को देता है और यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक को देता है और जिला सहकारी बैंक जो है, किसान सेवा सहकारी समिति को देता है। इस प्रकार से किसानों का शोषण होता है जो ऋण साढ़े 6 प्रतिशत पर रिजर्व बैंक देता है वह किसानों को 14 प्रतिशत पर मिलता है। किसान की हालत दयनीय है।

मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र का सहकारी ऐक्ट और रूल्स मंगवा कर उत्तर प्रदेश में लागू करें ताकि किसानों का शोषण बन्द हो और सहकारी संस्थायें सुदृढ़ हो सकें। कोल्ड स्टोरेज जो हैं, जो सहकारी कोल्ड स्टोरेज हैं, वह व्यापारियों के कब्जे में हैं न कि किसानों के, जब किसानों का आलू आता है, वह नहीं रखा जाता, बल्कि व्यापारियों का रखा जाता है। विश्व बैंक की स्कीमों के अन्तर्गत पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने जो आलू स्टोरेज करने के रेट पर प्रतिबन्ध खत्म करने का विधेयक पारित कराया है, उससे सहकारी संस्थाएं तबाह हो जायेंगी और किसानों का शोषण होगा। इन सब सुझावों के साथ मैं अपने श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा माननीय मंत्री ने जो सहकारिता का बजट रखा है, उसका विरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव तुरन्त करा दें और जो पिछले दो वर्षों से प्रशासक प्रणाली यानी डिक्टेटरशिप प्रणाली अपना रखी है, जोकि सहकारी संस्थाओं को तबाही की ओर ले जा रही है, खत्म करके तुरन्त चुनाव करायें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बलबीर सिंह, आप कृपया बैठें।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका बड़ा आभारी हूं, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस देश में समाजवाद लाना है, तो वह सहकारिता ही सबसे पहला माध्यम है, जिसमें सबको बराबर का हक मिले और इस देश के 85 प्रतिशत नागरिक जो हैं, वह देहात में बसते हैं और आज से, 1947 से पहले जो यहां देखा गया कि देश के महाजन लोग जिस तरह से किसान को लूटते थे और उनकी फसल को बहुत कम पैसे में लेते थे, सहकारिता आंदोलन से 1947 के बाद जिस तरह से गरीब किसानों को, कमजोर दुर्बल लोगों को, जो सहायता सहकारिता के माध्यम से दी गयी, उससे देश का उत्पादन बढ़ा। यह अच्छी तरह से विदित है कि 1947 से पहले जबकि इस देश की आबादी बहुत कम थी, तब उस समय उत्पादन यहां का कम था। जब 1947 के बाद आबादी बढ़ी तो उत्पादन भी इस सहकारिता के माध्यम से बढ़ा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता का आन्दोलन चलाने में हमारी जो प्रारम्भिक समितियों के सचिव हैं, वह बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को देखते हुये, उनका वेतन बहुत कम है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितनी आपकी ऋण वितरण समितियां हैं, उनमें सुपरवाइजर और ए0 डी0 ओ0 सहकारिता विभाग का होता है, वह अपने विभाग के प्रति ज्यादा हिमायती रहता है। समितियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं

वहां पर सहकारी बैंक को अगर यह अधिकार दे दिया जाय, तो समय पर वसूली हो सकती है और ऋण वितरण में जो काफी विवाद है, लोग कहते हैं, बड़ा घपला होता है, मैं समझता हूं बैंक के नियंत्रण में हो तो काफी चीजें दूर हो सकती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, वे सेवा मण्डल के माध्यम से बहुत दूर भेज दिये जाते हैं। बैंक के अधिकार में हो, तो स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज यह देखा गया है कि बलिया या आजमगढ़ का रहने वाला है, उसको पिथौरागढ़ भेज दिया जाता है। वह वहां जाकर काम नहीं करता है। पिथौरागढ़ का रहने वाला है उसको मुरादाबाद और आजमगढ़ भेज दिया जाता है और वह वहां जाकर काम नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों को यह अधिकार दे दिया जाय तो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो यह मध्यकालीन, अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण है उसमें अंश क और ख की मात्रा कम है। महंगाई को देखते हुए इसको बढ़ाया जाय। पहले दुग्ध क्रय समितियां और गन्ना समितियां निबन्धक सहकारी समितियां के अन्दर थे। अब अलग-अलग कर दिये गये हैं। इनको इसी में मिला दिया जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में फल का उत्पादन बहुतायत में होता है। लेकिन मार्केट बहुत कम है। अगर हल्द्वानी की तरह से जैसे वहां सोयाबीन का प्लान्ट लगाया गया है, फल प्रोसेसिंग प्लान्ट लगा दिया जाय, तो फल उत्पादकों को काफी राहत मिल सकेगी। अन्त में इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने रखा है, मैं उनके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर हमारे प्रदेश में यह विभाग भ्रष्टाचार की दूसरी मिसाल है। जैसा माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा मंत्री जी भ्रष्टाचार के कवच हैं। मैं दो-तीन बात और कहना चाहता हूं। मंत्री जी के साथ जो इनकी फौज के अफसर कमान्डर हैं वे ऐसे हैं जो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हैं। एक और बात कहना चाहता हूं मंत्री जी को बुरा भी लग सकता है, मेरे जिले के आस-पास जो प्रचार है, इस विभाग में भाई भतीजावाद और जातिवाद नियुक्तियों में नग्न रूप देखने को मिला है। रजिस्ट्रार [××] और सेवा मंडल के अध्यक्ष [××] के हटने पर जो प्रतिक्रिया शुरू हुई और जो जानकारी मिली पूरे प्रदेश में अपने जिले और अपने क्षेत्र के जाति विशेष के लोगों को भर दिया है।

श्री सुन्दर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं देख लूंगा। देखने के बाद जो आरोप का चीज होगी उसको अलग कर दिया जायगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर जो मैं कह रहा हूं यह इन्हीं के दल की ही बात है जो माननीय मंत्री जी ने कहा उनके जिले वालों ने यह चीज लिखकर दी थी इसलिए मैं वह कह रहा हूं जो माननीय मंत्री जी के दामन पर लगा है तो इनके दल के लोग उसको साफ करवाया। मान्यवर, कोआपरेटिव ऐसा विभाग है जो समाज की सेवा कर सकता है इससे समाज की बहुत

[××] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

आशा थी इससे लोग जितने उत्सुक थे जिज्ञासु थे उसका नतीजा यह हुआ है कि निगम की जितनी शाखायें हैं एक भूमि विकास भूमि बैंक है लेकिन अब यह भूमि विकास बैंक भूमि विनास बैंक बन गया है। 80 प्रतिशत किसानों ने जिन्होंने इससे कर्जा लिया है इनकी जमीन नीलाम कर दी है मान्यवर, चाहे कहीं से कर्जा लीजिए लेकिन जमीन नीलाम नहीं होती है लेकिन यह बैंक कर्जा भी लेता है खरीद भी लेता है। चाहे इसके अलावा हमारी फसल नीलाम कर दी जाए जानवर नीलाम कर दिए जाएं लेकिन जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस भूमि विकास बैंक की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। मान्यवर, अभी इस बैंक ने 6 करोड़ रुपये यूनियन ट्रस्ट आफ सिक्योरिटी खरीदने में लगाये इसमें नियम का पालन नहीं किया गया है। राजकीय सिक्योरिटी दलाल के माध्यम से खरीदी गई इसमें लगभग दो लाख का कमीशन हमारे अधिकारियों ने लिया जबकि इसे रिजर्व बैंक के जरिये खरीदा जाना चाहिए था।

माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सामान्य प्रशासक जो हैं उनसे भी बड़े आदमी हैं उनको बाहर जाने के लिए, फारेन जाने के लिए तमाम पैसा मिलता है और उन्होंने हमारे आस-पास बड़ी-बड़ी कोठियां खड़ी कर रखी हैं और वह माननीय मंत्री जी से सेवा के लिए बताते हैं और वह इलाहाबाद से लखनऊ रोज कार से जाते हैं। मान्यवर, कई अधिकारियों के विषय में मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कई जिले के अधिकारी, बैंक के प्रशासक रुपयों की गड्डी से स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी का इस तरह की चीजें पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं। यह सहकारिता विभाग के पीछे बदनामी ही है। कलंक जुड़ा हुआ है जो एक चर्चा है वह यही है कि कैसे हटे। मान्यवर, यह कलंक नहीं हटेगा हमारी जो लोगों की आस्था है गिरती जा रही है। एक बोरी के पीछे 10 बोरी खाद लिखकर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। मान्यवर, समाजवाद आएगा कहा गया तो क्या समाजवाद बदनामी करने के लिए बनाया गया है। इससे तो समाज ही नहीं रहेगा। समाज ही नष्ट हो जाएगा। मान्यवर, हमारे मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों को लोकायुक्त ने इंगित किया है।

श्री अधिष्ठाता—

लोकायुक्त ने किया है यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जो हमारी जानकारी की चीजें हैं उसमें मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों को, लोकायुक्त द्वारा रिमार्क दिया गया है। तो मान्यवर, यह भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे देश में समाजवाद की प्रक्रिया को जोड़ना ठीक नहीं है और इस विभाग के बारे में भ्रष्टाचार का एक पैसा ठीक नहीं है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम कुंवर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जनतांत्रिक समाजवादी बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं क्योंकि सिद्धान्त विहीन कटौती के प्रस्ताव में जो एक रुपए की मांग की गई है वह मेरी समझ में नहीं आता है। मान्यवर, यह सहकारिता का आन्दोलन जनता का आन्दोलन है। और हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जो सहकारिता में काम करते हैं, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता की सच्ची सेवा करें। सहकारिता के माध्यम से देश का और प्रदेश का और बहुत बड़ा काम हुआ है। हरित क्रान्ति का श्रेय भी इसी विभाग को जाता है। हमारे देश के राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता को गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाया। अगर मुल्क में गांवों की समस्या को हल करने वाला कोई विभाग है तो वह सहकारिता विभाग और सहकारिता आन्दोलन है। इधर के बैठने वालों को और उधर के बैठने वालों को ठंडे दिल से सोचना और समझना चाहिए।

जब कभी भी इस प्रदेश में गांवों के विकास की बात आती है तो उन्हें सहकारिता के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता है। हमने गांवों में किसानों को मेम्बर बनाकर ऋण दिया जैसे खाद और कीट-नाशक दवाइयों को खरीदने के लिए, जिसके अभाव में किसान अपनी खेती नहीं कर सकता था, हमने ऋण देकर उनकी इस समस्या का समाधान किया। गांवों में किसान की जो स्थिति पहले थी, वह अपने आलू को सस्ते से सस्ते दाम पर बेच देता था, किन्तु आज जगह-जगह पर शीतगृह बना दिये गये हैं, ताकि प्रत्येक किसान अपने आलू को वहां पर रख सके और समय आने पर अपने आलू को उचित मूल्य पर बेच सके। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। जब हमारे देश में अन्न के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तो उस समय इस समस्या को हल करने के लिए हमारे सामने केवल कोआपरेटिव ही आया जिसने पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से अन्न को खरीदा और इस समस्या का निदान किया गया और अन्न किसानों को सही मूल्य पर मिला चेक पर भुगतान किया गया और किसी को भी परेशानी नहीं हुई।

श्रीमन्, वितरण प्रणाली की बात कही जाती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गांवों में चीनी, मिट्टी के तेल, पाम आयल और अन्य चीजों के लिए जो हाहाकार मचा हुआ था उस सारी समस्या का हल सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया। हमारे शासन ने इस विभाग के द्वारा बहुत बड़ा काम किया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात है, किसानों की गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए इस कार्यक्रम के अन्दर बहुत बड़ा काम किया गया है सहकारिता विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उन्हें बिलकुल हटा दिया जाय। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, बैंक या उससे सम्बन्धित जो कर्मचारी हैं, वे बगैर कमीशन के किसानों को पैसा ही नहीं देते हैं और जो चीज किसान खरीदता भी है, वह बहुत मंहगा खरीदता है।

श्रीमन्, अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो लड़के सहकारिता विभाग में 7-8 साल से कार्यरत हैं, उन्हें सिर्फ स्थायी करने के लिए आपकी मोहर की जरूरत है। माननीय मन्त्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि कोई आधार बना कर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। सेवा मंडल की जो बात की गयी है, बहुत लम्बी बात है। जिनकी सेवायें 160 दिन की हो गयी हैं, उनको रख लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

श्री राम कुंवर सिंह—

गरीबी घटाने की बात हुई। जब रुपया बंटने लगा तो हमने कहा कि गांव वाले बनिये हैं, वे 25 रु0 सालाना सूद पर पैसा देते हैं। पहले पैसा 6 और 6-1/2 रु0 प्रति सैकड़ा पर मिलता था, अब 13 से 14 प्रतिशत हो गया है। जो प्रचार करते थे, आप, तो वह तो अब बनिये का बाप हो गया है। मैं अधिकारियों से कहना

चाहूंगा कि कोआपरेटिव जनता स्टोर की बात कही, इनके हित को ध्यान रखकर काम करना चाहिये। इसके साथ ही इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वह इसलिये कि जो सहकारिता का आन्दोलन है, यह गरीब जनता के लिये है। गरीबों का विकास करने के लिये, दरिद्र नारायण का विकास करने के लिये इसका सृजन हुआ। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो दोष आ गया था, गरीबों को दाल, चीनी, कपड़ा नहीं मिलता था, इसलिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य कोआपरेटिव विभाग को दिया गया, लेकिन जब से दिया गया है, पूरे प्रदेश में चीनी, नियंत्रित कपड़ा ब्लैक में बेचा जाता है, गरीब जनता को वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहीं भी चलना चाहते हों, मैं चलने को तैयार हूं। मैंने देखा कि होली के त्यौहार पर भी लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिला, कपड़ा, चीनी नहीं मिली। भूमि विकास बैंक के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा वर्मा जी ने कहा बिना ईमानदारी के कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है।

भूमि विकास बैंक में जो नियुक्तियां हुई हैं इसमें बहुत सी अनियमिततायें हुई हैं। पिछली बार आपने इसी सदन में अपने बजट भाषण के समय कहा था कैलेण्डर के बारे में कि उसकी कीमत ज्यादा लग गयी है। जो कैलेण्डर 95 रु0 में तैयार कराया था, उसे मात्र 30 रु0 में तैयार किया जा सकता था। इसकी जांच के लिये आपने कहा था, लेकिन क्या जांच करायी है, पता नहीं चला। बैंक के गेट में घुसने के लिये प्रवेश-पत्र आपने छपवाये, जिस पर 78 रु0 प्रति पासबुक खर्च किया गया, जिसे पी0 सी0 एफ0 60 रु0 में छापने के लिये तैयार था। इसकी जांच रिपोर्ट क्या हुई, बताने की कृपा करें। प्रबन्ध निदेशक, बैंक के खर्चे से विदेश यात्रा पर हो आये, फिर जा रहे हैं, इन्हें आप रोकें। पिछले दो वर्ष के खर्चों को आप उससे पहले के खर्चों से मिला लें, तो पता चलेगा कि कितना धन खर्च किया जा रहा है और पहले कितना खर्च होता था। पहले के मुकाबले में कई गुना धन अनियमित रूप से खर्च किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए।

इसी प्रकार मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 की आज क्या हालत है? मान्यवर, मेरठ में लगभग 50 रुपए की रकम कर्मचारियों से ले ले कर गड़बड़ी कर

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दी गई थी और यह मामला विधान सभा में कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन जितने कर्मचारी सस्पेंड कर दिये गये, वे सभी बहाल कर दिये गये हैं। मान्यवर, यह जब विधान सभा में मामला उठा था, तो उस पर जांच के आश्वासन दिये गये थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मान्यवर, इसी प्रकार गेहूं की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार है, पी0 सी0 एफ0 में काफी गेहूं आपने पास रखा और उसमें 25 रुपए के हिसाब से मुनाफा कमाकर उसे व्यापारियों को दिया। इसमें करोड़ों रुपए का स्टाक था। बताया जाता है मान्यवर, कि इसमें कई लाख रुपये की रकम व्यापारियों से ली गयी।

मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बजट भाषण में कपड़े का, पी0 सी0 एफ0 का एक कैलेन्डर सदन में रखा गया था और कहा

गया था कि इसकी जांच करायी जाय। 1,134 रुपए एक कैलेन्डर का दाम भुगतान किया गया था जबकि इसकी वास्तविक लागत 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। इसकी जांच के बाबत आश्वासन दिये गये थे लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार मान्यवर, जो जो भी आपने प्रशासक अपराधिक प्रवृति के हमारे जिले में मनोनीत किये हैं, उनको आप हटाकर इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, गरीबों को तेल नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, और जो भ्रष्टाचार आ गया है, उसको दूर करायें।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इसी के साथ में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बुद्धि नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे विपक्ष के कई साथियों ने इस बात पर बल दिया है कि आज सहकारिता के द्वारा प्रदेश का उत्थान नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि सहकारिता ही एक ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जन-जन को हर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं, किसानों को उनके लिये, कृषि के लिये, सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मान्यवर, आज समाज के प्रत्येक वर्ग को सहकारिता के माध्यम से हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है चाहे वह छात्र हो, नौजवान हो, उपभोक्ता हो, किसान हो, गरीब हो या मजदूर हो आज प्रत्येक वर्ग के लिये सहकारिता के माध्यम से तरह-तरह के कार्यक्रम व्याप्त हैं, और उनके माध्यम से उससे लाभ हो रहा है। मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग में और इस सरकार ने इस देश में एक ऐसा आंदोलन अपने जिम्मे लिया जिससे कि इस प्रदेश के 12 करोड़ व्यक्ति जुड़े हुए हैं--वह है--खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था।

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की वितरण व्यवस्था, पिछली सरकार के समय में जो व्यवस्था थी, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हुई है। जहां 12 करोड़ व्यक्तियों को आवश्यक वस्तु मुहैया कराने की बात है, यह हो सकता है कि कहीं पर कोई आवश्यक वस्तु किसी समय किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हुई हो, लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि हर स्तर पर वितरण व्यवस्था में सुधार हुआ है और वह व्यवस्था सुचारु हुई है और मान्यवर, आवश्यक वस्तुएं मिल रही हैं। दूसरी तरफ मान्यवर, सहकारिता ऐसे लोगों की प्रतिद्वन्द्विता में खड़ी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और यह उस पूंजीवादी व्यवस्था को रोकने के लिये, जमाखोरों, जखीरेखोरों को रोकने के लिये संघर्ष कर रही है। आज इसकी प्रतिद्वन्द्विता उत्पादन क्षेत्र के बड़े-बड़े उत्पादक, व्यापारी क्षेत्र में बड़े-बड़े व्यापारियों तथा इसी तरह से निचले स्तर के व्यापारियों से है। लेकिन मान्यवर, सामान्य तौर से जहां पर 20 दुकानें हैं किसी वस्तु की निजी क्षेत्र में हैं तो वहां पर मात्र एक या दो ही दुकान सहकारिता से सम्बद्ध हैं, जिससे यह प्रतिद्वन्द्विता करने में और आवश्यक सामान मुहैया करने में सक्षम नहीं है। बड़े-बड़े व्यापारी विभिन्न प्रकार के उपक्रम करके सहकारिता की व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं जिससे कि जनता का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुझान सहकारिता की तरफ से हटे और सहकारिता का आंदोलन कमजोर हो और इसीलिए वह सहकारिता की छोटी सी त्रुटि को समाचार-पत्रों की बड़ी-बड़ी हेडिंग्स में छपवा देते हैं ताकि सहकारिता की भूमिका कमजोर हो और देश में मुनाफाखोरों, जखीरेखोरों और जमाखोरों को बढ़ावा मिले ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके कार्यक्रमों को देखते हुए कि आज जिन चीजों की समाज को आवश्यकता है, जितनी पूंजी की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है उससे कई गुना वृद्धि की आज आवश्यकता है तभी सामान्य नागरिकों और समाज के बेरोजगार युवक का सही मायनों में कल्याण हो सकता है, उत्थान हो सकता है और खासकर गांवों में रहने वाले किसानों व नागरिकों की सहायता सहकारी सेवा समितियों द्वारा हो सकती है, लेकिन इनके सहयोग की आवश्यकता है, जब इनका सहयोग होगा तो मजदूरों का उत्थान होगा और उनको बढ़ावा भी मिलेगा, इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समाज के इने-गिने लोगों के हाथों में यह सहकारी सेवा समितियां हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार कोई प्रभावशाली कार्यवाही करें और मुझे विश्वास है कि सहकारिता मंत्री द्वारा इस ओर पर्याप्त व्यवस्था होगी इन्हीं शब्दों के साथ में विरोध पक्ष से उम्मीद करता हूं कि वह अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और पूर्णतया अपना समर्थन देंगे ।

*श्री राम स्वरूप सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज सहकारिता विभाग में क्या हो रहा है । माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई डिपो होल्डर या कोई लाला आपके आवश्यक वस्तुयें अधिनियम 3/7 के अन्तर्गत गिरफ्तार होता है तो उसी दिन उसे जेल भेज दिया जाता है और उसको जमानत भी उच्च न्यायालय में नहीं होती है । और मंत्री जी की जो वितरण प्रणाली है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मय सहकारी समितियों के नाम व तिथि सहित बताना चाहता हूं कि 5 जुलाई, 1983 में हलालपुर ब्लाक पुवारका डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के अन्तर्गत 60 बोरी चीनी काले बाजार में बेची गयी और जब यह बात पता चली तो एफ0 आई0 आर0 लाज करायी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र की दो किसान सहकारी सेवा समिति मजहोल-जबरदस्तपुर व दुगचाड़ी के 165 किसानों पर 4 लाख रु0 कर्ज के रूप में था लेकिन इन किसानों द्वारा सन् 1981 में ही सारी अदायगी कर दी गयी और उसकी रसीदें उनके पास मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं, फिर भी उनसे वसूलयाबी की जा रही है और 15 बे-गुनाहों को जेल भेजा जा चुका है और यही सहकारिता विभाग की उपलब्धि है । और जबकि इस मामले की जानकारी वहां के जिलाधिकारी मिस्टर के0 एल0 गुप्ता और ए0 आर0 जोशी साहब को भी है और इसकी रिपोर्ट भी उनके पास उपलब्ध है फिर भी वह वसूली उन गरीबों से की जा रही है । और जब इस मामले पर जांच हुई तो जांचकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन लोगों से जब लेखे मांगे गये तो उन लोगों ने उन लेखे-जोखों को देने से इंकार किया और जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कैश-बुक है तो उन्होंने कहा कि नहीं है और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां गया और उनसे मैंने पूछा कि इस मामले में उन लोगों के खिलाफ क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[4 बजकर 20 मिनट]

कार्यवाही हुई, तो मान्यवर, उन्होंने कहा कि स्थानान्तरण कर दिया गया है। मान्यवर, 4 लाख रु0 का गबन करने की बात है। किसानों को जेल भेजा जा रहा है और गबन करने वाले का केवल स्थानान्तरण कर के दूसरी समिति में भेज दिया गया है। यह सहकारिता समिति का और इनके बजट का हाल है।

इसी तरह से अभी फरवरी के महीने में एक हाजीपुर गांव है सहारनपुर में, वहां चीनी आयी और चीनी आने के बाद 9 बोरी चीनी बाजार में बेचते हुए पकड़ी गयी और उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक को बुलाकर मामला दिखाया गया। आपूर्ति निरीक्षक ने डी0 एम0 को और एस0 डी0 एम0 को रिपोर्ट की। एस0 डी0 एम0 जब जब एफ0 आई0 आर0 लाज कराने गये तो जो जोशी जी हैं उन्होंने कहा कि इसका असर गलत पड़ेगा। जब इस बात की मुझे जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टर से जाकर कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है और कहा कि मैं एस0 डी0 एम0 से बात करूंगा। लेकिन उसके बाद से आज तक उसकी एफ0 आई0 आर0 नहीं लाज हुई। इस तरह से जाने कितने घोटाले हैं जिसे कि माननीय मंत्री जी जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां से चीनी और मिट्टी का तेल खुले बाजार में बेचा न जाता हो और उसकी आमदनी मंत्री जी तक न आती हो। सहकारिता जिस उद्देश्य से बनायी गयी थी, गरीबों के लिये बनायी गयी थी आज गरीब उससे फायदा उठाने के बजाय बिना कारण के जेल काट रहा है।

ऐसी स्थिति में सहकारिता मंत्री जी ने जो लम्बा चौड़ा भाषण दिया है और कहा कि इससे हरित क्रान्ति आयी है..

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री राम स्वरूप निम—

इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और मैं सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने सहकारिता के महत्व को माना है और इसकी आवश्यकता को महसूस किया है और इसे स्वीकारा है और उसके बाद केवल एक या आधा सुझाव देने की बात की है। मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि यदि आप सहकारिता कि आवश्यकता को महसूस करते हैं, तो यह इतना विशाल विभाग है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें 18 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो आप इसकी आवश्यकता को स्वीकार कर लें, यह मेरा आप से निवेदन है।

अब आप सुझाव क्या देते हैं बल्कि इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना करने से क्या मिलेगा ? या तो आप यह कहिये कि इस विभाग को समाप्त कर दिया जाय नहीं तो स्पष्ट है कि सहकारिता की आवश्यकता है और इसका अपना महत्व है। जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उनके भाषण में केवल एक बात सही थी कि सहकारिता का उद्भव कब हुआ। सारी दुनिया की अर्थ—व्यवस्था जब व्यक्तिगत साहूकारों के हाथ में थी तो यह जकड़ी हुई थी, गांव के लोगों को सहकारिता का महत्व समझ में आया और इसका आविष्कार हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय ने केवल मुझे दो मिनट का बोलने का समय दिया है इसलिये मैं ज्यादा कुछ न कह कर केवल दो बातें कह कर और दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि आप एक समिति में एक सचिव रखते हैं वही सचिव चेक देता है और वही सचिव सामग्री भी देता है। जब किसान सामग्री लेकर चला जाता है तो वह सचिव समान देता है 400 रुपये का और लिख देता है एक हजार रुपया। मेरा सुझाव है कि सामग्री का एक सचिव हो और चेक काटने वाला दूसरा सचिव हो, तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ऋण पर साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, और उस पर 10 प्रतिशत का रिकवरी चार्ज भी लिया जाता है। सूद बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर वसूली तहसील में भेज दी जाती है तो कोई रिकवरी चार्ज नहीं होता है। आप इस चीज पर गौर करें, रिकवरी चार्ज का कोई एकाउन्ट नहीं रखा जाता है, उसका आडिट भी नहीं होता है। मेरा सुझाव है इसको भी आडिटेबिल होना चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक जो डिपाजिट लेता है, उसको उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में जमा करना उसके लिए अनिवार्य है, उसमें जमा करने के लिए वह बाध्य है। कोआपरेटिव बैंक इस पर बहुत ही कम ब्याज देता है। अगर इस पाबन्दी से मुक्ति प्रदान कर दी जाये तो यह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक दूसरे व्यापारिक बैंकों के समकक्ष आ सकता है।

भूमि विकास बैंक है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसान उसका सदस्य होता है, उसको 80 रुपये हजार की दर से यह फीस देनी होती है, यह किसानों पर बहुत बड़ा बोझ है। भूमि की नीलामी जो की जाती है उसको भी समाप्त कर देना चाहिए और अगर आप सहकारिता की प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते हैं तो जो सरकारीकरण है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और वहां पर आप चुनाव करावें और आप इस पर विचार करें। आपने प्रोडक्शन के लिए बहुत काम किए हैं, परन्तु विपणन के लिए सहकारिता के माध्यम से कुछ भी नहीं हुआ है मेरा सुझाव है कि आप विपणन के बारे में भी सहकारिता के माध्यम से कुछ करें। इन शब्दों के साथ में सहकारिता के इस बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली का सहकारिता के माध्यम से ठीक ढंग से संचालन किया जा रहा है। मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने, पहले ही दिन कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक ढंग से चलाना है तो सहकारी समितियों से हटा देना होगा। खाद्य मंत्री जी के बयान से जाहिर है कि किस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सहकारिता के माध्यम से हो रहा है, और क्या कुव्यवस्था वहां पर है, उसका जिक्र किया है। मान्यवर भूमि विकास बैंक की चारों ओर चर्चा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पिछली बार मैंने कहा था और अब भी कहता हूं चमोली में भूमि विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन आज तक वहां पर कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ एक बाबू और एक चपरासी वहां पर है। कोई ऋण वितरण का कार्य वहां पर नहीं किया गया तो इसका क्या औचित्य है। या तो आप उस बैंक को हटा दें क्योंकि दो आदमियों को आप वहां पर तनख्वाह दे रहे हैं, भवन का किराया दे रहे हैं, या तो फिर उस बैंक में प्रबन्ध किये, पूरा स्टाफ रखिये और लोगों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करिये।

मान्यवर, सारे गढ़वाल मंडल में डिप्टी रजिस्ट्रार का पद तीन सालों से खाली पड़ा है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार मुरादाबाद के हैं उनको ही वहां का चार्ज दिया हुआ है। सहकारिता विभाग इतना बड़ा विभाग है और उसका जो शीर्षस्थ अधिकारी है तीन साल से वह वहां पर नहीं है तो किस तरह से सहकारिता विभाग का कार्य चलेगा। सोयाबीन का फैक्टरी हल्द्वानी में लगाई लेकिन काश्तकारों को जो कीमत आप दे रहे हैं वह दो रुपया 75 पैसा प्रति किलो दे रहे हैं। हल्द्वानी के जो बनिये उसे ले रहे हैं तो वे काश्तकारों को 4 रुपये प्रति किलो तक दे रहे हैं। इसलिए श्रीमन्, जो इसका मूल्य है उसमें बढ़ोत्तरी की जाय और गढ़वाल मंडल में भी एक सोयाबीन की फैक्टरी अवश्य लगाई जाय। आपकी फैक्टरी वहां पर भी चल सकती है क्योंकि वहां भी सोयाबीन काफी पैदा होता है। एक बात आपने यह कही कि पर्वतीय क्षेत्र के उद्यानपतियों के लाभ के लिए बम्बई में शीतगृह की स्थापना की गई है। परन्तु जहां पर उद्यान हैं उनके नजदीक शीतगृह नहीं बनाये जायेंगे तब तक वहां के लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकेगा। बम्बई का शीतगृह उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं पहाड़ों में बरसात में सड़कें टूट जाती हैं और फल उद्यानों में ही पड़े रहते हैं इसलिए जब तक भंडारण की व्यवस्था आप वहां पर नहीं करते हैं, उसका लाभ कैसे मिल सकता है।

मान्यवर, कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की समस्या कई बार इस सदन में उठायी गई। मिसाल के तौर पर चमोली में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में 22 क्लर्क और 18 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। कई वर्षों से वे वहां पर सेवारत हैं। वे बैंक को एक अच्छी श्रेणी में भी ले आये हैं। उनकी उम्र भी अधिक हो गई है। उनका रिक्स का नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं पिछले साल जो साक्षात्कार हुआ था और आपने यह आश्वासन भी दिया था कि उनको भी उसमें शामिल कर लिया जायेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

(श्री हरदेव के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

कृपया बैठें। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

*श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं अपने प्राइमरी शैक्षिक जीवन में था उस समय मैंने वाद-विवाद प्रतियोगितायें होते हुए देखा था। उसी तरह से जब मैं इस विषय पर वाद-विवाद सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस समय का रूप मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने देखा कि बहुत दिनों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सहकारिता का सपना था वह आज प्रदेश में साकार होते हुए दिख रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जैसे हमारे देश के अन्य प्रदेश जैसे महाराष्ट्र में सहकारिता के कारण वहां के लोगों के रहने के स्तर में जो प्रगति दिख रही है उसी तरह से वातारण बनाने की जरूरत अपने प्रदेश में है। लेकिन वैसा वातावरण बनाने का कार्य केवल सत्ता पक्ष का नहीं है। उसमें विपक्ष की भी बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमिका है। आज भाषणों में केवल भ्रष्टाचार की बात है। न कोई सुझाव आता है, न विचार आते हैं और न प्रदेश की जनता के मन में विश्वास जमाने की बात आती है कि किस तरह से हम सहकारिता के जरिये अपने प्रदेश को उठायें।

आज इस तरह का विचार अगर हम सदन में रख कर जनता तक पहुंचायें तो उससे जनता का हित हो सकता था लेकिन आज उनको एक ही शब्द मिला है भ्रष्टाचार और उसको लेकर विपक्ष उड़ रहा है। आज जब कहीं अनुशासन की बात होती है तो उनको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में भूमि विकास बैंक की बात लाई गयी। पिछले लगभग दो वर्षों में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारियों ने चाहे वह चतुर्वेदी जी हों चाहे मिश्रा जी हों एक अनुशासन कायम किया और उसके कारण भूमि विकास बैंक से पूरे प्रदेश के किसानों को लाभ हुआ और लगभग 11 हजार लोगों को अनुदान मिला। जो स्पेशल कम्पोनेंट के द्वारा फायदा हुआ उसके लिए विपक्ष की निगाह नहीं गयी। इसके लिए पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोगों का सहकारिता के प्रति विश्वास जगाया जाय ताकि उनको विकास का एहसास हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस सदन के माध्यम से गांवों तक इस सहकारिता को पहुंचाया जाय और इस विचार को अपनाकर लोगों को सुखी बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने सहकारिता की सफलता को प्रतिष्ठित करते हुए कहा है कि जनसामान्य के बीच में इस विभाग ने जो काम किया है उसमें लोगों में विश्वास नहीं हो रहा है। अभी मेरे पूर्ववक्ता माननीय देवेन्द्र पाण्डेय ने और माननीय मारकंडेय चन्द्र जी ने कहा कि कटौती का प्रस्ताव रखते हुए मैंने कोई सुझाव नहीं दिये और केवल आलोचना की। लेकिन स्वयं वह अपना भाषण पढ़ लें तो मालूम हो जायेगा कि उन्होंने क्या किया। कोई भी आदमी वास्तविकता से इन्कार कर चल नहीं सकता है। सहकारिता से माध्यम से वितरण व्यवस्था पर माननीय सदस्य ने बात कही। मैं इस अक्षमता का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जनपद देवरिया में एक सलीमपुर अनुबाजार क्षेत्रीय विकास समिति है। उसका सेल्समैन मिट्टी का तेल बेचता हुआ पकड़ा गया उसे प्रशासक ने पकड़ा। जिसने तेल खरीदा वह पकड़ लिया गया। सेल्समन भाग गया और 11-3-84 को उसकी रिपोर्ट हुई थाना सलीमपुर में 3/7 इ0 सी0 में अपराध कायम हुआ। लेकिन उसे वितरण की पूरी छूट दे रखी है इस तरह उसने तेल बराबर कर लिया जिसने तेल खरीदा था उसको छूट दी गयी है।

हमारे भाई कुंवर सिंह नेगी जी ने सहकारी बैंक के कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही जो विगत 10 वर्षों से विभिन्न बैंकों में काम कर रहे हैं और जो पहले क्लर्क थे अब एकाउन्टेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं और जो एकाउन्टेंट थे अब ब्रांच मैनजर के पद पर कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। अतः आपकी जो भी नियमावली हो उनकी पिछली सेवाओं को देखते हुए मेरा सुझाव है कि उन कठिनाइयों का शिथिल करके जिन पदों पर वे कार्य कर रहे हैं उसमें उनको स्थायी किया जाय।

पी0 सी0 एफ0 एक ऐसी संस्था है जिसने किसी भी शीतगृह का निर्माण नहीं किया है। इसी तरह अनुशासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की स्थिति यह है कि कर्मचारी शराब पीकर कार्यालय में घूमते हैं जैसे कि वहां पर कोई अनुशासन का वातावरण ही न हो। पी0 सी0 यू0 के सम्बन्ध में जानकारी है कि वह सुपरवाइजर जिन्होंने साधन सहकारी समितियों के धन का गबन किया है और उन पर गम्भीर आरोप हैं उनसे अनुचित लाभ प्रबन्ध निदेशक ने लेकर उनके निलम्बन को वापस लिया है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि प्रबन्ध निदेशक, पी0 सी0 यू0 जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं वह पी0 सी0 यू0 की गाड़ी से राजधानी से इलाहाबाद आया जाया करते हैं। इन चीजों की यदि विश्वास न हो तो जानकारी कर लें।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मध्य प्रदेश सरकार ने कोआपरेटिव के मुकदमों का निस्तारण करने के लिए विशेष अदालतों का निर्माण किया है, तो मेरा सुझाव है कि आप भी ऐसा ही करें। चूंकि अच्छे अधिकारियों का आपके विभाग से पलायन हो रहा है जैसे भूतपूर्व निबन्धक, श्री तोलिया और संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष, श्री श्याम जी श्रीवास्तव जैसे अधिकारी विभाग छोड़ने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा है और भ्रष्ट अधिकारी इसमें फल-फूल रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि भ्रष्टाचार से सम्बन्धित और घुटालों के विशेषज्ञ ऐसे अधिकारियों को आप निकालेंगे और अच्छे अधिकारियों को अपने विभाग में अवसर देंगे।

मान्यवर, चुनाव की तत्काल आप घोषणा करें। कई तिथियां निर्धारित हुई और टलीं और जिन्होंने पर्चा दाखिल किया और 10 रुपये जमा किया उसके बारे में आप स्पष्ट करें कि वापस करेंगे कि नहीं और जो वापस करेंगे उसकी स्थिति क्या होगी और जो लोग मर गये हैं उनके बारे में क्या होगा ?

मान्यवर, प्रदेश में 56 जिले हैं लेकिन 56 जिला सहकारी बैंकों के पास रिजर्व बैंक का लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी वह वैधानिक ढंग से काम कर रहे हैं और ऋण बांट रहे हैं। मान्यवर, जो क्रय-विक्रय समिति के माध्यम से जो गल्ला बंधक रखकर ऋण दिया जाता है उसमें सूद का प्रतिशत अधिक है जिस पर आप विचार करें।

मान्यवर, उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से होने वाले व्यापार के औसत में गिरावट आयी है और लाभ का प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन आपके उच्च अधिकारियों ने अच्छे आंकड़ों के आइने में हर सब्ज बाग दिखाने का प्रयास किया है और उत्तर से आप अंदर से तो संतुष्ट नहीं हैं लेकिन बाहर मे संतुष्ट होने के लिए बाध्य हैं जिसको आप तोड़ें और वास्तविक धरातल पर पैर रखें जिससे जन सामान्य को लाभ मिले और आपके सहकारिता को जन सामान्य के बीच में विश्वास न दिलाना पड़े बल्कि जिनके हित के लिए काम करेंगे वह आपको दिखाई पड़ें।

मान्यवर, खाद सहकारी माध्यम से किसानों को दी जाती है वह महंगी होती है किन्तु जो खाद व्यापारी देता है वह सस्ती होती है इसलिए साधन सहकारी समिति से किसान मजबूरी की हालत में खाद लेता है और खाद लेने पर उस पर दोहरी मार उस समय पड़ती है जब सचिव तीन के तेरह बना देता है और दूसरे या तीसरे वर्ष अधिक वसूल करते हैं। मैं समझता हूं कि आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे अन्यथा अनुदान की मांग को अपने दामन में लपेट कर आप बाहर चले जायेंगे।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर जिन मा0 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(सहकारिता राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

*श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रदेश में सहकारिता विभाग में जो कर्मचारी, सचिव, सुपरवाइजर, ए0 डी0 ओ0, इंस्पेक्टर हैं जिनको 27 वर्ष हो गए हैं लेकिन वह अभी तक अस्थायी हैं और उन्होंने नोटिस दिया है कि इस महीने से हड़ताल करेंगे जब खेती का काम शुरू होगा ...

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

तो मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आज घोषणा करें कि जिनको तीन वर्ष से अधिक नौकरी करते हो गये हैं, उनको वह स्थायी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने सुन लिया, अब आप बैठें।

श्री बच्चा पाठक--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की बातें सुनी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक सुझावों का सम्बन्ध है उन पर विचार किया जायेगा। लेकिन हमारे जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा, मैं तो सोच रहा था कि शासन में सत्तापक्ष के ही दिमाग नहीं होता है, बल्कि विरोध पक्ष के भी दिमाग होता है, जो कई बातें अच्छी भी कहते हैं, इस आधार पर मैंने सोचा कि वह कोई अच्छे सुझाव देंगे, जिससे सहकारिता के जन-आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन जब हमने उनके कटौती के प्रस्ताव और उनकी बातों को सुना तो उससे मुझे भारी निराशा हुई। जो भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, तो उनको सुन कर हमें महाभारत की वह बात याद आ गई कि जब पाण्डवों ने यज्ञ की रचना की और दुर्योधन जब उस यज्ञ में जाने लगे, तो उनकी हालत यह हो गयी थी कि जहां पानी था उन्हें वहां जमीन दिखाई देती थी और जहां जमीन था, उन्हें पानी दिखायी देती थी, जिससे जब वह चलते थे जब कहीं जमीन होने के बावजूद उन्हें पानी दिखाई पड़ता था, वह अपनी धोती उठा लिया करते थे। यही हालत आज इनकी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है। अन्त में मैं यही कहूंगा....

श्री अध्यक्ष--

क्या धोती खोल कर नंगे हो जाते थे ?

श्री बच्चा पाठक--

नंगे नहीं होते थे, लेकिन धोती उठा लेते थे। उसी पर द्रोपदी ने कहा था कि अन्धे बाप के अन्धे पुत्र होते हैं। ठीक वही बात मैं विरोध पक्ष में उनकी बातें सुन कर देख और अनुभव कर रहा हूं। जो यह कटौती का प्रस्ताव आया, उसमें माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जिसके ऊपर उनके सुझाव को माना जाए। उन्होंने यह बात कही, जो हमारे 4 हजार मी0 टन के गोदाम बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको छोटा किया जाए। जबकि छोटे वाले बिलकुल अनुपयुक्त हैं, दिल्ली की कमेटी ने एक प्रस्ताव भी किया है कि 4 हजार मी0 टन से कम के जो गोदाम होंगे वह उपयुक्त नहीं होंगे। उनमें घाटा होगा। सारी बातें होते हुए भी हमारे ग्रामीण गोदाम, शीतगृह, भूमि विकास बैंक और पी0 सी0 एफ0 के बारे में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातें कही गई हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि उनमें काफी काम हुआ है और उनके कार्यों का विकास हुआ है। अगर आप नजर उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा किस किस स्थिति में किस रूप में इन समितियों का कार्य शुरू हुआ है और आज उनकी क्या स्थिति है। उसको देख कर वह अपनी बात की जांच कर सकते हैं। आप देखें कई ऐसी बातें हैं। मैं रामस्वरूप जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन यह कहने में मुझे आज संकोच नहीं है कि उनकी भी आज दुर्योधन की हालत हो गई क्योंकि उन्होंने वह बात कही कि सहकारिता इस प्रदेश में कोई काम नहीं कर रहा है और उससे कोई विकास नहीं हो रहा है। आप हमारी शीर्ष संस्थाओं को लीजिए। जब पी0 सी0 एफ0 का कम शुरू हुआ लखों में उसकी पूंजी थी, आज दो सौ करोड़ रुपये की उसकी पूंजी है। भूमि विकास बैंक का कार्य भी लाखों की पूंजी से शुरू किया गया था, लेकिन आज उसके पास 430 करोड़ रुपये की पूंजी है। य0 पी0 कोआपरेटिव बैंक का भी लाखों से काम शुरू हुआ और आज उसकी 510 करोड़ रुपये की पूंजी हो गई है। क्या यह इसमें स्पष्ट विकास नहीं है? इसके कार्य में, इसके व्यवसाय में अगर कोई बढ़ोत्तरी नहीं है तो उसकी पूंजी कैसे बढ़ती चली गई है। माननीय मित्रसेन जी की एक बात से हमें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अखबारों में छपी बात को तो बताया फिर लोक आयुक्त ने क्या विचार रखे, क्या कहा, उस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

(व्यवधान)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रणाली को इस देश और प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

मैं आपको याद दिला दूं कि सन् 1977–80 के बीच में देश की गरीब जनता को, अगर चीनी लेने जाती थी तो चीनी गायब मिलती थी, मिट्टी का तेल लेने जाती थी तो गायब मिलता था, डीजल का तेल लेने जाती थी तो वह गायब मिलता था और यह सारा सामान कुछ निजी स्वार्थी हाथों में पहुंच कर नेपाल और दूसरे पड़ोसी देशों में जाता था। प्रदेश की जनता को वह उपलब्ध नहीं होता था और जनता परेशान थी।

(व्यवधान)

आज जनता को यह चीजें उपलब्ध तो हो रही हैं। पर हमारे विरोध के लोगों को तो केवल भ्रष्टाचार ही दिखायी दे रहा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने अच्छे–अच्छे सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक हाथ में सारे अधिकार नहीं होना चाहिये, सरकार इस पर भी विचार करेगी। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी करने की जो बात कही गयी उस पर भी सरकार विचार कर रही है। माननीय नेगी जी ने हलद्वानी के फलों के बारे में जो सुझाव दिया उस पर भी विचार किया जायेगा। गढ़वाल मंडल में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति किये जाने के बारे में कहा गया, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उसकी नियुक्ति कर दी गयी है।

माननीय, रियासत हुसैन साहब ने भी कुछ सुझाव दिये हैं उन पर भी विचार किया जायेगा। जहां जांच की आवश्यकता है जांच भी करायी जायेगी और दोषी अधिकारियों को दंडित भी किया जायेगा। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी। किसी दोषी अधिकारी को छोड़ा नहीं जायेगा।

सारे विभाग में भ्रष्टाचार है, यह बात मैं नहीं मानता हूं। माननीय दुर्गा प्रसाद जी ने और माननीय मित्र सेन जी ने जो कहा है, उस पर तो मान्यवर, आपने वक्तव्य देने के आदेश दिये हैं, मैं जब वक्तव्य दूंगा तब बताऊंगा। घूस लेने की जो बात कही गई है, मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं

(व्यवधान)

मेरे मन्त्री बनने से पहले की मेरी पासबुकें देख ली जायें

(व्यवधान)

और आज की देख ली जायें...

(शोर)

अगर आपकी बात साबित हो जाये या सच निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा..

(मेजों की थपथपाहट और व्यवधान)

मैंने परसों भी कहा था..

(शोर)

कोई भी जांच करा लीजिये, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बात साबित हो जाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से जो हमारे कर्मचारियों ने और हमारे प्रशासकों ने काम किया है और जिस ईमानदारी के साथ विभाग को आगे बढ़ाने में वे लगे हुए हैं। मान्यवर, इसका परिणाम यह है कि पूरे प्रदेश में सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अब मैं अंत में माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि यह सहकारिता का बजट है, मिल जुल कर सह-अस्तित्व की भावना से, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और जो बजट है उसको पास करें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

चुनाव के बारे में मंत्री जी ने नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जो मुख्य मुद्दा चुनाव का उठाया गया है उस पर मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की है। माननीय सदस्यों के सुझावों को मंत्री जी ने समझा नहीं है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,91,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अंतर्गत आज मुझे 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय रियासत हुसैन की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। बाकी को अस्वीकार किया है।

भूमि विकास बैंक में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मंत्री जी, मद संख्या 13 को मैं स्थगित करता हूं क्योंकि माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इसको अभी न लिया जाय ।

जनपद कानपुर देहात के थाना बिल्हौर के दो विद्यालयों में चोरी तथा हत्या की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

प्राप्त सूचनानुसार दि0 25/26-2-1984 की रात्रि में जनपद कानपुर देहात के थाना बिल्हौर से सम्बन्धित पुलिस चौकी अरौल से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ में चोरी सहित एक व्यक्ति की हत्या की घटना तथा नेहरू विद्यालय इन्टर कालेज में चोरी की घटना हुई जिसमें कुल 6 स्टील के छोटे बड़े सेफ तोड़कर ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ इन्टर कालेज की छात्राओं द्वारा जमा किया गया रु0 3890.10 तथा नेहरू इन्टर कालेज के छात्रों द्वारा जमा किया गया व शुल्क रु0 6755.25 चोरी गया । इसके अतिरिक्त नेहरू इन्टर कालेज में संचायिका कोष का रु0 110 तथा वहीं के एक लिपिक के लगभग एक किलोग्राम चांदी तथा तीन तोला सोना के व्यक्तिगत आभूषण भी चोरी चले गए । इस सम्बन्ध में दिनांक 26-2-84 को थाना बिल्हौर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 460 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । क्षेत्राधिकारी बिल्हौर द्वारा दिनांक 27-2-84 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा तत्परता से अभियुक्तों की सही जानकारी करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया ।

अगस्त, 1983 से थाना बिल्हौर से सम्बन्धित क्षेत्र में अपराधों का तांता लगा होने जैसी कोई स्थिति नहीं है । थाना बिल्हौर की जाली मोहर बना कर प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में अभियोग अन्तर्गत धारा 420/467/468 भा0 दं0 वि0, दिनांक 20-10-83 को पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है ।

थाना बिल्हौर की पुलिस द्वारा ग्राम असनी निवादा में मय 25 लीटर शराब के गिरफ्तार किए गए दो अभियुक्तों का चालान धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दि0 7-4-83 को किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में शराब मिलने अथवा होने की सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारियां करके शराब की बरामदगी की गई । अतः यह कथन कि ग्राम असनी निवादा जैसे अनेक गांवों में प्रतिदिन हजारों बोतल कच्ची एवं अवैध शराब पुलिस के संरक्षण में बन रही है सत्य प्रतीत नहीं होता है ।

अवैध देशी पिस्तौल पुलिस की जानकारी में बिकने जैसी कोई बात अब तक प्रकाश में नहीं आई है ।

स्थानीय पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट न अंकित करने अथवा गम्भीर अपराध को मामूली अपराध अंकित करने, अभियुक्तों को संरक्षण देने, वास्तविक अपराधी को बचाये रखकर फर्जी फंसाने के उपक्रम में धन कमाने, एवं उच्च पुलिस अधिकारियों तक धन पहुंचाकर स्थानीय पुलिस द्वारा संरक्षण प्राप्त करने के आरोप प्रकाश में नहीं आए हैं ।

उल्लिखित चोरी की घटनाओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामांकित नहीं किए गए हैं, अतः अभियुक्तों को बचाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

दि0 2-3-1984 को ग्राम अप्पा निवादा, थाना बिल्हौर में दो पक्षों के मध्य मारपीट की घटना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से पंजीकृत कराए गए अपराधों की विवेचना प्रचलित है। वादी पक्ष की ओर से डकैती अथवा हत्या जैसे कथित अपराधों की कोई सूचना अंकित नहीं कराई गई है।

सारा क्षेत्र भयाक्रान्त होने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने अपने प्रस्ताव में पुलिस पर दो आरोप लगाया था। एक तो रिपोर्ट को न अंकित करना अथवा गम्भीर घटना को मामूली घटना बता के उसी हिसाब से रिपोर्ट लिखना। मान्यवर, मैंने यह भी कहा था कि घटनाएं छिपाई जाती हैं और यह कच्ची शराब वगैरह पुलिस के संरक्षण में बनाई जाती हैं और यह अवैध वसूली का पैसा जिले के पुलिस अफसरों तक पहुंचता है। यह दो बिन्दु मेरे खास थे। मान्यवर, और तीसरा था कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं निरन्तर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब से वर्तमान थाना बिल्हौर के इन्चार्ज और पुलिस चौकी अरौल के इन्चार्ज इस पद पर आये हैं, तब से किन-किन गांवों में, किस-किस तारीख में, कितनी डकैतियां राहजनी, नकब तथा चोरियां हुई हैं ?

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

मान्यवर, इसकी सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

मान्यवर, इसमें थोड़ा समय अगर दे दें....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह मेरे प्रस्ताव में है।

यह कितना गम्भीर मामला है। बिल्हौर थाने की जाली मुहर बनाई गई जाली दस्तखत बनाए गए। यह चीज प्रकाश में आयी। इस वक्तव्य में स्वीकार किया गया है कि मुकदमा कायम हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा मान्यवर तीन पर्चे कट चुके हैं और इस फाइल को क्षेत्राधिकारी बिल्हौर दाबे बैठे हैं। आप कहते हैं कि पुलिस अधिकारी तक पैसा नहीं पहुंचा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि फर्जी मुहर बनाने और जाली दस्तखत करने का मुकदमा कब दर्ज हुआ और किसके विरुद्ध कायम किया गया। तीन पर्चे काटे जा चुके हैं उस फाइल को क्षेत्राधिकारी क्यों दाबे हैं और कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

थाना बिल्हौर की जाली मोहर बनाये जाने का मामला वर्ष 1978 की घटना से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 246 धारा 420/465/468, दिनांक 20-10-83 को पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह कह रहे हैं कि विवेचना जारी है। रिपोर्ट 83 में दर्ज हुई। इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट लगा चुके हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस पर बिल्हौर के इंस्पेक्टर की क्या रिपोर्ट आई है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

फिर से दोहरा दें।

श्री मोती लाल देहलवी--

इस मामले में बिल्हौर के इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट लगाई है, वह क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जाली मोहर बनाये जाने का मामला जो वर्ष 1978 की घटना से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में दिनांक 28-10-83 को विलम्ब से पंजीकृत हुआ है कि इस मामले के वादी श्री श्यामलाल कडियार प्रबन्धक बाबा हरनरायन दास

जूनियर हाई स्कूल, बंभियांपुर थाना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात के इस मामले के सम्बन्ध में दिनांक 28-10-83 को थाना बिल्हौर में प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्राप्त सूचना पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। अतएव इस मामले में पंजीकृत करने में पुलिस द्वारा विलम्ब नहीं है बल्कि वादी श्री श्याम लाल की ओर से है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैंने पूछा है रिपोर्ट क्या है ?

श्री रियासत हुसैन--

पैरा 5 में सारे आरोपों का जिक्र किया है जो वहां के पुलिस और पुलिस अधिकारियों पर लगाये हैं। चूंकि इसमें पुलिस के उच्च अधिकारियों पर आरोप है पैसा लेने आदि का। मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह आरोप पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, यह जांच रिपोर्ट पुलिस के अधिकारी की सूचना पर प्रस्तुत की गई है या किसी और अधिकारी की सूचना के आधार पर है। चूंकि आरोप पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पर है, इसकी जांच जुडिशियल तरीके से करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जूडीशियल जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा बहुत साफ सवाल है। चूंकि यह सारा मामला पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ है। पैसा पहुंचाने आदि का आरोप है। तो इसकी जांच अगर आपने पुलिस अधिकारियों से अब तक करायी है तो उसको छोड़कर किसी जुडीशियल जांच की कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसमें कोई गम्भीर आरोप नहीं है इसमें ऊपर तक पहुंच रहा है आज तक ऐसी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है तो इसमें क्या जानकारी करावें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, देहलवी जी का जो प्रश्न है वह मुख्य है मैं इसे दूसरे ढंग से पूछना चाहता हूं माननीय देहलवी साहब ने जो सूचना दी है उसकी कापी मेरे पास है जो आरोप लगाए हैं वह शासन की ओर से निराधार पाये गये यह इन्होंने कहा। तो यह जो आरोप निराधार पाए गये यह किसके द्वारा जांच रिपोर्ट दी गयी है। यदि यह रिपोर्ट एस0 पी0 की होगी तो यह तो सब जानते हैं कि जिले की पूरी शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी एस0 पी0 पर होती है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट मात्र एस0 पी0 द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है या इस बात को ध्यान रखते हुए कि एस0 पी0 का संदर्भ दिया गया है इसमें जांच एस0 पी0 से किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसमें जांच एस0 पी0 ने की है अगर आप कहते हैं वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा दी जाएगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इस तरह से कई मामले दबाये पड़े हैं। जो यह चाहे करते हैं पुलिस मनमानी पैसा कमा रही है। जिलाधिकारियों तक पहुंच रहा है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28 जनवरी, 1984 को क्या सतर्कता विभाग की तरफ से बिजली की चोरी का कोई मुकदमा कायम हुआ था यदि कायम हुआ था तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा हुआ है ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैंने लिखा है। बहुत से मामले बनाए जाते हैं जिसमें पुलिस को रुपया पहुंचाया शुरू में मामले को दबाये रखा पैसा ले करके तो इसमें सारी बातों का समावेश हो जाता है। रिपोर्ट फर्जी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि मेरा आरोप है रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती अगर रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसको दबाये रखा जाता है। मान्यवर, फरवरी, 1984 में हिन्दपुर गांव में चोरी हुई। चोरी के मुलजिम पकड़े गये उन मुलजिमों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई मान्यवर, एक दर्जन मेरे पास हैं मैं सिद्ध कर सकता हूं। पुलिस अधिकारी पैसा लेते हैं और स्थानीय पुलिस के द्वारा लेते हैं इसलिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप इतनी देर से क्या पूछ रहे हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अप्पा नेवादा में 2 मार्च, 1984 को हत्यायें नहीं हुई हैं लूटपाट नहीं हुई है मंत्री जी ने इस पर इंकार किया। हत्यायें नहीं हुई हैं, मैं इस मामले को चैलेन्ज करता हूं। क्या आप इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे अगर यह सिद्ध हो जाए कि इस गांव में 3 मार्च को हत्यायें हुई हैं और लूटपाट हुई है तो मैं जानना चाहूंगा मान्यवर, आप इस्तीफा दें या मैं देने के लिये तैयार हूं। क्या आप इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं यदि यह बात सही निकले ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, यह जो सूचना है, इसमें कोई यह कोशिश नहीं की जा रही है कि किसी को संरक्षण दिया जाय। जो सूचना है कि वहां पर गोली चली, मार-पीट हुई, कई व्यक्ति घायल हुए, यह सूचना है जहां तक थानाध्यक्ष की बात है, मैंने देखा कि उनकी कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, इसलिये आज ही उनके ट्रान्सफर के आदेश कर दिये हैं। लेकिन कत्ल की कोई सूचना नहीं है। दोनों पार्टियों की एफ0 आई0 आर0 मेरे पास है, उनमें कत्ल या मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है। एफ0 आई0 आर0 में जहां तक आरोप लगा, मुझे यह भी महसूस हुआ कि थानाध्यक्ष ठीक व्यक्ति नहीं हैं और मैंने उनके ट्रान्सफर के आदेश कर दिये। उनके विरुद्ध और कोई तथ्य सामने आए तो पुलिस को और चुस्त बनाने के लिये तो दें, मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, बताएं कि आप रोज प्रातःकाल कितने बादाम खाते हैं ?

(हंसी)

श्री भीखालाल—

मान्यवर, वक्तव्य के पहले पैराग्राफ में दो विद्यालयों में चोरी का जिक्र है। यह 26 फरवरी की घटना है। 27 फरवरी को क्षेत्राधिकारी भी मौके पर गये और उन्होंने सही जांच करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, कितने मुलजिम पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, यह जो घटना हुई, रात में हुई, 25/26 की रात को। इसमें अभी

तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया। अभियुक्तों को पकड़ने के लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जो यह पांचवां पैराग्राफ है, इसको देखने का कष्ट करें। जैसा कि मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करायेंगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट न लिखने का आरोप लगाया गया है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच करते समय इस बिन्दु पर भी जांच की गयी कि थाने पर आवेदन पत्र कितने आए, प्रथम सूचना कितनी लिखी गयीं और इनके बीच कितना अन्तर पाया गया ? यदि इन बिन्दुओं पर पहले जांच नहीं हुई तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराते समय इन बिन्दुओं पर जांच करायेंगे कि संदर्भित अवधि में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, एफ0 आई0 आर0 कितनी लिखी गयीं और कितने आवेदन पत्र शेष बचे जो प्रथम सूचना के रूप में अंकित नहीं किये गये और ऐसा न करने के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर माननीय गुप्ता जी ने काफी विस्तृत बात पूछी है, यह अभी बताना कठिन है। अभी माननीय देहलवी जी ने जो ग्राम अप्पा नेवादा के बारे में बताया है जो हरिजन का मामला थानाध्यक्ष ने दर्ज नहीं किया था, और बाद में एस0 पी0 के कहने पर दर्ज किया, जबकि दूसरी पार्टी जो ब्राह्मण थी, उसकी दर्ज कर ली, जब दोनों का मुकदमा दर्ज करना चाहिये था। इस अनियमितता को देखकर मैंने पहले ही थानाध्यक्ष का ट्रान्सफर कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा था। मेरी निजी जानकारी है, सैकड़ों ऐसी जानकारियां हैं, मामले हैं, जिनमें वहां सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि जब वरिष्ठ अधिकारी से जांच करावें तो उसको ये बिन्दु संदर्भित करने का कष्ट करें कि वह जांच करे कि उस क्षेत्र में कितनी अप्लीकेशन आई, प्रथम सूचना के रूप में कितनी अंकित की गयीं, ऐसे सैकड़ों मामले अंकित नहीं किये गये, क्या माननीय मंत्री जी उसके लिये जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जो-जो बिन्दु हैं आप बता दीजिये, हम उच्च अधिकारी से उन पर जांच करा लेंगे।

(5 बजकर 20 मिनट पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक 27 तारीख को निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक संस्थानों की चोरी हुई है, इन दोनों चोरियों के सिलसिले में कितनी पर्चियां काटी गयी हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 लिखवायी गयी है वह चपरासी के द्वारा लिखायी गयी है। प्रेम बिहारी श्रीवास्तव की मृत्यु हो गयी है। पर्चियां कितनी कटी, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। पूरी तरह से जांच हो रही है। एफ0 आई0 आर0 चार्ज-शीट और मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। यदि आप कहें तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना दूं।

सशस्त्र डाकुओं के गिरोह द्वारा ग्राम ब्राह्मण का नगला, जिला आगरा में हमले से लोगों के मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत व तथ्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)---

प्राप्त सूचना के अनुसार डकैती की घटना दिनांक फरवरी 1/2 की रात्रि में घटित नहीं हुई थी बल्कि यह घटना दिनांक 29-2-84/1-3-84 के मध्य रात्रि में घटित हुयी थी।

[इस घटना में 6, 7 सशस्त्र डकैतों ने ग्राम रामपुर क्षेत्र एवं थाना अछनेरा के ब्राह्मणों के घरों में डकैती डाली थी। जिसमें 4 घर प्रभावित हुये। डकैतों ने बद्री प्रसाद पुत्र केशव देव ब्राह्मण का घर लूटा तथा लूटते समय इनके परिवार के साथ कोई मारपीट नहीं की बल्कि उन्हें एक स्थान पर बैठा दिया। बद्री प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे बल्कि घर के पीछे एक मन्दिर में सो रहे थे। बद्री प्रसाद का घर लूटने के बाद डकैतों ने बद्री प्रसाद के मिले हुए देवी प्रसाद के मकान में प्रवेश किया और लूटपाट की। देवी प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा शोर करने पर गांव के लोग एकत्रित हो गए और शोर सुनकर ग्राम अंगनपुरा में पुलिस गश्त पार्टी के कान्सटेबुल घटनास्थल पर पहुंच गये। लाइसेन्सदार व सिपाहियों ने डकैतों पर फायर किया जिस पर डकैतों ने अपने को घिरा हुआ अनुभव किया। गांव वालों ने जोश में आकर डकैतों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। बदमाशों ने अपने को घिरा हुआ पाकर अंधाधुन्ध फायर करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारा गया तथा एक व्यक्ति की अस्पताल जाते समय मृत्यु हो गई। डकैत जब बद्री प्रसाद ब्राह्मण के घर की ओर वापस लौट रहे थे तो सामने से बद्री प्रसाद व उसका भतीजा मुनेश बाबू जो मंदिर की ओर से अपने लूटे हुए घर से एक बच्चे को निकालने हेतु आ रहे थे तो डकैतों ने इन दोनों को लक्ष्य बनाकर फायर कर दिया। परिणामस्वरूप दोनों व्यक्ति घटना स्थल पर ही मर गये। इसी मध्य दाताराम नामक एक व्यक्ति के हाथ में भी गोली लगी। डकैत भागकर लूटे हुये मकानों के पीछे की पगडंडी के रास्ते पर पहुंच गये और वहां रोशनलाल व गोपाल के घरों में घुसकर लूटपाट करके उधर से ही अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। गश्त के कान्सटेबुलों ने डकैतों का पीछा किया परन्तु डकैत भागने में सफल हो गये।

इस घटना के सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर वादी श्री सत्यप्रकाश शर्मा, निवासी ग्राम रामपुर, थाना अछनेरा की लिखित तहरीर पर थाना अछनेरा पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 बनाम 6-7 अज्ञात डकैत पंजीकृत हुआ।

घटना की सूचना पर थाना अछनेरा की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई तथा जिले के उच्च अधिकारीगण भी घटनास्थल पर पहुंच गये।

अब तक की विवेचना से सूचीबद्ध गैंग गौतम द्वारा उक्त घटना किया जाना विदित हुआ है, जिसके उन्मूलन हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं तथा विवेचना से यह भी पाया गया कि डकैत पुलिस व सेना की मिली जुली वर्दी पहने हुये थे।

ग्रामीणजन की सुरक्षा हेतु पुलिस व पी0 ए0 सी0 की गश्त बढ़ा दी गयी है तथा ग्राम में पी0 ए0 सी0 का कैम्प लगा दिया गया है, जो आस-पास के क्षेत्रों में रात्रि गश्त स्थानीय पुलिस के साथ कर रहा है। वर्तमान में ग्रामीणजन में कोई भय व असंतोष व्याप्त नहीं है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जो उन्होंने अपने वक्तव्य की प्रति हमको दी है, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें थाना और गांव का नाम तो अंकित किया गया है, किन्तु जिले का नाम अंकित नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार की छोटी-छोटी त्रुटियां न किया करें। दूसरा, माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रामपुर गांव में जो यह घटना हुई है थाना अछनेरा इससे कितनी दूरी पर है। तीसरा माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पुलिस वालों ने डकैतों का पीछा किया किन्तु डकैत भागने में सफल हो गये। जिस समय गांव में हल्ला हो रहा था, उस समय आपके पुलिस कर्मी कहां थे और वे घटना स्थल पर कब पहुंचे और क्या कारण थे कि वे डकैतों को नहीं पकड़ सके ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि वह गांव थाने से कितनी दूरी पर था। वह गांव से 8 किलोमीटर दूरी पर है। हमारे दो कांस्टेबिल थे, जिनका नाम राजबीर और ब्रजमोहन है, रामपुर गांव से एक किलोमीटर दूर पर एक अंगदपुर गांव पड़ता है, वहां पर थे, ज्योंही उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी तो वे बेचारे भागकर वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने डकैतों पर फायरिंग की, चूंकि डकैतों के पास माडर्न हथियार थे, इसलिए डकैत भागने में सफल हो गये।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कान्सटेबिल श्री राज बीर और श्री ब्रज मोहन डकैतों पर गोलियां चला रहे थे और वे भाग रहे थे। किन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने दो घरों श्री रोशन लाल और श्री राम गोपाल के घरों को लूटा। भागने की स्थिति में यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इन लोगों ने 25-30 हजार रुपए की लूट-पाट की और वहां पर आधे घन्टे रुके रहे। जब ये डकैत भाग रहे थे, तो इन्होंने लूट-पाट कैसे की ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जब यह गांव लूट रहे थे, जब आवाज हुई, दूसरे बगल के गांव में वहां पर यह कांस्टेबुल गये थे, जब उन्होंने आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, तो यह लोग वहां पर आये, उनके आने के पूर्व ही कुछ घर लूट लिये गये थे, उन्होंने वहां आकर गोलियां चलाना शुरू किया इसमें गांव वालों ने भी सहयोग दिया। मान्यवर, उन डकैतों के पास सेमी आटोमेटिक राइफल 3।5 बोर राइफल और 12 बोर बंदूक और कट्टे थे और जबकि इन कांस्टेबुलों के पास अकेले एक राइफल और सरकेट थे। और यह भी बताना चाहूंगा कि कांस्टेबुल की तरफ से जो 8 कारतूस चलाये गये, उसमें 6 फायर हुए और दो मिस फायर हो गये, तो मान्यवर, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी तरह से डकैतों को रोका जाय।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, यह जो वारदात हुई है रामपुर गांव में यहां केवल 20-25 ही घर हैं। 4 हत्यायें करने के पश्चात् जब यह लोग भाग रहे थे, तो यह कांस्टेबुल इतने हताश हो गये कि उन्होंने इनका पीछा नहीं किया और गोली नहीं चलायी। मान्यवर, यह बताना चाहूंगा कि यह डकैत घंटों-घंटों रुककर लूट पाट करते रहे।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, उत्तर में कहा गया कि अब तक की विवेचना से सूचीबद्ध गैंग गौतम द्वारा उक्त घटना किया जाना

विदित हुआ है। तो, मैं जानना चाहता हूं कि गौतम गैंग में सूचीबद्ध कौन-कौन से डकैत हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इसकी डकैत की सूची हमारे पास नहीं है गौतम का गैंग लिस्टेड गैंग है। लेकिन इस गैंग के सदस्यों की सूची हमारे पास नहीं है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जून सन् 1983 से लेकर दिसम्बर 1983 तक इस अछनेरा गांव में, इसी थानान्तर्गत, 12 डकैतियां पड़ीं। जनवरी, 1984 से लेकर इसमें फरवरी 29 तक 4 डकैतियां पड़ गयीं। इसमें 5 हत्याएं हो गयीं। एक राइफल को लूट कर ले गये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी 15-20 दिन पहले इसी थानान्तर्गत नगला गरिमा गांव के गोपाल नामक व्यक्ति की हत्या हुई। मान्यवर, इसके अलावा पनवारी के रतन सिंह प्रधान के यहां डकैती पड़ी और उसकी गन को बदमाश लूट कर ले गये। इसके अलावा 24/25 जनवरी को अगनपुर के ख्यालीराम प्रधान के यहां भी डकैती पड़ी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने वहां आज व्यवस्था की है, इतने आदमियों के मरने के पश्चात् पी0 ए0 सी0 की, यह व्यवस्था पहले क्यों नहीं की ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो सूचना दी है, उस हिसाब से वहां कार्यवाही हो जायेगी और उसी हिसाब से वहां पी0 ए0 सी0 ज्यादा देने की बात होगी, तो दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आप अपने कमरे में बदन सिंह जी को बुलाकर बात कर लीजिएगा।

ओबरा विद्युत् गृह में लगी आग से उत्पन्न विद्युत् संकट के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अध्यक्ष जी, अक्टूबर, 1983 में ओबरा के अन्दर जो भीषण अग्निकांड हुआ, उसको लेकर सारे देश में, सारे प्रदेश में गंभीर रूप से इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश को जो विद्युत् व्यवस्था है, उसे किस तरह से ठीक किया जाय ? भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाय ? ओबरा के अन्दर व्यापक पैमाने पर जो आग लगने की घटना हुई है, उसके ऊपर किस तरह से गम्भीरता के साथ विचार किया जाय। मान्यवर, ओबरा के अन्दर यह घटना कोई नयी नहीं है। 1968 में इस बिजली स्टेशन की स्थापना हुई है उसके बाद से निरंतर प्रति वर्ष इसके अन्दर आग लगती रही और 1982 के अन्दर मान्यवर चौदह सौ बार आग लगने की घटना ओबरा के अन्दर हुई है। (इस समय 5 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखालाल पीठासीन हुए।) शासन अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिये यह कहता रहा कि इसके अन्दर तोड़-फोड़ की घटना हुई है। माननीय मंत्री जी ने इस सदन के अन्दर एक वक्तव्य दिया। मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर के मध्य तक एक कमेटी भी बना दी और उसकी 8 सदस्यों की रिपोर्ट भी आ गयी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सदन के अन्दर चर्चा करें। सारी बातों को देखें तभी कुछ होगा।

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था श्री मोहन सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर। उन्होंने कहा कि 30-10-83 को 2 बजे के आस-पास आग लगने के बारे में जानकारी हुई और 11 बजे रात तक आग लगने पर काबू पा लिया गया। मैं जानकारी देना चाहता हूं और

यह मेरी निजी जानकारी है कि ओबरा के अन्दर 2 बजे से पहले ही आग लग चुकी थी और आग को बुझाने में रात को 3 बजे तक काबू नहीं पाया जा सका था। यह खेद का विषय है कि चूंकि उस दिन रविवार का दिन था, सभी लोग छुट्टी मना रहे थे, इसलिये एक घण्टे तक विचार ही नहीं हो पाया कि आग पर काबू पाया जाय। वहां पर 150 से 200 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। एक जूनियर इंजीनियर हैं आर0 पी0 सिंह, इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। जो वक्तव्य प्रकाशित किया है उसमें कहा है कि टेबिल गैलरी को बिजली काटनी जरूरी थी और उसके लिये उच्च अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ती है। टेबिल गैलरी को बिजली काटना आसान बात नहीं है। वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, जब महाप्रबन्धक के0 बी0 माथुर एक घन्टे के बाद पहुंचे तब बिजली काटी गयी। तब तक ओबरा का अधिकांश हिस्सा जल रहा था और किसी तरह का नियंत्रण नहीं हो पा रहा था।

यह बहुत ही गम्भीर घटना है। इससे नुकसान कितना हो गया है। सरकार कहती है, चेयरमैन का कहना है कि 30 करोड़ रुपये तो मरम्मत में लगेंगे। इसके अलावा 1000 मेगावाट विद्युत प्रति दिन उत्तर प्रदेश को भोगना पड़ा है। जो सरकारी उद्योग धन्धे हैं, व्यक्तिगत उद्योग धन्धे हैं, उनको लेकर 1400 करोड़ रु0 का उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण घटना है, इतना भयंकर नुकसान हुआ है, जिसके बारे में लोक सभा और राज्य सभा मे चर्चा हो रही है। मुख्य मंत्री ने 8 आदमियों की कमेटी बना दी, जांच रिपोर्ट आ गयी। सारी जांच रिपोर्ट जो आयी है, सरकारी अफसरों द्वारा आयी है।

एक माथुर साहब हैं, माथुर साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने कभी थर्मल प्लान्ट में काम नहीं किया। उनको कोई भी जानकारी नहीं है, वे टेक्निकल आफीसर नहीं हैं, फिर भी माथुर साहब को, चूंकि यहां सेक्रेटरी माथुर थे, इसलिये उनको प्रबन्धक बनाकर रखा गया। दो-दो गुट वहां पर काम करते हैं। शासन को इस बात की जानकारी थी, फिर भी उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। आग लगने के बाद आठ सदस्यीय जांच समिति गठित की। उन्होंने कह दिया, वह मैं बाद में कहूंगा। उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई। एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का तबादला हुआ, दो अधिशासी अभियन्ताओं पर चार्जशीट लगी, नौ अन्य कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। सारा हमला छोटे कर्मचारियों पर हुआ, जूनियर इंजीनियर पर हुआ, लेकिन वहां के चेयरमैन पर और जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उन पर कोई हमला नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। चौदह सौ बार घटना हो जाय लेकिन जो कर्मचारी वहां पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लगाम नहीं लगा रहे हैं। जांच समिति के अन्दर विद्युत् बोर्ड के अधिकारियों को भर दिया, उन्होंने सारी झूठी रिपोर्ट भर दी। क्या-क्या नयी बातें कही गयी हैं। उन्होंने कहा कि जब आग लगी, तो बजाय उसका कारण बताने के, उन्होंने कहा कि तोड़-फोड़ की कार्यवाही है। तोड़-फोड़ की कार्यवाही एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, 10-20 हो सकती हैं, लेकिन निरंतर आग लगती रहे। निरंतर ओबरा जलता रहे और शासन यह कहे कि सिर्फ कुछ तोड़-फोड़ की कार्यवाही थी तो इस तरह की बातें कहकर सिर्फ तथ्यों को छिपाना है। इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आयी जांच के बाद जिसमें यह नहीं कहा गया कि जिस समय आग लगी उस समय आपकी फायर फाइटिंग मशीनें कहां थीं और आपके जो बड़े-बड़े पाइप पानी के थे, वह कहां थे या वह काम नहीं कर रहे थे, इस पर कोई रोशनी नहीं डाली गयी है। आग लगने के 8 घंटे के बाद फायर फाइटिंग मशीनें रेनूसागर, हिंडालको, बनारस और इलाहाबाद से मंगानी पड़ीं, जब कि आपके पास स्वयं सारी चीजें मौजूद थीं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया क्या वह

बिगड़ी हुयी थीं, यही एक कारण हो सकता है, नहीं तो वहां पर आग बराबर बढ़ती रहे और आपके पास व्यवस्था होते हुए भी उसका इस्तेमाल न किया जाय, यह समझ में नहीं आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर वहां पर मशीनें थीं तो वहां पर उनके इस्तेमाल न किये जाने के कारण क्या थे और जो इन मशीनों का संचालन करते हैं, उन पर आपने क्या कार्यवाही की, इसके बारे में आपने अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया है।

दूसरी बात आपने अपनी रिपोर्ट में जो यह बात बताई कि कुछ तोड़-फोड़ की व्यवस्था थी दूसरी बात आग की लपटों के बारे में बताया गया कि लपटें पहले लाल थीं, फिर पीली हुयी और फिर बाद में वह सफेद हो गयीं, तो इस बात से यह मालूम होता है कि मैं शमशान घाट गया हूं वहां पर मुर्दों को जलते देखा है, जिसमें पहले लाल लपटें निकलती हैं, वह फिर पीली हो जाती हैं और फिर जब बदन की चर्बी जलती है तो सफेद हो जाती हैं लपटें तो इससे यह लगता है कि उसमें दो सौ और चार सौ आदमी भी जल गये। तो इतनी बड़ी घटना घटी और इसके बारे में जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया, हो सकता है कि जब सी0 बी0 आई0 रिपोर्ट आयेगी तो स्थिति शायद कुछ स्पष्ट हो सके और इसी सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब इसके रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही की आपने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर काबू रहे इसके लिए शासन ने क्या-क्या नीति अपनाई है, यह तो आप अपने भाषण के दौरान बतायेंगे ही और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो गुटबाजी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और सान्याल साहब को जो आपने वहां पर बैठाया है तमाम शर्तों के साथ कि जब उन्हें वहां से हटाया जायगा तो 3 हजार रुपया उन्हें तनख्वाह के रूप दिये जायेंगे, ऐसा इनके साथ क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात जो हर साल 100-100 करोड़ रु0 का घाटा होता है इसमें इसके लिए आपने क्या सोचा है, इन सारी चीजों पर आप क्या करने जा रहे हैं, इस ओर आपको मजबूती से कोई कदम उठाने पड़ेंगे वरना यह ओबरा इसी तरह से बराबर जलता रहेगा।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, यह जो घटना हुई है, यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके मान्यवर, दो पक्ष हैं, एक तो यह कि यह दुर्घटना हुई क्यों, इसके क्या कारण हैं और इसमें किन लोगों का दायित्व है, इसके बारे में अभी तक जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट तो आपके सामने है, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हम लोग हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ नये तथ्य सामने आयें, लेकिन इस मामले में जिन लोगों के द्वारा लापरवाही बरती गयी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और जहां तक तोड़-फोड़ की जो शंका है, उसमें सी0 बी0 आई0 की रिपोर्ट के आने पर उन लोगों पर दायित्व फिक्स हो सकता है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अब नुकसान का सवाल है कि 300 करोड़ का यंत्रों का नुकसान हुआ। उसका विस्तृत इस्टीमेट हमारे पास है उसको हम देख रहे हैं, दो यूनिट बन गयी हैं, तीसरी अप्रैल में हो जायेगी और दो यूनिट और हैं जो जल्दी ही हो जायेंगी। वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। वहां थर्मल पावर स्टेशन में आग लगती रहती है, उसकी हम चेकिंग करा रहे हैं और जो भी इसके लिए उचित होगा उसे हम करेंगे, अभी हम उसको देख रहे हैं। यह सही है कि बिजली की हानि को पूरा नहीं किया जा सकता है यह निश्चित बात है। फिर भी यथासम्भव हमने व्यवस्था की है। हमने इसके लिए

बिजली की कटौती की ताकि किसानों को हम बिजली दे सकें ।

इस काण्ड की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट हमें मिली है लेकिन अभी विस्तृत रिपोर्ट आनी शेष है । इसके बाद सी0 बी0 आई0 की रिपोर्ट को देख कर उत्तरदायित्व निश्चित करना है । जो छोटे कर्मचारियों को दण्डित करने की बात कही गयी कि जूनियर इंजीनियर, सिक्योरिटी गार्ड को अपने निलम्बित किया तो इसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अक्तूबर, 1983 का जो ओबरा काण्ड था इसको जितनी अहमियत देनी चाहिए थी, यह जितना गम्भीर काण्ड था इसकी गम्भीरता को सरकार ने नहीं स्वीकार किया है । अगर मंत्री जी ने इसको गम्भीर रूप से लिया होता, तो कितने ऐसे काण्ड होते हैं पहले उसके लासेज कलेक्ट किये जाते हैं । एक तो रिपेयर के रूप में मशीनरी का लास हुआ 30 या 20 करोड़ का और प्रेस कहता है कि 100 करोड़ का लास हुआ । तो क्या आप बतला सकते हैं कि इन तीनों मशीनों की जांच होने के बाद प्रोडक्टिव लास कितने का हुआ और ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन का, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन का, कामर्शियल साईड में तथा लाईट और फेन की सिविल सर्विस का क्या कोई कलेक्टिव ब्यौरा आपके पास है कि सब कितना लास हुआ है ? लेकिन आपके पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमन्, कटौती के सम्बन्ध में यहां आपके मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम कोई कटौती नहीं करेंगे, हमने सेन्टर से मांगा है 140 मेगावाट । सेन्टर ने कह दिया हम वैसे ही उत्तर प्रदेश को ओवर दे रहे हैं, अब और नहीं दे सकते । दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा कि कवाल टाउन्स में 2 घंटे, म्युनिस्पिल एरिया में 4 घंटे, टाउन एरिया में 6 घंटे और रूरल एरिया में 18 घंटे बिजली की कटौती की जायेगी । आपने क्या प्रयास किया ? ओबरा काण्ड से जो यह घटना हुई । इसको रुकवाने के लिए आपने क्या किया यह बात माननीय सदन के सामने आनी चाहिए कि आपके द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये और उसमें आप क्यों असफल रहे लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आयी । अब पनिशमेन्ट की बात आती है ।

(श्री यशपाल सिंह द्वारा कोरम की कमी के सम्बन्ध में कहे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

कोरम नहीं है । आप बैठिये जरा सा ।

श्री मोहन सिंह—

इन्हें कोरम के बारे में ज्यादा चिन्ता है, ओबरा के बारे में नहीं । ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में कोरम नहीं देखना चाहिये ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई ।)

(कोरम की घंटी लगातार 5 मिनट तक बजती रहने पर तथा कोरम पूरा न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि कोरम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए चर्चा समाप्त की जाती है ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

लखनऊ : सचिव, विधान सभा,

20 मार्च, 1984 ई0 उत्तर प्रदेश ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

नकल चिक द0 नं0 23 मु0 अ0 सं0 24, धारा 457/380 आई0 पी0 सी0, पो0 एस0 मऊआइमा, इलाहाबाद ।

तारीख घटना—13/14-2-83 समय—अज्ञात ।

तारीख सूचना—14-2-83 समय- 7.30 ए0 एम0 ।

घटनास्थल—कस्बा मऊआइमा गंजिया बाजार व फा0 1 किमी0 पूर्व ।

वादी—श्री बद्रीनाथ खत्री पुत्र श्री सीताराम निवासी, गंजिया बाजार, मऊआइमा थाना, मऊआइमा, इलाहाबाद ।

बनाम—अज्ञात ।

नकल तहरीर हिन्दी

श्रीमन्, थानाध्यक्ष महोदय, मऊआइमा, इलाहाबाद सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरी दुकान कपड़े की गंजिया बाजार, मऊआइमा में है । मैं रात अपनी दुकान लगभग 8 बजे रात्रि को बन्द करके अपने घर चला गया । आज सुबह जब दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि दुकान के नीचे डेहरी खुदी है और ईंट वगैरह निकली देखी और दरवाजा खुला मिला । देखा तो मेरी दुकान से नीचे लिखा सामान चोरी हो गया है आस-पास तलाश किया तो दुकान के पीछे तकिया स्थान खेत में कुछ कपड़ा लपेटने वाला रूल मिले । कुछ रूल व कपड़े व साड़ी के डिब्बे सलाटर हाउस के पास मिले चोरी गये सामान की सूची निम्न है—साटन लाल दो थान व दो थान नीला साटन, नौ थान हरा, नौ थान धानी व एक थान गुलाबी, नौ थान और सोना रंग का लाल करीब डेढ़ थान प्रत्येक थान लगभग 15-16 मीटर के थे । 2—पच्चीस साड़ियां जिन पर बृज बिहारी लाल विजय कुमार फर्म की रंग-बिरंगी व कढ़ी साड़ियां और तारकशी सलमा सितारा लगा हुआ है । 3—पापलीन तीन थान हरा, पीला व काही रंग के । 4—टेरीकाट सफेद तीन थान व एक थान गुलाबी कुल चार थान लगभग 15 मीटर के । 5—रूबिया साड़ियां 10 पीस छपी हुई । 6—टेरीकाट लट्ठा अशोक मिल के छपे हुए चैक में रंग-बिरंगे कत्थई, नीला और सफेद । 7—37 मीटर 9 गज के अर्ज की छपी हुई लगभग 4 थान । 8—सनफ्राइज प्लेन, नीला, बादामी, हरे रंग व सफेद रंग के कुल 4 थान । 9—छीट अलग-अलग रंग 1 गज अर्ज की करीब 8 थान । 10—वायल धोती छपी हुई 15 पीस । 11—बनियान लगभग 75 पीस । 12—पेन्ट पीस एम0 कुमार मिल के लगभग 10 या 12 पीस । 13—लट्ठा छींट का 15 थान करीब-करीब 10-12 मीटर के हैं । 14—धोती मर्दानी धुली 15-16 पीस लगभग रिपोर्ट लिखाकर आवश्यक कार्यवाही की जाय चोरी गये सामान को मैं मेरा लड़का पहचान सकते हैं । सामने आने पर कुछ सेल टैक्स के आवश्यक कागजात भी चोरी गये हैं जो फर्म विमलेश कुमार अतुल कुमार व सेल्स टैक्स खरीद फरोख्त की रसीद का । प्रार्थी बद्रीनाथ खत्री पुत्र सीताराम खत्री, गंजिया बाजार, मऊआइमा, इलाहाबाद 14-2-83 हस्ताक्षर बद्रीनाथ खत्री, लेखक जगदीश चन्द्र खत्री, गंजिया बाजार, मऊआइमा, इलाहाबाद, लेखक देवी प्रसाद सक्सेना, एच0 एम0 14-2-83 ।

नकल चिक दस्तनदाजी नं0 123 मु0 अ0 सं0 144 धारा 380 आई0 पी0 सी0 थाना मऊआइमा, इलाहाबाद

ता0 घ0—16/17-10-82 समय करीब 12 बज के बाद

ता0 सू0—17-10-82 समय 6.45 ए0 एम0

घटनास्थल—मोहल्ला हजियाना कस्बा मऊआइमा थाना मऊआइमा, इलाहाबाद ।

धारा—380 आई0 पी0 सी0 ।

वादी—श्री मुख्तार अहमद सा0 मोहल्ला हजियाना कस्बा मऊआइमा थाना मऊआइमा, इलाहाबाद ।

बनाम—अज्ञात

विवेचक—ए0 एस0 आई0 श्री गंगादत्त शुक्ल

नकल तहरीर हिन्दी वादी

सेवा में श्रीमान थाना इंचार्ज महोदय थाना मऊआइमा, इलाहाबाद निवेदन है कि प्रार्थी मुख्तार अहमद पुत्र हाजी छेदी मु0 हजियाना थाना मऊआइमा, इलाहाबाद का निवासी हूं आज बीती रात को मैं शिवपुर में हैदर अली का बिरहा सुनने चला गया था मेरे मकान में चोर घुसकर रात के करीब 12 बजे के बाद नीचे लिखे सामान चोरी से चुरा ले गये सम्भवतः पश्चिमी दरवाजा से सामान चुरा कर चले गये सामान जो चोरी गया है (1) सन्दूक पुराना काले रंग का स्टील का दाम लगभग 40रु0 (2) एक सूटकेस हल्का हरे रंग का पुराना 20 रु0 जेवरात (3) 1 तोला आधा किलो चांदी का दाम करीब 600 रु0 (4) लच्छा 22 अदद चांदी का आधा किलो दाम करीब 600 रु0 । (5) पहुंची एक जोड़ा 10 तोला करीब दाम 150 रु0 । (6) एक जोड़ा बड़ी चैन 2 तोला करीब दाम 150 रु0 (7) छल्ली एक जोड़ा 10 तोला दाम करीब 150 रु0 (8) एक जंजीर 3 लर की 10 तोला दाम करीब 150 रु0 । (9) छटन चांदी की 3 तोला दाम करीब 50 रु0 । (10) चूड़ी चांदी की 12 अदद 5 तोला दाम करीब 100 रु0 । (11) जेवरात सोना लाकेट एक अदद डेढ़ तोला सोने का पुराना लगभग 1500 रु0 । (12) कंगन एक जोड़ा पुराना सोने का 3 तोला दाम 1200 रु0 । (13) एक जोड़ा ऐरन एक तोला पुराना दाम करीब 550 रु0 । (14) अंगूठी एक अदद सोना आधा तोला दाम करीब 450 रु0 । (15) बरतन चार पतीली ताबे की वजन लगभग 6 किलो दाम करीब 100 रु0 । (16) एक बाल्टी पीतल की एक दाम करीब 25 रु0 । (17) एक प्लेट स्टील का नया दाम लगभग 224 रु0 । (18) कटोरा 6 अदद दाम करीब 60 रु0 । (19) एक प्रेस स्टील की कीमत 60 रु0 । (20) एक घड़ी लेडीज स्विटजन पुराना दाम करीब 400 रु0 । (21) एक टीन चावल देहरादून पीला रंग 10 के0 जी0 दाम करीब 50 रु0 । मैं बिरहा सुनकर सुबह घर जब आया तो बच्चों ने चोरी का समाचार सुनाया चोरी गए सामान को मैं या मेरी घर में बच्चे सामने आने पर पहचान सकते हैं, अतः मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाय । प्रार्थी मुख्तार अहमद, मुस्तार अहमद मुहल्ला हजियाना कस्बा मऊआइमा, इलाहाबाद लेखक श्री अब्दुल हफीज मुहल्ला हजियाना कस्बा मऊआइमा 17-10-82 लेखक एफ0 आई0 आर0 का0 मु0 श्याम नरायन सिंह थाना मऊआइमा, इलाहाबाद ।

नकल चिक द0 घ0 15/मु0 अ0 सं0 179 धारा 394
आई0पी0सी0, थाना मऊआइमा, इलाहाबाद

ता0 घ0--12-12-82 समय 10-30 बजे रात ।

ता0 सू0--13-12-82 समय 3-15 ए0 एम0 ।

घटनास्थल--कप्तान का पूरा बहद कस्बा, मऊआइमा व फैसला 4 फर्लांग पूरब ।

धारा--394 आई0 पी0 सी0 ।

वादी--श्री मगेलू राम पुत्र श्री घूरऊराम सा0 कप्तान का पूरा कस्बा मऊआइमा, थाना मऊआइमा ।

बनाम--तीन चार आदमी नाम पता, अज्ञात सूरत शिनाख्त ।

विवेचक--श्री आर0 यू0 खान, एस0 आई0 ।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

सेवा में थानाध्यक्ष महोदय थाना मऊआइमा, इलाहाबाद निवेदन है कि आज तारीख 12-12-82 की बीती रात करीब 10-30 बजे में अपने घर कप्तान का पूरा कस्बा मऊआइमा में सोया हुआ था कि तीन चार आदमी दरवाजे पर आ आकर आवाज दिया, मैं जग गया और जैसे ही दरवाजा खोला लोग मुझ पर टूट पड़े और किसी ने आंख बंद कर दिया और किसी ने हाथ व पैर बांध दिया तथा मेरे सर पर कट्टे की मुठिया से मारा जिससे कुछ चोटें आईं घर में मेरे दो छोटे लड़के अशोक कुमार, भैयाराम भी थे जिन्हें डरवा धमका कर घर के सामान पूछ कर ढूंढ़ कर लूट ले गये बदमाशों को भागते हुए बिजली की रोशनी में मैंने व लड़कों ने देखा है मेरा सामान जो ले गये हैं वह निम्न हैं (1) हसूली एक सोने की ढाई तोला । (2) ऐरन एक जोड़ी 12 आना भर सोने का । (3) हसुली एक चांदी 350 ग्राम की (4) पटरी दो जोड़ी 350ग्राम चांदी की (5) छड़ा एक जोड़ा 15 तोला चांदी के (6) लक्षा 10 तोला चांदी का (7) 5,000 रु0 नकद । लेखक हुबलाल पुत्र द्वारिका प्रसाद ग्राम सराय कालू मऊ आइमा, इलाहाबाद प्राथी भगेलू राम (भगेलू राम) पुत्र घुरऊ राम निवासी कप्तान का पूरा मऊआइमा 13-12-82 लेखक एफ0 आई0 आर0 का मु0 श्याम सिंह थाना मउआइमा, इलाहाबाद ता0 13-12-82 ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पूर्वी क्षेत्र) वाराणसी में मैक्सफाल्ट की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण

वर्ष	प्राप्ति का स्रोत	प्राप्त मैक्सफाल्ट मात्रा मी0 टन	प्राप्त मैक्सफाल्ट मूल्य लाख रु0 में	वितरित/प्रयोग किए गये मैक्स फाल्ट की मात्रा (मी0 टन में)
1	2	3	4	5
1979–80	1—मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, बाम्बे 2—मे0 भारत पेट्रोलियम, बाम्बे 3—प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, इलाहाबाद	14090.61	221.81	14786.55
1980–81	1—मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, बाम्बे 2—मे0 भारत पेट्रोलियम, बाम्बे 3—चीफ डम्प, कानपुर 4—प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, कानपुर	15131.49	316.39	13341.42

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	5—एन० टी० पी० सी०, शक्तिनगर			
1981-82	1—मे० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, बाम्बे			
	2—मे० भारत पेट्रोलियम, बाम्बे			
	3—प्रान्तीय खंड सा० नि० वि०, लखनऊ			
	4—एन० एच० खंड, सा० नि० वि०, बस्ती			
	5—इंडियन आयल कारपोरेशन, बाम्बे			
	6—प्रान्तीय खंड सा० नि० वि०, कानपुर	26016.83	728.74	22530.85
	7—यू० पी० स्टेट विद्युत परिषद्, अनपरा			
	8—एन० टी० पी० सी०, शक्तिनगर			
	9—प्रान्तीय खंड, सा० नि० वि०, मथुरा			
	10—जिला परिषद्, गोंडा			
	11—राष्ट्रीय मार्ग खंड, सा० नि० वि०, वाराणसी			
	12 राष्ट्रीय मार्ग खंड, सा० नि० वि०, इलाहाबाद			
	13—राष्ट्रीय मार्ग खंड, सा० नि० वि०, फतेहपुर			
	14—राष्ट्रीय मार्ग खंड, नं० 1, सा० नि० वि०, बस्ती			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1982-83	1--मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, बाम्बे			
	2--मे0 भारत पेट्रोलियम, बाम्बे			
	3--प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, कानपुर			
	4--इंडियन आयल कारपोरेशन, बाम्बे	52498.81	1536.74	41232.01
	5--एन0 टी0 पी0 सी0, शक्तिनगर			
	6--प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, लखनऊ			
	7--राष्ट्रीय मार्ग खंड, सा0 नि0 वि0, गाजीपुर			
1983-84 (नवम्बर, 1983 तक)				
	1--मे0 भारत पेट्रोलियम, बाम्बे			
	2--मे0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर			
	3--मे0 इंडियन आयल, कारपोरेशन, बाम्बे	1074.83	31.65	8672.15
	4--ए0 टी0 पी0 सी0, शक्तिनगर			
	5--प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 नि0, कानपुर			

विद्या भूषण,
मंत्री,
सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

श्री उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर।)

जनपद मथुरा में वर्ष, 1983 के दौरान हुए कत्लों के थानावाइज विवरण की सूची :

क्र0 सं0	थानों का नाम	कुल कत्लों की संख्या
1	2	3
1	कोतवाली	4
2	सदर बाजार	1
3	वृन्दावन	7
4	नरहौली	2
5	रिफाइनरी	3
6	सादाबाद	10
7	सहपऊ	5
8	बल्देव	7
9	फरह	4
10	छाता	5
11	गोवर्धन	1
12	बरसाना	2
13	मोगर्रा	2
14	राया	11
15	कोसी	10
16	सुरीर	7
17	नौहझील	3
18	शेरगढ़	6
	कुल योग ..	90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर ।)

माननीय विधायक, श्री विमल प्रसाद तिवारी के अधिशासी अभियन्ता, फतेहगढ़ को सम्बोधित पत्र संख्या 308—का/83, दिनांक 29—9—83 पर कृत कार्यवाही का विवरण :

माननीय विधायक जी की संस्तुति	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2
1—मोहल्ला हाता करम खां, फर्रुखाबाद में विद्युत् प्रकाश व्यवस्था नहीं है, यहां लोग कनेक्शन लेने को तैयार हैं । दो वर्ष से मैं लिख रहा हूं विभागीय अधिकारी आश्वासन भी देते रहे परन्तु कुछ नहीं हुआ । जनहित में तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।	मोहल्ला हाता करम खां में विद्युत् लाइनों का विस्तार करने का व्यय अनुमान बनाया गया जिसके अनुसार इस कार्य पर 1,2000 रु0 व्यय होगा इस मोहल्ले में केवल 6 व्यक्ति रोशनी एवं पंखों के कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं, जिससे 15 प्रतिशत संकलन वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता अतः इस मोहल्ले में विद्युत् लाइनों का विस्तार सम्भव नहीं हुआ ।
2—मुहल्ला तकिया नशरतशाह, फर्रुखाबाद से मेमरान मुहल्ला तक हरिजन बस्ती है एक वर्ष पूर्व लाइन हटा दी गयी थी । जिसके फलस्वरूप यहां बिजली नहीं मिलती है । अतः जनहित में तत्काल लाइन बिछवाने का कष्ट करें ।	मोहल्ला तकिया नशरतशाह से मेमरान तक की लाइन को हटाया नहीं गया, यह जीर्ण—शीर्ण होने के कारण टूट गई और इसका जीर्णोद्धार सम्भव नहीं था क्योंकि पूर्व लाइसेन्सी द्वारा इसका निर्माण ब्रैकटों पर किया गया था इसके स्थान पर खम्भों पर एक नई लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।
3—मोहल्ला भाऊटोला, फर्रुखाबाद में श्री बालेश्वर प्रसाद राजपूत के मकान के निकट बिजली का पोल गल गया है जो खतरनाक स्थिति में है । इस पोल को तत्काल जनहित में बदलवाने का कष्ट करें ।	मोहल्ला भाऊटोला में श्री बालेश्वर प्रसाद राजपूत के मकान के निकट लगा पोल क्षतिग्रस्त जरूर है किन्तु इतना नहीं कि इसके गिरने की सम्भावना हो । इसको बदलने का कार्य प्रस्तावित है और निकट भविष्य में कर दिया जायेगा ।

1	2
4—मोहल्ला अमीन खां, फर्रुखाबाद में स्ट्रीट लाइट की लाइन बहुत पुरानी है जो अकसर खराब रहती है अतः इसे बदलवाने का कष्ट करें ।	फर्रुखाबाद शहर पूर्व लाइसेन्सी से 1-12-75 में अधिग्रहीत किया गया था । अधिग्रहीत विद्युत् व्यवस्था में 10 प्रतिशत मोहल्ले रील पर एक अथवा दो फ्यूज की व्यवस्था थी कनेक्शन बढ़ जाने और पुराने कनेक्शनों पर भार बढ़ जाने के कारण उपरोक्त व्यवस्था अपर्याप्त हो गई है इस व्यवस्था को बदलने का कार्य चल रहा है मोहल्ला अमीन खां की व्यवस्था में सुधार का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पूर्ण होने की सम्भावना है ।
5—मोहल्ला हाथा भिन्ड खां, फर्रुखाबाद में हरिजन बस्ती में जनता कनेक्शन लगे हैं परन्तु बिजली नहीं आती है । अतः तत्काल इसे ठीक कराने का कष्ट करें ।	मोहल्ला हाथा भिन्ड खां की लाइनों को देख लिया गया है वहां लाइनें विधिवत् चालू हैं ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर ।)

सूची वर्ष 1981 से नवम्बर, 1983 तक पुलिस मुठभेड़ में मारे गये दस्युओं पर घोषित इनाम—मैनपुरी :

क्र0सं0	मृतक का नाम व पता
1	2
1	मंडे पुत्र पोथी राम यादव, निवासी नगला गुलाल, थाना नं0 लंगर, मैनपुरी ।
2	कल्लू उर्फ करुआ पुत्र लालू, निवासी उघन्ना, थाना घिरोर, मैनपुरी ।
3	राम प्रताप पुत्र लटूरी, निवासी रुद्रपुर, थाना उसराहार, जिला इटावा ।
4	रक्षपाल पुत्र गेंदालाल, निवासी उगपुर, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद ।
5	संतराम पुत्र राजाराम गड़ेरिया, निवासी हसनपुर, थाना ओछा, मैनपुरी ।
6	कन्नौजी पुत्र बद्री, निवासी हिन्दूपुरा, थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी ।
7	महताब पुत्र बिहारी बढ़ई, निवासी भोगाई, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी ।
8	कुंदन उर्फ छोड़ी पुत्र मौजीराम अहीर, निवासी गढेरी, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।
9	कैलाश यादव पुत्र राम चन्द्र यादव, निवासी नगला दौलत, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।
10	राम औतार पुत्र मूगूलाल, निवासी बिघरा, थाना अलीगंज, जिला एटा ।
11	छविराम पुत्र निरंजन यादव, निवासी हरनागरपुर, थाना कुरौली, मैनपुरी ।
12	श्याम पाल पुत्र नत्थू, निवासी छपारा, थाना जसराना, मैनपुरी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
13	रामवीर पुत्र रोशन, निवासी नं0 हरी, थाना जसराना, मैनपुरी ।
14	जयपाल पुत्र लज्जाराम, निवासी गलामई, थाना शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
15	भूरा पुत्र गोवधन यादव, निवासी बल्लमपुर, थाना ओछा, मैनपुरी ।
16	धरमपाल पुत्र राम चरन यादव, निवासी चांदपुर, थाना कुरावली, मैनपुरी ।
17	अनार सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गढ़ी दान सहाय, थाना नगला खंगर, मैनपुरी ।
18	सोबरन पुत्र जानकी यादव, निवासी गढिया घुटासा, थाना बेवर, मैनपुरी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—11 वि0 सभा—14-6-84—813 (पी0 डी0) ।